लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खण्ड 42 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—2, मंगलवार, 28 जुलाई, 1970/6 श्रावण, 1892 (शक)
No -- 2, Tuesday, July 28, 1970/Sravana 6, 1892 (Saka)

विषय Subject		पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
31. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हड़तालों तथा बन्दों के कारण हुई हानि	Loss Incurred by Durgapur Steel Plant due to Strikes and Bandhs	3—7
32. रेलवे में संगणकों का लगाया जाना अस्थायी कर्मचारियों की छटनी	Installation of Computers on Railways and Retrenchment of Temporary Employees	7—10
33. विदेशी सहयोग से शराब बनाने वाले कारखानों की स्थापना	Setting up of Breweries with Foreign Collaboration	10—13
34. दिल्ली के बड़े होटलों में भारतीयों के शराब पीने पर प्रतिबन्ध	Restriction on Indians to take Wine in Big Hotels in Delhi	13—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
1. बिड़ला हाउस, नई दिल्ली, को उपहार में देने के बारे में सहमति	Accord on Gift of Birla House, New Delhi	15
2. एस्सो द्वारा घटिया किस्म के तेल का आयात	Import of Inferior Quality of Crude Oil by Esso	15—16

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
S. Q. Nos.			
3.	ब्रिटेन में एक भारतीय बैंक द्वारा किये गये सन्देहास्पद लेन-देन के बारे में प्रेस समाचार	Press Report Re : Doubtful Transaction of an Indian Bank in Britain	16—17
4.	केरल राज्य में एक मन्दिर में पाई गई चीनी मुद्रा	Chinese Currency Found in a Temple in Kerela State	17
5.	शहरी सम्पति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में विधेयक	Bill Re : Ceiling on Urban Property	18
6.	राष्ट्रपति के साथ के अधिकारियों के सामान की पालम हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा 22 जून, 1970 को जांच-पड़ताल	Search of Baggage of Officers Accompanying the President by Customs Authorities at Palam on 22-6-70	18—19
7.	खम्भात की खाड़ी में समुद्र तट से दूर तेल निकालने के लिए छिद्रण-कार्य में प्रगति	Progress of Off-Shore Drilling in Gulf of Cambay	19
8.	दिल्ली में समाधियों पर व्यय	Expenditure on Samadhis in Delhi	19—20
9.	तृतीय वेतन आयोग द्वारा की गई प्रगति	Progress made by Third Pay Commission	21
10.	शहरी सम्पति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी योजना	Scheme Re : Ceiling on Urben Property	21
11.	चालू वर्ष में प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता का अनुमान	Estimates of Foreign Aid during Current Year	22
12.	एटलांटिक सिटी में 'लायन्स कांफ्रेंस' में भाग लेने वाले व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा का नियतन	Allocation of Foreign Exchange to Persons Attending Lions Conference at Atlantic City.	22—23

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
13. चीन और पाकिस्तान से मादक औषधियों की तस्करी	Smuggling of Intoxications Drugs from China and Pakistan	23
14. कलकत्ता के राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र में कैंसर-निरोधी औषधियों का विकास	Development of Anti-Cancer Drug in National Cancer Research Centre, Calcutta	23 – 24
15. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन स्थित शाखा के भूतपूर्व मैनेजर श्री सामी पटेल के विरुद्ध जांच	Investigations against Shri Samy Patel, former Manager of London Branch of Central Bank of India	24
16. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के बारे तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश	Recommendation by Third Pay Commission Re : Interim Relief to Central Government Employees	24—25
17. स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों के खाते	Bank Accounts of Indian Citizens in Swiss Bank	25
18. सामान्य बीमें का राष्ट्रीयकरण	Nationalization of General Insurance	25—26
19. पी०एल० 480 निधि का उपयोग	Utilisation of PL-480 Funds	26
20. शेयरों के वायदे के सौदों सम्बन्धी समिति	Committee on forward Trading in Shares	26
21. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अपने देशों को भेजी जाने वाली धन राशि के बारे में शान्तिलाल शाह समिति की सिफारिशें	Shantilal Shah Committee's Recommendations Regarding Remittances of Foreign Oil Companies	27
22. जीवन बीमा निगम द्वारा फिल्म उद्योग को ऋण	Loans to Film Industry by Life Insurance Corporation	27
23. रति रोगों के उपचार के लिए और अधिक क्लिनिकों का खोला जाना	Opening of more Clinics for Treating Veneral Diseases	28

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
24. भारत द्वारा प्राप्त की जाने वाली विदेशी सहायता पर व्याज का भुगतान	Payment of Interest Charges on Foreign Aid Received by India	28—29
25. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा फुटकर बिक्री केन्द्रों का बन्द किया जाना	Closure of Retail Outputs by Foreign Oil Companies	29—30
26. बेची जाने वाली मोटर गाड़ियों की कीमत	Price of Disposal Vehicles	30
27. केन्द्रीय मन्त्रियों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Union Ministers	30— 31
28. राज्यों को सहायता देने की नीति	Policy for giving Aid to States	31—32
29. परिवार नियोजन के लिये अमरीकी सहायता	U. S. A. Aid for Family Planning	32
30. कृषि धन कर	Agricultural Wealth Tax	33
35. आयस्क परियोजनाओं के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा विदेशी परामर्शदाता फर्म की नियुक्ति	Appointment of Foreign Consultant Firm by N. I. D. C. for Ore Projects	33—34
36. संविधान का प्रामाणिक हिन्दी संस्करण	Authentic Hindi Version of Constitution	34
37. एशिया तथा सुदूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग के इस्पात-सर्वेक्षण मिशन का प्रतिवेदन	Report of E. C. A. F. E. Steel Survey Mission	35
38. 'वेस्पा' और 'लम्ब्रेटा' स्कूटरों का सरकारी क्षेत्र में निर्माण	Manufacture of Vespa and Lambretta Scooters in Public Sector	35—36
39. साइकलों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Bicycles	36
40. प्राग टूल्स लिमिटेड द्वारा सस्ते स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Cheap Scooters by Praga Tools Ltd.	37

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
41. केरल में मोटर गाड़ी के टायर बनाने के कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licence for Setting up Automobile Tyre Factory in Kerela	37
42. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बिजली के रेल इंजनों और डीजल शंटरों का उत्पादन	Production of Electric Locomotives and Diesel Shunters at Chittaranjan Locomotive Works	38
43. कच्चा माल आयात करने का लाइसेंस देने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for Licensing of Raw Material Imports	38—39
44. बिड़ला की फर्मों के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए आयोग	Commission to Enquire into Charges against Birla Concerns	39—40
45. नेशनल रेयन कारपोरेशन के चिनाय बन्धुओं तथा कपाड़िया बन्धुओं के बीच विवाद	Dispute between Chinais and Kapadias of National Rayon Corporation	40
46. औद्योगिक कम्पनियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता का उल्लघंन करने के लिये कार्यवाही	Action for Violation of Licensed Capacity by Industrial Concerns	40
47. बम्बई को रेल द्वारा मंगलौर से मिलाना	Linking of Bombay with Mangalore by Rail	41
48. मुस्लिम स्वीय विधि में सुधार	Reform in Muslim Personal Law	41—42
49. इलाहाबाद में अर्ध कुम्भ मेले (1971) में यात्रियों को सुविधायें	Facilities to Passengers on Ardh Kumbh Fair (1971) at Allahabad	42
50. अरकोणम में रूसी सहायता प्राप्त निरन्तर (कान्टी-नियुअस) ढलाई संयंत्र का निर्माण	Construction of Soviet-Aided Continuous Casting Plant at Arkonam	42—43

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
51. भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र के माल डिब्बे बनाने वालों की सरकार के विरुद्ध शिकायतें	Grievances of Private Railway Wagon Builders in India against Government	43
52. पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे पर रेल गाड़ियों का रोका जाना	Hold-ups of Trains on Eastern and South Eastern Railways	44
53. स्कूटरों की कमी	Shortage of Scooters	44—45
54. भारत निर्मित कारों के उचित विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिये आयोग	Commission for Determining Fair Selling Prices for Indian Made Cars	45
55. छोटे उपक्रमियों को रियायतें देना	Concessions to Small Entrepreneurs	46—47
56. दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये ब्रिटेन से सहायता	British Assistance for Durgapur Steel Plant	47
57. मोगा (पंजाब) में गेहूँ का रेल गाड़ियों पर लदान	Loading of Wheat in Trains at Moga (Punjab)	47
58. औद्योगिक फर्मों को कलकत्ता से अन्य राज्यों में ले जाना	Shifting of Industrial Concerns from Calcutta to other States	48—49
59. बिहार में टाटा की जमींदारी की समाप्ति	Abolition of Tata Zamindari in Bihar	49—50
60. राज्य सभा के लिये हाल ही में हुए चुनावों के दौरान धन का दुरुपयोग किये जाने के आरोप	Allegations against Misuse of Money during Recent Elections to Rajya Sabha	50

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

1. डालरों तथा पौण्ड-स्टर्लिंग में चोर बाजारी	Black Marketing in Dollars and Pound Sterling	50
2. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खेतीहरों को ऋण दिया जाना	Loans Advanced by Nationalised Banks to Agriculturists	50—51

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3. मध्य प्रदेश में करन्सी नोट छापने के प्रेस की स्थापना	Setting up of a Currency Note Printing Press in Madhya Pradesh	51
4. लघु उद्योगों के विकास और कुंए खोदने के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया की देवास शाखा द्वारा लगाया गया धन	Amount Invested by Devas Branch of State Bank of India for Development of Small Scale Industries and Digging of Wells	51—52
5. टिंचर और जिंजर पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Tincture and Finger	52—53
6. सिंधिया इन्वेस्टमेंट कम्पनी के पास कृष्णराम बलदेव बैंक के शेयर	Shares held by Scindia Investment Company in Krishnaram Baldev Bank	53
7. कृष्णराम बलदेव बैंक के मामले की जांच	Enquiries into Affairs of Krishnaram Baldev Bank	53—54
9. कृष्णराम बलदेव बैंक के कार्य के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा उठायी गई आपत्तियां	Objections Raised in Connection with Working of Krishanram Baldev Bank by Reserve Bank of India	54
10. जीवन बीमा निगम कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्य करने का कार्यक्रम	Work to Rule Programme by LIC Employees	55
11. पूर्व निर्मित मकानों के लिये और अधिक कारखाने स्थापित करना	Setting up of more Factories for Prefabricated Houses	55
12. जीवन बीमा निगम के स्टैनोग्राफरों की मांगें	Demands of Stenographers of LIC	55—56
13. राजस्थान के सिरोही जिले में खनिजों का पाया जाना	Minerals Found in Sirohi District of Rajasthan	56
14. राजस्थान की खेतरी तांबा परियोजना की प्रगति	Progress of Khetri Copper Project, Rajasthan	56—57
15. दहानू ने निकट फिल्मों का पकड़ा जाना	Seizure of Films near Dahanu	57—58

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
16. नंगल उर्वरक कारखाने द्वारा दिये गये रोजगार के अवसरों का कथित रूप से कम प्रयोग	Alleged Poor Employment Opportunities Offered by Nangal Fertiliser Factory	58—60
17. अमरीका से मिलने वाली सहायता में कमी	Reduction in U. S. Aid	60
18. भारत के उर्वरक विस्तार कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank Assistance io India's Fertilizer Expansion Programme	60—61
19. खनिज पदार्थों और धातुओं का पता लगाने तथा उनके विदोहन की योजना	Plan for Exploration and Exploitation of Minerals and Metals	61—62
20. राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों द्वारा त्याग-पत्र	Resignations by Custodians of Nationalised Banks	62—63
21. स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में आर्किटेक्टों तथा सहायक आर्किटेक्टों की नियुक्ति	Appointment of Architects and Assistant Architects in the Health Services Directorate	63—64
22. विदेशों में नौकरी कर रहे भारतीय डाक्टर	Indian Doctors Serving in Foreign Countries	64—66
23. उत्तर दिल्ली में आपात-कालीन अस्पताल गाड़ी सेवा	Emergency Ambulance Service in North Delhi	66
24. अस्पतालों से मुक्त हुए रोगियों के लिये निवास स्थान और उनके सम्बन्धियों के लिये होस्टल	Home for the Discharged Patients and Hostel for their Relatives	66—67
25. अस्पताल कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया मांग पत्र	Charter of Demands Submitted by Hospital Worker's Union	67—68
26. भारत में यूरोप के फार्मास्यूटिकल उद्योग द्वारा दवाइयों के मूल्य ढाचें के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किया जाना	Furnishing of Data on Price Structure of Drugs by Europe's Pharmaceutical Industry in India	68—69

अत

U. S

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
27. मिट्टी के तेल में आत्म-निर्भरता	Self-Sufficiency in Kerosene	69
28. वित्त मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के घरों में चोरियां	Thefts Committed in Houses of Class-I Officers of Ministry of Finance	69–70
29. फर्टीलाइर्जस एण्ड केमिकल्स, त्रावणकोर लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच	C. B. I. Inquiry against Managing Director F. A. C. T.	70
30. यूरोपीय देशों का दौरा करने के लिये राष्ट्रपति के साथ गये कर्मचारियों द्वारा लाये गये माल की जब्ती	Confiscation of Goods Brought by Staff Accompanying the President on Tour to European Countries	70—71
31. जीवन बीमा निगम के प्रबन्धक तथा विभिन्न मजदूर संघों के बीच हुआ समझौता	Accord Reached between the Management of L. I. C. and various Union	71—73
32. दवाइयों की ऊंचीं कीमतें निर्धारित करने के बारे में अधिसूचना	Notification Re : Fixation of Higher Prices of Drugs	73
33. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की लंदन शाखा में गबन	Embezzlement in London Branch of the Central Bank of India	73—74
34. आयकर तथा धन कर अधिनियमों के अधीन केंद्रीय मंत्रियों को जुर्माना देने का नोटिस	Penalty Notices against Union Ministers under Income Tax, or Wealth Tax Acts	74—76
35. दिल्ली के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के विकास कार्यों पर व्यय की गई धन-राशि	Expenditure on Development of Parliamentary Constituencies of Delhi	76—77
36. उत्पादन शुल्क के स्थान पर बिक्री-कर लगाया जाना	Replacement of Excise Duty by Sales-Tax	77—78
37. जन साधारण को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं	Medical Facilities available to Common Men	78—79

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
38. कच्चे तेल के आयात के सम्बन्ध में तेल कम्पनियों की बैठक में एस्सो कम्पनी द्वारा भाग न लेना	Non-Participation of Esso in Meeting of Oil Companies in Connection with Import of Crude Oil	79
39. बिहार में सूखा की स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on Drought Conditions in Bihar	79—80
40. औषधि मूल्य नियंत्रण संबंधी संशोधित आदेश को कार्यान्वित करने के लिये किये गये उपाय	Measures to Implement Drug (Prices Control) Order	80
41. अलियाबेट तथा त्रिपुरा की वर्मा घाटी में सागर तट से दूर छिद्रण कार्य	Off-Shore Drilling Programme at Aliabet and Burma Valley in Tripura	80—81
42. मद्रास तेल शोधक कारखाने तथा 'नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी' के बीच हुए समझौते में संशोधन	Revision of Agreement between National Iranian Oil Company and Madras Refinery	81
43. पैट्रोलियम उत्पादों की मांग निर्धारण सम्बन्धी समिति	Committee to Assess Demand for Petroleum Products	81—82
44. निम्न तथा मध्य आय वर्गों के लिये आवास योजनाएं	Housing Schemes for Low and Middle Income Groups	82
45. मध्य प्रदेश में जठर-आंत्र शोध महामारी के कारण हुई मौतें	Deaths Due to Gastroenteritis Epidemic in Madhya Pradesh	82—83
46. देश में कार्य कर रहे चलते फिरते औषधालय	Mobile Dispensaries Functioning in the Country	83
47. राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंशधारियों को मुआवजा दिया जाना	Compensation to Shareholders of Nationalised Banks	83—84
48. सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि तथा महंगाई भत्ते में विसंगति	Anomaly in Annual Increment and Dearness Allowance of Government Employees	84

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
49. दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकान	Houses Constructed under Slum Clearance Scheme in Delhi	85
50. केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक तथा होमियोपैथिक औषधालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों में काम का आवंटन	Allocation of Duties Among Staff Working in C. G. H. S. Ayurvedic and Homoeopathic Dispensaries in Delhi	85
51. दिल्ली में गर्म मिसालों में मिलावट	Adulteration in Spices in Delhi	86
52. बिहार में अकाल की स्थिति सम्बन्धी अध्ययन दल	Report of Central Study Team on Famine Conditions in Bihar	86
53. डालमिया नगर के समीप अमझोर गंधक खान के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Amjhor Sulphur Mine near Dalmianagar	86—87
54. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों को मकान किराया	House Rent to Employees of Reserve Bank of India	87—88
55. बैंक आफ बिहार के कर्मचारियों को दी गई सुविधाएं	Facilities Provided to Employees of the Bank of Bihar	88
57. राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक	Directors of Nationalised Banks	88—98
58. एस्सो द्वारा हाई-स्पीड़ डीजल तेल का आयात करने के लिए प्रस्ताव	Offer to Import High-Speed Diesel Oil by ESSO	89
59. श्री हरिदास मूंदड़ा तथा उनके समवायों के नाम बकाया आयकर की राशि	Arrears of Income Tax against Shri Haridas Mundhra and his Concerns	89—90
60. नीति परिवर्तन के बारे में सिफारिशें करने हेतु नए बैंकिंग आयोग की स्थापना	Setting up of a New Banking Commission to make Recommendations Re : Policy Changes	90
61. जीवन बीमा निगम का स्वायत्तशासी एककों में विभाजन	Splitting of Life Insurance Corporation into Autonomous Units	90—91

प्रता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
62. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम से छिद्रण बरमों का अन्यत्र ले जाया जाना	Shifting of Drilling Rigs for by O and N. G. C.	91
63. मीठापुर, गुजरात में टाटा बन्धुओं द्वारा उर्वरक परियोजना की स्थापना	Fertilizer Project by Tatas at Mithapur in Gujarat	91—92
64. हैदराबाद मैडिकल बोर्ड द्वारा जाली चिकित्सा प्रमाणपत्र देना	Issue of Bogus Medical Certificates by Hyderabad Medical Board	92
65. भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार	India's Foreign Exchange Reserves	92—93
66. एक राष्ट्रीयकृत बैंक के अभिरक्षक द्वारा तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का अनादर किया जाना	Disrespect Shown to Tamil Nadu Chief Minister by One of the Custodians of Nationalised Banks	93—94
67. औषध कारखानों के लिये इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के माध्यम से आयात	Import of Raw Materials for Drug Units through I. D. P. L.	94
68. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत होम्योपैथी औषधालयों का खोला जाना	Opening of more Homoeopathic Dispensaries under C. G. H. S. in Delhi	94—95
69. ऋषिकेश के कीटनाशी औषधि कारखाने में हुई हानि	Losses Incurred by Anti-Biotics Factory, Risbikesh	
70. पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य नियत करने का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष द्वारा विरोध	Protest by O. N. G. C. Chairman Regarding Fixation of Prices of Petroleum Products	95—96
71. सामान्य बीमा कम्पनियों के प्रबन्ध पर सामाजिक नियंत्रण	Social Control Over Management of General Insurance	96—97

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
72. दिल्ली में बिना सरकारी क्वार्टरों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	Central Government Employees without Government Accommodation in Delhi	97—98
73. मूल्य सूचकांक का तेजी से बढ़ना	Sharp Rise in Price Index	98—99
74. दिल्ली में पानी की सप्लाई एवं मल-मूत्र निस्तारण के लिये मास्टर प्लान	Master Plan for Water and Sewage Disposal in Delhi	100
75. चोरी छिपे लायी गयीं वस्तुओं का मूल्य	Value of Smuggled Goods	101
76. भारतीय अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में विश्व बैंक का प्रतिवेदन	World Bank Report on Indian Economy	101
77. राज्यों को विशेष सहायता	Special Central Assistance to States	102
78. भारत सहायता सार्थ-संघ से सहायता	Aid from Aid India Consortium	102—103
79. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा रूसी सहयोग से बनाई गई परियोजनायें	Projects Constructed by IDPL with Russian Collaboration	103—104
80. विदेशी सहायता में घाटा	Leakage in Foreign Aid	104—105
82. हिन्द गाल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा भारतीय तेल निगम के साथ हुए लेन-देन में की गई अनियमितताओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C. B. I. Inquiry into Irregularities Committed by Hind Galavanising and Engineering Company in Dealing with Indian Oil Corporation	105
83. कपड़े पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Cloth	105—106
84. विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा धन स्वदेश भेजना	Repartriation of Money by Indians Living Abroad	106
85. प्रधान मंत्री द्वारा राजधानी के अस्पतालों का दौरा	P. M.'s. Visit to Hospitals in the Capital	106

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
86. विश्व बैंक से सहायता	Aid from World Bank	107
88. गुजरात में अतिरिक्त मेडिकल कालेज	More Medical Colleges in Gujarat	107—108
89. मंत्रियों और अधिकारियों के फरनीचर, बिजली, लेखन सामग्री आदि व्यय में कमी	Cut in Expenditure, of Ministers' and Officers' Furni'ure, Electricity Stationery etc.	108—109
90. दिल्ली तथा नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार	Expansion of C. G. H. S. Scheme in Delhi and New Delhi	109—110
91. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान के मामले	Incidence of Direct and Indirect Taxation	110—111
92. कोयली शोधनशाला के विस्तार कार्यक्रम में बाधा	Set-Back to Expansion Programme of Koyali Refinery	111
93. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और रूसी विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण	Joint Survey by O and N. G. C. and Soviet Experts	111—112
94. राष्ट्रीयकृत बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद की गई कार्रवाई	Follow-up Action taken after Nationalisation of Banks	112—113
95. दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों को नियमित करना	Regularisation of Unauthorised Constructions in Delhi	113—114
96. मोदी उद्योग समूह के अधिकारियों से आयकर की वसूली	Realisation of Income-Tax from Officers of Modi Group Industries	114
97. अफीम का पकड़ा जाना	Seizure of Opium	114—115
98. मोदी उद्योग समूह का आय कर निर्धारण	Assessment of Income-Tax on Modi Group of Industries	115
99. नई दिल्ली के विज्ञान भवन, रवीन्द्र रंगशाला, तथा मावलंकर सभा भवन (आडिटोरियम) को किराये पर देना	Renting of Vigyan Bhawan, Rabindra Rangshala and Mavalankar Auditorium, New Delhi	115—116

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
100. पी०एल० 480 निधियों का उपयोग	Utilisation of PL-480 Funds	116—117
101. राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि में वृद्धि/कमी	Increase/Decrease in Deposits in Nationalised Banks	117
102. विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों के लिये नियत किये गए दर	Rates Fixed for Various Petroleum Products	118
103. पैट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन	Production of Petroleum Products	118
104. सीमा शुल्क विनियमों का उल्लघंन	Violation of Customs Regulations	118—119
105. दिल्ली में सरकार द्वारा भूमि अर्जित करना	Acquisition of Land by Government in Delhi	119—120
106. परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय	Expenditure on Family Planning Programme	120—121
107. पैट्रोलियम वस्तुओं के बारे में अनुसंधान	Research on Petroleum Goods	121—122
108. श्री एस० निजलिंगप्पा को प्राप्त गुप्त दान के संबंध में जांच	Investigation Regarding Annoymous Donations Received by Shri S. Nijalingappa	122
109. बरौनी उर्वरक परियोजना में होने वाला घाटा	Loss Incurred by Barauni Fertilizer Project	122—123
110. ब्रिटेन से सहायता	Aid from Britain	123
111. एस्सो द्वारा अपनी बम्बई स्थित शोधनशाला के लिये आयातित कच्चे तेल की कीमत में कमी	Cut in Price of Crude Imported by ESSO for its Refinery at Bombay	123
112. केन्द्रीय राजस्व की वसूली	Collection of Central Revenues	124
113. एस०ए०एस० लेखपालों और यू०डी०सी० के पदनामों में परिवर्तन करने के बारे में लेखा-परीक्षा कर्मचारियों की मांग	Demand made by Audit Employees for Change of Designation of SAS Accountants and UDCs	125

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
114. औषधियों की कमी	Shortage of Drugs	125—126
115. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में नई दिल्ली नगरपालिका की इमारत का उपयोग	Utilization of N. D. M. C. Building in Chankayapuri, New Delhi	126
116. कोयला खान विलयन आयोग की स्थापना	Setting up of Collieries Amalgamation Commission	126-127
117. खेतड़ी तांबा परियोजना, राजस्थान में अनुमानित निवेश	Estimated Investment in Khetri Copper Project, Rajasthan	127—128
118. अल्युमीनयम उद्योग के विकास के लिये बिड़लाओं को दिया गया लाइसेंस	Licence to Birla for Expansion of Aluminium Industry	128—129
119. चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मकानों का निर्माण	Construction of Houses in Rural and Urban Areas during Fourth Five Year Plan	129—130
120. अमरीका से ऋण	Loan from U. S. A.	130
121. दिल्ली में विकसित प्लाटों का संसद सदस्यों को आवंटन	Allotment of Developed Plots of Land to MPs in Delhi	130—131
122. विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता	Aid from World Health Organization	131
123. केरल मुस्लिम लीग का तस्करी गिरोह से कथित सम्बन्ध	Alleged Involvement of Kerela Muslim League in Smuggling Racket	131—132
124. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में वास्तुकारों की वरिष्ठता सूची	Seniority Lists of Architects in D. G. H. S.	132
125. तीसरे वेतन आयोग के निदेश पदों में संशोधन	Amendment in Terms of Reference of Third Pay Commission	133
126. पश्चिम बंगाल के पेंशन परिषद का अभ्यावेदन	Representation made by Pensioners Association, West Bengal	133

ता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
127. जीवन बीमा कारोबार करने के लिये गैर सरकारी बीमा कम्पनियों द्वारा अनुमति लेना	Permission Sought by Private Insurance Companies to Undertake Life Insurance Business	134
129. मकानों की आवर्तक निधि के लिये प्रबन्धक बोर्ड की स्थापना	Setting up of Board for Management of Revolving Fund for Housing	134—135
130. ग्रामीण आवास परियोजनायें	Rural Housing Projects	135
131. सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा आयात की गई वस्तुओं से बिक्री कर का हटाया जाना	Abolition of Sales Tax on Articles Imported by Public Sector Agencies	135—136
132. पोलीथीन फिल्मों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Polythylene Films	136
133. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के चेयरमैन द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Chairman, Hindustan Zinc Limited	136—138
134. पेटेंट औषधियों के मूल्य में कमी	Reduction in Prices of Patent Medicines	138
135. ईंधन गैसों के ऊंचें मूल्य	High Prices of Fuel Gases	138—139
136. पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के बारे में शान्तिलाल शाह समिति की सिफारिशें	Implementation of Shantilal Shah Committee Recommendations on Prices of Petroleum Products	139
137. खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का दिया जाना	Introduction of New Oral Contraceptive Pill	139—140
138. मैसर्स शिव सागर एस्टेट, बम्बई को ऋण दिया जाना	Loan Advanced to M/s. Shiv Sagar Estate of Bombay	141
139. व्यापार गृहों तथा उनके कार्यालयों का कलकत्ता से दिल्ली में ले जाया जाना	Shifting of Business Houses and their Offices from Calcutta to Delhi	141—142
140. दिल्ली के अस्पतालों में उपकरणों और औषधियों की कमी	Shortage of Equipments and Medicines in Hospitals of Delhi	142

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
141. बम्बई में चोरी छिपे लाई गई घड़ियां तथा अन्य वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Watches and other Goods in Bombay	142—143
142. नई दिल्ली के नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्रों के लिये पृथक जल संयंत्र	Separate Water Plant for N. D. M. C. Areas of New Delhi	143
143. सीमा शुल्क नियम और विदेशों में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास	Customs Rules and Indian Consulate Offices Abroad	143—144
144. परिवार नियोजन के लिए शाकनाशी तथा कीटनाशी औषधियों का प्रयोग	Use of Hebricides and Pesticides for Family Planning	144
145. विदेशी दूतावासों के माध्यम से व्यक्तियों को धन का भेजा जाना	Remittances to Individuals through Foreign Embassies	144—145
147. रोहतक के निकट सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold near Rohtak	145
148. रुपये का अवमूल्यन और भारत सहायता सार्थ संघ से सहायता	Devaluation of Rupee and Aid from Aid India Consortium	145-46
149. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चुंगी कर लगाया जाना	Levy of Octroi Duty by West Bengal Government	146
150. सूखे और कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिये बिहार की सहायता	Aid to Bihar for Drought and Scarcity-Affected Areas	146—147
151. सरकारी उपक्रमों की हुई हानि की जांच	Enquiry into Losses Suffered by Public Undertakings	147
152. एस्सो द्वारा अरेबियन कच्चे तेल के स्थान पर अधा-जारी कच्चे तेल का आयात करने का प्रस्ताव	Offer by ESSO to Import Aghajri Crude Instead of Arabian Crude	147
153. आयकर अधिकारियों के पास कार्यभार	Work-Lead with Income Tax Officers	148

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
156. स्टेन्डर्ड ड्रम तथा बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी	Standard Drum and Barrel Manufacturing Company	148—149
157. बैंकों के जमा राशि में कमी	Decline in Bank Deposits	149—150
158. बैंकों से ऋण की मांग	Demand for Credit from Banks	151
159. गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के मानदण्ड	Norms for Setting up Fertilizers Plants in Private Sector	151
160. मैसर्स हिन्द गल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ सौदे में भारतीय तेल निगम को हानि	Loss to Indian Oil Corporation in Dealings with Hind Galvanising and Engineering Company	151
161. मई, 1970 में आसनसोल के निकट भानोरा कोयला खान में आग	Fire in Bhanora Colliery near Asansol in May, 1970	151
162. आय-कर दाता	Assessees of Income Tax	151—152
163. राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में कमी	Decline in Profits of the Nationalised Banks	153
164. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए चौथी योजना में पूंजी परिव्यय	Fourth Plan Outlay for O. N. G. C.	153
165. प्रधान मंत्री के लिए विशेष प्रकार के भवन का निर्माण	Construction of a Special Type of House for Prime Minister	153—154
166. कैंसर का पता लगाने तथा इसका उपचार करने के लिये अनुसंधान	Research in Detection of Cancer and its Treatment	154
167. कम मूल्य पर औषधियों का प्राप्त न होना	Non-Availability of Drugs and Medicines at Reduced Prices	155
168. स्वर्ण बांड धारक	Gold Bond Subscribers	155—156
169. त्रिपुरा में एक नया मेडिकल कालिज खोला जाना	Opening of a New Medical College in Tripura	156—157

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
170. देश में सुनने तथा बोलने में असमर्थ व्यक्तियों का सर्वेक्षण	Survey of Physically Handicapped in Hearing and Speech in the Country	157
171. औषधियों की स्थान्तरण लागत और पैकिंग खर्च के लिये मानदण्ड	Norms for Conversion Cost and Packing Charges of Drugs	157—158
172. भारतीय तेल निगम द्वारा गुजरात को सप्लाई किये जाने वाले अवशिष्ट ईंधन तेल का मूल्य निर्धारित करना	Fixation of Prices of Residual Fuel Oil Supplied to Gujarat by I. O. C.	158
173. इलाहाबाद में फर्मों तथा व्यक्तियों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income-Tax by Firms and Individual in Allahabad	158—159
174. राज्य तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित पोषित टाइल कारखाने	Tile Factories Financed by State and Nationalised Banks	159
175. जमाखातों तथा अग्रिम धन के लिये बैंक दर	Bank Rates for Deposits and Advances	159—161
176. सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उर्वरक उत्पादन की निर्धारित से कम क्षमता का प्रयोग	Under-Utilisation of Fertilizer Capacity in Public and Private Sectors	161—162
177. विदेशों में गये संसद सदस्यों के प्रतिनिधि मण्डल	MPs Delegations Abroad	162
178. लेखा बाह्य धन	Unaccounted Money	162 -163
179. आय-कर विभाग से द्वितीय श्रेणी के पदों को समाप्त करना	Abolition of Class II Services in Income-Tax Department	163
180. विशाखापतनम में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये "आक्सीडेंटल पैट्रोलियम कारपोरेशन" के प्रस्ताव	Proposal by Occidental Petroleum Corporation for Setting up Fertilizer Factory at Visakhapatnam	163—164

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
181. हल्दिया-बरौनी पाईप लाईन	Haldia-Barauni Pipe Line	164
182. राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक आफ इण्डिया की जमा राशियां	Deposits of Nationalised Banks and State Bank of India	164—165
183. राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों की बिक्री	Sale of Houses Built under the Subsidised Industrial Housing Scheme	165—166
184. फर्मों के नाम काली सूचि में दर्ज करना	Black-Listing of Firms	166
185. आय-कर निरीक्षकों की परीक्षा	Examination of Income Tax Inspectors	166—167
186. पुराने सिक्कों का टंकण	Minting of Old Coins	167
187. आवास निर्माण ऋणों की निर्धारित राशि में वृद्धि	Increase in the Prescribed Limit of House Building Loans	167 -168
188. तीसरे वेतन आयोग के निदेश पदों को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Terms of Reference of Third Pay Commission	168
189. देशी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में विधान	Legislation on Indigenous System of Medicine	168
190. सरकार का आन्तरिक ऋण	Internal Debts of Government	169
191. राजस्थान और मैसूर राज्यों में खनिज उत्पादन	Mineral Production in Rajasthan and Mysore States	169 17(
192. पारादीप में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Paradeep	170
193. मेंगनीज खानों का विस्तार	Expansion of Manganese Mines	170—171
194. प्रस्तावित इस्पात कारखाने के लिये हौसपेट में लौह अयस्क के लिये क्षेत्र का आरक्षण	Reservation of Area of Iron Ore at Hospet for Proposed Steel Plant	171
195. चौथी योजना में प्राप्त हुई विदेशी सहायता में से ब्याज का भुगतान	Payment of Interest on Foreign Borrowing during Fourth Plan	171

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
196. नारंग बन्धुओं द्वारा बम्बई में अम्बेसेडर होटल खरीदा जाना	Purchase of Ambassador Hotel by Narang Brothers in Bombay	172
197. अहमदाबाद विद्युत सप्लाई, बम्बई उपनगरीय विद्युत सप्लाई आदि की प्रबंध व्यवस्था के बारे में जीवन बीमा निगम का पत्र	LIC Communications regarding Management of Ahmedabad Electric Supply, Bombay Subraban Electric Supply etc.	172 173
198. बम्बई के सर हीरजी गोवासजी जहांगीर द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulation by Sir Hirjee Goswami Jehangir, Bombay	173
199. नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक द्वारा व्यापारी बैंकिंग सेवा योजना की घोषणा	Merchant Banking Service Scheme Announced by National and Grindlays Bank	173—174
200. भारतीय तेल निगम के बैरलों की सप्लाई के लिये स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के पास शेष क्रयादेश	Orders for Supply of Barrelys to I. O. C. outstanding with Standard Drum and Barrel Manufacturing Company	174
201. पूर्वोत्तर रेलवे में रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents on North Eastern Railway	175
202. पूर्व रेलवे में रेल दुर्घटनायें	Railways Accidents on Eastern Railway	175
203. गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा चलाई जाने वाली रेल लाईनों का हाथ में लिया जाना	Take over of Railway Lines Run by Private Parties	176
204. खन्डवा दोहद रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Khandwa-Dohad Railway Line	176
205. पंजाब में स्कूटर परियोजना	Scooter Project in Punjab	176—177
206. नागपुर रेलवे बार्ड से अत्यधिक विस्फोटक डिटोनेटरों की चोरी	Theft of Highly Explosive Detonators from Nagpur Railway Yard	177—178

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
207. विदेशी सहयोग से आंध्र प्रदेश में बीयर तैयार करना	Manufacture of Beer in Andhra Pradesh with Foreign Collaboration	178—179
208. प्रस्तावित सलेम इस्पात कारखाने का निर्माण करने के बारे में भारत के भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा विवर्तनीक टैकटोनिक मानचित्र का तैयार किया जाना	Preparation of 'Tectonic' Map by Geological Survey of India Re : Building of Proposed Salem Steel Plant	179
209 आसाम, केरल तथा नागालैंड में कागज के मिलों की स्थापना	Paper Mill in Assam, Kerela and Nagaland	179—180
210. पहियेदार हाथ के ठेले खरीदने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to States for Purchase of Wheel Barrows	180—181
211. श्री वें० गिरि व० गिरि के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर खर्च की गई राशि	Amount Spent on Petition Filled against Shri V. V. Giri's Election as President	181
212. चौथी पंचवर्षीय योजना काल में हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा की मांग	Requirement of Hydrosulphite of Soda During Fourth Plan	181—182
213. जापान को कच्चे लोहे का निर्यात	Export of Pig Iron to Japan	183
214. कश्मीर में घड़ियों का कारखाना	Watch Factory in Kashmir	183
215. लाइसेंस देने के अधिकार को राज्यों को स्थानान्तरित किये जाने की मांग	Demand for Transfer of Licensing Authority to States	183—184
216. तेल के ढोल बनाने वाले कारखानों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता	Licensed Capacity of Oil Barrel Fabricators	184—185

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
217. रेलवे बोर्ड की सतर्कता विभाग के द्वारा जांच	Investigations by the Vigilance Department of Railway Board	185—186
218. मैसर्स डी० मैकरोपोलो एण्ड कम्पनी लिमिटेड का मैसर्स ज्योफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड के साथ विलय	Absorption of M/s D. Macropolo and Co. Ltd with M/s Godfrey Phillips India Ltd.	186
219. स्टैंडर्ड मोटर कम्पनी, मद्रास को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Standard Motors Company Madras	186—187
220. छोटी मोटरकार	Small Car Project	187
221. भारतीय रेलवे के यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा करने के लिये समिति	Committee to Review Provision of Amenities to Passenger on Indian Railways	188
222. केबल उद्योग में कच्चे माल का अभाव	Shortage of Raw Materials for Cable Industry	188—189
223. औद्योगिक सहयोग के लिये भारत-ब्रिटेन वार्ता	Indo-British Talks on Industrial Collaboration	
224. औद्योगिक विकास के लिये उगांडा को सहायता	Assistance to Uganda for Industrial Development	189—190
225. बड़े उद्योग-गृहों के सम्बद्ध निर्यातोन्मुखी एककों का विस्तार	Expansion of Export-Oriented Units belonging to Large Industrial Houses	190
226. माल डिब्बे तैयार करने वाले उद्योग को रेलवे द्वारा अलाभकारी क्रयादेशों का दिया जाना	Placing on Uneconomic orders by Railways with Wagon-Building Industry	190
227. समाज कल्याण विभाग द्वारा अस्पृश्यता संबधी समिति के प्रतिवेदन में फेरबदल	Tampering with Report of Committee on Untouchability by Department of Social Welfare	191
228. नये इस्पात कारखानों की स्थापना	Setting up of New Steel Plants	191—192

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
229. स्टैन्डर्ड मोटर फैक्टरी, मद्रास का बन्द हो जाना	Closure of Standard Motors Factory, Madras	192—193
230. रेलवे लाइनों की लम्बाई, इंजनों, यात्री डिब्बों और माल डिब्बों पर व्यय	Expenditure on Rail Length, Engines, Coaches and Wagons	193
231. भारत में मैनेजिंग ऐजेंसियां	Managing Agencies in India	194
232. राज्यों द्वारा औद्योगिक एककों से खरीद	Purchase from Industrial Units by States	194
233. प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा बिलेटों का उत्पादन	Production of Billets by Main Steel Producers	194—195
234. बोकारो इस्पात संयंत्र की परियोजना लागत के बारे में बोकारो इस्पात संयंत्र के अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	Observations of Chairman, Bokaro Steel Plant on Project Cost of Bokaro Steel Plant	195—196
235. उद्योग पर विदेशी सहयोग का प्रभाव	Impact of Foreign Collaboration on Industry	196
236. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में तालाबन्दी	Lock-Out in Durgapur Steel Plant	196—197
237. दुर्गापुर इस्पात कारखाने की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Durgapur Steel Plant	197
238. औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिये बिरला बन्धुओं से आवेदन	Applications from Birlas for Setting up Industrial Undertakings	197—198
239. संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्यों के विकलांगों के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Handicapped People in Union Territories and States	198
240. स्वतंत्र निर्वाचन विभाग की स्थापना	Setting up on an Independent Election Department	198—199
241. सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में उत्पादन	Production in Public Sector Steel Plants	199

अता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
242. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा ट्रैक्टरों का निर्माण किया जाना	Manufacture of Tractors by H. M. T.	199
243. स्कूटरों के निर्माण के लिये लाइसेंस मंजूर करना	Grant of Licences for Manufacture of Scooters	200—201
244. स्कूटर बनाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव	M. P. Government's Proposals for Manufacture of Scooters	20
245. गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा नियत समय के अन्दर माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों का सप्लाई के लिये क्रयादेश	Orders for Supply of Wagons and Coaches by Private Companies	201—202
246. तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालयों में सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Amenities in III Class Waiting Rooms	202—203
247. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर "सदरन एक्सप्रेस' गाड़ी के डिब्बे से आभूषणों के बक्से की चोरी	Theft of Box of Jewellery from a Compartment of Southern Express at New Delhi Railway Station	203
248. सीमेंट के मूल्यों में कमी	Reduction in Cement Prices	203
249. सीमेंट की कमी	Shortage of Cement	204
250. हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ के उप-प्रधान द्वारा दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में लगाये आरोप	Allegations made by Vice-President of Hindustan Steel Employee's Union Re : Durgapur Steel Plant	204—205
251. विदेशियों के साथ सहयोग सम्बन्धी करार करने वाली भारतीय कम्पनियों द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना	Submission of Annual Returns by Indian Companies Entering into Foreign Collaboration Agreements	205
252. लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये अनुसंधान तथा विकास बोर्ड	Research and Development Board for Iron and Steel Industry	205—206
25 छोटी कार परियोजना के लिये वित्त दिया जाना	Financing of Small Car Project	206

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
254. दिल्ली में फालतू टायरों का स्टाक	Surplus Stock of Tyres in Delhi	206—207
255. रेलवे में डीजल तथा बिजली द्वारा गाड़ियों को चलाने के कारण फालतू हुए कर्मचारियों को काम पर लगाना	Absorption of Surplus Staff due to Introduction of Diesel and Electric Tractions on the Railways	208
256. पटना जंक्शन (पूर्व रेलवे) के बुकिंग कार्यालय से धन की चोरी	Theft of Cash from Booking Office at Patna Junction (Eastern Railway)	208
257. सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का कारखाना स्थापित करना	Setting up of a Scooter Plant in Public Sector	209
258. जोनल रेलों को वाणिज्यिक विज्ञापनों से आय	Earnings from Commercial Advertising by Zonal Railways	209—210
259. रेलवे द्वारा डीजल तेल की खपत	Consumption of Diesel Oil by Railways	210—211
260. भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के वार्षिक लेखे	Annual Accounts of H. E. C., Ranchi	211—212
261. इस्पात का मूल्य	Prices of Steel	212
262. रेलवे में चोरी के मामले	Thefts of Railways	213—214
263. पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों का बन्द किया जाना	Closure of Industrial Units in West Bengal	214
264. सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना	Setting up of Consumer Industries in Public Sector	215
265. स्टैण्डर्ड मोटरस कम्पनी, मद्रास के मामले की जाँच करने के लिये समिति की नियुक्ति	Appointment of Committee to Enquire into Affairs of Standard Motors Company, Madras	215—216
266. विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति	Foreign Collaboration Policy	216—217
267. हरिद्वार के भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्लान्ट में विवाद	Dispute in Bharat Heavy Electricals at Hardwar	217—218

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
268. भारतीय तथा विश्व इस्पात बाजार में माल का जमा हो जाना	Glut in Indian and World Steel Markets	218—219
269. मांसी में गंगा नदी द्वारा किया गया कटाव को रोकने के लिये योजना	Scheme for Checking Frosion Caused by the River Ganga at Mansi	219—220
270. इस्पात कारखानों में पूंजी नियोजन	Investment in Steel Plant	220—222
271. फुलपुर (इलाहाबाद) में उद्योग	Industries in Phulpur (Allahabad)	222
272. इलाहाबाद के फाफामउ रेलवे पुल के स्थान पर नया पुल बनाया जाना	Replacement of Phaphamau Railway Bridge at Allahabad	222—223
273. ऊटाकमंड और कुन्नुर (दक्षिण रेलवे पर) के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलना	Additional Trains between Ootacamund and Coonoor (Sourthern Railway)	223
274. कलकत्ता दक्षिण पूर्व रेलवे के शालीमार माल गोदाम में बाहर से आये हुए माल का भारी मात्रा में जमा होना	Accumulation of Inward Consignments in Shalimar Goods Sheds on South Eastern Railway in Calcutta	223—224
275. पश्चिम बंगाल में समाज-कल्याण परियोजनाओं को कार्यान्वित करना	Execution of Social Welfare Project in West Bengal	224
276. बिजली के समान का उत्पादन	Production of Electric Goods	225
277. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने के लिये उपकरणों की सप्लाई	Supply of Equipment by Hindustan Steel Ltd. for Bokaro Steel Plant	225—226
278. स्यालदह-डायमण्ड पतन रेलवे लाइन का काकद्वीप (पूर्व रेलवे) तक विस्तार	Extension of Sealdah-Diamond Harbour Line upto Kakdwip (Eastern Railway)	226

तारांकित प्रश्न संख्या U. S.-Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
279. मैसर्स आनन्द बाजार पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता	M/s Anand Bazar Patrika (Pvt.) Ltd. Calcutta	226—227
280. एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएं अधिनियम में त्रुटियां	Lacunae in Monopolies and Restrictive Trade Practice Act	228—229
281. दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Durgapur Steel Plant	229—230
283. टूंडला से दिल्ली तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण न किया जाना	Non-Electrification of Railway Line from Tundla to Delhi	230
284. कलकत्ता में उद्योगों के उत्पादन में कमी	Fall in Production of Industries in Calcutta	230—231
285. रेलवे के माल डिब्बों तथा गोदामों में छुट पुट चोरियां	Pilferage in Wagons and Godowns on Railways	31
286. दुलर्भ किस्मों वाले इस्पात का वितरण	Distribution of Scarce Categories of Steel	231—232
287. रूरकेला में अप्रयुक्त धातु-कचरा	Unutilized Slag at Rourkela	232—233
288. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Inquiry Commission of British India Corporation	233
289. स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई और हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड कलकत्ता द्वारा आयातित इस्पाती चादरों का उपयोग	Utilization of Imported Steel Sheets by Standard Drum and Barrel Manufacturing Co., Bombay and Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Limited Calcutta	233—234
290. नये इस्पात संयन्त्रों के लिए कच्चा माल	Raw Materials for New Steel Plants	234—235
291. सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में उत्पादन	Production in Public Sector Steel Plants	235—236

प्रश्न सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
292. निर्वाचन विधि का पुनरीक्षण	Revision of Election Law	236—237
293. नारनौल रेलवे स्टेशन में आग लगने के बारे में निर्णय	Verdict on the Firing at Narnaul Railway Station	237
294. चौथी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines during Fourth Five Year Plan	237
295. दिल्ली से पठानकोट, अहमदाबाद और फिरोजपुर तक राजधानी एक्सप्रैस चलाना	Rajdhani Express from Delhi to Pathankot, Amritsar, Ahmedabad and Ferozepur	23
296. छोटी कार परियोजना	Small Car Project	238—239
297. इराक में रेलवे लाइन के निर्माण के लिये परियोजना प्रतिवेदन	Project Report for Construction of Railway Line in Iraq	239
298. मुद्रण मशीनों का निर्माण	Manufacture of Printing Machinery	240
299. केरल में कुट्टीपुरम-त्रिचर से गूरूवयर तक रेलवे लाइन	Railway Line in Kuttippuram-Trichur up to Guruvayoor in Kerela	240—241
300. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा मलयेशिया में पुर्जे जोड़ने वाले संयंत्र की स्थापना	Setting up of Assembly Plant in Malaysia by H. M. T.	241
301. इस्पात बिलेट बनाने के लिये फेरोक्का के मैसर्स स्टील कम्पलेक्स लिमिटेड को औद्योगिक लाइसेंस देना	Issue of Industrial Licence to M/s Steel Complex Ltd. Ferokka for Manufacture of Steel Billets	241—242
302. चौथी योजना में इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of Steel Plants in Fourth Plan	242
303. समाजवादी कार्यक्रम शामिल करने के लिये संविधान में संशोधन	Amendment of Constitution to incorporate Socialist Programme	243

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
304. दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिये उत्तर भारत के लोगों को वापसी टिकट जैसी सुविधा	Return Ticket Type Facility to the People of North India for Visits to South India	243—244
305. नई दिल्ली के ओबराय इन्टरकांटिनेन्टल होटल में आगन्तुकों को शराब परोसना	Serving of Liquor to Visitors at Oberoi Inter-Continental Hotel, New Delhi	244
306. छोटे औद्योगिक कारखानों का विलय	Amalganation for Small Industry Units	244—245
307. अस्पृश्यता बरतने पर दण्ड में वृद्धि	Enhancement of Punishment for Practising Untouchability	245
308. भारतीय रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ के लिये अन्तरिम सहायता की मांग	Demand of National Federation of Indian Railwaymen for Interim Relief	245—246
309. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts at Durgapur Steel Plant	246
310. सामान्य सिविल संहिता	Common Civil Code	246
311. क्षेत्रीय रेलवे के वितीय सलाहकारों तथा मुख्य लेखा अधिकारियों का सम्मेलन	Conference of Financial Advisers and Chief Accounts Officers of Zonal Railways	247
312. केन्द्रीय विशेषज्ञ दल द्वारा हल्दिया औद्योगिक समूह का दौरा	Visit by Central Team of Experts to Haldia Industrial Complex	247
313. इस्पात प्राथमिकता समिति का गठन	Constitution of Steel Priority Committee	248
314. कच्चे माल के आयात के लिये आवेदन पत्र	Applications for Import of Raw Materials	248—249
315. कच्चे माल के बैंक की स्थापना	Establishment of Raw Material Bank	249
316. राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ-शास्त्र अनुसन्धान परिषद् के द्वारा लौह तथा इस्पात वाले क्षेत्र का पता लगाना	Identication of Iron and Steel Belt by National Council of Applied Economic Research	249—250

तारा० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
317. विदेशी सहयोग पर उद्योगों का आश्रित रहना	Dependence of Industries on Foreign Collaboration	250—251
318. रंगैया जंकशन (पूर्वोतर सीमांत रेलवे) पर डिविजनल कार्यालय की मांग	Demand for a Divisional Office at Rangiya Jn. (N. E. F. Railway)	251
319. डिबरूगढ़ को बड़ी रेलवे लाइन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे)	Broad Gauge Line to Dibrugarh (N. E. F. Railway)	251
320. साइकिल की कीमतों में वृद्धि	Increase in Prices of Cycles	251—252
321. मताधिकार के लिये निर्धारित आयु में कमी	Lowering of the Age for Franchise	252
322. दिल्ली प्रशासन द्वारा उद्योगों में अस्वीकृत क्षेत्रों से स्वीकृत क्षेत्रों में स्थानान्तरण में देरी	Delay in Shifting of Industries fron Non-Conforming to Conforming Areas by Delhi Administration	253
323. आगरा मध्य रेलवे के समीप इथम और फराह के बीच एक मालगाड़ी के डब्बों का दुर्घटनाग्रस्त होना	Mishap ro Wagons of a Goods Train between Itham and Farah near Agra (Central Railway)	253
324. बिलेटों की मांग तथा पूर्ति	Demand and Supply of Billets	253—254
325. पंजाब तथा हरियाणा में गेहूं के परिवहन के लिए वैगनों की कमी	Wagon Shortage for Transport Wheat in Punjab and Haryana	254
326. मोटरगाड़ी उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग	Utilisation of Installed Capacity in Automobile Industry	254—256
327. आसनसोल नगर पालिका को कर की कथित अदायगी न किया जाना	Alleged Non-Payment of Cess to Asansol Municipality	257
328. आसनसोल के निकट मेतुआदाया पर एक मार्गी सुरंग का चौड़ा किया जाना	Widening of One Way Tunnel at Metuadaya near Asansol	256—257

तता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
329. उद्योग गृह	Industrial Houses	257
330. दक्षिण-पूर्व रेलवे पर बुक कराये गये भिलाई इस्पात कारखाने के चोरी गये उत्पादों का बेचा जाना	Sale of Stolen Products of Bhilai Steel Plant Booked on South Eastern Railway	257—258
331. बोकारो इस्पात कारखाने में हड़ताल	Strike in Bokaro Steel Plant	258
332. श्रीनगर में स्कूटर कारखाना स्थापित करना	Setting up of Scooter Plant in Srinagar	259
333. राउरकेला इस्पात कारखाने के ट्रेफिक डिपार्टमेंट आपरेशन यूनिट में हड़ताल	Strike in Traffic Department Operation Unit of Rourkela Steel Plant	259—260
334. बैलाडिला में एक इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of a Steel Plant at Bailadilla	260
335. सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों के उत्पादन के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त समिति का प्रतिवेदन	Report of High Power Committee of Prpduction of Scooters in Public Sector	260—261
337. विकास निगमों और औद्योगिक विकास बैंकों की स्थापना	Setting up of Department Corporations and Industrial Development Banks	261
338. काश्मीर घाटी तक रेलवे लाइन का विस्तार	Extension Railway Line up to Kashmir Valley	261
339. पश्चिम तटीय रेलवे के लिये सर्वेक्षण	Survey for West Coast Railway	261—262
340. इस्पात का निर्यात	Export of Steel	262
341. पूर्वोतर रेलवे की मैट्रनों के वेतन मानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Matrons on North Eastern Railway	262—263
342. गोरखपुर (पूर्वोतर रेलवे) में 'ए' श्रेणी गार्डों की नियुक्ति	Posting of Guards 'A' Grade at Gorakhpur (North Eastern Railway)	263

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
343. मूल वेतन में मंहगाई भत्ता मिला देने के कारण मकान किराये में वृद्धि	Increase in Rent of Residential Accommodation due to Merger of Dearness Allowance with Basic Pay	263—264
344. गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये मकानों का वर्गीकरण	Classification of Accommodation for Non-Gazetted Railway Employees at Gorakhpur (North Eastern Railway)	264
345. नए इस्पात कारखानों के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता	World Bank Assistance for New Steel Plants	264—265
346. 'रीरालर्स' को बिलेट का वितरण	Distribution of Billets to Re-rollers	265—266
347. दिल्ली में रेलवे कालोनियों में रेलवे मंत्री का दौरा	Railway Minister Visit to Railway Colonies in Delhi	266—267
348. दिल्ली स्थित गनेश फ्लौर मिल में दुर्विनियोग	Mis-Appropriation in Ganesh Flour Mills, Delhi	267
349. बिहार विधान परिषद् की समाप्ति	Abolition of Bihar Legislative Council	268
350. भारी इंजीनियरिंग निगम के अध्यक्ष की दिल्ली में मंत्री के साथ भेंट	Meeting of Chairman Heavy Engineering Corporation with Minister at Delhi	268
351. रेलों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुभाग (सैल)	Programme Implementation Cell to Improve the Working of Railways	268—269
352. उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया मांग-पत्र	Charter of Demands Submitted by Northern Railway Workers' Union	269
353. गाड़ियों के विलम्ब से चलने में वृद्धि	Increase in Late Running of Trains	269—270
354. क्षेत्रीय रेलवे द्वारा वस्तु सूची के रूप में रखे गए भण्डारों की मात्रा	Amount of Stores in the Shape of Inventory Maintained by Zonal Railway	270
355. उड़ीसा में इस्पात कारखाना की स्थापना के लिए सर्वेक्षण	Survey for Location of Steel Plants in Orissa	270—271

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
356. रेलवे के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों के मकानों के किराये में वृद्धि	Increase in Rent of Staff Quarters of Class III and IV Railway Staff	271—272
357. बोकारो इस्पात कारखाने में निर्माण कार्य	Construction Work at Bokaro Steel Plant	272—273
358. विशिष्ट क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in Special Areas	274—275
359. कलकत्ता के लिए ट्यूब रेलवे	Tube Railway for Calcutta	275
360. इलाहाबाद से कटिहार जाने वाली यात्री गाड़ी की छत पर यात्रा कर रहे यात्रियों को आई चोटें	Injury to Passengers Travelling on the Roof of Katihar Bound Passenger Train for Allahabad	276
361. गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन कार्यक्रम	Election Programme of Gurdaspur Parliamentary Constituency	276—277
363. औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रणाली में परिवर्तन	Changes in System for Granting Industrial Licences	277
364. सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in Public Sector Steel Plants	277—278
365. उत्तरी बिहार एक्सप्रैस में शायिकाओं (बर्थस) का (बरौनी कोटा) आरक्षण	Reservation of Berths (Barauni Quota) in North Bihar Express	278—279
366. समस्तीपुर स्टेशन पर उत्तरी बिहार एक्सप्रैस में शायिकाओं का आरक्षण न किया जाना	Non-Reservation of Berths in North Bihar Express at Samastipur Station	279
367. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कोक भट्टियों की अत्यधिक मरम्मत	Capital Repairs for Coke Ovens in Durgapur Steel Plant	279—280

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
368. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा विदेशों में स्थित इस्पात कारखानों का दौरा	Visit by Workers of Hindu·tan Steel Plant Limited to Steel Plants Abroad	280
369. खण्डवा स्टेशन (मध्य रेलवे) के निकट नाले पर पुलों का निर्माण	Construction of Bridges over Nullah near Khandwa Station (Central Railway)	280
370. मध्य प्रदेश को लोहे तथा इस्पात का आवटन	Allocation of Iron and Steel to Madhya Pradesh	280—281
371. रेलवे सम्पति को दंगा करने वालों और प्रदर्शनकारियों से सुरक्षित रखने के लिये कार्यवाही करना	Steps to Protect Railway Property from Hooligans and Demonstators	281—282
372. पश्चिम रेलवे पर नाडियाड कपड़वंज छोटी लाईन सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Naidad-Kapadganj Narrow-Gauge Section into Broad Gauge (Western Railway)	282
373. पिछड़ें वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के विद्यार्थियों को छात्र-वृतियां	Scholarships to Students of Back-Ward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes	282—283
374. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा क्षमता का उपयोग	Utilisation of Capacity by H. M. T.	283
375. इस्पात कारखानों के लिए सार्थ संघ	Consortium for Steel Plants	283—284
376. पश्चिमी जर्मनी द्वारा भारत में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in India by West Germany	284
377. जनवरी, 1967 में मतदाता सूची का पुनरीक्षण	Revision of Voters' List in January, 1971	284
378. बोकारो इस्पात कारखाने को बोकारो में गढ़ाई संयन्त्रों द्वारा माल की पूर्ति	Supply of Materials to Bokaro Steel Plant by Foreign Plants at Bokaro	284—285
379. विधवाओं का पुनर्विवाह	Re-Marriages of Widows	285

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
380. राज्यों द्वारा "बिहार मद्यनिषेध अधिनियम, 1938" के अनुरूप कानून बनाया जाना	Enactment of Laws by States on the Line of Bihar Prohibition Act, 1938	285–286
381. रेलवे के विशेष रूप से दावा अनुभाग की कार्य प्रणाली सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशें	Recommendations of Enquiry Committee on the Working of Railways Especially the Claims Section	286–287
383. मैसर्स एलेम्बिक उद्योग समूह के विरुद्ध आरोप	Allegations against M/s Alembic Group of Industries	287
384. कैपस्टन मार्का सिगरेट का मूल्य	Price of Capstan Brand Cigarettes	287–288
385. सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में घटनायें	Incidents in Public Sector Steel Plants	288
386. रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन	Memorandum by a Delegations of Railway Workers	289–290
387. तमिलनाडु में औद्योगिक लाइसेंस नीति की आलोचना	Criticism of Industrial Licensing Policy in Tamil Nadu	290–291
388. कारों के विक्रय मूल्य निर्धारित करने के बारे में कार निर्माताओं के विचार	Comments from Car Manufacturers for Determining Selling Prices of Cars	291
389. रेलों में बिना टिकट यात्रा करने पर वसूल किये गये जुर्माने	Fines Recovered on Account of Ticketless Travel on Railways	291–292
390. बैगन निर्माण उद्योग के सामने संकट की स्थिति	Crisis Facing Wagon Building Industry	292–293
391. उज्जैन (मध्य प्रदेश) में उद्योग	Industry in Ujjain (M. P.)	293
392. रूस के मंत्री द्वारा भारत के इस्पात कारखानों का दौरा	Visit by Russian Minister to Steel Plants in India	293–294
393. ट्रेक्टरों के निर्माण के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licences for Manufacture of Tractors	294

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
394. बिहार तथा उत्तर प्रदेश की विधान परिषदों को समाप्त किया जाना	Abolition of Legislative Councils of Bihar and Uttar Pradesh	294
395. सवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Institute of Constitutional and Parliamentary Studies	294—295
396. वाष्प इन्जनों का निर्माण बन्द कर दिये जाने के कारण छंटनी किये गये कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार	Alternative Employment for Retrenched due to Non-Production of Steam Engines	296
397. इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री द्वारा दुर्गापुर इस्पात कारखाने का दौरा	Visit by Minister of Steel and Heavy Engineering to Durgapur Steel Plant	296—297
398. इंजीनियरिंग उद्योग में इस्पात की कमी	Shortage of Steel in Engineering Industry	297
399. औद्योगिक लाइसेंस नीति का व्यापार तथा उद्योग पर प्रभाव	Impact of Industrial Licensing Policy on Business and Industry	297—298
400. लोहे तथा इस्पात के बारे में व्यापारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद की सिफारिशें	Recommendation of National Council of Applied Economic Research regarding Iron and Steel	298—299
7 अप्रैल, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5368 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य	Statement Correcting the reply given on 7th April, 1969 to Unstarred Question No. 5368	299
स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)	Re. Motions for Adjournment (*Queries*)	299
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	300
अलकनन्दा में भीषण बाढ़	Devastating Floods in Alaknanda	300—305
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	305—306
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	306—315

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	315
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	315
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee—	316
लोक लेखा समिति	Committee on Public Accounts	316
जांच आयोग (संशोधन) विधेयक	Commission of Inquiry (Amendment) Bill —	316
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of Time for Presentation of Report of Joint Committee	316
नियंत्रक तथा महालेखा परिक्षक का (कर्त्तव्य, शक्तियां, तथा सेवा की शर्तें) विधेयक	Comptroller and Auditor General's (Duties Power and Conditions of Service) Bill	317
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of Time for Presentation of Report of Joint Committee	317
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विधेयक	Central Excise Bill	317—318
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of Time for Presentation of Report of Select Committee	318
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill—by Shri Tennethi Viswanatham	318
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of Time for Presentation of Report of Select Committee	318
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	318—342
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	320—323
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	323—326
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani	326—329
श्री चिरंजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	329—331
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	331—333
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	333—334

विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	334—336
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	336—337
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	337—338
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra	338
श्री बकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	338—339
श्री बेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	339—341
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri M. Muhammed Ismail	341—342
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	342
51 वां प्रतिवेदन	Fifty-First Report	342

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 28 जुलाई, 1970/6 श्रावण, 1892 (शक)
Tuesday, July 28, 1970/Sravana 6, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री नये मंत्रियों का परिचय करायेंगी ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इससे पूर्व कि वह नये मंत्रियों से परिचय करायें मेरा निवेदन है कि कल निधन सूचना के संदर्भ में श्री पट्टमथानुपिल्लई, जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई है, का कोई संदर्भ नहीं दिया गया । वह संविधान सभा के सदस्य थे और मेरा विचार है कि उनकी मृत्यु पर सदन को अपने उद्‌गार व्यक्त करने चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आज सुबह अपने इस सम्बन्ध में चर्चा की थी, मैं इस विषय पर विचार करूंगा ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : यह मामला कल भी उठाया गया था परन्तु यह कहा गया था कि वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे । इस बारे में निश्चय करना चाहिए और यदि वे सदस्य थे तो उनकी मृत्यु का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, मैं व्यवस्था तथा प्रधान मंत्री द्वारा मंत्रियों के परिचय सम्बन्धी औचित्य के प्रश्न पर खड़ा होता हूँ । प्रधान मंत्री अपने मंत्रिमण्डल के चयन में उनके विभाग परिवर्तन आदि के विषय में पूर्ण अधिकारिणी हैं । परन्तु इस सदन को, संविधान के अन्तर्गत मंत्रिमंडल जिसके लिए उत्तरदायी है, यह जानने का अधिकार है विशेषतया ऐसे समय में जब मंत्रिमण्डल में बहुत अधिक परिवर्तन किया जाता है, जब महत्वपूर्ण सदस्य अपने हटाये जाने के बारे में अनिच्छा प्रकट करते हैं, जब कार्य क्षेत्र में प्रधान मंत्री में शक्तियों का केन्द्रीयकरण हो...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अधिकार है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : सर्वप्रथम आप व्यवस्था के प्रश्न को सुनें ।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था के प्रश्न के विषय की ओर पहले ही निर्दिष्ट कर चुके हैं । प्रधान मंत्री को मंत्रिमण्डल में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : नियम 389 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री को अवशिष्ट शक्तियां दी गयी हैं जिसके अनुसार उन्हें नियमों की व्याख्या करने का अधिकार है जिससे कि एक स्वस्थ परम्परा का विकास हो सके। हम नए परिवेश में काम करने वाली नयी संसद के सदस्य हैं। स्वतन्त्रता से पूर्व श्री विट्ठल भाई पटेल ऐसी बातें किया करते थे, स्वतन्त्र भारत की संसद में मंत्रिमंडल में किये गये अधिक परिवर्तनों के विषय में सरकार को बताना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में हमारी क्या प्रतिक्रिया है। यह मंत्रालय में मेरे विश्वास और अविश्वास का प्रश्न नहीं हैं। वह एक चित्र प्रश्न है जिसे अलग से उठाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यहां व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : व्यवस्था का प्रश्न हमारी समझ में नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में आप कोई सूचना चाहते हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मुझे किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। नये मंत्रियों के परिचय से सदन की कार्यवाही में व्यवधान होता है। सिद्धान्त रूप में, मंत्रिमंडल में परिवर्तन का कारण, मंत्रिपरिषद का विस्तार, विभाग परिवर्तन तथा मंत्रियों की अनिच्छा आदि के बारे में मंत्रियों के परिचय से पहले, संसद को बताया जाना चाहिये था। यह सिद्धान्त का प्रश्न है। नियम प्रक्रिया में यदि सिद्धान्त का कोई स्थान नहीं होगा तो न जाने हमारी क्या दशा होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह सदन की परधारा रही है कि जब नये मंत्री नियुक्त किये जाते हैं तो प्रश्नोत्तर काल से पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा उनका परिचय कराया जाता है। उसके लिए प्रधान मंत्री को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं हैं।

प्रधानमंत्री, अणु शक्ति मंत्री गृह-कार्य मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : आपकी अनुमति से और आप के माध्यम से मैं इस सभा को अपने नये साथियों का परिचय कराती हूं।

श्री हनुमन्तैया—विधि तथा समाज कल्याण मंत्री

श्री परिमल घोष—स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नागरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा—प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री ओम मेहता—संसद कार्य विभाग में राज्य मंत्री

श्री रामनिवास मिर्धा—गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री नीतिराज सिंह चौधरी—पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री के० आर० गणेश—वित्त मंत्रालय में उपमंत्री

श्री अ० कु० किस्कु—शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री

श्री रघुबीर सिंह पंजहारवी—संसद-कार्य विभाग में उप-मंत्री

श्री पी० पार्था सारथी—संसद-कार्य विभाग में उप-मंत्री

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में "हड़तालों" तथा "बन्दों" के कारण हुई हानि

+

*31. श्री सीताराम केसरी : श्री यज्ञदत्त शर्मा :

श्री रा० बरुआ : श्री चेंगलराया नायडू :

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हड़तालों और 'बन्दों' के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने को प्रतिमास 1.2 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बार-बार होने वाली हड़तालों और 'बन्दों' के सम्बन्ध में कोई जांच की है ; और

(ग) हड़तालों को रोकने तथा प्रशासन व्यवस्था ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). हड़तालों और बन्दों के बार-बार होने के मुख्य कारण खराब औद्योगिक सम्बन्ध, अन्तर्यूनियन संघर्ष, राजनीतिक उद्देश्य के लिए ट्रेड यूनियनों के झगड़ों का लाभ उठाना आदि है। औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने हेतु प्रबन्धकों और मान्यता प्राप्त यूनियनों में नियमित रूप से द्वि-पक्षीय वार्तायें होती हैं। पिछले ग्यारह महीनों में बहुत से मामलों पर प्रबंधकों और यूनियनों के बीच 26 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक नयी बोनस योजना तैयार की गई है और इसको लागू करने के लिए प्रबंधक मान्यता प्राप्त यूनियन से बात चीत कर रहे हैं। हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्रबन्धकों ने हड़तालों और "बन्दों" को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सक्रिय सहायता और सहयोग देने की भी मांग की है।

Shri Sita Ram Kesri : Mr. Speaker, Sir, Durgapur steel project in public sector represents the mixed economy of the country. Before enquiring into it, I would like to present a background of the explosive situation arisen in West Bengal which has led to a serious fall in production and brought its working procedure almost on the verge of stand still.

Mr. Speaker : Please, do not make a speech.

Shri Sita Ram Kesri : Shri Chandi in his statement on 9th July has said that the continuous strikes, Bandhs and Gheraos have caused a great set back in the anticipated production of Durgapur Steel Project. I would like to know whether in view of the loss incurred, the hon. Minister would consider to transfer the project to some other State so that the project night function properly ?

Shri Mohammed Shafi Qureshi : Sir, it is a fact that the production in Durgapur steel project has suffered a heavy loss and one of the reasons for the loss is the insatisfactory labour situation there. But now the Government and the management in consultative with the workers are trying to find out a way so that the production might be increased there.

So far as the transfer of the project to some other state is concerned, neither it has come to our minds nor can come.

Shri Sita Ram Kesri : As you know, there are Bhilai and Rourkela steel production centres in Orissa and Madhya Pradesh but there is no such intervention there like the continous strike, bandhs and Gheraos in Durgapur the hon. Minister has accepted in his statement that the agreements with the union were made 26 times. I would like to know the name of political parties which are creating certain hazardons impediments in Durgapur steel production in order to achieve their selfish motions and the action Government propose to take to control the situation.

Shri Mohammed Saafi Qureshi : I do not know the political parties and their ways by which they are trying to achieve their selfish motives. But there we want to maintain discipline and improve relations between management and labourers leaders to have a substantial increase in production. Therefore, we have decided to take immediate necessary action in order to maintain discipline inside as well outside of the plant. I think that the better relations between the management and the workers can contribute to the increase in production there.

Shri Raghu Vir Singh Shastri : I would like to know from the hon. Minister that the loss incurred in Durgapur is not only due to strikes and bandhs but there are certain large scale thefts and the goods, accessories to machine and other stolen articles are carried during the day time in a truck. If they are checked and arrested by the supervisory staff then it leads to strikes and bandhs etc. In view of circumstances stated above, I would like to know whether there are certain foreign elements which are promoting such sabotages in order to destroy our Industrial plants ?

He should also state about the report submitted in the matter by our Industrial Security force and Central Reserve police and whether these foreign anarchist elements have been continuously pressurising the Government to withdraw both of these forces ?

Shri Mohammed Shafi Qureshi : As regards the transportation of the stolen goods by the trucks. I have got no information. There are such occurances but not so serious as to invite a special attention, even then through engineers are made and necessary steps taken.

It is not fact that certain foreign elements are contributing the great deal towards the labour unrest in Durgapur steel project, however, it is right that the labour situation there has not been satisfactory since long. But the foremost thing, as I have already said, is to improve relations of the management and the labourers.

As regards the Central Industrial Security Force, it does not exist there because a suit has been filed in the High Court and the matter is subjudice, therefore, we do not want to say anything in that matter. But so far as C.R.P. is concerned that is at our disposal and whenever it will be required for the protection of Durgapur Steel Plant and Plants Property. We will have to lake recourse to it and we will definitely depute C.R.P. there under such circumstances. There is no question of withdrawing C.R.P.

Shri Raghubir Singh Shastri : Is there such a report from them ?

Shri Mohammed Shafi Qureshi : No, Sir.

Shri Yajna Datt Sharma : Mr. Speaker, there are two aspects of my question :

(a) What is the installed capacity of the plant and how much is its capacity for the last 5 years.

(b) Has the blast furnance of the plant become useless, if so, what is the cost of its repair. Is the trouble in production due to any manufacturing defect or due to mismanagement.

Shri Mohammed Shafi Qureshi : The installed capacity of Durgapur steel plant is 1.6 million tonnes or 16 lakhs tonnes but its actual production is not more than 6 lackh

tonnes. The modus operandi of the workers has been such that the production could not be increased. As to the question regarding mismanagement it is quite possible that mismanagement may also be responsible for it to some extent. As for the blast furnace, if its temperature rises beyond a particular limit, there is loss. Only recently there was a strike on 14th July, the workers celebrated the golden jubilee of the strike as that was the fiftieth strike. The loss to the Government resulting therefrom is estimated to be 3 crores rupees such things like thermol shocks and rise in temperature in blast furnance causes loss.

Shri Yajna Datt Sharma : Was the trouble in production due to technical defect or mismanagement ?

Shri Mohammed Shafi Qureshi : There is no flow in the machinery but there have been mistakes in its operation.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मंत्री महोदय ने कहा है कि श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के सम्बन्धों को सुधारने के लिए कुछ विशेष कदम उठाये जा रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन प्रयासों से कुछ ठोस परिणाम निकले हैं ? दूसरा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अचानक इस्पात कारखाने की क्षमता 10 लाख टन से 1.6 मिलियन टन तक बढ़ा देने से क्या कारखाने की उत्पादन क्षमता उचित स्थान तक पहुंच गई है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : आपके अन्तिम प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे रहा हूं जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की मूल क्षमता 1.6 मिलियन टन है और एक समय यह क्षमता 1.1 मिलियन टन तक भी पहुँच गयी थी किन्तु दुर्भाग्यवश इस समय केवल 0.6 मिलियन टन से अधिक उत्पादन हो सका । प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के सम्बन्ध सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं । उन्होंने यूनिट को अलग-अलग जोनों में विभक्त कर दिया है और कई सहायक समितियां विभिन्न जोन स्तरों पर कार्य कर रही हैं । श्रमिकों तथा प्रबंधकों के बीच साप्ताहिक तथा सामयिक बैठकें होती हैं । हम भी उनकी वैध शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन प्रयासों के फलस्वरूप कुछ स्थिति में सुधार हुआ है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : प्रबन्धकों द्वारा यह कदम हाल ही में उठाये गये हैं और अभी हमें इनके परिणाम देखने हैं ।

Shri D. N. Tiwari : Sir, how far Shri Pandey's report on Durgapur steel plant has been implemented. Besides there are reports of other committee and public undertaking reports and what action has been taken thereon How much can be contributed to there mismanagement favouritism and labour trouble, spereatly out of the total loss of one crore and twenty lakh that is being incurred every month.

The Minister of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat) : It was said in the Pandey Committee report that the maintenence of this plant is not up to the mark. But so far as the machinery is concerned there is no defect but unfortunately and it is a fact that there is labour unrest and because of it no progress has been made on the other hand it has deteriorated and we have been suffering loss.

Shri D. N. Tiwary : How much is the share of mismanagement and corruption.

Shri B. R Chagat : The installed capacity of the plant is 1.6 million tonnes but the actual production is 0.6 million tonne and this is the main cause for our suffering such

a big loss of 1 crore and 20 lakh rupees. The downfall in production is due to some defect in maintainence. The plant suffered recently a loss to the tune of 3 crores of rupees due to some cracks and indifferent handling of machinery. If we count all the loss which have occured due to another causes then there is every likelyhood of its being very high.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि दुर्गापुर को छोड़ कर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में किसी भी अन्य संयत्र की प्रबन्ध समिति में सेवा निवृत्त जनरलों को क्यों नहीं नियुक्त किया गया । श्रमिकों के साथ सम्बन्ध बनाये रखने के लिए हाल ही में दुर्गापुर में टाटा कम्पनी के एक भूतपूर्व उच्चाधिकारी श्री बिंलमोरिया को मुख्य सलाहकार और कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है । क्या वे समझते हैं कि श्रमिकों और प्रबंधक समिति में अच्छे सम्बन्धों को बनाने के लिए जनरल वडेरा जैसे सेना के सेवा-निवृत्त जनरल की आवश्यकता केवल दुर्गापुर में ही है ।

दूसरे टाटा संयत्रों से जो श्रम अथवा कार्मिक अधिकारी लिये गये हैं उनकी पिछली सेवाओं का रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि हाल ही में टेल्कों में क्या हो रहा है और फिर दुर्गापुर में पंजीकृत मजदूर संघ के विरुद्ध पूर्वाग्रह और इन्टक के प्रति पक्षपात की भावना है । सब कहीं यही कुछ किया जा रहा है । मैं यह जानना चाहूंगा कि केवल दुर्गापुर में ही क्यों ऐसे पग उठाकर स्थिति को उलझाया जा रहा है जब कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्य संयत्रों में ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक सेना निवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रश्न है वह केवल दुर्गापुर में ही नहीं किया जा रहा बल्कि अन्य कारखानों में भी ऐसा किया जा रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : भिलाई और रूरकेला में कौन है ? कोई नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम सड़क पर नहीं अपितु संसद में बोल रहे हैं ।

श्री ब० रा० भगत : समस्याओं को इतने हल्के से लेना उचित नहीं होगा । जब मैंने सेना अधिकारियों को अन्य परियोजनाओं में लेने की बात कही थी तो मैं रूरकेला और भिलाई की बात नहीं कर रहा था सरकारी क्षेत्र की ऐसी अन्य परियोजनायें हैं जहां इन्हें नियुक्त किया गया है । मुख्य बात यह है कि जब ऐसे महत्वपूर्ण पद के लिए चयन किया जाता है तो उपयुक्तता, अनुभव और अन्य अनेक बातों पर भी विचार किया जाता है । ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी है जिनका उपयुक्त होने पर संयत्रों के प्रबन्धन के लिए चयन किया गया है । निजी शेत्र से भी उपयुक्त व्यक्तितों की सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति की गई है । प्रश्न यह है कि क्या इन अभिकरणों में नियुक्त अधिकारी सरकारी एवं संसद द्वारा निर्धारित नीति का पालन कर रहे हैं और अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभा रहे हैं । हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए न कि केवल पिछले अनुभव और पृष्ठभूमि को । यही बात सेना अधिकारियों श्री बिलमोरिया और अन्य सभी पर लागू होती है । मुझे ऐसी किसी बात का पता नहीं चला जिससे यह लगे कि उनके ठीक से काम न करने से अथवा किसी पूर्वाग्रह के कारण ही ये सभी समस्यायें उठ खड़ी हुई है । यदि कोई ऐसी बात है तो मैं निश्चित रूप से इसकी जांच के लिए तैयार हूं । किन्तु मैं फिर भी यही कहूंगा कि यह एक राष्ट्रीय संयत्र है और इससे सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के हित में यही है कि उत्पादन में और औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हो । मेरा विचार है कि सभी को ऐसा वातावरण उत्पन्न करने में सहायता देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर पहले ही 25 मिनट लग चुके हैं। इस पर और प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

रेलवे में संगणकों का प्रयोग तथा अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी

*32. **श्री राम चरण:** **श्री शिव चरण लाल :**
श्री श्री गोपाल साबू : **श्री शिव कुमार शास्त्री :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कुल कितने सगंणक लगाये गये हैं ;

(ख) संगणक तथा मानव द्वारा किये जाने वाले काम का अनुपात क्या है ;

(ग) संगणकों के लग जाने के बाद से कितने अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(घ) क्या सरकार बेरोजगारी की गम्भीर समस्या को देखते हुए रेलवे में और अधिक संगणक लगाने बन्द करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) भारतीय रेलों पर इस समय चौदह संगणक लगे हैं।

(ख) संगणक और मानव के हाथों के बीच काम के अनुपात का कोई आम आंकड़ा देना सम्भव नहीं है। बहुत कुछ यह संगणक से लिये गये काम का स्वरूप, हाथ से किये गये काम के लिये अपनाया गया तरीका और संगणक पर किये गये काम के तरीके पर निर्भर है।

(ग) शून्य।

(घ) और (ङ). नहीं, सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अन्तर्गत, संगणकों का चरणबद्ध और रचनात्मक ढंग से विस्तार किया जायेगा जिसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय रेलों की दक्षता में सुधार, उपयोग कर्त्ताओं की सेवा में सुधार और उपलब्ध पारिसम्पत्तियों तथा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। संगणकों के लगाने के कारण किसी रेल कर्मचारी की छटनी नहीं होगी। भविष्य में भी नौकरियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भवना नहीं है क्योंकि, अधिक अच्छे कार्मनुम के फलस्वरूप रेल प्रशासन यातायात की स्थिति में सुधार लाने और अधिक रोजगार देने की स्थिति में होंगे।

Shri Ram Charan : This question has been raised in the the parliament scores of time but hon. Minister has always given an evenue reply. By installing computers there will be unemployment because the number of employees will be reduced. So far 14 computers had been installed in the country.

Mr. Speaker : You please ask question.

Shri Ram Charan : Hon. Minister does not know anything. He has stated that they have not been able to calculate the ratio between machine and the number of workers

displaced by computer. He has said that by installing the computers Railway will be able to improve its position and provide m re apportunities for employment. How much money has been spent on the installation of 14 computers. Hon. Minister says nobody has been retrenched. If none has been retrenched the hon. Minister should tell the number of employees before and after the installation of computers.

The Minister of Railways (Shri Nanda) : What has been said is correct. It can easily be ascertained how many persons have been rendered unemployed if the number of the workers before and after the installation of computers is taken into consideration. Infact it l as made no difference because there was already a kind of data processing machinery, there might be some difference but is not substantial. Besides gaurantee has been given to workers...(*Interruptions*)

Shri Ram Sewak Yadav : The exect difference should be brought to the notice of the House to remove doubts.

Shri Nanda : I think the difference is not even 5%. The question looses importance in view of the fact that they have been given a guarantee that no one will be retrenched, their wages and promotions will not be affected and that none will transferred ag: inst his wishes as a consequence thereof ?

Shri Ram Charan : The hon. Minister has said that it makes hardly any difference in employment, may I know how many persons were employed before and after installation of computers or has this policy been adopted to feed the I.B.M. in which foreign exchange is involved.

Shri Nanda : As I have already said only the existing equipments has been made more efficient and it has little to do with employment of workers.

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister has not stated as to how many persons would have got employment if machines were not installed.

Shri Shrigopal : I wish to know whether any policy has been adopted regarding the use of computers in Railway and what will be its effect on common man. How much time and money will be saved in transporting goods.

I also wish to know what steps have been taken for avoiding the misuse of statistics.

Shri Nanda : There is no question of adopting any policy only for railways. It is a matter which concerns the whole of nation. Our Standing Labour Committee and National Labour Commission have expressed their views and have made certain recommendations, and work is being done according to that.

Shri Shiv Charan Lal : I want to know if after the installation of computers new person will be recruited in place of those who retire.

I also want to know if it will make any difference in their earnings and promotions.

Shri Nanda : I have already said that it will not have any effect on any one. There will be no change in their earnings or deserved promotions. All their rights have been preserved.

Shri Shiv Kumar Shastri : The hon. Minister has just said that we had a special kind of machine even before computers and computers have been installed for making some modifications in these machines. Our objection is to that original machine itself and that also when thousands were unemployed. I want to know if you will try to give employment to the unemployed first by removing the computers and the machines installed before you have repeatedly said that nobody has been retrenched. If this is a fact then why has this useless load been added which has no advantages.

Shri Nanda : Unemployment is not due to this. By making this kind of arrangement unemployment will be reduced, work will be done more efficiently and speedily. It will be possible to expand the work of railways. Besides this will reduce unemployment.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : मंत्री महोदय का उत्तर इसलिए सन्तोषजनक नही है क्योंकि कम्पूटर मशीने लगाने के पश्चात हमने सम्पूर्ण रोजगार प्रणाली पर इसका प्रभाव देख लिया है। मैं यह कह सकता हूं कि मंत्री महोदय का वक्तव्य अपने आप में ही परस्पर विरोधी है। अतः क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कम्पूटर मशीनें लगाने के पश्चात् किसी प्रकार की छटनी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ?

श्री नन्दा : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास पहले से ही एक कार्ड-उपकरण है जहां मशीन में कार्ड डाले जाते हैं। यह उसी प्रकार की प्रक्रिया है। आंकड़े तैयार करने के लिए बहुत अधिक संख्या में लोगों को काम पर लगाया था और उसमें से कोई व्यक्ति भी प्रभावित नहीं हुआ है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister, in reply to a question, has stated that efficiency has increased after this computerisation. I request you to ask the Prime Minister to install one computer here in this House so that the efficiency of the Minister may increase. It has been stated that 14 computers have been installed. I want to know the zones in which these computers have been installed and also the expenditure incurred on them so far ? You have said that the computers work efficiently. It is presumed that you are going to install more much machines, I want to know the number of these machines to be brought in the country, the number of machines to be installed, and the retent of the expenditure involved on this.

Shri Nanda : There is no proposal to install computers in Railways. No new computers shall be installed till the decisions of the committee constituted for the purpose. We do not purchase them but we pay rent between Rs. 40,000 and Rs. 60,000

Shri Kanwar Lal Gupta : What is the total rent paid ?

Shri Nanda : These computers are installed at nine places. You may account for the expenditure of rent incurred on an average of Rs. 50,000 each. Unless the committee takes any decision in the matter no new computers will be installed.

Shri Hukam Chand Kachwai : In which zones these have been inslatted ?

श्री नन्दा : यह कम्पूटर समस्त रेलों में हैं, तीनों उत्पादन एकको में है, मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड में हैं, और एक रेलवे बोर्ड में है।

श्री स० मो० बनर्जी : समाजवादी बनने का दम भरने वाले रेलवे मंत्री महोदय इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अमरीका सरकार की यह नीति है कि इन कम्पूटरों की आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों को सौंपा जाए जिससे उन देशों में बेरोजगारी होने से आर्थिक संकट पैदा हो। यही कारण है कि यह कम्पनी इन कम्पूयटरों को ऋण पर और किराया-खरीद प्रणाली पर देती है। क्या यह सच है कि इन को लेने से पूर्व रेलवे-कर्मचारियों अथवा अखिल भारतीय रेलवेकर्मचारी संघ से बिल्कुल परामर्श नहीं किया गया ? जीवन बीमा निगम में बीमा कर्मचारियों से परामर्श लिया गया था। और पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपने शासन काल में कम्पयूटरों को लगाने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी थी। क्या इस मामले पर रेलवे कर्मचारियों से सलाह करने के पश्चात् नये सिरे से विचार किया जायेगा ? कहीं इससे तुरन्त छटनी न होने लगे, क्योंकि जोन कैनेडी भी अमरीका के लोगों को यह आश्वासन नहीं दे सके थे कि कम्पूटर लगाने से छटनी नहीं होगी।

श्री नदा : जो कुछ मैं कह रहा हूं वह इसी स्थिति के आधार पर है जैसा कि मैं समझता

हूं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस उद्देश्य के लिए गाठित की गई समिति की सलाह तथा सिफारिशों पर विचार किए बिना कम्पयूटरों की वृद्धि नही की जायेगी। रेलवे में कम्पयूटरों को लगाने से पहले रेलवे कर्मचारियों से परामर्श तो अवश्य किया था, क्योंकि इनके बीच हुए पत्र-व्यवहार और बातचीत की पूर्णसूची मेरे पास है यह सब अपनाई गई नीति के अनुसार था।

Shrimati Sushila Rohtagi : There are two different views regarding computers in the country. Most of the conditions, which are prevalent in other countries where the system of computerisation has been successful, are not present in our country. In case the assurances given by Government are accepted about the utility of co nputers in the country then there would be no retrenchment as a result of computerisation. I want to know categorically from the hon. Minister whether the utility of computer is being established in comparison to the expenditure incurred an computerisation in the country or not ?

Shri Nanda : I have not stated that there would not be unemployment as a result of computerisation. I have only stated that there has been no unemployment in Railways ae a result of computerisation. I take it for granted that computerisation can caeate unemployment. So far as the Railways are concerned we are not going to do anything without the report of the committee and without any consultation with the labour.

श्री उमानाथ : माननीय मंत्री ने बताया है कि इलैक्ट्रानिक्स कम्पयूटर के लगने से बेरोजगारी नहीं फैलेगी बल्कि रोजगार के अवसर और बढेंगे। क्या मंत्री महोदय की इस बात का पता है कि अमरीका में, जहां से हम यह कम्पयूटर लेते हैं, ऐसी अनेक सूचनाएं है कि अमरीका में इन कम्पयूटरों के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हुई है। सरकार की तथा अनेक कर्मचारी संगठनों के ऐसे अनेक प्रतिवेदन है। इस बात में ऐसा क्या जादू है कि इन कम्पयूटरों से वहां पर तो बेरोजगारी पैदा होती है लेकिन जब यह भारतीय सीमा के अन्दर आ जाते हैं तो इनसे यहां रोजगार पैदा होते हैं ?

Shri Nanda : I have not made a general statement to the effect that employment avenues have not been squeezed as a result of computerisation. I have only stated that employment avenues have not been squeezed in the manner we have done this job. I may quote one instance. It takes lot of time to know the earnings of Railway from any commodity but now you can know this, within a period of only ten days ; and we come to know as to whether earnings were increasing or not. There are also of great help to us in combating the road competition computers give us information about the movement of wagons. We can lessen the holdings wherever it takes place. More efficient utilisation of wagons, inventory control etc. are so many things which can be had in store.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि रेलवे में कम्पयूटर लगाने से कई रेलवे कर्मचारियों की छटनी हो गई थी, और यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि उन कर्मचारियों को किसी अन्य जगह काम पर लगाया जायेगा ?

श्री नन्दा : छटनी कहीं पर नहीं हुई है। और यदि कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ है तो उसको अन्य काम दिया गया है।

विदेशी सहयोग से शराब बनाने वाले कारखानों की स्थापना

*33. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो विदेशी शराब निर्माताओं के साथ सहयोग करारों की स्वीकृति दे दी है, जैसा कि 15 जून के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ था ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से एक कम्पनी के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए थी क्योंकि भारत में शाराब बनाने से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी उपलब्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देने और सहयोग की मंजूरी देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार श्रम मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) सरकार ने बीयर के उत्पादन के लिए अभी तक केवल एक विदेशी सहयोग करार को मंजूरी दी है ।

(ख) और (ग). तकनीकी विकास के महानिदेशक के अनुसार ऐसे वर्तमान निर्माताओं के पास देशी तकनीकी जानकारी उपलब्ध है जो मुख्य रूप से देश में खपत के लिए बीयर का उत्पादन करते हैं । किन्तु बीयर की विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में प्रभावशाली ढंग से होड़ करने के लिए कोटि सुधारने के लिए सरकार ने गुणा-व-गुणों के आधार पर इस क्षेत्र में विदेशी तकनीकी सहयोग के प्रस्तावों पर विचार किया है और विचार कर रही है बशर्ते ऐसा निर्यात के दृष्टि कोण से किया जाये और निर्यात की गारंटी दी जाये उससे बाहर जाने वाली मुद्रा से काफी अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो ।

श्री एस० एम० कृष्ण : देश में एकाधिकार की प्रवृत्तियों को समाप्त करने वाली बड़ी-बड़ी बातों से एकाधिकार वादियों के क्षेत्रों का केवल विस्तार ही हुआ है मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार को यह पता है कि इस देश में चार व्यापार-गृह समस्त भारत के शराब-निर्माण उद्योग का नियंत्रण करते हैं । क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में कम से कम शराब निर्माण उद्योगों की एकाधिकार की प्रवृत्ति की रोकने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : यह सच है कि देश में बियर का निर्माण करने वाले पाच एकक है जिनका समस्त बाजार पर नियंत्रण है । और यह भी सच है अनेक राज्य अपने-अपने राज्यों में बियर निर्माण उद्योग आरम्भ करना चाहते हैं । क्योंकि मद्यनिषेध सम्बन्धी मामला राज्यों का अपना विषय है इसलिए यदि राज्य ऐसा चाहें तो केन्द्रीय सरकार उनको आवश्यक अनुमति देने से इनकार नहीं करेगी ।

श्री एस० एम० कृष्ण : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि तकनीकी विकास के महानिदेशक के प्रतिवेदन के अनुसार स्वदेशी जानकारी उपलब्ध है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस आशय का स्वतंत्र रूप से कोई निर्धारण किया है कि देश में तकनीकी जानकारी पर्याप्त रूप में उपलब्ध है । इस सम्बन्ध में श्री पीलु मोदी मेरे इस मत से पूर्णतया सहमत है कि भारतीय बियर संसार भर में उत्तम कोटी की है । (**अन्तर-बाधायें**) । अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में श्री पीलु मोदी तथा अन्य जानकार व्यक्तियों की सलाह लें ।

श्री मं० रं० कृष्ण : जहां तक आन्तरिक खपत की बात है यह मानना चाहिए कि देश में निर्मित बियर वास्तव में ही उत्तम है । जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बियर के उत्पादन का सम्बन्ध है, इसके गुण तथा इसका उत्पादन मूल्य होना ही महत्वपूर्ण हैं । निर्यात करने योग्य

बियर का उत्पादन देश के लिए अत्यावश्यक है, जिसके लिए विदेशी तकनीकी सहयोग की भी अनुमति दी जा सकती है।

Shri Yamuna Prasad Mandal : Just now the hon. Member, Shri S. M. Krishna has said that there are four or five monopolists who do not want that this trade should propose in the country. It is quite right. It is a matter of pleasure that hon. Minister has stated that Government are considering the matter from the export angle. So if it is being considered from the export angle. Will you be kind enough to mention which will be earned amount of foreign exchange and the quantity of been experted ? As hon. Member Shri S. M. Krishna has said that threre are two to four monopolists of the breweries and of them is Mohan Company in Mohan Nagar, Utter Pradesh. You should not make such arrangement that only monopolistic companies should proper and other companies decline. So I would like to know what steps you are contempiating to prevent this monopolistic trade ? What will be the total export ?

Mr. Speaker : This is not the question of export.

Shri Yamuna Prasad Mandal : Hon. Minister has stated that this is being done from export angle and there will be increase in export and in our foreign exchange. So I would like to ask whether hon. Minister has inferred as to what would be the foreign exchange earning and what would be the total increase in export ?

श्री मं० रं० कृष्ण : लाइसेन्स या विदेशी सहयोग की अनुमति मंत्रालय निर्यात को ध्यान में रख कर देगा। सिर्फ इसी शर्त पर लाइसेन्स दिए जाऐंगे। यह सच है कि हम नहीं चाहते कि देश में एक या दो कम्पनियां ही सारे व्यापार पर नियन्त्रण रखे। केवल इसी उद्देश्य से हम राज्य सरकारों को प्रार्थियों की प्रतिभूति देने की अनुमति दे सकते हैं। जब राज्य सरकार प्रार्थियों की प्रतिभूति देगी और वे प्रार्थी केन्द्रीय सरकार के पास आएंगे तो भारत सरकार उन पर विचार करेगी। शाह वैलेस को जो लाइसेन्स दिया गया है उससे विदेशी मुद्रा के रूप में 32 लाख रुपये व्यय होंगे और 5 वर्षों के समय में 70 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

डा० सुशीला नैयर : सबसे पहले मैं यह जानना चाहती हूं कि अभी तक भारत में बनी बियर और शराब का कितनी मात्रा में निर्यात हुआ है, इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है और इसमें से कितनी बियर की खपत भारत में हुई है ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि इस उद्देश्य के लिए खाद्यान की कितनी मात्रा उपयोग में लाई गई ? मुझे बताया गया है कि बीयर तथा मद्य पदार्थ बनाने के लिए काफी मात्रा में खाद्यान का प्रयोग किया जाता है। जब कि हमारे यहां खाद्यान्न की कमी है, सरकार को किस हद तक संगत समझती है ? अन्ततः सरकार के लिए यह कहां तक उचित है कि एक ओर तो मद्यनिर्माणशालाएं स्थापित कर रही है और दूसरी ओर मद्यनिषेध की बात कहती है। मद्यनिर्माणशालाओं को स्थापित करके सरकार संविधान के निदेशक सिद्धान्तों का पालन किस प्रकार कर सकती है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : इसलिए तो मैंने शुरू में कहा था कि यदि राज्य सरकारें अपने राज्यों में मद्यनिर्माणशालांए स्थापित करना चाहती है तभी केन्द्रीय सरकार उन्हें अनुमति देगी।

डा० सुशीला नैयर : संविधान का पालन करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है न कि राज्य सरकार की।

श्री मं० रं० कृष्ण : प्रतिबन्ध हटाने के बाद विभिन्न राज्यों के केवल 41 प्रार्थी थे। केवल गुजरात सरकार, तमिलनाडु सरकार और दिल्ली प्रशासन ने लाइसेन्स देने की सिफारिश

नहीं की थी। अन्य राज्यों ने बीयर बनाने के लिए लाइसेन्स देने की सिफारिश की थी। अतः लाइसेन्स दे दिया गया। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, यह काफी मात्रा में नहीं है। बीयर का निर्यात न के बराबर है। निर्यात के लिए जब हम वचन बद्ध हो जाते हैं तभी मद्यनिर्माण-शाला चालू करने की अनुमति दी जाती है। बीयर बनाने के लिए प्रयुक्त खाद्यान का, उदाहरणार्थ जौ का, बिल्कुल अभाव नहीं हैं। बीयर बनाने के लिए खाद्यान्न की जितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वह बहुत कम होती है।

श्री क० लक्कप्पा : बहुत ही खेद की बात है कि मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि भारत के पास मादक द्रव्य बनाने के लिए तकनीकी जानकारी का अभाव है। मैं मैसूर का उदाहरण देता हूं। बंगलौर की बीयर संसार में सबसे बढ़िया होती है। जर्मनी तक ने इसके लिए बंगलौर को प्रमाण पत्र दिए हैं। कांग्रेस (ओ०) के अध्यक्ष ने जर्मनी का दौरा किया और जर्मन सरकार को बंगलौर से जर्मनी को बीयर के निर्यात के बारे में बातचीत की। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भारत की तकनीकी जानकारी पर विचार किया है। तकनीकी जानकारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है? कहा गया है कि बीयर को निर्यात करने की दृष्टि से विदेशी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। जर्मन सरकार ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, जिसमें कांग्रेस (ओ०) अध्यक्ष भी शामिल है, यह प्रमाण पत्र दिया है कि बंगलौर की बीयर सबसे अच्छी बीयर है। अतः सरकार उसका निर्यात क्यों नहीं कर सकती? इस क्षेत्र में वह विदेशी सहयोग क्यों कर रही है? क्या वे देश में तकनीकी जानकारी को नहीं बढ़ा सकते?

श्री मं० रं० कृष्ण : अब भी बंगलौर की बीयर को जर्मनी को निर्यात करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वस्तुतः, हम इसका स्वागत करेंगे।

दिल्ली के बड़े होटलों में भारतीय शराब पीने पर प्रतिबन्ध

*34. **श्री अदिचन** :

श्री द० अमात :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बड़े होटलों के बारे में भारतीयों को शराब पीने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती जब तक कि उनके साथ कोई विदेशी न हों, तो इस प्रकार के नियमों का क्या महत्व है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषकर बड़े और भव्य होटलों के सम्बन्ध में इन नियमों में ढील देने का है?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री के० हनुमन्तैय्या) : (क) नहीं श्रीमान। दिल्ली के होटलोंके भारतीय निवासियों को शुष्क दिनों के अतिरिक्त अन्य दिनों में होटलों के साथ संलग्न बारों में शराब पीने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। होटल निवासियों के अतिरिक्त अन्य भारतीय नागरिक मद्य-दिनों में विदेशियों के अतिथियों के रूप में ही होटलों की बारों में शराब पी सकते हैं।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

श्री द० अमात : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? भारतीय सरकार को कोई अभ्यावेदन

प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी ओर कुछ सम्बद्ध होटल मालिक न्यायालय में गए हैं। यह मुख्य रूप से राज्य का मामला है। अतः भारतीय सरकार कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।

श्री मनुभाई पटेल : जब माननीय मंत्री मैसूर राज्य के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने वहां मद्यनिषेध लागू किया था। अतः ऐसे उन्नति शील विधान बनाने का श्रेय माननीय मंत्री को है। टेकचन्द आयोग ने सिफारिश की है कि होटल बारों को बन्द किया जाना चाहिए और विदेशियों को शराब पीने की अनुमति केवल कमरों में देनी चाहिए न कि बारों में। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है और क्या वह उसको क्रियान्वित करेगी ताकि दूसरों के लिए बार न खोले जाएं और केवल कमरों में शराब पीने की अनुमति दी जाए ?

श्री हनुमन्तैय्या : मुख्य उद्देश्य यह रखा गया है कि होटलों में ठहरने वाले विदेशियों को सुविधा हो। यह उपबन्ध इसलिए नहीं बनाया गया कि भारतीय नागरिक मनोरंजन के लिए इसका प्रयोग करें। इस उपबन्ध के अधीन जो भी किया गया है वह विदेशियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है।

श्री मनुभाई पटेल : मंत्री महोदय ने केवल वर्तमान स्थिति बताई है और यह नहीं बताया है कि क्या वे टेकचन्द आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करेंगे ? मेरा प्रश्न टेकचन्द आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में था।

श्री हनुमन्तैय्या : जहां तक सामान्य चर्चा का प्रश्न है, जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, मद्यनिषेध पर अलग से विचार किया जा रहा है और मैं स्पष्ट रूप से यह कहूँगा कि मैं उनमें से एक हूं जो मद्यनिषेध के पक्ष में है।

श्री लोबो प्रभु : माननीय सदस्य के लिए चाहे शराब का कोई महत्व न हो, परन्तु महत्वपूर्ण बात तो भारतियों के साथ भेदभाव करने की है। विदेशी को तो शराब पीने का तो अधिकार है पर भारतीय को नहीं ? क्या भारतीय अपने ही देश में उपेक्षित रखा जाएगा ?

श्री हनुमन्तैय्या : यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया था और न्यायालय ने निर्णय दिया था कि इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है। अतः माननीय सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट हो जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों को शराब पीने के लिए इस उपबन्ध का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकती।

डा० सुशीला नैयर : क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि स्वयं विदेशियों ने यह शिकायत की है कि उन्हें बहुत परेशानी होती है जब उन्हें तो शराब दी जाती है पर उनके साथ जाने वाले भारतीयों को शराब नही दी जाती है ? अतः वे चाहेंगे कि विदेशियों को भी शराब न दी जाए। अतः क्या माननीय मंत्री श्री मनुभाई पटेल के इस सुझाव को स्वीकार करेंगे कि इस सम्बन्ध में टेकचन्द आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाए बजाए इसके कि भेदभाव की नीति को चालू रखा जाए जो विदेशी अतिथियों की परेशानी का कारण है।

श्रीहनुमन्तैय्या : जहां तक शिकायतों का सम्बन्ध है, मुझे विदेशियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जब भी हमें शिकायतें मिलेगी, हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बिड़ला हाउस, नई दिल्ली, को उपहार में देने के बारे में सहमति

*1. **श्री सरजू पाण्डेय :** **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री दिनकर देसाई : **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री अदिचन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस को महात्मा गांधी के स्मारक के लिए उपहार में देने सम्बन्धी प्रस्तावित समझौते की शर्तों को बिड़ला बन्धुओं ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख). जी, अभी नहीं। जहां तक सरकारी का सम्बन्ध है, मेरे द्वारा 20 मई, 1970 को सदन में सूचित की गई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है।

एस्सो द्वारा घटिया किस्म के कच्चे तेल का आयात

*2. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री गणेष घोष :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकन तेल कम्पनी एस्सो घटिया किस्म के कच्चे तेल का आयात कर रही है जबकि वह अच्छी किस्म के कच्चे तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रही है ;

(ख) यदि, हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस बारे में उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में दी गई अधिक विदेशी मुद्रा को वसूल करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसे कब तक वसूल कर लिया जाएगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). लूब इण्डिया प्रोजेक्ट को, जिसमें एस्सो और भारत सरकार बराबर के हिस्सेदार हैं, अपचायक कच्चे तेल की सम्भरण सामग्री की अपेक्षित किस्म देने के लिए, एस्सो शोधनशाला को 80 प्रतिशत अरेबियन लाइट और 20 प्रतिशत अरेबियन हैवी कच्चे तेल सम्मिश्र

को साफ करना पड़ता है। लूब इण्डिया प्रोजैक्ट के यान्त्रिक निर्माण के पूर्ण होने से कुछ पहले एस्सो शोधनशाला ने जुलाई, 1969 से 31.7° ए० पी० आई० गुरूत्व से कम गुरूत्व के एक विशेष एक कच्चे तेल सम्मिश्र का आयात शुरू किया। उन्हें कच्चे तेल सम्मिश्र के आयात हेतु विदेशी मुद्रा आवंटन 33 से 39.9° तक ए० पी० आई० गुरूत्व के कच्चे तेल सम्मिश्र के लिए, इस विश्वास पर दिया जा रहा था कि विशेष कच्चे तेल का सम्मिश्र लूब इन्डिया प्लांट के लिए सम्भरण-सामग्री की अपेक्षित किस्म देते हुए भारत सरकार की कोई विदेशी मुद्रा हानि नहीं पहुंचायेगा।

(ग) उनके विशेष कच्चे तेल सम्मिश्र की विस्तृत विशेषताओं को जानने के लिए अप्रैल और अगस्त, 1969 के बीच एस्सो के साथ पत्राचार होता रहा ताकि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँच सके कि क्या इस विशेष सम्मिश्र के लिए विदेशी मुद्रा आबंटन जो 33 से 33.9° ए० पी० आई० गुरूत्व के कच्चे तेल सम्मिश्र के लिए विदेशी मुद्रा आवंटन के बराबर था, न्यायसंगत था। इस समस्या के समाधान होने से पूर्व उस सूचना के आधार पर जिसे सरकार एस्सो से मांगती रही, इस वर्ष के शुरू में सरकार द्वारा कच्चे तेल सम्मिश्र के स्वतन्त्र परीक्षण ने दर्शाया कि यह टापड (Topped) कूड था और विदेशी मुद्रा की दृष्टि से इस किस्म के कच्चे तेल सम्मिश्र के आयात की अनुमति सरकार के हित में नहीं थी। अतः सरकार ने एस्सो कम्पनी पर दबाव डाला कि वह कच्चे तेल सम्मिश्र का जिसमें अरेबियन लाइट का 80 प्रतिशत और अरेबियन हैवी का 20 प्रतिशत हो, 32 से 33.5° ए० पी० आई० गुरूत्व की गुरूत्व श्रेणी औसतन के लिए, प्रति बैरल 1.25 डालर के औसतन मूल्य पर आयात करे। एस्सो ने 1-7-70 से इस कच्चे तेल सम्मिश्र का आयात शुरू किया।

(घ) और (ङ). 31.7° ए० पी० आई० गुरूत्व के विशेष कच्चे तेल सम्मिश्र की ए० पी० आई० गुरूत्व के आधार पर इसका मूल्य 1.23 डालर प्रति बैरल होना चाहिए। सरकार ने एस्सो से अधिक आवंटन को वसूल करने का निर्णय किया ; जो इस मूल्य और 1.29 डालर के मूल्य के बीच, जिसके आधार पर पूर्व विदेशी मुद्रा आवंटित की गई थी, अन्तर था फरवरी से मई, 1970 की अवधि के लिए वसूली की कुल धन राशि 25.53 लाख रुपये थी। वसूली जून, 1970 में शुरू हुई और दो किश्तें वसूल की जा चुकी हैं। वसूली दिसम्बर 1970 में पूरी हो जायेगी। एस्सो ने इस वसूली पर आपत्ति उठाई है और सरकार से प्रार्थना की है कि वह अपनी धारणा पर फिर विचार करे क्योंकि ए० पी० आई० गुरूत्व 31.7° के विशेष कच्चे तेल मिश्र के मूल्य के अनुसार सरकार को विदेशी मुद्रा में या किसी अन्य प्रकार से कोई हानि नहीं हुई है।

ब्रिटेन में एक भारतीय बैंक द्वारा किये गये सन्देहास्पद लेन-देन के बारे में प्रैस समाचार

*3 **श्री झारखण्डे राय :** **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री इन्द्र जीत गुप्त : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 18 जून, 1970 के "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में प्रकाशित

इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि ब्रिटेन में एक अन्य भारतीय बैंक भी 50,000 पौण्ड के सन्देहास्पद लेन-देन में अन्तर्ग्रस्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह समाचार सही है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार ने यह समाचार देखा है ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से जो सूचना मिली है उसके अनुसार लगभग 50,000 पौण्ड के मूल्य का माल बैंक आफ इण्डिया की मॉंचेस्टर शाखा के आदेशानुसार मॉंचेस्टर के कुछ गोदामों में तब तक के लिए रखा गया था जब तक कि सम्बद्ध हुण्डियों का भुगतान नहीं हो जाता । किन्तु उक्त गोदामों ने, ये माल उन व्यक्तियों को अनधिकृत रूप से सुपुर्द कर दिया जिनके नाम हुण्डियां जारी की गई थीं । यह बात उस समय मालूम हुई जब वैन्टोनिका लिमिटेड, मांचेस्टर के निदेशक श्री एच० टी० जोशी को, जिसके नाम एक हुण्डी जारी की गयी थीं उसके एक लेनदार द्वारा जून 1970 के शुरू में उसके खिलाफ दायर किये गये एक फौजदारी मामले में गिरफ्तार किया गया था । इसके बाद बैंक आफ इण्डिया ने उन सभी गोदामों की जांच करायी जिनके पास माल रखे गये थे । बैंक ने गोदामों से कहा कि वे इस बात भी पुष्टि करें कि माल अभी बैंक के आदेशानुसार उनके पास पड़ा है । गोदामों की जांच किये जाने पर यह मालूम हुआ कि माल अनधिकृत रूप से हस्तान्तरित कर दिया गया है । बैंक ने 16 जून को पुलिस के पास औपचारिक रूप से एक शिकायत दर्ज करायी और माल का पता लगाने के लिए पुलिस की सहायता मांगी गई है । बैंक ने गोदाम कम्पनियों के खिलाफ दावा किया है और अपने दावे के सम्बन्ध में बड़े जोर-शोर से आवश्यक कार्रवाई कर रहा है ।

केरल राज्य में एक मन्दिर में पाई गई चीनी मुद्रा

*4. **श्री क० लक्कप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में केरल में गुरुवयूर मन्दिर की हुण्डियों में से एक में 500 येन के मूल्य की चीनी मुद्रा पाई गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने चीनी मुद्रा के स्रोत की जांच पड़ताल की है ;

(ग) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चीन की मुद्रा का 500 युआंस का एक नोट (भारत में जिसका व्यापारिक मूल्य कुछ नहीं है) केरल के गुरुवयूर मन्दिर में, भक्तों से दान प्राप्त करने के निमित्त रखे गये दाव-पात्रों में से एक दान-पात्र (हुंडी) में 18 जून 1970 को पाया गया था ।

(ख) और (ग). वह मुद्रा दान-पात्र में किसी भक्त द्वारा रखी गयी थी और मन्दिर के प्रबन्धक को उसका पता दान-पात्र खोलने पर ही लगा, इसलिए मुद्रा के स्रोत का पता नहीं लगाया जा सका ।

Bill Re: Ceiling on Urban Property

*5. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Bill proposing ceilings on the urban property has been or is being sent to State Governments by the Centre ;

(b) if so, the main features of the Bill ;

(c) whether the legislation will be enforced in all the Union Territories ; and

(d) if so, by when ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir, it has been sent.

(b) The bill provides for the imposition of a ceiling on urban property and of restrictions on the transfer of properties in excess of the ceiling and for the compulsory acquisition, for public purposes, of property in excess of the ceiling.

(c) This is the intention.

(d) It is not possible at present to say when legislation will be enacted, as this will depend on the receipt of replies from the States and the nature of those replies.

राष्ट्रपति के साथ के अधिकारियों के सामान की पालम हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा 22 जून, 1970 को जांच-पड़ताल

*6. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्रीमती तारा सप्रे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति की हाल की यूरोप यात्रा पर उनके साथ गये अधिकारियों का सामान दो खेपों में दिल्ली पहुँचा था और पहली खेप के सामान को तो सीमा-शुल्क अधिकारियों ने बिना किसी जांच-पड़ताल के निकलने दिया था परन्तु जब दूसरी खेप का सामान 22 जून, 1970 को दिल्ली पहुँचा तो उसकी विधिवत जांच की गई और उसमें बड़ी संख्या में शुल्क लगाये जाने वाली वस्तुओं का पता लगा तथा उन पर शुल्क लगाया गया और जुर्माने किये गये ;

(ख) यदि हां, तो पहली खेप में आने वाले सामान को बिना जांच किये निकाल दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इसमें अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के क्या नाम हैं, किस तरह की वस्तुओं का आयात किया गया और कितना शुल्क लगाया गया तथा कितना जुर्माना लिया गया : और

(घ) प्रत्येक अधिकारी को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी और प्रत्येक ने कुल कितने मूल्य की वस्तुएं खरीदी तथा आयात की ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). राष्ट्रपति, उनके परिवार के सदस्य और राष्ट्रपति के साथ के 10 व्यक्ति एयर इंडिया के एक

वायुयान से 20-6-70 को पालम पहुँचे। राष्ट्रपति और उनके परिवार के असबाब की जांच नहीं की गयी क्योंकि वह सीमा शुल्क से मुक्त है, और जिन दो सन्दूकों में सरकारी दस्तावेज बताये गये थे, उनको छोड़कर अन्य व्यक्तियों के असबाब की सामान्य जांच की गयी थी। उनमें आयात किया गया माल, शुल्क-मुक्त छूट की सीमा के अन्दर पाया गया, इसलिए कोई शुल्क नहीं लगाया गया। उनके साथ के बाकी लोग आई० ए० एफ० के एक वायुयान से 22-6-70 को पालम पहुंचे। उनके असबाब और आइ० ए० एफ० वायुयान के कर्मचारियों के असबाब की भी जांच की गयी।

जो व्यक्ति शुल्क-मुक्त छूट से अधिक असबाब लाये उनके नाम, आयात की गई वस्तुओं की किस्म, उन पर लगाया गया शुल्क और दण्ड अनुबन्ध 1 में दिखाये गये हैं, जो सदन की मेज पर रख दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जितनी विदेशी मुद्रा थी, उनके ब्यौरे अनुबन्ध II में दिखाये गये हैं, जिसको भी सदन की मेज रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3701/70]

खम्भात की खाड़ी में समुद्र तट से दूर तेल निकालने के लिए छिद्रण-कार्य में प्रगति

*7. **श्री चन्द शेखर सिंह :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री इसहाक सम्भली :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्भात की खाड़ी में समुद्र तट से दूर तेल निकालने के लिये छिद्रण-कार्य और एक प्लेटफार्म बनाने के प्रश्न पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों, जिनमें जापानी फार्म मित्सुविशी भी शामिल है; के साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) यू० एस० ए० की आफशोर कम्पनी के सहयोग में बनाये एक प्लेटफार्म की सप्लाई के बारे में 'मित्सुबिशी' के प्रतिनिधियों के साथ उनकी पेशकश पर विस्तृत रूप से बातचीत की गई है। उनका अन्तिम प्रस्ताव हालही में प्राप्त हुआ है। अब इस प्रस्ताव पर जांच की जा रही है।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Expenditure on Samadhis in Delhi

*8. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the part of the work which has been completed so far at Rajghat, Shantivan and Vijayghat and the time likely to be taken to complete it ;

(b) the amount incurred by Government on the aforesaid Samadhis separately uptill now and the total provision made to complete the work ; and

(c) the provision made for the aforesaid Samadhis during the financial year 1970-71 ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The work at Rajghat, Shanti Vana and Vijay Ghat is largely a part of a comprehensive development of programme of the river bank from the present Yamuna bridge to the 'C' Power Station. The entire stretch from the Yamuna bridge to the 'C' Power Station is proposed to be developed into a continuous large-scale landscape area consisting of varied contours and a forest-like park along the river front. The development work includes general development of the surrounding area by filling up the depressions with river silt and essential flood protection measures between Ring Road and the river.

The development work at Rajghat has been completed except for murals in the caves, and the development of the South-Eastern side of the Samadhi which has not been completed as the land is under unauthorised occupation. It is not possible to indicate the likely date of completion of the entire work at Rajghat till the question of the murals is finalised and the land on the South-Eastern side of Samadhi is available after the removal of encroachments.

At Shanti Vana, 39 acres out of an area of about 81 acres of land have been evelled and developed. Works in the remaining area are in different stages of progress. The sanctioned works at Shanti Vana are expected to be completed by March 1973.

At Vijay Ghat, out of a total area of 75 acres, the levelling and development of 0 acres, have been completed. Works in the remaining area are in various stages of rogress. The sanctioned works at Vijay Ghat are expected to be completed by July, 1972.

(b)

	Total estimates sanctioned up to date	Expenditure incurred upto end of June, 1970
	Rs.	Rs.
Rajghat	94.44 lakhs	62,34,965/-
Shanti Vana	68.38 lakhs	23,99,299/-
Vijay Ghat	32.51 lakhs	14,06,033/-

With the estimates sanctioned up-to-date, the development works at Rajghat and Shanti Vana will be virtually completed.

In the case of Vijay Ghat, work relating to the construction of two Mounds, and unfiltered water-supply will remain to be done. Estimates for these works are still to be worked out.

(c)

	Provision made during 1970-71
	Rs. in lakhs
Rajghat	3.00
Shanti Vana	6.00
Vijay Ghat	6.50

Progress made by the Third Pay Commission

*9. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Finance be pleased to state .

(a) the progress made by the Third Pay Commission in their work ;

(b) whether in order to make a study of the income and Expenditure of Class III and IV employees, the Third Pay Commission have sent their representative in the colonies of Class III and IV employees in Delhi to apprise themselves of the actual position in this matter ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Third Pay Commission held its first meeting on the 19th May 1970 and later issued Press Notice inviting the Unions and Associations of all employees and other Organisations, institutions or individuals, who may be interested, to send memoranda outlining their views on the various matters reffered to the Commission, by the 10th July 1970. Pursuant to representations received from several Unions and Associations the Commission has extended the last date for receipt of memoranda upto 25th July, 1970 in regard to the question of interim relief and upto 31st August, 1970 on other matters. Memoranda from the Associations so far received by the Commission are under its examination ;

(b) and (c). No Sir. These are however matters which will be considered by the Commission in its discertion depending upon the requirements and other relevant factors.

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी योजना

*10. **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री दे० अमात :**
श्री राम किशन गुप्त : **श्री जि० मो० विश्वास :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **स्वास्थय तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी सम्पति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी यो का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित की गई अधिकतम सीमा क्या है ; और

(ग) योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). सरकार ने नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता का अनुमोदन किया है। राज्य सरकारों के परामर्श से एक उपयुक्त स्कीम का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यह विषय राज्य-सूची में आता है और केन्द्रीय कानून संविधान के अनुच्छेद 252 में की गई परिकल्पना के अनुरूप ही केवल संभव है। फिलहाल यह कह सकना संभव नहीं कि अधिकतम सीमा क्या होगी, न ही यह कि स्कीम कब कार्यान्वित की जायगी। परन्तु शीघ्र कार्यवाही के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

चालू वर्ष में प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता का अनुमान

*11. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि अमरीका के अतिरिक्त अन्य देशों से गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक सहायता मिलने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी सहायता प्राप्त होने की आशा है और उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) सामान्य संकेतों के आधार पर ऐसा लगता है कि 1970-71 के लिए कुल 640 करोड़ रुपये तक की सहायता के वचन प्राप्त होंगे। जबकि 1969-70 के लिए 610 करोड़ रुपये की सहायता के वचन मिले थे। इस सम्बन्ध में देशों के अनुसार ब्यौरा देना सम्भव नहीं है क्योंकि सहायता देने वाले देशों के विधानमण्डलों द्वारा विनियोग सम्बन्धी कारवाईयां तथा अन्य कार्यविधियां पूरी किये जाने पर ही इस बात का पता चल सकेगा कि प्रत्येक देश द्वारा कितनी सहायता का वचन दिया जायेगा।

एटलांटिक सिटी में लायन्स कांफ्रेंस में भाग लेने वाले व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा का नियतन

*12. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : **श्री प० गोपालन** :
श्री उमानाथ : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एटलांटिक सिटी न्यूजर्सी, अमरीका में लायन्स इन्टरनेशनल के 53 वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत से गये कितने व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा दी गई थी ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उन्हें इस उद्देश्य के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी थी ; और

(ग) लायन्स कांफ्रेंस में भाग लेने के लिये इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भेजने से देश का क्या विशिष्ट लाभ होगा जबकि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिये विदेश जाने वाले खिलाड़ियों को भी विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). लायन्स इन्टरनेशनल के 53 वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेनेवाले किसी भी व्यक्ति को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई। 10 व्यक्तियों को सम्मेलन में भाग लेने के लिये केवल 'पी' फार्म की स्वीकृति दी गई थी। उनके नाम सभा की मेज पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। विदेशों में, खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी ऐसी ही सुविधाएं दी जाती हैं।

विवरण

लायन्स इण्टरनेशनल के 53 वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने वाले उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें 'पी' फार्म की स्वीकृति दी गई।

1. डा० ए० वी० मदनगोपाल
2. श्री जमशेद वी० आगा
3. श्री एच० एन० मोता
4. श्रीमती बेरा एम० इंजीनियर
5. श्रीमती आशा मेहता
6. न्यायमूर्ति के० बी० अस्थाना
7. डा० एस० एस० रेड्डी
8. श्री आई० पी० शाह
9. डा० एम० सी० मोदी
10. न्यायमूर्ति जी० के० दामोदर राव

Smuggling of Intoxicating Drugs from China and Pakistan

* 13. **Shri Chandrika Prasad :** **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether according to the news-item which appeared in the daily 'Jagaran' published from Kanpur dated the 25th June, 1970, a memorandum has been submitted to the Government of Punjab by the District authorities of Bhatinda, Ferozepore and Sangroor in Punjab regarding the smuggling of intoxicating drugs from China and Pakistan ;

(b) whether Government have under consideration any scheme for imposing restrictions on the aforesaid intoxicating drugs ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

कलकत्ता के राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र में कैंसर-निरोधी औषधियों का विकास

*114 **श्री हेम बरुआ : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र ने एक कैंसर निरोधी औषधि का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव सरकारी क्षेत्र में इस औषधि का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) इस नयी औषधि का अभी मानवों पर परीक्षण किया जाना बतलाया गया है ।

(ख) रोग लाक्षणिक दृष्टि से परीक्षण कर लिये जाने तथा इसे गुणकारी पाये जाने के पश्चात् ही इस औषधि के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सैन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया की लन्दन स्थित शाखा के भूतपूर्व मैनेजर श्री सामी पटेल के विरुद्ध जांच

*15. **श्री स० कुन्दू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की लन्दन स्थित शाखा के भूतपूर्व मैनेजर श्री सामी पटेल को गिरफ्तार करने के संबंध में सरकार के प्रयास सफल हुए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सूचना मिली है कि सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की लन्दन स्थित शाखा के भूतपूर्व मैनेजर श्री सामी जे० पटेल को, जिन्हें छुरे के घाव लगे हुए थे 8-7-1970 की शाम को ब्यूनस एयर्स, अर्जेनटीना के नगरपालिका अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में दाखिल किया गया था । समाचार मिला है कि इस बीच 23 जुलाई, 1970 को वह लन्दन लौट आये हैं । उन्हें हवाई अड्डे पर गिरफ़्तार किया गया और बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिसने उन्हें 31 जुलाई 1970 तक हवालात में रखने का आदेश दिया । चूंकि कथित अपराध ब्रिटेन में किया गया था, इसलिये सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया स्कॉटलैंड यार्ड में शिकायत दर्ज करायी थी । स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा जांच जारी है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश

*16. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दण्डपाणि :
श्री सयावन :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने अन्तिम रूप से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कुछ अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की है :

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए सरकार का विचार स्वयं कुछ अन्तरिम सहायता देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). अन्तरिम राहत देने का प्रश्न, तीसरे वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में सम्मिलित किया गया है। सरकार को इस विषय पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। वेतन आयोग जैसी कोई सिफारिश करेगा, उसके मिलने पर सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों के खाते

*17. **श्री नाथ पाई :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों के खातों के बारे में कोई जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक को पार्टियों द्वारा स्वयं दी गयी सूचना के अनुसार 7 व्यक्तियों और 2 कम्पनियों के खाते स्विट्जरलैंड के बैंकों में हैं। उनके नाम सभा की मेज पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

उन व्यक्तियों आदि के नाम, जिनके खाते स्विट्जरलैंड के बैंकों में हैं

1. श्री के० एम० शाह
2. श्री एस० एन० दामनिया
3. श्रीमती रोदावेन साहनी
4. श्री एस० एम० सक्सेना
5. श्री आर० एन० सक्सेना
6. श्री एस० एन० कालड़ा
7. श्री केसरीचन्द मोतीचन्द
8. मैसर्स हिन्दुस्तान ब्राउन बावरी लिमिटेड
9. मैसर्स चौगुल एण्ड कम्पनी

सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण

*18. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री मृत्युंजय प्रसाद : **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण का विचार त्याग दिया और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

पी०एल० 480 निधि का उपयोग

*19. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री मीठालाल मीना :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में पी० एल० 480 रुपयों में जमा निधि का उपयोग करने के बारे में अमरीका सरकार के साथ बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग). जैसा कि 23 फरवरी 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 20 के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर में बताया गया था, सरकार पी० एल० 480 निधियों को परस्पर उन प्रयोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए, जो आयोजना में शामिल हैं, निर्धारित करने की सम्भावना की जांच कर रही है। इन निधियों को आवासन और शहरी विकास और उच्च कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल करने की सम्भावना पर अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

शेयरों के वायदे के सौदों सम्बन्धी समिति

*20. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री जनार्दनन : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शेयरों के वायदे के सौदों सम्बन्धी अंजारिया समिति का प्रतिवेदन मिल गया है।

(ख) प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने शेयरों के वायदे के सौदों की पुनः अनुमति देने का निर्णय कर लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है। जब तक अन्तिम निर्णय नहीं कर लिया जाता तब तक रिपोर्ट के बारे में बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अपने देशों को भेजी जाने वाली धन राशि के बारे में शान्तीलाल शाह समिति की शिफारिशें

*21. **डा० रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल मूल्यों सम्बन्धी शान्तिलाल शाह समिति ने यह सुझाव दिया था कि सरकार को विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अपने देशों को भेजी जाने वाली धनराशि के बारे में, उसे कम करने और कुछ समय के बाद बिल्कुल समाप्त करने के विचार से पुनर्विचार करना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) तेल कम्पनियों को कहा गया है कि वे कुछ समय के बाद इन धन राशियों का ब्यौरा पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत करे । इसके बाद, समिति के सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकतानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ।

जीवन बीमा निगम द्वारा फिल्म उद्योग को ऋण

*22. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम देश में बड़े उद्योगों को ऋण दे रहा है ;

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा भारत के फिल्म उद्योग को सहायता न देने का क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त करने के लिए फिल्म उद्योगों से कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ). अचल सम्पत्तियों के प्रथम बन्धक पर दिये गये ऋण, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 ए, के उपबन्धों के अनुसार जैसे वे भारतीय जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में लागू होते हैं, अनुमोदित निवेशों में हैं। एतदनुसार, जीवन बीमा निगम अपनी निधि का कुछ भाग, छोटी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कर्ज देने में लगाता है। फिल्म उद्योग में लगी किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी से जीवन बीमा निगम को अभी तक कोई दरख्वास्त निश्चित अवधि का ऋण लेने के लिए नहीं मिली है ।

रति रोगों के उपचार के लिए और अधिक क्लिनिकों का खोला जाना

*23. **श्री रामचरण :** **श्री शिवचरण लाल :**
श्री शिवकुमार शास्त्री : **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**
श्री श्री गोपाल साहू :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रति रोगों के कारण देश में काफी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग और कृषि में जनशक्ति की भारी हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो रति रोगों से ग्रस्त रोगियों की संख्या अनुमानित कितनी है तथा उक्त रोगों का इलाज करने वाले क्लिनिकों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या क्लिनिकों की वर्तमान संख्या मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ; और

(घ) यदि नहीं, तो और अधिक क्लिनिकों के खोलने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० [के० शाह) : (क) जी नहीं । देश में रतिरोगों के कारण मरने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं है ।

(ख) 1969-70 में विभिन्न राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में स्थित 142 रति रोग उपचार केन्द्रों में, जो कि देश में रति रोगों के उपचार के प्रतिनिधिक संस्थान हैं, निदान किये गये तथा उपचार किये गये रोगियों की संख्या 3,08,521 है । इसमें राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं, प्राइवेट समितियों द्वारा चलाये जा रहे सभी रति रोग उपचार केन्द्रों के रोगियों की संख्या सम्मिलित नहीं है । उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1969 को देश में 260 रति रोग निदान शालायें थीं ।

(ग) और (घ). रति रोग निदान शालाओं की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं है और ऐसा होने के कारण चौथी योजना अवधि में रति रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 और जिला रति रोग निदानशालायें स्थापित करने का विचार है ।

भारत द्वारा प्राप्त की जाने वाली विदेशी सहायता पर ब्याज का भुगतान

*24. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि चौथी योजना के लिए दी गई आधे से अधिक विदेशी सहायता विदेशों से प्राप्त पहले के ऋणों पर ब्याज के रूप में व्यय हो जायेगी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसा त्रुटिपूर्ण औद्योगिक-नीतियों विदेशों से अन्धाधुन्ध ऋण लेने और सरकारी कम्पनियों, जिनमें ऋण ली गई धनराशि का विनियोजन किया गया है, के कुप्रबन्ध के कारण हुआ है ;

(ग) क्या यह सच है कि विश्व के राष्ट्रों में यह भावना उत्पन्न होती जा रही है कि भारत सदैव ऋणी रहेगा ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं । चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए कुल 4,130 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की आवश्यकता है ; इसकी तुलना में आयोजना की अवधि में व्याज के रूप में 793 करोड़ रुपये की अदायगियां किये जाने का अनुमान है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा फुटकर बिक्री केन्द्रों को बन्द किया जाना

*25. **श्री सत्यनारायण सिंह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने भारत के विभिन्न भागों में सैंकड़ों बिक्री केन्द्रों को बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कम्पनियों ने अपने तेल शोधन कारखानों में इन्धन तेल के उत्पादन में कमी की है ;

(ग) क्या विदेशी कम्पनियों के इस अभियान के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में पेट्रोलियम के उत्पादों की सामान्य वितरण प्रणाली में रुकावट आयी है और उद्योगों के लिए इंधन तेल की कमी हो गयी है ; और

(घ) सरकार का उक्त स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1 जनवरी, 1968 से 20 जून, 1970 के बीच के ढाई वर्षों के दौरान, वर्मा शैल, एस्सों तथा कालटैक्स नामक 3 विदेशी तेल कम्पनियों ने अपने फुटकर बिक्री केन्द्र जाल की संख्या 7075 से घटाकर 6844 कर दी है जिससे कुल 231 बिक्री केन्द्रों की कमी हुयी होती कि 1-1-1968 को उनके कुल बिक्री केन्द्रों की 3.2 प्रतिशत है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अतिरिक्त आवश्यकताओं को संभाल कर भारतीय तेल निगम ने देश के विभिन्न भागों के उद्योगों की आवश्यकताओं को संतोषपूर्वक पूरा किया है ।

(घ) इस अवधि में भारतीय तेल निगम ने 1-1-68 को 1427 फुटकर बिक्री केन्द्रों से 30-6-1970 को लगभग 2756 बिक्री केन्द्रों तक बढ़ा कर पर्याप्त वृद्धि की है जो कि 1-1-68 के इसके कुल बिक्री केन्द्रों से 93.1 प्रतिशत अधिक है । आयात द्वारा अनुपूरक, सरकारी क्षेत्र

की शोधनशालाओं से उपलब्ध बढ़े हुए उत्पादन में से, भारतीय तेल निगम ने विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा छोड़े गये ईंधन तेल के कारोबार को भी संभाल लिया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के उपाय भी अपना रही है कि भारत की तमाम शोधन शालायें (विदेशी तेल कम्पनियों की शोधनशालायें शामिल करते हुए) का उत्पादन पैटर्न देश की आवश्यकतायें (ईंधन तेल की आवश्यकताओं सहित) पूरी करने के उपयुक्त हो।

बेची जाने वाली मोटर गाड़ियों की कीमत

*26. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या शैक्षिक तथा अन्य संस्थाओं को गत तीन वर्षों में बेचने के लिए निश्चित की गई मोटर गाड़ियों की कीमत में कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन संस्थाओं को मोटर गाड़ियों की कीमत का कितने प्रतिशत अदा करना होता है ; और

(ग) कितनी मोटर गाड़ियां बेची गई हैं और जनवरी, 1967 से (30 जून, 1970 तक) जिन संस्थाओं को मोटर गाड़ियां बेची गई हैं उनके नाम क्या हैं ?

पूर्ति मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) धर्मार्थ/कल्याणकारी/शैक्षिक संस्थाओं को बेची गई मोटर गाड़ियों की संख्या लगभग 292 है।

सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है, जिनमें उन संस्थाओं के नाम दिये गये हैं जिन्हें उक्त मोटर गाड़ियां बेची गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 3702/70]

Payment of Income-Tax by Union Ministers

*27. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the Central Ministers have not so far submitted their Income-tax returns for some time past ; and

(b) If so, the names of the Ministers against whom the arrears of income-tax are outstanding at present and the amount thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Out of the 55 Union Ministers, 36 are assessed in Delhi. Out of these, 35 Ministers have filed their Returns of Income upto the assessment year 1969-70. 3 Ministers who were not assessed to tax in Delhi before, have also filed their returns of income for assessment year 1969-70 at Delhi. In respect of the Ministers who are assessed outside Delhi, two have filed their returns of income upto assessment year 1970-71 and one upto assessment year 1969-70. Information regarding the rest of the 15 Ministers is being collected and shall be laid on the Table of the House as early as possible.

(b) On the basis of the information received, the arrears of taxes outstanding against the Ministers as on 14-7-1970 are as per the Annexure. As regards the Ministers who are assessed outside Delhi, the information is being collected and shall be laid on the Table of the House as early as possible.

STATEMENT

The information regarding the arrears of tax outstanding against the Ministers as on 14-7-1970 is given below :—

Sl. No.	Name	Assessment year	Amount	Remarks
			Rs.	
1.	Shri K. L. Rao	1967-68	12,550	He has been allowed to pay in instalments by March, 1972.
		1969-70	1,089	
		(Provisional assessment).	13,639	
2.	Shri M. Yunus Saleem	1965-66 & 1966-67 (regular assessment).	10,818	Allowed to pay by August, 1970.
		Interest for delay payment of tax.	2,000	Reminder issued.

राज्यों को सहायता देने की नीति

*28 **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को सहायता देने की क्या नीति है, और वर्ष 1969-70 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और यह राशियां किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत दी गई थीं।

(ख) राज्यों को केन्द्रीय करों का कितने प्रतिशत दिया जाता है ;

(ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के क्या मापदण्ड हैं ; और

(घ) क्या यह मापदण्ड समान हैं अथवा प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), (ग) और (घ). राज्यों की केन्द्रीय सहायता कई प्रयोजनों के लिए दी जाती है राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार ऋण और अनुदान प्रदान किये जाते हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण और अनुदान प्रत्येक योजना के लिए निर्धारित सहायता की प्रणाली के अनुसार दिये जाते हैं। उन राज्यों को भी सहायता प्रदान की जाती है जहां प्राकृतिक विपत्तियों के सम्बन्ध में किये जाने वाले राहत-कार्यों पर होने वाला व्यय उस सामान्य व्यय से अधिक हो गया हो, जो वित्त आयोग द्वारा अपनी अन्तरण-योजना में आंका गया हो। इस प्रकार की 50 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में और 25 प्रतिशत सहायता ऋण के रूप में दी जाती है और शेष 25 प्रतिशत रकम की पूर्ति राज्य द्वारा

अपने साधनों से की जाती है। इसके अलावा, राज्यों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से बहुत सी आयोजना-भिन्न मदों जैसे शरणार्थियों और स्वर्णकारों के पुनर्वास, उर्वरकों के लिए अल्पावधिक ऋणों और छोटी बचतों के संग्रह में से दिये जाने वाले ऋणों आदि के सम्बन्ध में ऋण और अनुदान प्राप्त होते हैं।

राज्यों के वित्त आयोग के निर्णय (अवार्ड) के अनुसार, केन्द्रीय करों और शुल्कों में उनका हिस्सा और संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सहायक अनुदान भी मिलते हैं।

जहां तक संघीय राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उनके सारे पूंजीगत व्यय, उनके आयोजना-परिव्यय और राजस्व खाते में होने वाले घाटे की पूर्ति केन्द्र द्वारा की जाती है।

सभी प्रकार की सहायता के वितरण के लिए जो कसौटियां अपनायी गयी हैं, वे सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होती हैं। इसी प्रकार संघीय राज्य क्षेत्रों के व्यय की पूर्ति करने के लिए जो कसौटियां अपनायी गयी हैं वे भी समान रूप से लागू होती हैं।

1969-70 में राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों को विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत दी गयी सहायता का ब्यौरा, सभा की मेज पर रखे गये विएरण संख्या i से iii में दिया गया है।

(ख) एक (विवरण विवरण संख्या IV) सभा की मेज पर रख दिया गया है। [~~अन्यत्र~~ में रखा गया देखिये संख्या एल० टी 3703/70]

परिवार नियोजन के लिए अमरीकी सहायता

*29. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री न० कु० सांधी :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की सरकार ने परिवार नियोजन के लिए 2 करोड़ डालर की सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता का देश के किस भाग में उपयोग किया जायेगा ; और

(ग) चालू वर्ष में परिवार नियोजन पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए वर्ष 1970-71 के केन्द्रीय बजट में 52 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कृषि धन कर

*30. **श्री बें० कृ० दास चौधरी :**

श्री कं० हाल्दर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों के आग्रह पर धर कर को समाप्त करने पर विचार किया है ;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने धन पर करारोपण को उच्च न्यायालय में पहले ही चुनौती दे दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). ऐसा मालूम हुआ है कि पंजाब सरकार ने चण्डीगढ़ स्थित पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें कृषि-परसम्पत्तियों पर धन-कर लगाने सम्बन्धी, धन-कर अधिनियम 1957 के उपबन्धों की वैधानिकता को चुनौती दी है। परन्तु केन्द्रीय सरकार को अभी तक उस याचिका की नकल अथवा उसके सम्बन्ध में नोटिस तामील नहीं हुआ है। इसलिए, उसके ब्यौरों का अभी पता लगना है।

अयस्क परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा विदेशी परामर्शदाता फर्म की नियुक्ति

*35. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निनम ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को एक आशय-पत्र जारी किया है जिसमें उनको बैलाडिला डिपोजिट सं० 5 की लौह अयस्क परियोजना के लिए नितेत्सु नामक एक जापानी फर्म को अपना परामर्शदाता बनाये रखने की 'अनुमति' दी गई है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को प्रस्ताव करते समय नितेत्सु के नाम का कहीं उल्लेख न किये जाने के कारण अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने इसके बजाय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिये गये अपने प्रस्ताव में भारी इन्जीनियरिंग निगम, रांची को अपना परामर्शदाता रखने की इच्छा व्यक्त की थी ; और

(घ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम पर देशी परामर्शदात्री फर्म के स्थान पर नितेत्सु को जबरदस्ती लादने के क्या कारण हैं विशेषकर जब यह स्पष्ट था कि नितेत्सु का रिकार्ड संतोषजनक नहीं है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). बैलाडीला भण्डार 5 के खनिज संयंत्र के डिजाइन इन्जीनियरी तथा निर्माण निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने राष्ट्रीय खनन विकास निगम को 3 विकल्प प्रस्तुत किये थे। प्रत्येक विकल्प में परामर्शदाता भिन्न था जो कि तकनालोजी प्रक्रिया तथा संयंत्र के संप्रत्यय को प्रस्तुत कर इनकी सहायता करता। यह उल्लेखनीय है कि किसी विकल्प में भारी इन्जीनियरी निगम, रांची सहायक परामर्शदाता नहीं था क्योंकि वह उपकरणों का निर्माता है राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा तीन विकल्प प्रस्तुत करने के उपरान्त राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के माध्यम से प्राप्त सरकार के सुझाव पर कि जापानी कम्पनी नितेत्सु के सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाया जाये, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने चतुर्थ विकल्प प्रस्तुत किया। सभी प्राप्त विकल्पों की जांच के उपरान्त सरकार ने निर्णय किया कि संयंत्र के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को प्रमुख भारतीय परामर्शदाता नियुक्त किया जाये और उन्हें नितेत्सु माईनिंग कन्सलटेन्ट को अपना सहायक नियुक्त करने के लिए उससे बातचीत करने के लिए कहा जाए। सरकार ये यह इच्छा भी व्यक्त की कि यदि नितेत्सु से बातचीत असफल हो जाये तो राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम पहले प्रस्तावित किसी भी विदेशी परामर्शदाता को अपना सहायक बना लें।

इस निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रीय औद्योनिक विकास निगम ने नितेत्सु से वार्तालाप किया और राष्ट्रीय खनन विकास निगम ने अपनी अन्तिम पेशकश की जो स्वीकार कर ली गई और एक आशय पत्र जारी कर दिया गया।

संविधान का अधिप्रामाणिक हिन्दी संस्करण

*36. **श्री जो० ना० हजारिका :**
श्री छ० म० केदारिया :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तिम रूप से यह निर्णय कर लिया गया है कि संविधान को एक अधिप्रामाणिक हिन्दी पाठ का रूप देने के लिए उसका एक बिल्कुल ही नया पाठ तैयार किया जाए या उसके वर्तमान हिन्दी संस्करण में कुछ तब्दीलियां करके उसे तैयार अथवा अंगीकृत किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमंतय्या) : (क) और (ख). हिन्दी में संविधान के प्राधिकृत अनुवाद की तैयारी के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस प्रश्न की भी परीक्षा की जा रही है कि संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित और उसके अधिकार के अधीन प्रकाशित भारत के संविधान के हिन्दी अनुवाद में क्या कोई उपान्तरण अपेक्षित हैं और यदि हां, तो कौन-कौन से।

एशिया तथा सुदूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग के इस्पात सर्वेक्षण मिशन का प्रतिवेदन

*37. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री इसहाक साम्भली :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री उमा नाथ :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दिसम्बर में एशिया तथा सुदूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग के, जिस इस्पात-सर्वेक्षण मिशन ने भारत का दौरा किया था, क्या उसका यह अनुमान है कि अगले 15 वर्षों में भारत में इस्पात की मांग इस समय के मुकाबले तिगुनी हो जायेगी अर्थात् 1970 में कच्चे इस्पात की मांग 69 लाख मीट्रिक टन से बढ़ कर 1985 में 22.1 लाख टन हो जायगी ;

(ख) क्या उक्त मिशन ने यह भी कहा है कि इतने बड़े विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पोषक संस्थानों की सहायता आवश्यकता पड़ेगी ;

(ग) क्या उक्त मिशन ने यह सुझाव दिया है कि भारत में निर्यात प्रधान तटवर्ती इस्पात कारखाने स्थापित किए जायें ;

(घ) क्या सरकार ने इस मिशन के प्रतिवेदन की जांच करली है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री ब०रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं । अब तक प्राप्त अन्तरिम रिपोर्ट में यह सिफारिश शामिल नहीं है ।

(ग) और (घ). जी हां ।

(ङ) सरकार ने तीन नये इस्पात कारखानों में से एक कारखाना विशाखापतनम के तटीय क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय पहले ही कर दिया है ।

'वेस्पा' और 'लम्ब्रेटा' स्कूटरों का सरकारी क्षेत्र में निर्माण

*38. **श्री मुहम्मद शरीफ :** **श्री नम्बियार :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री देवेन्द्र सिंह गार्चा :**
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वैस्पा' और 'लम्ब्रेटा' स्कूटरों का निर्माण करने वाली गैर सरकारी क्षेत्र की दो कम्पनियों ने यह सुझाव दिया है कि इस वर्ष दिसम्बर में विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ हुए करारों के समाप्त हो जाने पर इन गाड़ियों का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में लिया जाय;

(ख) क्या उन कम्पनियों ने ऐसी परियोजना से सम्बद्ध रहने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों के उत्पादन के कार्यक्रम और उपयुक्त देशी डिजाइन के बारे में सरकार को सलाह देने के लिये सरकार द्वारा स्थापित की गई तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के अनुसरण में दो स्कूटर निर्माताओं अर्थात मेसर्स आटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स आफ इन्डिया तथा मेसर्स बजाज आटो के प्रतिनिधियों से यह पता लगाने के लिए अनुसंधानात्मक चर्चा की गई थी कि वे अपने रेखा चित्रों, तकनीकी आकड़ों, निर्माण सम्बन्धी जानकारी आदि से सरकारी क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजना में मदद करने के लिए कहां तक सक्षम व इच्छुक हैं । अभी हाल ही में 11 जुलाई, 1970 को मेसर्स बजाज आटो से एक संदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें उसकी प्रतिक्रियायें दी गई हैं । उन्होंने कुछ शर्तों पर सरकारी क्षेत्र में स्कूटर के कारखानें की स्थापना में सहायता देने की इच्छा प्रकट की है । मेसर्स आटो-मोबाइल्स प्रोडक्ट्स आफ इन्डिया के उत्तर की प्रतीक्षा है । तथापि दोनों ही फर्मों ने अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी है।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों के उत्पादन का प्रश्न अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

Increase in Prices of Bicycles

*39. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Jageshwar Yadav :
Shri Viswanatha Menon :
Shri Chander Shekhar Singh :
Shri Jharkhande Rai :

Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have permitted the Bicycle manufacturers to increase the prices of the Bicycles ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether it will mostly affect people of the middle-income group ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). Government have allowed the Bicycle Manufacturers to increase the prices of Bicycles by Rs. 9.50 NP from 1st June, 1970. The price increase was permitted after :—

(i) obtaining the report of Cost Accounts Branch of the Ministry of Finance ; and

(ii) taking into account the increase in prices of components and raw materials like steel, nickel etc.

प्राग टूल्स लिमिटेड द्वारा सस्ते स्कूटरों का निर्माण

*40. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राग टूल्स लिमिटेड ने सस्ते स्कूटर निर्माण करने की एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना को इस बीच स्वीकृति दे दी है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री म० र० कृष्ण) :

(क) जी, हां ।

(ख) प्रागा टूल्स प्रतिवर्ष 1 लाख की प्रारम्भिक क्षमता के साथ देशीय डिजाइन वाले स्कूटरों का निर्माण करने के लिए अपनी फालतू क्षमता का प्रयोग करना चाहता है ।

(ग) ऐसा अनुमान है कि इस योजना को कार्यान्वित करने में प्रारम्भ में लगभग 5 करोड़ रु० के अतिरिक्त विनियोजन की आवश्यकता होगी ।

(घ) मैसर्स प्रागा टूल्स लिमिटेड की योजना पर अन्य पार्टियों से प्राप्त योजनाओं के साथ ही विचार किया जा रहा है ।

केरल में मोटरगाड़ी के टायर बनाने के कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस देना

*41. **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री पी० गोपालन :
श्री पी० विश्वमभरन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केरल में मोटरगाड़ियों के टायर बनाने के कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय किया जायगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री म० र० कृष्ण) :

(क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) केरल के मुख्य मन्त्री ने इस विषय पर मई, 1970 में उस समय के औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री से विचार विमर्श किया था ।

(ग) निर्णय के शीघ्र लिए जाने की आशा है ।

चितरंजन लोकोमौटिव वर्क्स में बिजली के रेल इंजनों और डीजल शंटरों का उत्पादन

*42. **श्री मणीभाई जे० पटेल :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार चितरंजन लोकोमेटिव वर्क्स में बिजली के रेल के इन्जन तथा डीजल शंटर बनाने की एक योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : जी हां। चितरंजन रेल इन्जन कारखाने में बड़ी लाइन के बिजली रेल इन्जनों और बड़ी लाइन के डीजल शंटरों का उत्पादन कमश: 1961 और 1967 से हो रहा है।

(ख) शुरू में, चितरंजन रेल इन्जन कारखाने में केवल भाप रेल इन्जनों के उत्पादन की योजना बनाई गई थी। चितरंजन रेल कारखाने में प्रति वर्ष 168 भाप रेल इन्जनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 1959-60 में कारखाने के उत्पादन का स्तर 173 इन्जनों का रहा। भाप रेल इन्जनों की जगह दूसरी तरह के रेल इन्जनों के उत्पादन का काम 1961 से शुरू किया गया। उस वर्ष से इस कारखाने में बड़ी लाइन के बिजली रेल इन्जनों के निर्माण का काम प्रारम्भ किया गया और इसके बाद 1967 में बड़ी लाइन के डीजल शंटिंग रेल इन्जनों के निर्माण का काम भी शुरू किया गया। यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर चितरंजन रेल इन्जन कारखाने में भाप रेल इन्जनों का उत्पादन उत्तरोत्तर कम किया जा रहा है और तदनुरूप बिजली और डीजल शंटिंग रेल इन्जनों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान योजना के अनुसार 1971 के अन्त तक चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाने में भाप रेल इन्जनों का उत्पादन पूर्णत: बन्द हो जायेगा और उसके बाद वहां केवल बिजली और डीजल रेल इन्जनों का निर्माण किया जायेगा।

कच्चा माल आयात करने का लाइसेन्स देने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त

*43. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **औद्योगिक विकास, तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1970 में कच्चे माल के आयात के लिए लाइसेंस देने के बारे में तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा अपनाये जाने के लिए कोई अनौपचारिक मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूप-रेखा क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). 1970-71 की आयात नीति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को आयातित कच्चे माल व पुर्जों के लिए लाइसेंस पिछली अवधि में उस कच्चे माल व पुर्जों की उनकी खपत के आधार पर दिए जाएंगे। गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की आयात लाइसेंस आधार काल में दिए लाइसेंसों के अनुसार उनके हकों के आधार पर छः महीनों की अवधि के लिए दिए जाते हैं।

2. तथापि, मशीनें बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चे माल का आवंटन उनके पास मौजूद आर्डरों के आधार पर किया जाता है भले ही वह आवंटन उनकी पिछली खपत से अधिक हो। इसके अनुसार और प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में उत्पादन को बढ़ाकर देने के लिए जिनकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है प्रायोजक अधिकारियों को यह अनुमति है कि वे आयातित कच्चे माल व पुर्जों का आवंटन पिछली खपत से अधिक कर दें ताकि वर्तमान उत्पादन क्षमता का अपेक्षाकृत पूरा उपयोग किया जा सके।

3. प्रायोजक अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि कच्चे माल के आवंटन के निश्चय करने में वे वर्तमान स्टाक, लाइसेंस प्राप्त उत्पादन-क्षमता व अन्य संबंधित बातों पर विचार करेंगे।

बिड़ला की फर्मों के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए आयोग

*44. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला फर्मों के विरुद्ध चल रही जांच इस समय किस स्थिति में है ;

(ख) कितनी फर्मों के विरुद्ध जांच की जानी थी, कितने व्यक्तियों के विरुद्ध जांच पूरी हो चुकी है और जिनके विरुद्ध अभी जांच चल रही है उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) जिन फर्मों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो चुके हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इन फर्मों के नाम क्या हैं ;

(घ) जिन बिड़ला फर्मों के विरुद्ध सरकार ने कार्यवाही की है उनके निदेशकों, प्रबन्धकों तथा अधिकारियों के नाम क्या हैं और ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) जांच आयोग बिड़ला फर्मों के विरुद्ध कब तक जांच पूरी कर लेगा और क्या सरकार जांच आयोग के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ). औद्योगिक लाइसेन्स नीति जांच समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित ऐसी अनियमितताओं अनौचित्यों और चूकों के मामलों की जिनके बारे में यह आरोप है कि वे बड़े औद्योगिक समूहों के लाभ के लिए हुई हैं तथा बिड़ला समूह की कम्पनियों के विरुद्ध कुछ विशिष्ट अभियोगों की जांच

करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त आयोग ने हाल ही में अपना कार्य प्रारम्भ किया है। आयोग के निर्देश-पद जो पर्याप्त व्यापक हैं पहले ही सभा-पटल पर रखे जा चुके हैं। चूंकि आयोग ने अभी हाल ही में कार्य प्रारम्भ किया है, इस अवस्था में उसकी प्रगति के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। तथापि, उसके निर्देश पद को देखते हुए, आशा की जाती है कि आयोग अपनी नियुक्ति अर्थात् दिनांक 18-2-70 से एक वर्ष के अन्दर-अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

नेशनल रेयन कारपोरेशन के चिनाय बन्धुओं और कपाडिया बन्धुओं के बीच-विवाद

*45. **श्री सत्य नारायण सिंह** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल रेयन कारपोरेशन के चिनाय बन्धुओं तथा कपाडिया बन्धुओं के पारस्परिक विवाद में समवाय कानून बोर्ड को हस्तक्षेप करना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों गुटों में क्या विवाद है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). कपाडियों ने, नेशनल रेयन कारपोरेशन में सारबान हिस्सेधारिता प्राप्त कर ली है, व इसी से कपाडिया समूह एवं चिनाय समूह के मध्य, नियन्त्रण के लिए संघर्ष प्रारम्भ हो गया। कम्पनी के लगभग, 100 हिस्सेधारियों ने, कपाडिया समूह द्वारा लिये गये, हिस्सों के मताधिकार पर नियन्त्रण लगाने के लिए, कम्पनी अधिनियम की धारा 250 के अन्तर्गत, कम्पनी विधि बोर्ड को प्रार्थना-पत्र दिया था। कम्पनी के तीन निदेशकों ने भी, निदेशक मंडल में परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 409 के अन्तर्गत शिकायतें मिसिल की थी। कम्पनी विधि बोर्ड ने पार्टियों की सुनवाई के पश्चात्, अनुभव किया कि कपाडियों, उनके सहयोगियों, मनोनीतों तथा अभिकर्ताओं द्वारा प्राप्त किये हिस्सों की वृहद संख्या के ढंग की विशिष्टता प्रदान करते हुए, इन आरोपों की पुनः जांच आवश्यक है, व इस सम्बन्ध में कपाडिया समूह से सम्बन्धित कुछ कम्पनियों की जांच के आदेश दिये हैं। यह विधि अभी कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष अनिर्णीत है।

औद्योगिक कम्पनियों द्वारा लाइसेन्स प्राप्त क्षमता का उल्लंघन करने के लिए कार्यवाही

*46. **डा० रानेन सेन** : **श्री योगेन्द्र शर्मा** :
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन औद्योगिक कम्पनियों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के विषय पर विचार किया गया है जिन्होंने अनधिकृत रूप से अपनी लाइसेन्स क्षमता बढ़ा ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख). ऐसी औद्योगिक कम्पनियों के विरुद्ध जिन्होंने कि लाइसेंस प्राप्त क्षमता को अनाधिकृत रूप से बढ़ा लिया था, कार्यवाही करने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

बम्बई को रेल द्वारा मंगलौर से मिलाना

*47. श्री मधु लिमये :
श्री स० म० अगड़ी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बम्बई को रेल द्वारा मंगलौर से मिलाने के बारे में कोई घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो उस घोषणा का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार रक्षा के दृष्टिकोण से रेल द्वारा बम्बई और मंगलौर को मिलाने का कार्य आवश्यक नहीं समझती है ;

(घ) क्या इसको उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना को लगभग किस तिथि तक पूरा किया जावेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). बम्बई से मेंगलूरू तक रेलवे लाइन बनाने के बारे में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रति रक्षा मन्त्रालय ने इस लाइन को प्रति रक्षा के दृष्टिकोण से बनाने की मांग नहीं की है। तथापि बहुत से अभ्यावेदनों को देखते हुए आप्टा (बम्बई के समीप) से मेंगलूरू तक एक नयी लाइन के लिए एक विस्तृत यातायात सर्वेक्षण के साथ-साथ इंजीनियरी सम्बन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षण के लिए हाल में मंजूरी दी गई है। ये सर्वेक्षण पूरे हो जाने और इनका परिणाम ज्ञात हो जाने के बाद ही लाइन के निर्माण के बारे में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

मुस्लिम स्वीय विधि में सुधार

*48. श्री जि० ब० सिंह : श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री सूरज भान : श्री वंश नारायण सिंह :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्लिम स्वीय विधि में परिवर्तन करने का सुझाव देने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में कुछ मुस्लिम महिलाओं सहित केवल मुसलमान विधिवेत्ताओं का एक उच्च स्तरीय आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रगति की है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) गत तीन महीनों में सरकार को इस प्रस्ताव के पक्ष अथवा विरोध में कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) उन मुस्लिम देशों के नाम क्या हैं जिनमें मुस्लिम स्वीय विधि में परिवर्तन किया गया है तथा उनका ब्योरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). भारत के न्यायमूर्ति ने विधि मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि सरकार द्वारा कोई आयोग गठित किया जाए तो मैं उसे अपनी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकूंगा ।

(घ) गत तीन मासों में तीन पत्र प्राप्त हुए जो प्रस्ताव के खिलाफ थे ।

(ङ) जो भी जानकारी उपलब्ध है वह पाकिस्तान, संयुक्त अरब गणराज्य, तुर्की, मरक्को, ट्यूनीशिया, मलेशिया, सिंगापुर और पूर्वी अफ्रीका के शिया इमामी इस्लाम-प्रदेशों के सम्बन्ध में है । इन देशों में सुधार मुख्यत: (क) बहु-पत्नीत्व में को समाप्त करने या उस पर रोक लगाने ; (ख) तलाक देने की पति की निरंकुश शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने ; (ग) उत्तराधिकार की विधि के अधीन पूर्वमृत संतान की संतान के हितों की रक्षा करने ; और (घ) (केवल संयुक्त अरब गणराज्य में) प्राइवेट वक्फों का उत्पादन करने के लिए किये गये हैं ।

Facilities to Passengers on Ardh Kumbh Fair (1971) at Allahabad

*49. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of Railways be pleased to state the steps being taken to provide facilities to the passengers on the occasion of Ardh Kumbh fair to be held in Allahabad in 1971 ?

Minister of Railways (Shri Nanda) : Sir, the quantum of pilgrim traffic anticipated to offer from various directions on the occasion is being assessed by the Railways in consultation with the Civil authorities. In the light of these estimates arrangements will be planned for running out special trains, augmenting the loads of existing train services, opening of new stations, provision of additional booking windows and other passenger amenities.

अरकोणम में रूसी सहायता प्राप्त निरंतर (कन्टीनियुअस) ढलाई संयंत्र का निर्माण

*50. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री के० रमानी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरकोणम में रूसी सहायता प्राप्त निरन्तर ढलाई संयंत्र का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बन्द किये जाने का क्या कारण है ; और

(ग) निर्माण में शीघ्रता लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) उल्लिखित प्रायोजना को तमिलनाडु सरकार कार्यान्वित कर रही है। राज्य सरकार से कारखाने का निर्माण कार्य बंद हो जाने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र के माल डिब्बे बनाने वालों की सरकार के विरुद्ध शिकायतें

*51. **श्री गणेश घोष :**
श्री जनार्दनन :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के रेलवे माल डिब्बे बनाने वालों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) वर्ष 1966 से 1969 तक वर्षवार औसतन कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र के माल डिब्बे बनाने वालों ने सरकार के विरुद्ध यह शिकायत की है कि वह देश में माल डिब्बे बनाने वाले उद्योग को लगातार क्रयादेश देने में असफल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जैसा कि औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय ने बताया है, निजी क्षेत्र के माल डिब्बा निर्माताओं की, अधिष्ठापित क्षमता, चौपाहियों के हिसाब से प्रतिवर्ष 29,409 माल डिब्बे की है।

(ख) इन माल डिब्बा निर्माताओं का उत्पादन इस प्रकार था :

वर्ष	उत्पादन (चौपाहियों के हिसाब से)
1966-67	16,501
1967-68	13,956
1968-69	13,398
1969-70	12,001

(ग) निजी क्षेत्र के माल डिब्बा निर्माताओं को कम आर्डर देने के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में छपी कुछ रिपोटों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(घ) माल डिब्बा निर्माताओं को हाल के वर्षों में उनके वास्तविक काम के अनुरूप पर्याप्त आर्डर मिले हैं।

पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे पर रेल गाड़ियों का रोका जाना

*52. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के पिछले सत्र के प्रारम्भ से पश्चिम बंगाल में पूर्व रेलवे तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे पर कितनी बार रेलगाड़ियां रोकी गईं ; और

(ख) उनके क्या कारण थे और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) साठ ।

(ख) गाड़ियों को रोकने के कारणों का सम्बन्ध मुख्यतः इन बातों से है : अतिरिक्त हाल्टों की मांग, अतिरिक्त गाड़ियां चलाने, गाड़ियों के समय में फेर बदल करने, बिजली के ऊपरी उपस्करों की चोरी, दूर संचार के तारों और केबलों की चोरी और बिजली जनित्र स्टेशनों से बिजली की सप्लाई में बाधा आदि जैसे कारणों से गाड़ियों का देर से चलना, स्थानीय शिकायतों का व्यक्त करना, जैसे पूर्व पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को फिर से बसाना, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित बन्द, यात्रियों द्वारा आक्रमण किये जाने के कारण कर्मचारियों द्वारा काम बन्द कर देना आदि ।

रेल प्रशासन यात्रियों की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास करते हैं । रेल प्रशासन ऐसी सभी घटनाओं को तुरन्त राज्य सरकारों राज्य के पुलिस अधिकारियों के नोटिस में लाते हैं ताकि जहां कहीं सम्भव हो अराजकता को रोका जा सके और सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से अपराधियों को पकड़ा जा सके । रेल उपयोगकर्ताओं और समाज के अन्य सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से और रेलों का दृष्टिकोण बताने के लिए समाचार-पत्रों और अन्य प्रचार साधनों का भी उपयोग किया जाता है ।

स्कूटरों की कमी

*53. **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री जय सिंह :
श्री बलराज मधोक :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में स्कूटरों की भारी कमी है ;

(ख) स्कूटरों का कुल उत्पादन और मांग कितनी है ;

(ग) स्कूटरों की सप्लाई मांग से कितनी कम है ;

(घ) क्या सरकार का विचार लाइसेंस देकर स्कूटरों के निर्माण की क्षमता में वृद्धि करने का है और यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) देश में इस समय स्कूटरों का हो रहा उत्पादन मांग को पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।

(ख) और (ग). स्कूटरों की वर्तमान वार्षिक मांग का पूरी तौर पर अलग से निर्धारण नहीं किया गया है। फिर भी, मशीनी उद्योग के योजना दल ने 1973-74 तक स्कूटरों, मोटर साइकिलों, तीन पहिये वाले मोपे आदि की मांग का अनुमान प्रति वर्ष 210,000 लगाया है। जबकि स्कूटरों का उत्पादन सिर्फ 1969 में 49,270 तथा 1970 वर्ष के अर्ध वार्षिक में 29,962 संख्या में हुआ है।

(घ) और (ङ). स्कूटरों की सप्लाई और माँग के बीच की खाई को पूरा करने के प्रश्न पर सरकार विगत कुछ समय से विचार कर रही है। सरकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि स्कूटरों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करना वाँछनीय होगा। इस निर्णय के अनुसरण में, सरकार ने, सरकारी क्षेत्र मे स्कूटरों का निर्माण करने हेतु उपयुक्त डिजाइन तथा कार्यक्रम पर परामर्श देने के लिए एक समिति स्थापित की थी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर विचार किया जा रहा है।

सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि यदि गैर-सरकारी क्षेत्र की कोई भी पार्टी देशी तकनीकी जानकारी तथा सामानों से स्कूटर बनाने के लिए तैयार है तो उसे इसके लिए अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अनुसार 27 अक्तूबर, 1969 को एक सार्वजनिक सूचना जारी करके इच्छुक उद्यमियों से, जो कि पूर्णरूपेण देशी तकनीकी जानकारी और सामानों से स्कूटरों का उत्पादन करने में समर्थ थे 31 जनवरी, 1970 तक आवेदन मांगे गये। फलतः अब तक 38 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन पर इस समय विचार किया जा रहा है।

भारत निर्मित कारों के उचित विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए आयोग

54. **श्री जे० मुहम्मद इमाम** :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अम्बेसेडर, फिएट और स्टैण्डर्ड कारों के उचित विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मोटरगाड़ी निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यह आयोग कब तक अपना प्रतिवेदन दे देगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख). उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर देश में निर्मित की जा रही तीनों मार्कों की कारों जैसे फियेट, एम्बेसेडर तथा स्टेन्डर्ड हेराल्ड के उचित विक्रय मूल्य की सिफारिश करने के लिये एक आयोग गठित किया गया है। कार निर्माता भी उच्चतम न्यायालय में आयोग के गठन के लिये सहमत हो गये थे।

(ग) आयोग का गठन 27 मई, 1970 को किया गया है और ऐसी आशा है कि यह अपना प्रतिवेदन गठन तिथि से चार मास की अवधि में प्रस्तुत कर देगा।

छोटे उपक्रमियों को रियायतें देना

*55. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में छोटे उपक्रमियों को और अधिक रियायतें देने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में छोटे उद्योगपतियों को काफी रियायतें दी हैं। ये रियायतें आयायित कच्चे माल के आवंटन, केवल लघु उद्योग क्षेत्र के ही विस्तार के लिए चुनी हुई वस्तुओं के सुरक्षण, ऋण तथा वित्त की व्यवस्था, सहायक संबंधों के विकास, निर्यात व्यापार तथा पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में लघु उद्योगों की प्रगति के बारे में है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रियायतें इस प्रकार हैं :

(1) प्राथमिकता प्राप्त तथा गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में नये कारखानों के बारे में आयातित कच्चे माल के लिए लाइसेंस की सीमा 50,000 रुपये से 75,000 रु० तक बढ़ा दी गई है।

(2) निर्बाध विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत तक अपेक्षाकृत अधिक मूल्य का आयात लाइसेंस दिया जायेगा।

(3) नई औद्योगिक लाइसेंस नीति की घोषणा करके लघु उद्योग क्षेत्र के लिए रक्षित उद्योगों की सूची में वृद्धि करके उसमें 8 नये उत्पादनों के नाम बढ़ा दिये गये हैं। जिससे लघु उद्योग क्षेत्र के विस्तार व विकास के लिए काफी गुंजाइश हो जाये।

(4) स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा योग्य कारीगरों व इंजीनियरों के लिए मंजूर किये जाने वाले ऋणों की सीमा बढ़ा कर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

(5) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया खरीद आधार पर मशीनों की सप्लाई की शर्तें उदार बना दी गई हैं।

(6) सर्विस (सेवा) उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना का विस्तार कर दिया गया है।

(7) लघु उद्योग क्षेत्र में सहायक उद्योगों के विकास के लिए पहले से अधिक गहन प्रयत्न करना और तदनुरूप बड़े क्षेत्र के कारखाने द्वारा स्वयं बनाये जाने वाले पुर्जों की संख्या में कमी करना।

(8) 1970-71 की आयात नीति के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र में निर्यातक कारखानों के लिए आयातित कच्चे माल के संबंध में और रियायतें देना।

(9) जो उद्योगपति पिछड़े जिलों या क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उन्हें करों, कच्चे माल की सप्लाई, औद्योगिक बस्तियों में स्थान, बिजली व पानी की दरों, ऋणों की स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा रियायतें दी गई हैं।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये ब्रिटेन से सहायता

*56. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिए सीमित अवधि तक सहायता देते रहने का निर्णय किया है ; और

(क) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी जायेगी और यह कब दी जायेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) सहायता वित्तीय तथा तकनीकी दोनों प्रकार की होगी। एक नये पौंड स्टर्लिंग ऋण तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने को तकनीकी सहायता उपलब्ध करने के बारे में बातचीत की जा रही है और इसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है।

मोगा (पंजाब) में गेहूँ का रेल गाड़ियों पर लदान

*57. **श्री सरजू पाँडेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मई, 1970 में, मोगा में सरकारी एजेंसियों द्वारा प्राप्त किये गये गेहूं के कई हजार बोरों को रेलवे अधिकारियों तथा सिविल सप्लाई विभाग के बीच कुछ विवाद होने के कारण रेलगाड़ी में नहीं लादा जा सका था ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके परिणाम स्वरूप गेहूँ के बोरे वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विवाद का ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) जी नहीं। लदान मांग के अनुरूप हुआ है, गेहूँ का लदान करने अथवा बैगनों की कमी के कारण गेहूं के बोरों को नुकसान पहुँचने का प्रश्न ही नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक फर्मों को कलकत्ता से अन्य राज्यों में ले जाना

*458. श्री स० चं० सामन्त :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री कं० हाल्दर :
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री समर गुह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में असुरक्षा तथा प्रतिकूल परिस्थितियां होने के कारण बहुत से उद्योगपति या तो अपने कार्यक्षेत्र को बदल रहे हैं या कारखानों को किन्हीं अन्य स्थानों पर ले जा रहे हैं अथवा उन्हें छोड़ रहे हैं ;

(ख) उनको समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि पश्चिम बंगाल भारतीय उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ न जाये ; और

(ग) क्या वह ऐसे उद्योगों की संख्या और उनके नाम बताने वाला बिवरण सभा पटल पर रखेंगे जो या तो निष्क्रिय हो गए हैं या फिर किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिए गए हैं । अथवा किए जा रहे हैं ।

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल से उद्योगों को हटाये जाने के बारे में निम्नलिखित प्रवृत्तियां केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आई हैं :

किसी लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है । विगत तीन वर्षों में (1967, 1968 तथा 1969) में स्थानान्तरण के केवल 10 आवेदन प्राप्त हुए थे और उनमें से 8 रद्द कर दिये गये हैं । इसी अवधि में उद्योगों के स्थानान्तरण हेतु आवेदन अन्य राज्यों से भी प्राप्त हुए थे । यह आवेदन महाराष्ट्र से 10, बिहार से 4, हरियाणा से 3, और मद्रास से 2 थे । स्थानान्तरण के आवेदनों की सँख्या को देखते हुए इस राज्य की स्थिति कोई विशिष्ट नहीं ।

तथापि समूचे भारत के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी बंगाल के उद्योगों से प्राप्त होने वाले आवेदन तथा जारी किये गये आशय पत्रों के प्रतिशत में उल्लेखनीय कमी हुई है जैसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट है :

वर्ष	आवेदनों की संख्या		जारी किये गये आशय पत्रों की संख्या	
	पूर्ण भारत	पश्चिमी बंगाल	पूर्ण भारत	पश्चिमी बंगाल
1966	1259	158 (12.5 प्रतिशत)	271	34 (12.5 प्रतिशत)
1967	849	86 (10.1 प्रतिशत)	249	30 (12 प्रतिशत)
1968	905	96 (10.6 प्रतिशत)	158	18 (11.4 प्रतिशत)
1969	1420	110 (7.7 प्रतिशत)	331	26 (7.8 प्रतिशत)

जनवरी, 1970 से 31 मार्च, 1970 तक प्राप्त कुल 558 आवेदनों में से 70 पश्चिमी बंगाल से थे और उन में से 53 आवेदनों में स्थापना स्थल पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त अन्य राज्यों में था।

एक अन्य प्रवृति जो देखने में आई है वह है बड़ी बड़ी कम्पनियों द्वारा अपने मुख्यालयों अथवा पंजीकृत कार्यालयों को कलकत्ता से या तो औद्योगिक एककों में अथवा राज्य से बाहर स्थानान्तरित करना है। इस प्रकार कारखानों को राज्य से वाहर स्थानान्तरित नहीं किया गया क्योंकि ऐसे स्थानान्तरण के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक है।

उपरोक्त प्रवृतियों से प्रकट होता है कि यद्यिप स्थापित उद्योगों को स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है। किन्तु नये विनियोजन में कमी हुई है। पश्चिमी बंगाल में ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की अप्रैल, 1968 में कुल 645 करोड़ रु० की प्रदत्त पूंजी की तुलना में यह पूंजी अप्रैल, 1970 में एक करोड़ रु० अधिक थी।

सरकार स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखे हुए है। चूंकि ऐसे औद्योगिक एककों की संख्या अधिक है जिनमें से कुछ सीमित अवधि के लिए पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बन्द रहे अतः प्रश्न के इस भाग के उत्तर में सही जानकारी दे पाना संभव नहीं। फिर भी यह बताया जाता है कि यद्यपि पश्चिमी बंगाल के सामूहिक उत्पादन में उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है किन्तु 1968-69 में कुछ उद्योगों में उत्पादन में कमी की प्रवृति रही है। जहां तक श्रम दिवसां की हानि का संबंध है, पूरे भारत में 1969 में 166 लाख श्रम दिवस की हानि में से 100 लाख श्रम दिवसां की हानि अकेले पश्चिमी बंगाल में हुई। जहां तक बंद किये गये औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने का संबंध है उनका पुनः चालू होना उनके बन्द होने के कारणों तथा प्रत्येक मामले में श्रमिकों तथा मालिकों के बीच समझौते पर निर्भर करता है।

बिहार में टाटा की जमींदारी की समाप्ति

***59 श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा जमींदारी को समाप्त करने के लिये बिहार विधान सभा ने एक विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टाटा बन्धुओं ने बिहार विधान सभा की इस कार्यवाही के विरुद्ध आपत्ति उठाते हुए केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने टाटा बन्धुओं की अपील को अस्वीकार कर दिया है तथा बिहार विधान-सभा की कार्यवाही का समर्थन किया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री हनुमन्तय्या) : (क) बिहार भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1970 के नाम से ज्ञात एक विधेयक बिहार विधान-मण्डल के दोनों सदनों

द्वारा हाल ही में पास किया गया है। राज्य विधान-मण्डल द्वारा यथापारित विधेयक की प्रतियां राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) विधि मंत्रालय को कोई भी ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Allegations against Misuse of Money during Recent Elections to Rajya Sabha

*60. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Chandrika Prasad :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various persons have made allegations against the misuse of money during the recent elections to the Rajya Sabha ?

(b) whether it is also a fact that in Kapileshwarpuram, 800 votes were auctioned for Rs. 50,000 as has been stated by Shri Ramlingan Raju, a Minister of Andhra Pradesh ; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard and the details of the action taken or proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Hanumanthaiya) : (a) No complaint was received by the Government or the Election Commission in this regard.

(b) Government has no information.

(c) Does not arise.

डालरों तथा पौण्ड-स्टर्लिंग में चोर बाजारी

1. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालरों तथा पौण्ड-स्टर्लिंग में, जो अधिकृत दर से बहुत अधिक दर पर बेचे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर चोर बाजारी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस चोर बाजारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को इस बात का पता है कि भारत में ऐसे लेन-देन होतें हैं जिनमें विदेशी मुद्राओं का सरकारी विनिमय दरों से ऊंची दरों पर क्रय-विक्रय होता है।

(ख) ये लेन देन विदेशी मुद्रा विनिमयों का उल्लंघन होते हैं और इनके बारे में प्रवर्तन अभिकरण (इन्फोर्समेंट एजेन्सी) बराबर सूचना एकत्रित करते रहते हैं और अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खेतिहरों को ऋण दिया जाना

2. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में प्रत्येक राज्य में नये राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खेतिहरों को कितनी राशि के ऋण दिये हैं ; और

(ख) क्या छोटे किसानों तक ऋण पहुंचाने के लिये कोई विशेष योजनाएं बनाई गयी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों के जो राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं वे मार्च 1970 के अन्त तक के हैं और अनुबन्ध 1 में दिये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 3704/70]

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने छोटे किसानों और अन्य छोटे ऋण-कर्ताओं को ऋण देने के लिये नयी योजनाएं चालू की हैं। ऐसा कोई भी किसान जिसके पास वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम तथा सामाजिक दृष्टि से उत्पादनशील योजना का प्रस्ताव हो, इन योजनाओं के अन्तर्गत ऋण पाने का पात्र होगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि को लाभ पहुंचाने के लिये ऋण-सम्बन्धी जिन सुविधाओं की व्यवस्था की है उसका ब्यौरा सामान्य रूप से अनुबन्ध II में दिया गया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 3704/70]

मध्य प्रदेश में करेंसी नोट छापने के प्रेस की स्थापना

3. **श्री बेघर बेहेरा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में करन्सी नोट छापने के प्रेस की स्थापना करने का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रेस कहां स्थित होगा ; और

(ग) इस प्रेस की क्षमता क्या होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) यह मुद्रणालय देवास (मध्य प्रदेश) में स्थापित किया जायगा।

(ग) इस मुद्रणालय की शुरू में प्रतिवर्ष 10,000 लाख नोट छापने की क्षमता होगी और ऐसी व्यवस्था की जायगी जिससे आवश्यकता पड़ने पर इस क्षमता को बढ़ा कर दुगना किया जा सके।

Amount Invested by Devas Branch of State Bank of India for Development of Small Scale Industries and Digging of Wells

4. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8376 on the 4th May, 1970 and state :

(a) whether the information asked for in parts (a) to (c) of the aforesaid question regarding amount invested by Devas Branch of State Bank of India for development of Small Scale Industries and digging of wells has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which the required information would be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The required information is given in the attached statement.

STATEMENT

The State Bank of India has no branch at Devas.

Statement showing the limits sanctioned and outstandings of the Devas Branch of the State Bank of Indore as on 31st July, 1969 and 31st March, 1970 (I) for the development of small-scale industries and (II) in respect of agricultural advances :

(Rs. in lakhs)

		31st July, 1969		31st March, 1970	
		Limits	Outstanding	Limits	Outstandings
1.	Advances to Small-Scale Industries	10.83	5.29	15.01	8.40
2.	Agricultural Advances	1.17	0.24	4.25	1.90

Separate figures for advances for digging wells, purchasing pumps and tempos are not available.

Re. part (b) of Unstarred Question referred to above :

(I) Working capital advances in respect of small-scale industries are repayable on demand whereas term loans are repayable over a period not exceeding 7 to 10 years in monthly/quarterly/half-yearly/yearly instalments. The rate of interest for working capital advances ranges between 8 per cent and 8¾ per cent whereas the current rate of interest for term loans is 9 per cent.

(II) Loans for digging of wells are generally granted for periods ranging between 5 and 7 years and for installation of pumpsets between 3 and 5 years repayable in quarterly, half-yearly or annual instalments ; interest is charged at 9 per cent or ½ per cent more than the rate charged cooperatives locally for similar advances, whichever is higher.

Re. part (c) of Unstarred Question referred to above :

No amount has been earmarked for investment by the branch for the financial year 1970 71. However, the State Bank of India will make every endeavour to provide credit assistance to the extent necessary to small scale industries and agriculture subject to the availability of resources.

(c) Does not arise.

टिंचर और जिंजर पर उत्पादन शुल्क

5. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया है कि वह टिंचर और जिंजर पर भी उसी दर से उत्पादन शुल्क लगाये जो कि भारत में बनने वाली विदेशी शराब पर लगा हुआ है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने यह शिफारिश भी की है कि वर्तमान कानूनों में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि टिंचर और जिंजर आदि औषधियां डाक्टरी नुस्खा प्रस्तुत करने पर ही उपभोक्ताओं को दी जाये और यह भी कि उनमें अलकोहल की मात्रा कम कर दी जानी चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) तथा (ग). भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि अलकोहल युक्त औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर शुल्क की दरों में, जैसी कि वे औषधीय तथा प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 में दी गयी है, इस प्रकार संशोधन किया जाय जिससे कि वे भारत में बनी विदेशी शराब पर उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत लगने वाले आबकारी शुल्क के स्तर पर आ जायं ।

मामले की जांच हो रही है ।

Shares held by Scindia Investment Company in Krishanram Baldev Bank

6. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total number of shares held by the Scindia Investment Company in Krishnaram Baldev Bank ;

(b) the names of such other Inuestment companies in the country which are holding controlling shares in other Banks ;

(c) the amount of loan the said company has been getting from time to time from the said Bank and utilising the same in other firms ; and

(d) the names of the owners of this investment company and the positions held by the Maharaja and Maharani of Gwalior in this company ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Information available as on the 5th September, 1969 shows the Scindia Investment Private Ltd. held 49,838 shares of the Krishanram Baldev Bank of the value of Rs. 24 92 lakhs representing about 99.7 per cent of the bank's total paid-up capital of Rs. 25 lakhs.

(b) No other investment company is holding controlling interest in any banking company.

(c) The Scindia Investment Private Ltd., does not enjoy any credit facilities with the Bank. As such, the question of utilising the borrowings in other firms does not arise.

(d) The Scindia Investment Private Ltd. is a family concern of the Maharaja of Gwalior. The information regarding share holdings of Maharaja and Maharani of Gwalior in this company are not readily available.

Enquiries into Affairs of Krishanram Baldev Bank

7. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the date on which Shri Madhav Rao Scindia was appointed the Chairman of the Krishanram Baldev Bank and the reasons for which he is being relieved of his post now ;

(b) whether it is a fact that the Reserve Bank of India is deputing some other custodian in his place so that the irregularities prevailing in the bank could be removed and the bank may run smoothly ;

(c) whether it is also a fact that Government propose to conduct an enquiry in the working of the said bank through the new custodian after relieving Shri Madhav Rao Scindia from the Chairmanship of the bank ; and

(d) if so, the time by which the said enquiry is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Shri Madhav Rao Sciendia was elected as Chairman of the Board of Directors of the Krishanram Baldev Bank Ltd. on the 15th January, 1969. Under Section 35B read with Section 10B of the Banking Regulation Act, the bank has to appoint before the 1st August 1970 a whole-time Chairman with the prior approval of the Reserve Bank.

(b) The Reserve Bank has deputed a senior officer as an additional director under Section 36AB of the Banking Regulation Act, 1949 with effect from the 22nd May, 1970.

(c) and (d). The Reserve Bank conducted an inspection of the Bank recently and a copy of the inspection report has been sent to the bank for its comments in June 1970, There is no proposal to conduct a further inspection just now.

Objections Raised in Connection with the Working of Krishanram Baldev Bank by the Reserve Bank of India

9. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to lay on the Table a copy of the objections raised in connection with the working of the Krishanram Baldev Bank by the Reserve Bank ; and

(b) the reaction of Government on the said objections and the details of the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). In terms of Section 35 of the Banking Regulation Act, the Reserve Bank conducts periodical inspection of banks and a copy of the inspection report is supplied to the banking company concerned for rectification of defects, if any. The Reserve Bank inspected Krishanram Baldev Bank recently. A copy of the inspection report has been sent to the bank in June 1970 for comments. Since the report contains particulars relating to the affairs of the bank's constituents which are treated as confidential, it would not be proper to lay a copy of the report on the Table of the House. It may be mentioned, however, that certain complaints had been received by the Reserve Bank to the effect that the bank's affairs were virtually dominated by the present Chairman Shri Madhav Rao Scindia and that Shri Mahadik who was appointed as a Special Officer for looking after the development of the business of the bank did not possess any practical experience in banking and was not generally attending to the bank's work out devoting his time to the personal work of the Maharaja. The allegations were found to be substantially correct. It is understood that Shri Mahadik has since resigned from the bank. The Reserve Bank has also appointed a senior officer as an additional director on the bank under section 36AB of the Banking Regulation Act, 1949. Further follow-up action will be taken by the Reserve Bank in the light of the bank's comments on the inspection report.

जीवन बीमा निगम कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्य करने का कार्यक्रम

10. **श्री बेधर बेहेरा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम कर्मचारी "नियमानुसार कार्य" करने का कार्यक्रम चला रहे हैं ;

(ख) यह कार्यक्रम कब से चल रहा है ; और

(ग) नियमानुसार कार्य करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां । जीवन बीमा निगम के कुछ कर्मचारियों ने "नियमानुसार कार्य" का कार्यक्रम अपनाया था ।

(ख) निगम के भिन्न-भिन्न कार्यालयों में 31 मई और 18 जून 1970 के बीच भिन्न-भिन्न तारीखों को यह कार्यक्रम अपनाया गया था ।

(ग) अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की वार्ता-समझौता समिति द्वारा समझौते की मूल शर्तों को अस्वीकार किये जाने के बाद, उक्त संघ की कार्य-कारिणी समिति की 18 और 21 मई 1970 के बीच दिल्ली में हुई बैठक में स्वीकृत संकल्प के अनुसरण में यह कार्यक्रम अपनाया गया था ।

उसके बाद दोनों पक्षों के बीच दिल्ली में 20 जून 1970 को एक समझौते पर दस्तखत हो गये । इस कारण, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने कार्यवाही का अपना कार्यक्रम वापस ले लिया ।

पूर्व निर्मित मकानों के लिये और अधिक कारखाने स्थापित करना

11. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व निर्मित मकानों के लिए और अधिक कारखाने स्थापित करने के बारे में सरकार ने एक निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे और कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम के स्टेनोग्राफरों की मांगें

12. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के स्टेनोग्राफरों ने जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों और

इसके चार संघों के बीच हुए करार को इस आधार पर नामंजूर कर दिया है कि उसकी शर्तें अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम स्टेनोग्राफर संघ की न्यायसंगत आशाओं से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) ये मांगें, प्रबन्धकों तथा कर्मचारी-संघों के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत स्वीकृति मांगों की अपेक्षा उच्चतर वेतन-मान तथा उच्चतर विशेष वेतन मिलने के बारे में है ।

यह विवाद, न्याय निर्णय के लिए, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के सामने है ।

राजस्थान के सिरोही जिले में खनिजों का पाया जाना

13. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि राजस्थान के सिरोही जिले में ऐसी खनिज जोनों का पता लगा है जिन में शीशा, जस्ता और तांबा जैसे खनिज पदार्थ हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या खनिज-सम्पदा का कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). जी, हां, । राजस्थान में सिरोही जिले के कई और डेरी क्षेत्रों में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा शीशा, जस्ता तथा तांबा युक्त खनीजीकृत कटिबन्धों का पता लगाया गया है । डेरी क्षेत्र में एक बरमा छिद्र में लगभग 20 प्रतिशत संयुक्त धातु युक्त खनीजीकृत कटिबन्ध प्रतिच्छेदित हुआ है । यह अन्वेषण प्रगति पर है ।

(ग) चूंकि अन्वेषण प्रारम्भिक चरण पर है अतः क्षेत्र की खनिज सम्पदा का निर्धारण करना समयपूर्व की बात है ।

राजस्थान की खेतरी तांबा परियोजना की प्रगति

14. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की खेतरी तांबा परियोजना पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया जा चुका है और इसे पूरा करने के लिए जिसमें एसिड एवं उर्वरक संयंत्र पर होने वाला व्यय भी शामिल है, कितने धन की आवश्यकता है, और इस परियोजना में इस समय किस चरण में प्रगति हो रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक ने इस बात को स्वीकार किया है कि दीप्ति भट्टी के लिए अपेक्षित जनरल इन्जीनियर कन्ट्रैक्टर की नियुक्ति में कुछ विलम्ब हुआ है ; यदि हां, तो सरकार इस कारण कितनी हानि हुई है और इसकी नियुक्ति कब तक की जाएगी ; और

(ग) खेतरी में सकेन्द्रक बनाने के कार्य की देखभाल करने के लिए 30 फ्रांसीसी विशेषज्ञों के संभावित दल पर सरकार का कितना खर्च आयेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) 31 मार्च, 1970 तक खेतड़ी ताँबा प्रायोजना पर व्यय की गई कुल राशि 24 करोड़ रुपये (लगभग) है । पहले ही उपगत व्यय सहित प्रायोजना की कुल अनुमानित लागत 93.58 करोड़ रुपये है, जिसमें से 17.80 करोड़ रुपये एमिड एवं-उर्वरक संयंत्र की लागत है, जिसकी मंजूरी सरकार द्वारा अभी दी जानी है ।

खेतड़ी खान के ऊपरी स्तर पर प्रायोगिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है । जून 1972 में संकेन्द्रक संयंत्र को पूरी तरह चालू किया जायेगा । आशा की जाती है कि प्रद्रावक, शोधन शाला तथा एसिड-एवं उर्वरक संयंत्र 1973 के अन्त तक चालू हो जायेंगे ।

(ख) प्रद्रावक संयंत्र के स्फुरण भट्टी क्षेत्र की विस्तृत डिजाइन इन्जीनियरी के लिए संविदा देने से संबन्धित विनिश्चिय में कुछ समय लग गया था । तथापि, इसके परिणाम स्वरूप सरकार को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय हानि नहीं हुई है ।

स्फुरण भट्टी क्षेत्र की विस्तृत इन्जीनियरी के लिए संविदा अब दे दी गई है ।

(ग) मैसर्स बिनो-पिक के नेतृत्व के अधीन कम्पनियों के फ्रांसीसी समूह के साथ मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने एक करार किया है, जिसके अनुसार फ्रांसीसी समूह से अपेक्षा की जाती है कि वह संकेन्द्रक सहित विभिन्न सयंत्रों के परिनिर्माण एवं प्रारम्भण के अधीक्षण तथा नियंत्रण हेतु कुल 500 मानव-मास की सीमा तक फ्रांसीसी विशेषज्ञ भेजे । निर्देशनाधीन विशेषज्ञ उपरोक्त करार की शर्तों के अनुसार आ रहे हैं ।

फ्रांसीसी समूह के साथ किये गये करार के अनुसार भारत में की जाने वाली सेवाओं के लिए कुल अदायगी 60,30,000 फ्रांसीसी फ्रैंक (82.4 लाख रुपये) होगी, जो फ्रांसीसी नियुक्त किये जाने वाले तकनीकी एवं अन्य कर्मचारियों के 500 मानव-मास की लागत है । आवासन (कार्यालय एवं रियायशी), भोजन, जेब खर्च, परिवहन आदि के लिए इन विशेषज्ञों को भारत में दी जाने वाली सुविधायें/अदायगियां इसके अतिरिक्त हैं ।

दहानू के निकट फिल्मों का पकड़ा जाना

15. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) 11 तथा 18 जून 1970 को दहानू के निकट एक मछली गांव सतपतीदाड़ा में भारतीय तथा विदेशी फीचर फिल्मों की कितनी रीलें पकड़ी गई और उनका मूल्य क्या है ;

(ख) इस सम्बन्ध में किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ;

(ग) क्या गिरफ्तार किये गये इन व्यक्तियों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका सम्बन्ध 28 दिसम्बर, 1969 को भारतीय फीचर फिल्मों की 101 रीलों के तस्कर व्यापार से भी था ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इन फिल्मों को अवैध रूप से डबई निर्यात किया जाना था जिनके बदले में सोना मिलना था और उसके लिये परिवहन की प्रतीक्षा की जा रही थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय फीचर फिल्मों की 145 रीलें, जिनका लगभग मूल्य 3 लाख रुपये था, 13 जून 1970 को पकड़ी गई (न कि 11 जून 1970 को) और भारतीय फीचर फिल्मों की 76 रीलें जिनका लगभग मूल्य डेढ़ लाख रुपये था, 18 जून 1970 को दहानू के निकट सतपत्ती-डाण्डा में पकड़ी गई थीं।

(ख) तथा (ग). इन फिल्मों के बारे में कोई दावा पेश नहीं किया गया था और कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। यह बताना संभय नहीं है कि पकड़ी गई इन फिल्मों तथा 28 दिसम्बर 1969 को पकड़ी गई भारतीय फीचर फिल्मों में कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं।

(घ) यह सिद्ध करना सम्भव नहीं है कि डुबाई से तस्कर आयात किये जाने वाले सोने के बदले में ये फिल्में गैरकानूनी तौर पर निर्यात किये जाने के लिए थीं लेकिन यह स्पष्ट है कि ये फिल्में गैर कानूनी तौर पर निर्यात किये जाने के लिए थीं।

नंगल उर्वरक कारखाने द्वारा दिये गये रोजगार के अवसरों का कथित रूप से कम प्रयोग

16. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह हच है कि नंगल उर्वरक कारखाने द्वारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली के बेरोजगार स्थतकों को दिये रोजगार के अवसरों का बहुत कम लोगों ने लाभ उठाना चाहा, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) कुल कितने व्यक्तियों ने आरम्भ में आवेदन-पत्र भेजे और अन्ततः कितने लोगों ने कोर्स में दाखिला लिया ;

(ग) प्रशिक्षार्थियों को प्रति माह दिये गये वजीफे की धनराशि क्या थी ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि नया नंगल इस परियोजना को एक प्रमुख योजना मान रहा है।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) नंगल द्वारा हाल में चलाई गई एण्टप्रेन्योर विकास योजना में कृषि आदानों की बिक्री

में वृतिका विकास निहित है। परन्तु इस निगम में नौकरी देने की व्यवस्था नहीं। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर भाग लेने वालों को ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय उर्वरक निगम की एजेन्सी दी जा।येगी। इस योजना के प्रति उत्साह मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से, संतोषजनक नहीं था :—

(1) अधिकतर प्रार्थियों ने खाली प्रार्थना-पत्र के लिए यह विचार कर प्रार्थना की कि वे नियमित नौकरियों के लिए प्रार्थना-पत्र दे रहे हैं। परन्तु जब उन्हें मालूम हुआ कि इस योजना का क्षेत्र सीमित था उन्होंने अन्य स्थानों पर नौकरी के लिए प्रयत्न किये।

(2) कई व्यक्तियों को उर्वरक की बिक्री के लिए दुकानदार सेल्समैन का कार्य ना रुचा।

(3) एण्टप्रेन्योर विकास योजना में निहित है कि प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय उर्वरक निगम ने एजेण्ट के रूप में कम से कम तीन वर्ष तक कार्य करना होगा, परन्तु कुछ व्यक्तियों को विश्वास था कि उनकों थोड़ी ही समय में वैकल्पिक और अधिक आयकर वाले धन्धे मिल जायेंगे।

(4) कुछ व्यक्तियों को उर्वरक सम्बन्धी व्यापार में न तो अभिरुची थी और न ही उसका कोई अपेक्षित पूर्व ज्ञान।

(5) बहुत से व्यक्तियों का अनुमान था कि जितना रुपया उर्वरक के व्यापार में लगेगा उसकी तुलना में उसकी बिक्री से आय काफी अधिक न होगी। और फिर यह भी था कि यूरिया, सुपर फास्फेट और म्यूरियेट आफ पोटाश को बेचने में उन्हें हिचकिचाहट थी क्योंकि ये उत्पाद कैल्सियम अमोनियम सल्फेक्ट ही लोकप्रिय है और उनको बेचने में बहुत मेहनत की आवश्यकता है।

(ख) विवरण इस प्रकार है :—

(1) खाली प्रार्थना पत्र के लिए प्राप्त पत्रों की संख्या	2720
(2) प्राप्त भरे गये प्रार्थनापत्रों की संख्या	535
(3) साक्षात्कार के लिए बुलाये व्यक्तियों की संख्या	155
(4) साक्षात्कार के लिए आये व्यक्तियों की संख्या	45
(5) ट्रेनिंग के लिए चुने गये व्यक्तियों की संख्या	32
(6) कोर्स में आये व्यक्तियों की संख्या	18

(ग) एण्टप्रेन्योर विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को रु० 10 प्रति दिन का भत्ता लगभग 5 सप्ताह तक दिया गया। इस समय में उन्हें निःशुल्क निवास सुविधा भी दी गई। जब इन्हें दो सप्ताह के लिए "आन दी जाब ट्रेनिंग" के लिए भेजा गया तो उन्हें 23 रुपये प्रति-

दिन की हिसाब से (10 रुपये दैनिक भत्ता और 13 रुपये सफर खर्च के लिए) भत्ता दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें दूसरे दर्जे का रेल भाड़ा अथवा वास्तविक खर्च, इन दोनों में से जो भी कम हो ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करने पर और अन्त में (ट्रेनिंग समाप्त होने पर) अपने-अपने घरों को वापिस जाने के लिए दिया गया।

नंगल यूनिट इसे पाइलट योजना के रूप में नहीं चला रहा है।

अमरीका से मिलने वाली सहायता में कमी

17. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री बासुदेवन नायर :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री के० हाल्दर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी हाउस आफ रेप्रेजेन्टेटिव्स की विनियोग समिति द्वारा लातीनी अमरीकी देशों से अतिरिक्त देशों को विकास सम्बन्धी सहायता के लिए राष्ट्रपति निकसन की प्रार्थना में कमी किये जाने के हाल के निर्णय से भारत को मिलने वाली अमरीकी सहायता में कमी हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो अमरीका से भारत को मिलने वाली सहायता में कितनी कमी होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अमरीका प्रतिनिधि सभा ने लैटिन अमेरिका से भिन्न देशों को विकास ऋण देने के लिए 2800 लाख डालर के विनियोग की स्वीकृति दी है। अमरीका की सैनेट ने अभी इस मामले पर विचार करना है और यदि आवश्यक हुआ तो यह मामला दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है। अतः इस समय इस बात का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि कांग्रेस द्वारा अन्तिम रूप में मंजूर किये जाने वाले विनियोग की मात्रा क्या होगी अथवा उसका भारत को दी जाने वाली सहायता की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर यह बता दिया जाय कि गत वर्ष प्रतिनिधि सभा द्वारा लैटिन अमरीकी देशों से भिन्न देशों को विकास ऋण देने के लिए मूल रूप से सिफारिश किये गये 2550 लाख डालर की तुलना में अंतिम रूप से 3000 लाख डालर की रकम स्वीकार की गई थी।

भारत के उर्वरक विस्तार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से सहायता

18. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री कं० हाल्दर :
श्री झारखण्डेय राय :
श्री देवकी नंदन पाटोदिया :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भोगेन्द्र शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उर्वरक विस्तार कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने यह विचार व्यक्त किया है कि उर्वरक विस्तार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगना भारत के हित में अच्छा नहीं होगा क्योंकि बात चीत की लम्बी अवधि और प्रक्रिया सम्बन्धी बिलम्ब के कारण जैसा कि ऐसी सहायता के मामले में होता है, उर्वरक विस्तार कार्यक्रम को तेजी से पूरा करने का हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) कोचीन फेज II और नांगल विस्तार परियोजना की कार्यान्विति के लिए विश्व बक से वित्तीय सहायता मांगी गई है मामला अभी विश्व बैंक के विचाराधीन है ; जिनके साथ वार्ता प्रगति पर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज पदार्थों और धातुओं का पता लगाने तथा उनके विदोहन की योजना

19. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री सामिनाथन् :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन :
श्री नारायणन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री घोरेश्वर कलिता :
श्री अदिचन :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में धातुओं तथा खनिज पदार्थों का बड़े स्तर पर पता लगाने तथा उनका उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहयोग की व्यवस्था सहित, यदि कोई ऐसी व्यवस्था हो, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने दस वर्षीय (1969-70) खनिज समन्वेषण कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रस्तावित हैं :—

(क) हवाई भूभौतिक सर्वेक्षणों, प्रकाश भूवैज्ञानिक अध्ययन भूवैज्ञानिक मानचित्रण, क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक एवं भूमि भूभौतिक सर्वेक्षणों के द्वारा प्रारम्भिक खनिज निर्धारण ;

(ख) बड़े पैमाने पर भूवैज्ञानिक मानचित्रण, अबाध रूप से भूभौतिक एवं भूरासायनिक सर्वेक्षण तथा पूर्वेक्षण व्ययधन और गर्तन/प्रतिचयन के द्वारा क्षेत्रीय खनिज निर्धारण; और

(ग) बड़े पैमाने पर भूवैज्ञानिक मानचित्रण, विस्तृत भूभौतिक एवं भूरासायनिक सर्वेक्षण, विस्तृत व्यधन, गर्तन/प्रतिचयन और समन्वेषी खनन के द्वारा विस्तृत खनिज निर्धारण।

चौथी योजनावधि के दौरान 1200 भूवैज्ञानिक वर्षों के प्रविस्तारण द्वारा 1:63,630 पैमाने पर लगभग 2.91 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल करना प्रस्तावित है। आशाजनक प्रायद्वीपीय तथा अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को अन्तर्निहित करते हुए पन्द्रह चयित खण्डों में लगभग 630000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हवाई सर्वेक्षणों के अन्तर्गत लिया जाना प्रस्तावित है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था में हवाई भूभौतिक एकक स्थापित किया जा रहा है और "केनेडियन साफ्ट लोन एग्रीमेंट" के अन्तर्गत इस एकक के लिये उपकरण प्राप्त किये जा रहे हैं। फ्रांसीसी एवं रूसी सहयोग के साथ कुछ खण्डों के हवाई सर्वेक्षण भी प्रस्तावित हैं।

धातुओं एवं खनिजों के समुपयोजन के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों द्वारा त्याग-पत्र

20. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री जो० ना० हजारिका :
श्री सामिनाथन :
श्री जनार्दनन :
श्री रवि राय :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री नारायणन :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बलराज मधोक :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में से छः बैंकों के अभिरक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) किन अभिरक्षकों ने त्याग पत्र दिया है और इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या इन त्यागपत्रों को स्वीकार कर लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). चार राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, देना बैंक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया और इलाहाबाद बैंक के अभिरक्षकों ने विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से सेवा से निवृत्त होने की प्रार्थना की थी। सरकार ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और उनके स्थान पर नये अभिरक्षकों की नियुक्ति कर दी है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में आर्किटेक्टों तथा सहायक आर्किटेक्टों की नियुक्ति

21. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आर्किटेक्ट तथा सहायक आर्किटेक्ट स्वास्थ्य सेवा के वास्तुकला अनुभाग में गत 9 वर्षों से तदर्थ आधार पर सेवा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनको इतना अधिक समय के तदर्थ आधार पर सेवा में रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में आर्किटेक्टों तथा सहायक आर्किटेक्टों के वेतनमान में नियमित रूप से कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ;

(घ) क्या तदर्थ आधार पर सेवा कर रहे अधिकारियों को अभी तक नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) (ख), (घ) और (ङ). स्वास्थ्य सेवाओं के महा-निदेशालय में 15-11-1961 से सहायक आर्किटेक्ट के पद पर तदर्थ आधार पर एक अधिकारी नामत: श्री जगजीत सिंह ही निम्नलिखित परिस्थितियों में स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हैं :

सहायक आर्किटेक्ट के पद के लिए भर्ती नियम अगस्त, 1964 में जारी किये गये थे। उक्त नियमों में इस पदों को सीधी-भर्ती से भरने और विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति 4:1 के अनुपात से करने का प्रावधान है। भर्ती नियम जारी किये जाने से पहले सभी नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से की गई थी परन्तु उन्होंने एक पद को किसी एक विभागीय उम्मीदवार की पदोन्नति करके भरने की सहमति दी थी। तदनुसार, एक ऐसा उम्मीदवार जो कि जुलाई 1955 से तदर्थ रूप में कार्य कर रहा था 1959 में नियमित आधार पर सहायक आर्किटेक्ट के रूप में पदोन्नत किया गया। उक्त नियमों के प्रख्यापित किये जाने पर एक और विभागीय उम्मीदवार जो कि दिसम्बर 1960 से तदर्थ आधार पर सहायक आर्किटेक्ट के रूप में कार्य कर रहा था, सहायक आर्किटेक्ट के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया और

चार उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग के जरिये 80 प्रतिशत कोटे में भर्ती किए गए। सहायक आर्किटेक्ट की श्रेणी में अगली नियमित रिक्ति किसी विभागीय उम्मीदवार की पदोन्नति करके भरी जायेगी जिसके लिए कि अन्यों के साथ श्री जगजीत सिंह की उम्मीदवारी पर विचार किया जायेगा ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आर्किटेक्टों की श्रेणी में नियमित नियुक्तियों की संख्या :—

आर्किटेक्ट	1
सहायक आर्किटेक्ट	कोई नहीं ।

विदेशों में नौकरी कर रहे भारतीय डाक्टर

22. **श्री मणि भाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को सुझाव प्राप्त हुए हैं कि विदेशों में नौकरी कर रहे भारतीय नागरिकता वाले डाक्टरों को तुरन्त वापस बुला लिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समय देश में डाक्टर-रोगी का अनुपात क्या है ;

(घ) 3500 की जनसंख्या के लिये एक डाक्टर के स्वीकृत मान के अनुपात को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या ग्रामीण तथा अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में सेवा करने के लिए अपने व्यवसाय में योग्य तथा भावना-प्रधान डाक्टरों को प्रशिक्षित करने हेतु चिकित्सा शिक्षा की प्रणाली को नया रूप देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभागों के लिए संसद की परामर्शदातृ समिति की 6 जून, 1970 को बंगलौर में हुई एक बैठक में डा० एम० सतोषम्, संसद् सदस्य ने एक सुझाव दिया था कि विदेशों में नौकरी कर रहे भारतीय नागरिकता वाले डाक्टरों को तुरन्त वापस बुला लिया जाये । यह सुझाव दिया गया था कि चूंकि किसी भी चिकित्सा स्नातक और अधिस्नातक की शिक्षा पर लोक-निधि से एक बड़ी धन राशि खर्च की जा रही है, अतः यह उचित ही होगा कि ऐसे खर्च का लाभ विदेशों के बजाय अपने ही देश को हो । डा० संतोषम् द्वारा आगे यह भी सुझाव दिया गया कि यदि शिक्षा पूरी होने पर डाक्टर अन्य देशों में बस जाते हैं तो यदि वे तत्काल वापस भी न भी बुलाये जायें तो कम से कम सरकार द्वारा उन पर जो खर्च किया गया हो उसे तो उनसे वापस ले ही लिया

जाय । यह यह मान लिया गया कि वे सभी जिन्होंने स्नातक-पूर्व अध्ययन इसी देश में किया और जो कि विदेश चले गए तथा अभी तक वहां भारतीय नागरिकता धारण किये हुए हैं, हमेशा के लिए वापस आ जाने चाहिए तथा उन्हें स्वदेश लौटने से पूर्व रुपया बटोरने का अवसर कदापि नहीं दिया जाना चाहिए ।

(ग) इस समय देश में डाक्टर-रोगी का अनुपात लगभग 5100 है ।

(घ) स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति द्वारा सुझाये गये गये डाक्टर और आबादी के 1 : 3500 के अनुपात को लाने में पर्याप्त समय लगेगा । तथापि, इस अनुपात को यथा संभव शीघ्र सुधारने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। देश में डाक्टरों की संख्या बढ़ाने के विचार से चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 नये मेडिकल कालेज खोलने की योजना राज्य क्षेत्र में समाविष्ट की गई है । इससे चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मेडिकल कालेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता बढ़कर लगभग 13,000 होने की संभावना है । चौथी योजना (1973-74) के अन्त तक डाक्टरों की जो संख्या उपलब्ध होगी वह अनुमानत: 1,37,930 होगी और इससे अनुपात मोटे तौर पर 1 : 4300 हो जायेगा । चौथी पंच वर्षीय योजना के बाद कुछ और मेडिकल कालेज खोले जाने पर डाक्टर-आबादी अनुपात कुछ सुधर कर लगभग 1 : 3500 हो जायेगा ।

(ङ) पिछले कुछ समय से भारत सरकार इस मामले पर विचार करती रही है । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की 15 वीं बैठक में की गई सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप भारत सरकार ने राष्ट्रीय आवश्यकताओं और साधनों को ध्यान में रखते हुए उप-स्नातकों और अधि-स्नातकों के बारे में समूचे प्रश्न की जांच करने के लिए एक चिकित्सा-शिक्षा समिति नियुक्ति की । उक्त समिति की रिपोर्ट पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की 16 वीं बैठक में विचार किया गया और केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की सिफारिशों का पालन करते हुए चिकित्सा शिक्षा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 6 और 7 जुलाई, 1970 को की गई दिल्ली में एक चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन किया गया । इस सम्मेलन में, जिसमें कि राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, कुलपतियों, चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों, विशेषज्ञों और अन्य लोगों ने भाग लिया चिकित्सा पाठ्यचर्या को पुन: संवारने के प्रश्न पर आद्योपान्त विचार किया गया । यह आवश्यक महसूस किया गया कि चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को इसी भांति तैयार किया जाय कि उससे ग्रामीण और अर्थ-नगरीय क्षेत्रों में सेवा करने के लिए व्यवसाय की दृष्टि से सुसज्ज और स्वेच्छा से कार्य करने की भावना वाले डाक्टर तैयार हो सकें । व्यापक आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से जिसमें कि उपलब्ध डाक्टर विविध स्तरों पर परा-चिकित्सा कर्मचारियों की सहायता से लोगों के समाज-कल्याण के रखवालों के रूप में कार्य करेंगे, यह आवश्यक समझा गया कि स्वास्थ्य सेवाओं में उपचारात्मक सेवाओं की बजाय व्यापक-स्वास्थ्य निगरानी पद्धति की स्थापना पर जोर दिया जाय । इस परिवर्तन के साथ डाक्टरों को तैयार करने के लिए उक्त सम्मेलन ने सुझाव दिया है कि चिकित्सा पाठ्यचर्या के ढांचे में उप-स्नातक स्तर पर कुछ हेर-फेर कर दिये जाये । उक्त सम्मेलन की इन सिफारिशों पर अब केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की कार्य-कारिणी समिति की 23 और 24 जुलाई, 1970 की औरंगाबाद में आयोजित छठी बैठक में

विचार किया जा रहा है। उसके बाद ही भारत सरकार इन सिफारिशों पर सुझावमुक्त कार्यवाही करेगी एवं इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए सभी संबंधितों के नोटिस में लायेगी।

उत्तर दिल्ली में आपातकालीन अस्पताल गाड़ी सेवा

23. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर दिल्ली में एक अग्रिम परियोजना के रूप में, एक आपात अस्पताल गाड़ी सेवा आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संघराज्य क्षेत्र के अन्य भागों में इस सेवा के कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में 8 जून, 1970 से आपातकालीन अस्पताल गाड़ी सेवा आरम्भ की गई है और केवल उत्तरी क्षेत्र के लिये प्रति दिन 2 बजे अपरान्ह से 10 बजे रात तक उपलब्ध रहती है। इस समय केवल एक ही ऐसी गाड़ी है जिसमें जीवन रक्षक औषधियों एवं आक्सीजन सिलेन्डर आदि जैसे उपस्कर की व्यवस्था है। गाड़ी के साथ एक चिकित्सा अधिकारी, एक नर्स तथा स्ट्रेचर उठाने वाले भी होते हैं।

(ग) इस सेवा को एक प्रयोगात्मक रूप में चलाया गया है और यदि यह उपयोगी सिद्ध हुई तो इसे नगर के अन्य भागों में बढ़ाने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

अस्पतालों से मुक्त हुए रोगियों के लिये निवास-स्थान और उनके सम्बन्धियों के लिये होस्टल

24. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्पतालों से मुक्त हुए रोगियों के लिए निवासस्थान और निर्धन रोगियों के सम्बन्धियों के लिये होस्टल की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री ब० सू० मूर्ति**) : (क) इस समय भारत सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

अस्पताल कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया मांग पत्र

25. **श्री स० कुन्दू** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० ना० सोलंकी :
श्री गुणानंद ठाकुर :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री ई० के० नायनार :
श्री देवेन सेन :
श्री दे० अमात :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 50 भारत नगर, नई दिल्ली—14 के अस्पताल कर्मचारी संघ ने होली फेमिली अस्पताल, नई दिल्ली, के प्रबन्धकों को यथा सम्बन्धित प्राधिकारियों को 27 अगस्त, 1969 तथा 18 फरवरी, 1970 को मांग पत्र दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार को इस अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने के बारे में संसद् सदस्यों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री ब० सू० मूर्ति**) : (क), (ख) और (ग). होली फेमिली अस्पताल, नई दिल्ली एक धर्मार्थ संस्था है । तथापि, यह बतलाया गया है कि होली फेमिली अस्पताल के प्रबन्धकों को 50, भारत नगर, नई दिल्ली के अस्पताल कर्मचारी संघ की ओर से 29 अगस्त, 1969 को (न कि 27 अगस्त, 1970 को) एक मांग पत्र मिला था । इस अस्पताल के प्रबन्धकों को एक ऐसा ही मांग पत्र 18 फरवरी, 1970 को भी मिला था जिसमें मांगों में मामूली हेर-फेर किया हुआ था । अन्य बातों के साथ-साथ इन मांगों में निम्नलिखित बातें भी सम्मिलित थीं :

> "अस्पताल के कर्मचारियों को रोगियों के सम्पर्क में आना पड़ता है तथा उनकी ड्यूटी श्रम-साध्य और जोखिम वाली है और उसका भोजन घटिया किस्म तथा आय कम होने के कारण वे अक्सर रोगों का शिकार हो जाते हैं । अतः कर्मचारियों की मांग है कि उनको 50 रुपये प्रतिमास की दर से भोजन भत्ता दिया जाये ।"

"कर्मचारियों की अन्य मांग यह है कि प्रत्येक कर्मचारी को प्रति बच्चे के लिए 25 रुपया मासिक बाल-भत्ता दिया जाय।"

"कर्मचारियों को 1967 और 1968 का बोनस 20 प्रतिशत के हिसाब से दिया जाय।"

यह ज्ञात हुआ है कि 18 फरवरी, 1970 को मांग पत्र प्राप्त होने के उपरान्त सहायक श्रम आयुक्त ने 30 मार्च, 1970 को दोनों पार्टियों को बुलाया और इस विवाद को रजामन्दी से तय कराने का प्रयत्न किया। किन्तु संघ के प्रतिनिधियों ने उस दिन हुई समझौता-बैठक में भाग नहीं लिया।

(घ) जी हाँ। इस पत्र में इस अस्पताल के एक कर्मचारी द्वारा भूख हड़ताल करने तथा दिल्ली राज्य अस्पताल कर्मचारी संघ के एक शिष्ट-मण्डल द्वारा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री को मिलने के बारे में ध्यान दिलाया गया था। दिल्ली राज्य अस्पताल कर्मचारी यूनियन के महासंघ की "कार्य-समिति" के अध्यक्ष श्री मुकन्द पारख द्वारा भारत के राष्ट्रपति को 5 मई, 1970 को भेजे गये पत्र की जिसमें होली फेमिली अस्पताल के प्रबन्धकों के विरुद्ध कतिपय आरोप लगाये गये थे, एक प्रतिलिपि भी उपर्युक्त पत्र के साथ संलग्न की गई थी।

(ङ) होली फैमिली अस्पताल के कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के पारस्परिक विवाद के कारण विषयक तथ्यों का स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री ने संसद् सदस्यों को 3 जून, 1970 को अवगत कराया। क्योंकि यह एक प्राइवेट धर्मार्थ संस्था है अतः सरकार ने प्रबन्धकों और कर्मचारियों के पारस्परिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया।

भारत में यूरोप के फार्मेस्यूटिकल उद्योग द्वारा दवाइयों के मूल्य ढांचे के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किया जाना

26. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोप के फार्मास्यूटिकल उद्योग, जिसके भारत में कारखाने हैं, के प्रतिनिधि इस बात से सहमत हो गये हैं कि वे भारत सरकार द्वारा हाल में घोषणा किये गये औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत मूल्य ढांचा तैयार करने के लिये संगत पूर्ण आंकड़े प्रस्तुत कर देंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे इस बात से भी सहमत थे कि आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद भी उद्योग मूल्य नियंत्रण आदेश का पालन करना आरम्भ कर देगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). अधिकांशत, औषधि उद्योग ने, जिसमें उसका विदेशी तत्व भी शामिल है, बातचीत के दौरान सरकार को आश्वासन दिया है कि वे औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे और उक्त आदेश को उपयुक्त तथा सुचारू ढंग से लागू करने के लिये आवश्यक सहयोग देंगे ।

मिट्टी के तेल में आत्मनिर्भरता

27. **श्री झारखण्डे राय :** **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान धातु** मंत्री 4 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8446 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश मिट्टी के तेल के उत्पादन में कब आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : देश को मिट्टी के तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये शोधनशाला क्षमता में उत्तरोत्तर विस्तार किया जा रहा है । लेकिन, इस समय इस बारे में कोई निश्चित लक्ष्य तिथि बताना संभव नहीं है ।

वित्त मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के घरों में चोरियां

28. **श्री क० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय के प्रयम श्रेणी के कितने अधिकारियों ने इस बारे में पिछले एक वर्ष में सूचना दी है कि उनके घरों में हुई चोरी में उनका सब सामान चला गया है ;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों ने इस आधार पर सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम रूप से धन निकालने के लिये आवेदन किया ;

(ग) कितने मामलों में चोरियों की सत्यता के बारे में जांच पड़ताल की गई और उनके क्या परिणाम निकले ;

(घ) इनमें से कितने अधिकारियों ने चोरियों के सम्बन्ध स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी ; और

(ङ) पिछले दो वर्षों में इन अधिकारियों में से प्रत्येक के विरुद्ध इस बारे में कितनी शिकायतें मिली कि उनके पास अपनी आय साधन की तुलना में अधिक सम्पत्ति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). इस प्रकार का कोई मामला नहीं हुआ है । परन्तु, एक ऐसा मामला था जिसमें एक अधिकारी ने अपनी सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम रूप से धन निकालने के लिये आवेदन किया ; आवेदन करने के आधारों में उसके पैतृक मकान में हुई चोरी का भी आधार शामिल था ।

(ग) तथा (घ). ये प्रश्न नहीं उठते हैं ।

(ङ) उपयुक्त अधिकारी के खिलाफ, इस आशय की तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि उसके पास जो धन है वह उसकी आय के साधनों के अनुरूप नहीं है ; ये शिकायतें विचाराधीन है ।

फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच

29. **श्री लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध आरोपों के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय जांच विभाग अभी मामले की जाँच कर रहा है ।

यूरोपीय देशों का दौरा करने के लिये राष्ट्रपति के साथ गये कर्मचारियों द्वारा लाये गये माल की जब्ती

30. **श्री क० लकप्पा :** **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री हेम बरुआ :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय देशों के हाल के दौरे से वापस लौटे राष्ट्रपति के दल के कुछ सदस्यों का माल प्रशुल्क विभाग ने दिल्ली हवाई अड्डे पर जब्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सभा की मेज पर एक अनुबन्ध रखा जाता है जिसमें निम्नलिखित सूचना दी गयी है, जिन व्यक्तियों का असबाब इस विकल्प पर जब्त किया गया था कि जब्ती के बदले जुर्माना दिया जा सकता है उनके नाम आयात की गई वस्तुओं की किस्म, जुर्माने अथवा दण्ड की रकम, वायु-सेनाध्यक्ष ने माल-छिपाने और उसकी गलत-घोषणा करने के कारण भारतीय वायुसेना विमान के कर्मीदल के सदस्यों के आचरण की जांच का आदेश दिया है। जांच चल रही है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 3705/70]

जीवन बीमा निगम के प्रबन्धक तथा विभिन्न मजदूर संघ के बीच हुआ समझौता

31. **श्री क० लक्कप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा इस आशय का एक वक्तव्य दिया गया था कि जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों तथा उन विभिन्न मजदूर संघों के बीच जो 6 अप्रैल, 1970 से प्रबन्धकों के साथ बातचीत कर रहे थे, समझौता हो गया है ;

(ख) क्या मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने से पूर्व कोई समझौता हुआ था ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पार्टियों के नाम क्या है तथा क्या इस करार की राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जो कि इस समय काम कर रहा है, द्वारा पुष्टि की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) यह सच नहीं है कि वित्त मंत्रालय में मंत्री ने इस आशय का एक वक्तव्य जारी किया था कि जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों तथा उन विभिन्न यूनियनों के मध्य जो 6 अप्रैल 1970 से प्रबन्धकों के साथ बातचीत कर रही थी, समझौता हो गया है। मंत्री ने केवल प्रस्तावित समझौते की अन्तिम शर्तों की ही घोषणा की थी। मंत्री ने इन शर्तों की घोषणा 9 मई 1970 को बम्बई में हुए एक प्रेस सम्मेलन में की थी।

(ख) यद्यपि इस तरह का कोई समझौता हो नहीं पाया था, तो भी 9 मई 1970 को हुए प्रेस सम्मेलन से पहले, प्रबन्धकों के साथ बातचीत करने वाली यूनियनों को प्रस्तावित समझौते की ये शर्तें बता दी गई थीं।

(ग) उपर्युक्त अन्तिम शर्तों के अपेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये हुए हैं।

(घ) 9 मई 1970 को अन्तिम रूप से कोई समझौता नहीं किया जा सका। लेकिन बाद में हुई बातचीत के कारण, दिल्ली में निगम के III तथा IV श्रेणी के कर्मचारियों का

प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों द्वारा 20 जून 1970 को अन्ततः एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये गये और यही समझौता इस प्रार्थना के साथ राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में दायर कर दिया गया कि न्यायाधिकरण उक्त समझौते की शर्तों के अनुसार निर्णय देने की कृपा करें।

विवरण

(1) वेतनमान (मूल)

	वर्तमान		प्रस्तावित	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
झाड़ू लगाने वाले	77	145	110	195
चपरासी	82	150	115	200
ड्राइवर	120	170	160	225
रिकार्ड क्लर्क	110	251	145	330
सहायक	130	370	170	500
आशुलिपिक	145	370	196	545
सैक्शन हेड	130	370	210	585
	(साथ में 30 रु० से 40 रुपये प्रतिमाह की दर पर विशेष वेतन)	(साथ में 30 रु० से 40 रुपये प्रतिमाह की दर पर विशेष वेतन)	(कोई विशेष वेतन नहीं)	
उच्चतर ग्रेड सहायक	190	480	245	650
अधीक्षक	250	575	330	740

(2) **मंहगाई भत्ता** मंहगाई भत्ते की मंजूरी के प्रयोजन से आधार वर्ष 1949—100 के स्थान पर 1960—100 कर दिया गया है। निराकरण की दर श्रेणी-III के कर्मचारियों के मामले में 75 प्रतिशत तथा श्रेणी-IV के कर्मचारियों के मामले में 100 प्रतिशत होगी।

(3) **मकान किराया भत्ता** बढ़ा कर सभी श्रेणी-IV कर्मचारियों के मामले में 15 रुपया प्रतिमाह तथा श्रेणी-III के कर्मचारियों के मामले में 20 रुपया प्रतिमाह कर दिया गया।

(4) **चिकित्सा सुविधाएं** प्रत्येक कर्मचारी के मामले में 50 रुपया वार्षिक से बढ़ा कर 100 रुपया वार्षिक की कर दी गई।

(5) **उत्पादन लाभ** : 15 महीनों के सीमान्त मूल वेतन से बढ़ा कर 20 महीनों के सीमान्त मूल वेतन के बराबर कर दिया गया ।

(6) **नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता** : विशेष शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में 10 रुपया प्रतिमाह की दर पर तय हुआ ।

Notification Re: Fixation of Higher Prices of Drugs

32. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Sharda Nand :
Shri Yajna Dutt Sharma :
Shrimati Sharda Mukerjee :
Shri Ram Charan :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Raghuvir Singh Shastri
Shri Virendra Kumar Shah :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a notification has recently been issued permitting thereby fixation of higher prices of drugs ; and

(b) if so, the reasons therefor and the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). No notification has been issued permitting fixation of higher prices of drug formulations. Notification was however issued revising the prices of certain bulk drugs whose prices were earlier notified on the basis of the recommendations of the Tariff Commission. This was done as a result of representations from manufacturers of the said bulk drugs that the costs of raw materials, labour, energy, etc. had gone up since the Tariff Commission made enquiry into the cost structure of the drugs. The representations were carefully examined and increases were allowed in the prices of the following six drugs, only to the extent of increase in the cost of raw materials.

(i) Sulphadiazine (Imported)

(ii) Iodochlorohydroxyquinoline manufactured from basic stage

(iii) Prednisolone

(iv) I.N.H. manufactured through indigenous picolines

(v) Sodium PAS

(vi) PAS Acid

Even with the increase permitted, the revised prices are still lower than the prices ruling at the time of the promulgation of the Drugs (Prices Control) Order, 1970.

Embezzlement in London Branch of the Central Bank of India

33. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Sharda Nand :
Shri Mrityunjay Prasad :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri D. N. Patodia :
Shrimati Susheela Gopalan :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri Bhagaban Das :
Shri Umanath :
Shri P. P. Esthose :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the details of the embezzlement in the London Branch of the Central Bank of India ; and

(b) the action taken in this regard and the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The details of the case were given in the Statement made in the Lok Sabha on 19th May 1970 in reply to the Calling Attention Notice. The latest position is that of the bills totalling D.M.10.5 million which Behrens Und Sohne, a Hamburg bank has claimed to have discounted on the strength of the guarantees alleged to have been issued by the London Office of Central Bank of India, bills amounting to D.M. 6.5 million were presented for payment in the month of June, 1970. The Central Bank has disclaimed liability on account of these bills and refused to meet them.

A senior official of the Reserve Bank of India has met the senior officials of the Bank of England, senior officials of Central Banking and Supervisory authority in East Germany and representatives of Private banks in Germany who have handled the bills in question and explained the position to them.

The Reserve Bank of India has also deputed an official to take up the inspection of the London Branch of the Central Bank of India and the inspection in proceeding.

The Scotland Yard with whom a complaint was laid by the Central Bank of India has taken up the investigation of the case. Shri Semi J. Patel was located in Buenos Aires, Argentina on 8.7.1970 and he is reported to have returned to London on 23.7.1970. On arrival at the airport he was arrested and later produced before magistrate who has remanded him to jail till the 31st July, 1970.

आयकर तथा धन कर अधिनियमों के अधीन केन्द्रीय मंत्रियों को जुर्माना देने का नोटिस

34. **श्री सूरज भान :** **श्री ज० ब० सिंह :**
श्री वंश नारायण सिंह : **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम अथवा धन कर अधिनियम के अधीन गत दो वर्षों में किन-किन केन्द्रीय मंत्रियों को जुर्माना देने के नोटिस जारी किये गये ;

(ख) किन-किन मंत्रियों पर जुर्माना किया गया और प्रत्येक पर कितना जुर्माना किया गया ;

(ग) जिस मन्त्री को जुर्माना देने का नोटिस जारी किया, उसने इसका क्या उत्तर दिया ; और

(घ) किन मंत्रियों पर जुर्माना माफ कर दिया गया और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 55 केन्द्रीय मंत्रियों में से 43 मंत्रियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। इनमें से, निम्नलिखित मामलों में दण्ड विषयक नोटिस जारी किये गये थे :

नाम	आयकर अधिनियम	धन-कर अधिनियम
	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण वर्ष
श्री जगजीवन राम	1959-60 से 1968-69	1964-65 से 1968-69
श्री वी० के० आर० वी० राव	—	1964-65 से 1968-69
श्री दिनेश सिंह	—	1965-66
श्री आई० के० गुजराल	1965-66	—
श्री भानु प्रकाश सिंह	1962-63	1957-58
	1966-67 तथा 1968-69	1960-61 से 1968-69
श्री एम० यूनस सलीम	1967-68	

(ख) जिन 43 मंत्रियों के सम्बन्ध में अब तक सूचना प्राप्त हुई है, उनमें से किसी पर भी कोई दण्ड नहीं लगाया गया। अन्य मंत्रियों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथा सम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर, निम्नलिखित उत्तर दिया जा रहा है :

श्री जगजीवन राम : कर-निर्धारिती ने तर्क प्रस्तुत किया कि वे निम्नलिखित उचित कारण से विवरणी दाखिल न कर सके, अर्थात् :

(i) कर-निर्धारिती की आय के मुख्य स्रोत अर्थात् वेतन में से स्रोत पर कर की कटौती की गई थी।

(ii) सावधि-जमा राशियों पर वास्तविक रूप में कोई ब्याज नहीं प्राप्त हुआ था किन्तु नवीकरण के समय उपार्जित ब्याज की राशि को जमा की राशि में जोड़ दिया गया था।

(iii) उनका नाम आयकर विभाग के रजिस्टर में दर्ज था तथा कर-निर्धारण वर्ष 1954-55 के बाद विवरणी दाखिल करने के सन्बन्ध में उनको कोई नोटिस तामील नहीं किया गया। उस समय तक वे आयकर विवरणी पेश किया करते थे, तथा

(iv) यह कि विवरणियां जानबूझकर दाखिल नहीं करने का उनका कोई इरादा नहीं था तथा यह कि दण्ड लगाया जाना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने इस आधार पर दण्ड माफ करने के लिए आवेदन भी किया कि विवरणियां स्वेच्छा दाखिल की गई थीं, कर के कुछ भाग की स्रोत पर ही कटौती कर ली गई थीं तथा कुछ भाग की अदायगी उनके द्वारा स्वयं कर-निर्धारण के आधार पर की गई थी।

श्री वी० के० आर० वी० राव : निर्धारिती ने उत्तर दिया कि उन्हें यह पता नहीं था कि कर निर्धारण वर्ष 1964-65 तथा उसके बाद के बर्षों के लिए धन कर अधिनियम के अधीन कर योग्य सीमा को कम करके 1 लाख रुपया कर दिया गया है और यह कि उनका सदैव यह खयाल रहा कि उनकी सम्पत्ति कर योग्य सीमा से नीचे है। ज्योंही उन्होंने यह महसूस किया कि वे कर-योग्य सीमा के अधीन आ गये हैं उन्होंने स्वेच्छा से अपनी विवरणियाँ दाखिल कर दीं।

श्री दिनेश सिंह : निर्धारिती ने धनकर अधिनियम 1957 की धारा 18 (२) के अन्तर्गत एक याचिका दायर की है। विलम्ब के लिए खेद प्रकट करते हुए उन्होंने यह कहा है कि ब्यौरे कालांकाकर तथा लखनऊ से जहां कि उस समय लेखे रखे जाते थे, प्राप्त किये जाने थे। इसमें कुछ समय लग गया। इसके अलावा निर्धारिती दिल्ली में बड़े व्यस्त रहे हैं और इससे पहले सूचना इकट्ठी करने में अधिक समय नहीं दे सके।

श्री० आई० के० गुजराल : निर्धारिती ने स्पष्ट किया कि बढ़ाये हुए समय के अन्दर विवरणी दाखिल कर दिये जाने के कारण उनकी ओर से कोई चुक नहीं हुई।

श्री भानु प्रकाश सिंह : निर्धारिती ने कोई उत्तर दाखिल नहीं किया है और एक स्मरण पत्र जारी कर दिया गया है।

श्री एम० यूनुस सलीम : कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य मंत्रियों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) उपलब्ध सूचना के आधार पर, उत्तर नीचे दिये अनुसार है :

श्री जगजीवन राम : कर-निर्धारण वर्ष 1959-60 से 1961-62 तक के लिए आयकर अधिकारी द्वारा दाण्डिक कार्यवाहियां समाप्त कर दी गई थीं क्योंकि विवरणियां स्वेच्छा से दाखिल कर दी गयी और बाद में उन्हें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस जारी करके नियमित किया गया। इन विवरणियों का सम्बन्ध नये अधिनियम के लागू होने से पहले के कर-निर्धारण वर्षों से है और तत्कालीन वित्त मन्त्री द्वारा सदन में दिये गये इस आश्वासन के देखते हुए कि आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 22(2) के अन्तर्गत व्यक्तिगत नोटिस उन कर निर्धारितियों के मामले में जारी किये जायेंगे, जिनके नाम आयकर विभाग के जी० आई० आर० पर पहले से ही थे, कर-निर्धारण वर्ष 1959-60 से 1961-62 तक के लिए दाण्डिक कार्यवाहियां समाप्त कर दी गयी। कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 से 1968-69 तक के लिए, आयकर आयुक्त ने अपनी विवेक का प्रयोग करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (4 ग) के अन्तर्गत दण्ड माफ कर दिया। उसी प्रकार आयुक्त ने धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए धन-कर अधिनियम की धारा 18(2 ए) के अन्तर्गत दण्ड माफ कर दिया।

श्री आई० के० गुजराल : दाण्डिक कार्यवाहियां समाप्त कर दी गयीं क्योंकि यह पाया गया कि उन्होंने विवरणी दाखिल करने के लिए और समय मांगा था और यह कि विवरणी उस तारीख से पूर्व दाखिल कर दी गयी थी। अन्य मंत्रियों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के विकास-कार्यों पर व्यय की गई धन-राशि

35. **श्री वंश नारायण सिंह :** **श्री सूरज भान :**
श्री जि० ब० सिंह : **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों, विकास कार्यों पर गत दो वर्षों में कितना धन व्यय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सदर बाजार और चांदनी चौक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केवल नाम मात्र ही व्यय किया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के नाम कई ऐसे प्लाट भी खाली पड़े हैं जिन पर कोई विकास कार्य किया जा सकता था ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह निर्देश देगी कि वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित धनराशि प्रत्येक क्षेत्र में बराबर-बराबर खर्च करे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). क्योंकि विकास की प्रत्येक योजना एक ब्लाक में एक बड़े क्षेत्र की है और उस पर विकास वृहत् योजना और तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय प्लानों के अनुसार किया जाता है न कि संसदीय चुनाव क्षेत्रों के अनुसार, इसलिए खर्चा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार नहीं रखा जाता और न ही इसे तुरन्त तैयार किया जा सकता है। तथापि, सदर बाजार और चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्रों में ईदगाह, दरगाह पीर बनवासी, रामाकृष्णा मार्ग और झंडे-वालां के आस-पास क्षेत्रों में भूमि के बड़े खंडों को साफ कर दिया गया है और बृहत् योजना में निर्धारित भूमि उपयोग के अनुसार उन्हें विकसित किया जा रहा है।

(घ) उपयोग में ना लाये गये प्लाटों का निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भेजी गई पुरानी दिल्ली में उपयोग में लाये गये प्लाटों की एक सूची संलग्न है प्लाटों का विकास क्षेत्रीय विकास प्लानों को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास कार्यक्रमों के अनुसार आरम्भ किया जायेगा। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3706/70]

(ङ) जी नहीं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों का विकास इसकी आवश्यकता और उद्देश्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

उत्पादन शुल्क के स्थान पर बिक्री-कर लगाया जाना

36. **श्री सूरज भान :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री लखन लाल कपूर :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री ओंकार सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **वित्त** मन्त्री 6 अप्रैल 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 812 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा, चीनी और तम्बाकू पर लगे उत्पादन-शुल्क के स्थान पर बिक्री-कर लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव के विरुद्ध पिछले एक वर्ष में सरकार को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन अभ्यावेदनों का क्या ब्यौरा है ;

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है और मुख्य मंत्री सम्मेलन में अभी तक सरकार द्वारा यह मामला नहीं रखे जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अन्य वस्तुओं पर बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पिछले एक वर्ष में प्राप्त अभ्यावेदनों की वास्तविक संख्या बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि उनमें से अनेक सरकार की विभिन्न एजेंसियों को प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अभ्यावेदनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात पर जोर दिया गया है कि वर्तमान योजना में परिवर्तन करने से कर अपवंचन होगा और व्यापारियों को बड़ी असुविधा होगी ; इससे कर की उगाही को लागत में भी वृद्धि होगी और सरकार को उसके अनुरूप लाभ नहीं होगा ।

(ग) सरकार द्वारा किया गया निर्णय यह था कि मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष रखा जाय । जब मार्च 1970 में मामला परिषद् की बैठक के सम्मुख आया तो यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में इस मामले पर राज्य के साथ आगे चर्चा करने से पूर्व परिषद् की एक समिति द्वारा इसके सभी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए ।

(घ) बिक्री-कर मुख्यतया राज्यों के विधायी अधिकार के अन्तर्गत आता है । इसलिए, अन्य जिन्सों पर बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने के ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए राज्यों की सर्वसम्मत स्वीकृति की आवश्यकता होगी । इस सम्बन्ध में पांचवें वित्त आयोग ने कहा है कि :

> "राज्यों के आम विरोध को देखते हुए, इस व्यवस्था को अन्य मदों अथवा जिन्सों पर लागू करने की निकट भविष्य में स्पष्टत: कोई गुंजाइश नहीं है ।"

जन साधारण को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं

37. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्रीमती तारा सप्रे :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जन साधारण को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर विचार किया है जैसा कि 16 जून, 1970 को अस्पताल प्रशासन में सुधार करने के लिये तालिका चर्चा में, जिस में डा० आनन्द तथा अन्य लोगों ने भाग लिया था, जोर दिया गया था ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या वित्तीय व्यवस्था की जा रही है ; और

(ग) क्या तालिका की सिफारिशों को पूर्णतया अथवा अंशतः स्वीकार किया जा रहा है, और यदि हां तो उसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). 16 जून, 1970 को इंडिया इण्टरनेशनल सैन्टर में हुए पेनल विचार-विमर्श में भाग लेने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों के सुझाव मुख्यतः दिल्ली में अस्पताल प्रशासन में सुधार से सम्बन्धित है। सरकारी अस्पतालों में कार्य की जांच करने तथा उनके कार्य करने के तौर तरीकों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिये सरकार ने के० एन० राव समिति के नाम से विख्यात एक समिति गठित की थी। इस समिति द्वारा की गई 215 सिफारिशों में से अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था तथा उनको क्रियान्वित किया जा रहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिये हर प्रकार से प्रयास किये जा रहे हैं। डा० डी० आनन्द ने भी नागरिक एवं अस्पताल प्रशासन विषयक एक अध्यन किया है तथा उनके द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से इनका अध्ययन किया जा रहा है।

Non Participation of Esso in Meeting of Oil Companies in Connection with Import of Crude Oil

38. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had convened a meeting in early June, 1970 to discuss the question of import of crude oil with the representatives of the oil companies ;

(b) whether it is also a fact that the representatives of the ESSO Company did not participate in the said meeting :

(c) if so, the reasons given by them for not participating in the meeting and whether Government are satisfied with their explanation ; and

(d) if not, the further action being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) No.

(b) to (d). Do not arise.

बिहार में सूखा की स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन

39. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बार-बार कहे जाने के बावजूद भी बिहार सरकार राज्य में सूखे की स्थिति और सहायता कार्य के अपनी जरूरतों तथा अपने अनुमानों संबंधी प्रतिवेदन देने में असफल रही ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

औषधि मूल्य नियंत्रण संबंधी संशोधित आदेश को कार्यान्वित करने के लिये किये गये उपाय

40. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री चेंगलराया नायडू :
डा० रानेन सेन :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री रा० बरुआ :
श्रीमती तारा सप्रे :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अदिचन :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश को दृढ़ता से कार्यन्वित करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ख) निर्माताओं, औषधि विक्रेताओं और कैमिस्टों द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध दी गई चुनौती का कैसे मुकाबला किया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). अधिकांशतः, औषधि उद्योग ने बातचीत के दौरान सरकार को आश्वासन दिया है कि वे औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश को सुचारू तथा प्रभावशाली ढंग से चालू करने के लिये आवश्यक सहयोग देंगे । जब कभी किसी फर्म द्वारा किये गये कदाचारों का पता लगेगा, उक्त आदेश के उपबन्धों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये विचार किया जायेगा । इस बीच, परिस्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

अलियावेट तथा त्रिपुरा की बर्मा घाटी में सागर तट से दूर छिद्रण कार्य

41. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलियाबेट में तट से दूर छिद्रण कार्य और त्रिपुरा में बर्मा घाटी में छिद्रण कार्य की क्या प्रगति है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : 19 मार्च, 1970 को खम्भात की खाड़ी में तट-दूर क्षेत्र में पहला कुआं खोदा गया

था। किन्हीं तकनीकी कठिनाईओं के फलस्वरूप व्यधन कार्यों को स्थगित करने से पहले, कुआं 112 मीटर की गहराई तक व्यधित किया गया और 71 मीटर तक छादित किया गया। मौनसून मौसम की समाप्ति के बाद व्यधन कार्यों को पुनः चालू करने का प्रस्ताव है।

2. जहां तक त्रिपुरा में व्यधन का संबंध है, व्यधन स्थल पर सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रिग और उपलब्ध उपकरण व्यधन स्थल को भेजे जा रहे हैं। कुछ विशेष व्यधन उपकरण प्राप्त किये जा रहे हैं।

मद्रास तेल शोधक कारखाने तथा नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी के बीच हुए समझौते में संशोधन

42. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री मधु लिमये :
श्री देवकी नंदन पाटोदिया :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री योगेंद्र शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान से आयात किये जाने वाले 'डैरियस' नामक कच्चे तेल की कीमत को कम करने की दृष्टि से, मद्रास तेल शोधक कारखाने और 'नेंशनल ईरानियन आयल कम्पनी के मध्य हुए समझौते में संशोधन करने के लिये क्या सरकार ने कोई नये प्रयास किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दा० रा० चव्हाण : (क) और (ख). मामला परीक्षाधीन है। इस समय इन प्रयत्नों के स्वरूप को बताना जनहित में नहीं हैं।

पैट्रोलियम उत्पादों की मांग निर्धारण संबंधी समिति

43. **डा० रानेन सेन :**
श्री चंद्र शेखर सिंह :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री योगेंद्र शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों की मांग का अनुमान लगाने के लिये गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). पैट्रोलियम उत्पादों की मांग का अनुमान लगाने के लिए कोई समिति स्थापित नहीं की गई है। अनुमानत: सन्दर्भ उस तदर्थ समिति के सम्बन्ध में है जो तेल सलाहकार समिति द्वारा प्रदेशवार और क्षेत्रवार आधार पर मांग पूर्वानुमान तथा वास्तविक खपत का अध्ययन करने, खपत दरों में उतार-चढ़ाव को प्रभावित करने वाले तथ्यों का निर्धारण करने और मांग पूर्वानुमानों में सुधार करने के लिये, स्थापित की गई है इस समिति की रिपोर्ट लगभग दो मास की अवधि में प्राप्त होने की आशा है।

Housing Schemes for Low and Middle Income Groups

44. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Chandrika Prasad :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Sharda Nand :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ramavatar Sharma :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the details of the Housing schemes being carried on for low and middle-income groups and the date since when each of these schemes has been in force and the results thereof ;

(b) the position in regard to the shortage of accommodation as it stood at the beginning of First, Second, Third and Fourth Five Year Plans, respectively ; and

(c) the position in this regard as it is likely to be at the end of the current Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) The required information in respect of each of these schemes is given in Annexures I and II.

(b) The estimated urban housing shortage was 28 lakh units in 1961, 50 lakh units in 1956, 93 lakh units in 1961 and 119 lakh units in April, 1969. The corresponding rural housing shortage at the beginning of the First and Second Five Year Plans was not estimated. However, in 1961, the estimated rural housing shortage, assuming that all kaccha houses should replaced by permanent ones and that dilapidated houses should be rebuilt, was 565 lakh units ; this rose to an estimated 718 lakh units by April, 1969.

(c) It is not possible to give an estimate of the Housing shortage at the end of the Fourth Five Year Plan. A reliable assessment of the position should be available after the 1971 Census. [*Placed in Library. See* No. LT-3707/70].

Deaths due to Gastroenteritis Epidemic in Madhya Pradesh

45. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai ;
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of persons died of gastro-enteritis in some South Eastern districts of Madhya Pradesh during the months of May, June and July, 1970 ;

(b) if so, the number of persons died as a result of this epidemic in the South Eastern districts of Madhya Pradesh as per the information given by the State Government ;

(c) whether it is a fact that an appeal was made by the State Government to the Central Government to send a team of experts to Raipur ; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). Yes, Sir, Gastro-enteritis broke out in an epidemic form in South Eastern districts viz, Raigarh, Raipur, Durg and Bilaspur in Madhya Pradesh in April, 1970. The District Health authorities have informed that 335 persons ars reported to have died in these districts on account of this epidemic during the months of May, June and upto the middle of July 1970.

(c) Yes, Sir.

(d) An investigation team from the National Institute of Communicable Diseases, Delhi, was deputed to visit the affected districts of the State during the period from the 24th May to 8th June, 1970. A copy of the report of the team including its recommendaons has been sent to the State Health authorities,

Mobile Dispensaries Functioning in the Country

46. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Chandrika Prasad : **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the total number of mobile dispensaries functioning at present in the county ;

(b) the expenditure incurred so far on this project with the results thereof ; and

(c) the number of such additional dispensaries as are likely to be started by the end of the present financial year ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). Information is being collected and a reply will be placed on the Table of the House in due course.

Compensation to Shareholders of Nationalised Banks

47. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have since paid the compensation to the shareholders of nationalised banks ;

(b) if so, the manner in which payment has been made to the share-holders of the banks, as also the amounts they paid ; and

(c) the names of the banks to which the compensation has yet to be paid and the amount due to be paid to each of them and the action being taken by Government to pay the balance amount to the share holders ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 compensation is required to be paid by the Central Government to the 14 erstwhile banking companies whose undertakings were acquired and transferred to the corresponding new banks constituted under the Act, and not to the share-holders of those companies.

Compensation, due to 12 out of 14 banking companies, has been paid in full, within the time limit laid down, in accordance with the option exercised by each of them and also in the manner provided under Section 6 of the Act. The remaining two banking companies, namely, Allahabad Bank Ltd. and the Indian Overseas Bank Ltd., which opted for payment of final compensation wholly in cash, are, under Section 6(2)(a) of the Act, to be paid the compensation in three equal annual instalments. The first instalments have been paid in these cases. The subsequent two instalments will be paid in the financial years 1971-72 and 1972-73 as follows :—

Name of the banking companies	Second instalment		Third instalment	
	Due date	Amount	Due date	Amount
Allahabad Bank Ltd.	4-6-1971	1,03,33,333.33	4-6-1972	1,03,33,333.33
The Indian Overseas Bank Ltd.	15-6-1971	83,33,333.33	15-6-1972	83,33,333.33

As far as the Government are aware, none of the erstwhile banking companies has so far distributed any portion of the compensation received by it to its share-holders.

The amount and manner of payment of compensation to each of the 14 banking companies is indicated in the Annexure. [*Placed in Library. See* No. LT-3708/70].

Anomaly in Annual Increment and Dearness Allowances of Government Employees

48. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to suggest to the Third Pay Commission that percentage ratio of annual increment and dearness allowances of Class IV and other higher class employees should be equal ;

(b) whether it is also a fact that at present annual increment of class IV employees is Rupee one and that of the officers is Rs. 100/- ; and

(c) if the reply to part (b) is in affirmative, the action being taken by Government to remove the said anomaly ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The rate of increment in the initial scale of entry for Class IV employees is Re 1/- and the rate increment in the higher pay scales such as those for Heads of Departments is Rs. 100/125. Increments are linked to pay scales and the present rates are those recommended by the Second Pay Commission. Dearness Allowance at varying rates is admissible for different slabs of pay as per the recommendations of the Gajendragadkar Commission. The structure of emoluments including Dearness Allowance of all Central Government employees will be examined by the Third Pay Commission who may be expected to take into consideration all relevant factor and Government would await their recommendations.

Houses Constructed under Slum Clearance Scheme in Delhi

49. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the total number of houses so far constructed in the capital in the slum areas and the amount spent over them ;

(b) the number of houses constructed in these slum areas which have been allotted and the number of those still vacant ; and

(c) the action being taken by Government for the early allotment of all the houses ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urdan Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) So for, the construction of 12,409 houses in Delhi under the Slum Clearance Scheme has been sanctioned. Out of these, 7935 houses have been built and 3320 are under construction. A sum of Rs. 838.58 lakhs has been released for the construction of these houses.

(b) 7765 houses have been allotted and 170 are still vacant.

(c) These houses have been built by the Municipal Corporation of Delhi. They have formulated proposals for the allotment of the vacant houses and expect to allot them during the next two three months.

Allocation of Duties among Staff Working in C. G. H. S. Ayurvedic and Homaeopathic Dispensaries in Delhi

50. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the names of C. G. H. S. Ayurvedic and Homeopathic dispensaries in Delhi where no Storekeeper, Diary Clerk and Peon have been provided ;

(b) whether it is a fact that the Compounders of these Dispensaries have to perform many duties such as issuing medicines, maintenance of stores and preparing list for indenting medicines ;

(c) if so, whether Government would make arrangements for granting over-time allowance or some special allowance to the said compounders ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). (i) There are two Homeopathic Dispensaries functioning at Gole Market and Ramakrishna Puram. These have been provided the Store-keeper-cum-Clerks, Registration Clerks, peons and other Class IV staff.

(ii) There are five Ayurvedic Dispensaries located at Dev Nagar, Gole Market, North Avenue, Kidwai Nagar and R K. Puram. These have been provided with Pharmacists, Clerks, Peons and other Class IV staff.

Duties such as maintenance of stores, issuing, medicines, preparation of list for ndenting medicines in these dispensaries are performed by one of the Pharmacists, who are required to handle stores as well as to dispense medicines.

(c) and (d). No overtime allowance or any other special allowance is admissible to C. G. H. S. Pharmacists working in the dispensaries. They are permitted suitable compensatory off for any overtime duty performed.

Adulteration in Spices in Delhi

51. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sawdust has been found in a spices-factory in Tilak Bazar, Delhi which can be used in adulteration of spices like tarmeric and chillies ;

(b) if so, the action taken against the proprietor of the said factory ; and

(c) the effect that could be caused by the sawdust on human Health ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Samples of chilies and termeric taken from a spices-factory in Tilak Bazar, Delhi were found to be adulterated with coaltar dyes, starches and other extraneous matter. No sawdust was found.

(b) The matter is under investigation.

(c) Does not arise.

Report of Central Study Team on Famine Conditions in Bihar

52. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had sent a study team to Bihar to study the famine and scarcity conditions there :

(b) if so, whether the said team has completed its work and submitted its report to Government ;

(c) if so, the main points thereof ; and

(d) the action pro osed to be taken by Government in this regard and the time by which it is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). The Central team of officers which visited Bihar in June, 1970 has, in its report, observed that even though the last Kharif crop might have been partially adversely affected doue to delay in Hathia rains, the rabi crop had been better by nearly one lakh tonnes. None of the districts suffered a loss of 50% or more. The drought relief measures in the State was taken up more actively only in March, 1970 and there has been no further deterioration in the drought situation in the State. For these reasons, the Central team has not recommended any ceiling of expenditure on drought relief measures in the State during the current financial year for purposes of Central assistance. The question of Central Government taking any further action in the matter does not arise at this stage.

Strike by Workers of Amjhor Sulphur Mine Near Dalmianagar

53. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the workers of Amjhor Sulphur mine located near Dalmianagar had to go on long strike in support of their demands in the months of June-July, 1970 ;

(b) if so, the details of their demands ;

(c) the action taken by Government to meet their demands ; and

(d) the reasons for not accepting their demands so far ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Choudhary) : (a) and (b). The daily rated workers of the Amjhore Mining Project of the Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited, went on a lightning strike from the mid-night of 4th/5th June, 1970, without giving any notice or charter of demands to the management. After a lapse of two days, i. e. on 6th June, 1970, two charters of demands were received by the management, one signed by 191 workers and another signed by 27 workers. Subsequent to the negotiation held by the Regional Labour Commissioner, the representatives of the striking workers submitted on 25-6-1970 the reformulated charter of demands, a copy of which is enclosed as Annexure.

(c) and (d). The Labour Enforcement Officer (Central), Dehri-on-Sone visited the spot on 5-6-1970 for presuading the workers to come forward for discussion/negotiation. The Assistant Labour Commissioner (Central), Patna arrived on 7th June, 1970, and made efforts to presuade the workers to come forward for discussion on the demands. Their efforts proved unsuccessful. The Regional Labour Commissioner (Central), Dhanbad, was kept informed of the developments and he visited the Project on 10th June, 1970 and again on 21st June, 1970, when he held prolonged discussions with the 11 representatives of the striking workers. On 26th June, 1970, the Regional Labour Commissioner received the reformulated charter of demands signed by workers on behalf of the striking workmen. The Regional Labour Commissioner visited the Project on 30th June, 1970, and initiated conciliation proceedings. The workers' representatives agreed that barring three demands which concern the revision of wages almost all other demands are of individual nature and these could be settled through mutual negotiations failing which workers' representatives would approach the conciliation machinery for settlement. The workers' representatives, while agreeing that the demands concerning the revision of wages could be settled through arbitrator, wantedi nterim relief of 40% increase in wages to be announced by the management immediately. The management agreed for arbitration of the revision of the wages and offered that the question of interim relief should also be entrusted to the arbitrator who can be requested to give his award on this issue as early as he could. The representatives of the workers did not agree for the arbitration of the interim relief. The conciliation proceedings therefore ended in a failure.

Subsequently it was decided that an overall increase of basic wages and D. A. by about 27½% over a period of two years may be offered to the workmen as a fair settlement keeping in view the condition of the pyrite mining industry and prevalent wage structure of other metalliferous public sector mines. This offer was made to the workmen on 9-7-1970 but they rejected the offer on 10-7-1970 and insisted on the grant 40% interim relief. [*Placed in Library. See* No. LT—3709/70].

House Rent to Employees of Reserve Bank of India

54. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a dispute regarding the house rent is going on between the All India Reserve Bank Employees Association and Government ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether any decision has been taken by Government in this regard ?

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ; and

(e) the time by which Government propose to take a decision on this matter.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). No dispute regarding house rent exists between the All India Bank Employees Association and the Government. However, the Association has raised a demand with the Reserve Bank that there should be uniformity in rent charged by the Bank for staff quarters at various places.

(c) and (d). The Bank has advised the Association that it is prepared to have a uniform scheme for the recovery of rent under which an allottee would pay 10% of his pay as house rent and will not be eligible for house rent allowance

(e) Reserve Bank is having negotiations with the Associatton on the charter of demands presented by it and it is expected that the question of fixing rent for staff quarters will also be discussed during the negotiations.

Facilities Provided to Employees of the Bank of Bihar

55. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after merger of the Bank of Bihar with the State Bank of India, the bank authorities have gradually started depriving the employees of the Bank of Bihar of the facilities provided to them earlier ;

(b) whether it is also a fact that the Bank of Bihar Employees Association has sent a protest note to the Government in this regard ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the action taken by Government to protect the rights of the employees ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) It is understood that employees of the erstwhile Bank of Bihar Ltd. used to be granted certain facilities by the management like festival advances, advances against salaries upto 90% of total emoluments and bonus. The position in regard to these facilities after merger of the bank with the State Bank of India is indicated in the attached statement.

(b) and (c). A telegram alleging denial of Holi Festival Advance and Bonus was received by the Government in March, 1970.

(d) The contents of the telegram were brought to the notice of the State Bank and their comments were asked for. The State Bank pointed out that they had already taken certain steps to mitigate any possible hardship to the erstwhile employees of the Bank of Bihar. These have been indicated in the statement attached in reply to part (a). [*Placed in Library. See* No. LT—3710/70].

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक

57. **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री भोगेंद्र झा :
श्री कं० हाल्दर :
श्री रवि राय :
श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री योगेंद्र शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सामिनाथन :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन :
श्री नारायणन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के रूप में नियुक्त करने के लिये व्यक्तियों की तालिकायें तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इन तालिकाओं में शामिल किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी नहीं। परन्तु, बैंकिंग समवाय-उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 7(3) के अनुसार 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रथम निदेशक मण्डलों का गठन 18 जुलाई, 1970 को किया गया था। 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रथम निदेशक-मण्डलों के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) प्रथम निदेशक मण्डलों में कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हैं। बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन इन प्रतिनिधियों को उन निदेशक-मण्डलों में शामिल किया जायगा जिनका गठन उक्तअधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र ही तैयार की जाने वाली योजना के अन्तर्गत किया जायगा। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 3711/70]

एस्सो द्वारा हाई-स्पीड डीजल तेल का आयात करने के लिए प्रस्ताव

58. **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी तेल कम्पनी एस्सो ने हाई-स्पीड डीजल तेल तथा हल्के डीजल तेल के आयात के लिये प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिदास मूंदड़ा तथा उनके समवायों के नाम बकाया आयकर की राशि

59. **श्री जर्नादनन** :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :
श्री भगवान दास :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री हरिदास मूंदड़ा तथा उनके समवायों नाम मूल रूप से कर की बकाया राशि 479,35,00 रुपये से घटा कर 1.97 करोड़ रुपये कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो मूल राशि कैसे इतनी घटा दी गई है ; और

(ग) श्री मूंदड़ा और उनके समवायों के नाम बकाया कर की राशि में से कितनी राशि वसूल कर ली गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) किस सीमा तक श्री हरिदास मूंदड़ा तथा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों से वसूलियां की गई हैं, इस सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी की जा रही है तथा उसे यथा सम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

नीति परिवर्तन के बारे में सिफारिशें करने हेतु नए बैंकिंग आयोग की स्थापना

60. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री इंद्रजीत गुप्ता :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री घोरेश्वर कलिता :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े-बड़े वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उनकी नीति में परिवर्तन करने हेतु सिफारिशें करने के लिये एक नये बैंकिंग आयोग की स्थापना के प्रस्ताव पर अभी निर्णय नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय करने में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). नया बैंक आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जीवन बीमा निगम का स्वायत्तशासी एककों में विभाजन

61. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री लखन लाल कपूर :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री इसहाक सामभली :
श्री जनार्दनन :
श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक दक्षता के लिए भारत के जीवन बीमा निगम को पांच स्वायत्तशासी एककों में विभाजित करने सम्बन्धी सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० आर० गणेष) : (क) तथा (ख). जीवन बीमा निगम

को पांच स्वायत्त एककों में विभाजित देने की, लोक उद्योग समिति द्वारा की गयी, सिफारिश पर सरकार अभी विचार कर रही है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम से छिद्रण बरमों का अन्यत्र ले जाया जाना

62. **डा० रानेन सेन :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्वी क्षेत्र प्राधिकरण ने आसाम से कुछ छिद्रण बरमों को तोड़ने और उनको अन्यत्र ले जाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। किन्तु फिलहाल दो रिंगों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मीठापुर, गुजरात में टाटा बंधुओं द्वारा उर्वरक परियोजना की स्थापना

63. **डा० रानेन सेन :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री रा० की० अमीन :**
श्री हेम बरुआ : **श्री नंद कुमार सोमानी :**
श्री कृ० म० कौशिक : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री न० कु० सांधी : **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री इंद्रजीत गुप्त : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मीठापुर, गुजरात में उर्वरक सार्थ-समूह स्थापित करने के सम्बन्ध में टाटा-बन्धुओं द्वारा प्रस्तुत की गई पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार ने सिद्धान्त रूप से टाटा के मीठापुर में उर्वरक कारखाने के स्थापना के संशोधित प्रस्ताव को, कुछ शर्तों के साथ, मंजूर कर दिया है। तदनुरूप, एक आशय पत्र जारी कर दिया गया है। आशय पत्र की शर्तों में एक यह है कि कम्पनी मानोपलीज एण्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज, एक्ट, जो 1-6-1970 से लागू है, के अन्तर्गत अनुमति लेगी। दूसरी शर्त

हैं कि यदि कम्पनी सरकारी वित्तीय संस्थानों से कोई सहायता लेगी तो उसे अपने निदेशकों के बोर्ड पर कम से कम दो निदेशकों को प्रतिनिधि रूप से लेना होगा।

हैदराबाद मैडिकल बोर्ड द्वारा जाली चिकित्सा प्रमाण पत्र देना

64. **श्रीमती शारदा मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद स्थित एक पंजीकृत चिकित्सा बोर्ड 225 रुपये में एक जाली एलोपैथिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करता रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् दिल्ली में, जो एक सांविधिक निकाय है, इन जाली प्रमाण-पत्रों के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार को पहले सूचना दे दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने तथा उन व्यक्तियों का, जिन्होंने ऐसे सिद्धांत ही ढंगों से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हैं, पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति). (क) जी हां। "भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा पंजीकरण बोर्ड, हैदराबाद" नामक कोई संस्था चिकित्सों के जाली पंजीकरण कर रही बतलाई जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार, दिल्ली क्षेत्र में यह हुआ है, पहले ही इस विषय से अवगत है और यह आवश्यक कार्रवाई कर रही है। उस सरकार ने एक मामला दर्ज किया है तथा इस विषय में जांच चल रही है।

भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार

65 **श्री बासुदेवन नायर** :
श्री भोगेंद्र झा :
श्री हुकमचंद कछवाय :
डा० रानेन सेन :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री अदिचन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के विदेशी-मुद्रा भण्डार की स्थिति क्या थी और

(ख) भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति इस प्रकार थी :

(करोड़ रुपयों में)

	सोना	विदेशी मुद्रा	विशेष निकासी अधिकार	जोड़
मार्च 1968 के अन्त तक	182.53	356.02	—	538.55
,, 1969 ,, ,, ,,	182.53	394.17	—	576.70
,, 1970 ,, ,, ,,	182.53	546.48	92.05	821.06

(ख) निर्यात में वृद्धि कर के, आयात पर अंकुश लगाकर और सहायता का उपयोग करके पिछले दो वर्षों में विदेशी मुद्रा में पहले ही काफी वृद्धि हुई है। सरकार का उद्देश्य यह है कि आर्थिक विकास किया जाय और इसके लिए इन सभी तरीकों से विदेशी साधनों में पर्याप्त वृद्धि की जाय। आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाने के प्रयोजन से विदेशी मुद्रा के उपयोग और विदेशी मुद्रा की रकमों को यथास्थिति बनाये रखने या उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता के बीच उचित सन्तुलन बनाये रखने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णय किया जाएगा।

एक राष्ट्रीयकृत बैंक के अभिरक्षक द्वारा तमिल नाडु के मुख्य मंत्री का अनादर किया जाना

66. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : **श्री नम्बियार** :
श्री के० रमानी : **श्री प० गोपालन** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ओवरसीस बैंक के अभिरक्षक श्री आर० एन० चैट्टूर ने, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा बुलाये जाने पर उनसे मिलने से इंकार कर दिया ;

(ख) क्या सरकार को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के एक अभिरक्षक द्वारा इस प्रकार तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का अनादर किये जाने के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(ग) यदि हां, तो उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई ; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग). तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने इंडियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में, इन्डियन ओवरसीज़ बैंक के अभिरक्षक को उनसे मिलने के लिए नहीं कहा था ; **और** न ही इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के अभिरक्षक

ने मुख्य मंत्री से मिलने से इन्कार कर दिया। अभिरक्षक ने हड़ताल की स्थिति से तथा कर्मचारियों और प्रबन्धकों को विचारों से उन्हें अवगत कराने के लिए, 24 मई, को, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से मुलाकात की थी। अभिरक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

औषध कारखानों के लिये इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के माध्यम से आयात

67. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री के० रमानी :
श्री प० गोपालन :
श्री भगवान दास :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार औषध कारखानों के लिए कच्चे माल का आयात इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के माध्यम से करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। कुछ प्रचुर औषधियों के आयात को भारतीय व्यापार निगम के द्वारा यथापूर्व निकाला जायेगा। ऐसी वस्तुओं का आयात जो कि इडियन ड्रग्ज एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के उत्पादन में है, सरकार द्वारा समय-समय पर आयातित और देशी उत्पादन के लिए नियत किए गए पूल मूल्यों पर फार्म्यूलेट्स को वितरण के लिए आई०डी०पी०एल० को दे दिया जायगा।

(ख) इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित करना नियत है कि फार्म्यूलेट्स को पूल मूल्यों पर सुचारू और न्यायपूर्ण प्रचुर औषधियों का वितरण हो।

Opening of More Homoepathic Dispensaries under C. G. H. S. in Delhi

68. **Shri Chandirka Prasad :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the C. G. H. S. beneficiaries in Delhi have now become more interested in Homoeopathic system of treatment, due to which there remains great rush in Homoeopathic dispensaries these days ;

(b) whether it is also a fact that he number of Homoeopathic dispensaries is much less as compared to those of the Allopathic dispensaries, due to which the pattents have to walk long distances ;

(c) if so, whether Government propose to open some more Homoeopathic dispensaries for the C. G. H. S. beneficiaries so that they may not have to run to distant places for Homoeopathic treatment ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) There has not been any appre-

ciable increase in the average daily attendance in the two Homoeopathic dispensaries functioning under the C G. H. S. in Delhi/New Delhi, in the recent past.

(b) There are two Homoeopathic dispensaries functioning under the C. G. H. S. These have been opened as additional facilities for Central Government Health Scheme beneficiaries in areas where there was maximum demand for such dispensaries.

(c) and (d). No. Provision exists in the sanctioned budget grant for C. G. H. S. for the year 970-71 for opening of more Homoeopathic dispensaries. However if additional funds become available in the Revised Estimates, the matter would be considered.

Losses Incurred by Anti Biotics Factory, Rishikesh

69. **Shri Chandrika Prasad :**
Shri Ram Gopal Shalwale ;

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Anti-biotics Factory Rishikesh has incurred heavy losses in 19 8-69 ;

(b) if so, the capital invested in this factory at the time of its inception and the total loss incurred by it so far ;

(c) whether Government propose to conduct an enquiry into the irregularities prevailing in the said factory by setting up an Enquiry Commission and punish the defaulters ; and

(d) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R Chavan) : (a) Loss incurred by the Antibiotics Factory, Rishikesh in 1968-69 including depreciation and interest was Rs. 501.91 lakhs.

(b) Capital invested in this factory at the time of its commissioning was Rs. 2323 lakhs. The total loss incurred upto 31-3-1969 including depreciation and interest was Rs. 565.26 lakhs. The accounts for 1969-70 are yet to be audited by the Auditors and approved by the Board of Directors.

(c) and (d). The Committee on Public Undertakings in their forty-sixth report made in April, 1969 have pointed out certain deficiencies in the working of this unit. Remedial steps have been and are being taken and the unit it expected to show better results from this year onwards. Individual officers cannot be held responsible for the present state of this plant. As such appointment of an Inquiry Commission of the kind suggested, is not considered necessary.

पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य नियत करने का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष द्वारा विरोध

70. **श्री हेम बरुआ :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री सत्य नारायण सिंह : **श्री न० कु० सांघी :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री सो० के० चक्रपाणी :**
श्री भगवान दास :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य नियत करने के बारे में शाह समिति

द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों के विरुद्ध तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष ने सरकार से विरोध प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो विरोध का स्वरूप क्या था ; और

(ग) क्या सरकार ने अध्यक्ष को शाह समिति की निन्दा करने वाले उनके सार्वजनिक वक्तव्य के लिए उनकी भर्त्सना की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्य बीमा कम्पनियों के प्रबंध पर सामाजिक नियंत्रण

71. **श्री स० कुण्दू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सामान्य बीमा कम्पनियों के प्रबन्ध पर सामाजिक नियन्त्रण की योजना लागू करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह योजना किस प्रकार चालू की जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) विविध बीमा की प्रबन्ध व्यवस्था पर सामाजिक नियंत्रण की योजना पहले ही, बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1968 अमल में आने की तारीख, 1 जून, 1969 से, लागू है ।

(ख) उक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :—

(क) शेयर-रखने की सीमा तथा मत देने के अधिकारों पर प्रतिबन्ध ।

(ख) निवेशों का नियमन ।

(ग) बीमाकर्त्ताओं द्वारा जमा कराई जाने वाली रकम में वृद्धि ।

(घ) बीमाकर्त्ताओं द्वारा न्यूनतम साख सीमा बनाये रखना ।

(ङ) बीमाकर्त्ताओं के सामूहिक रूप में काम करने को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था ।

(च) नियमित अथवा आकस्मिक निरीक्षण करने तथा निर्देश जारी करने और तलाशियां लेने तथा रिकार्ड पकड़ने के अधिकार बीमा नियंत्रक को देना ।

(छ) बीमा नियंत्रक को अधिकार देना कि वह निदेशक बोर्ड पर निदेशक अथवा प्रेक्षक को नियुक्त कर सके ।

(ज) एक बीमाकर्त्ता के साथ दूसरे बीमा कर्त्ता को मिलाने की योजना तैयार करने का अधिकार बीमा नियंत्रक को देना ।

(झ) किसी बीमा कर्त्ता के उपक्रम का अधिग्रहण करने का केन्द्रीय सरकार को अधिकार ।

(ञ) टैरिफ सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में बीमा नियंत्रक को अधिकार देना कि वह प्रीमियम की दरों का विनियमन तथा निश्चय कर सके ।

(त) एक निश्चय सीमा से ऊपर के सभी दावों का सर्वेक्षण लायसेंस प्राप्त सर्वेक्षकों द्वारा किये जाने का उपबन्ध रखना ।

(थ) सर्वेक्षकों और हानि-मूल्यांककों के लिए, लायसेंस लेने का उपबन्ध रखना ।

(द) प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति अथवा अलहदगी के लिए बीमा नियंत्रक की पूर्व स्वीकृति लेने का उपबन्ध रखना ।

(ध) नई शाखायें खोलने के लिए नियंत्रक की पूर्व स्वीकृति लेने का उपबन्ध रखना ।

(न) यह अपेक्षा की जोखिम चालू होने से पहले प्रीमियम की पेशगी अदायगी लेने का उपबन्ध ।

(ट) एजेन्टों के कमीशन में कटौती ।

(ग) बीमा अधिनियम का प्रशासन-बीमा-नियंत्रक द्वारा किया जा रहा है । वह इस बात की निगरानी रखता है कि उक्त अधिनियम के उपवन्धों का सभी बीमाकर्त्ताओं द्वारा पालन किया जाता है और किसी भी समय किसी विशेष बीमा कर्त्ता के खिलाफ अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यकता होने पर जरूरी कार्यवाही भी वही करता है । अधिनियम के अधीन बीमा नियंत्रक को प्राप्त अधिकारों का भी वह यथासमय प्रयोग करता है तथा निहित विभिन्न कर्तव्यों का पालन भी करता है ।

दिल्ली में बिना सरकारी क्वार्टरों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

72. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री यज्ञदत्त मर्शा :
श्री जय सिंह :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री वंशनारायण सिंह :
श्री अब्दुल गनी वार :
श्री बलराज मधोक :
श्री हुकमचंद कछवाय :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रहने वाले ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की क्या संख्या है जिन्हें अब तक सरकारी आवास नहीं दिया गया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में उनकी वर्षवार संख्या क्या है ;

(ग) उन कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है जो पांच और दस वर्षों से अधिक समय से सरकारी सेवा में हैं ; और

(घ) उन्हें कब तक सरकारी आवास दे दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) 1 जनवरी, 1970 को स्थिति यह है कि दिल्ली में

नई दिल्ली स्थित पात्र कार्यालयों में कार्य कर रहे 60,137 कर्मचारी सामान्य पूल से वास के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहें हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों में सामान्य पूल वास से आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे पात्र कार्यालयों में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

1967-68	59,353
1968-69	58,409
1969-70	60,187

(ग) एक वर्ष विशेष में सामान्य पूल से वास के आवंटन के लिए आवेदन पत्र सीमित आधार पर आमन्त्रित किये जाते हैं। टाइप V और उसके ऊपर के लिए पात्र कर्मचारियों के मामले में अधिकारी की प्राथमिकता की तारीख तब से मानी जाती है जब से वह 800 रुपये तथा इससे ऊपर की परिलब्धियां निरन्तर प्राप्त कर रहा हो और उनके द्वारा की गई सेवा के कुल वर्षों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। टाइप IV तथा इससे नीचे के पात्र कर्मचारियोंके मामलों में 1969-70 के आवंटन वर्ष के लिए प्राथमिकता की तारीख का निश्चय करने के लिए सारी सेवा पर विचार किया जाता है। उनके मामले में आवेदन-पत्र प्राथमिकता की कुछ तारीखों तक, जैसी कि नीचे की गई है, आमंत्रित किये गये थे :—

1. टाइप I	31-12-58
2. टाइप II	31-12-55
3. टाइप III	31-12-48
4. टाइप IV	31-12-48

टाइप I के लिए पात्र कर्मचारियों, जिनका सेवा काल 10 वर्ष से अधिक है और जो आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, की संख्या 1,887 है।

जहां तक टाइप II से टाइप IV तक का सम्बन्ध है, 5-10 वर्षों से अधिक की सेवा वाले अधिकारियों को निश्चित की गई प्राथमिकता की तारीखों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया।

(घ) सामान्य पूल वास के निर्माण का कार्यक्रम चरणों में किया जाता है जो निधियों भूमि, आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उपलब्ध साधनों से सरकार सामान्य पूल में अतिरिक्त रिहायशी एकक यथा संभव शीघ्र उपलब्ध करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। यह कहना कठिन है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को आवंटन कब किया जा सकता है।

मूल्य सूचकांक का तेजी से बढ़ना

73. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री बलराज मधोक :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री न० रा० देवघरे :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सत्य है कि उत्तम फसल एवं मौसम अनुकूल होने के उपरान्त भी उप-उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गत 18 महीनों में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की प्रवृत्ति पिछले 18 महीनों में एक जैसी नहीं रही । सूचकांक (1960-100) नवम्बर 1968 में 176 था जो घट कर फरवरी 1969 में 169 रह गया किन्तु जुलाई 1969 में पुन: बढ़ कर 179 हो गया । नवम्बर 1969 में मामूली गिरावट आई और 177 हो गया और उसके बाद बढ़ना शुरू होने से पूर्व लगातार चार महीनों तक स्थिर रहा । इस समय मई 1970 तक ही आंकड़े उपलब्ध हैं ; इस महीने में सूचकांक 183 तक रहा जो 18 महीने पहले (अर्थात् नवम्बर 1968) के स्तर में 4.0 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है । खाद्य समूह के सूचकांक में, जिसका अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 60.9 प्रतिशत भार है, इन अवधि में केवल आंशिक वृद्धि हुई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अधिकतर वृद्धि का कारण पान सुपारी, तम्बाकू, मादक द्रव्यों, कपड़े, बिस्तर और जूते तथा विविध मदों के समूह के सूचकांकों में वृद्धि होना है । खाद्य वस्तुओं से भिन्न मदों के मूल्यों में वृद्धि कुछ तो खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण और कुछ मुद्रा सम्बन्धी विस्तार के कारण हुई है ।

(ग) उपभोक्ता मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने जो उपाय किये हैं, उनमें से कुछ हैं :—मूल्यों के दबाव वाली वस्तुओं के आधार पर, बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों पर नियंत्रण को कड़ा करना, जनता में अनाज के वितरण की सरकारी व्यवस्था करना और अनाज के संकट निरोधक भण्डार बनाना और कपास तथा सोयाबीन के तेल जैसी वस्तुओं के मामले में अधिक आयात की व्यवस्था करना । भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की खरीद का काम चालू रखा जा रहा है और अनाज के मामले में वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध जारी है । सरकार के पास जून 1970 तक 54 लाख मैट्रिक टन अनाज का भंडार रहा । अत: सरकार अपने भंडारों से अनाज को बाजार में भेज कर अनाज के मूल्यों को प्रभावित करने की स्थिति में है 15 मई 1970 को उचित दर दुकानों की संख्या 1,39,229 थी ।

सरकार की आयात नीति का उद्देश्य भी मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता करना है । 1970-71 के लिए सरकार की आयात नीति में, राज्य व्यापार निगम खान और धातु व्यापार निगम तथा अन्य समकारी अभिकरणों के माध्यम से अतिरिक्त 38 मदों को आयात करने के और प्रचुर मात्रा में कच्चा माल आयात करने के लिए एक औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है । हाल ही में, औषधियों और भेषजों की कीमतों में कमी लाने के लिए उपाय किये गये हैं । इसके अलावा, सिविल पूर्ति आयुक्त का संगठन 20 आवश्यक वस्तुओं के वितरण और मूल्यों पर बराबर नजर रखता है । राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत भी पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं ताकि वे अधिनियम के अन्तर्गत घोषित आवश्यक वस्तुओं के वितरण और उनके मूल्यों को नियंत्रित रख सकें ।

दिल्ली में पानी की सप्लाई एवं मल-मूत्र निस्तारण के लिए मास्टर प्लान

74. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री बलराज मधोक :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में पानी की सप्लाई एवं मल-मूत्र निस्तारण के लिए किसी मास्टर प्लान पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) वृहद् योजना (मास्टर प्लान) का स्थूल ब्यौरा इस प्रकार होगा :—

जल पूर्ति

1. दिल्ली की शहरी सीमाओं में जन संख्या जिसको पानी पहुँचाया जाना ।
2. दिल्ली के शहरी क्षेत्र के लिए बागवानी, औद्योगिक तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए पानी ।
3. दिल्ली के शहरी क्षेत्र के हर योजना जिले में जलपूर्ति दरें ।
4. जलपूर्ति के स्रोत तैयार करना तथा आवश्यक शोधन-संयंत्रों के स्थान ।
5. पंपिंग स्टेशनों तथा जल वाहक नलों तथा स्थानीय जलाशयों के डिजाइन ।
6. विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय वितरण नल ।

मल-व्यवस्था एवं मल निष्कासन

1. सीवेज की मात्रा प्रति व्यक्ति ।
2. निपटान के लिए सीवेज की कुल मात्रा ।
3. इण्टर सेप्टिंग और ट्रंक सीवरों का पंक्ति बंधन ।
4. पम्पिग मेनों के साथ-साथ उप तथा मुख्य पम्पिग स्टेशन ।
5. मल शोधन संयंत्र ।
6. मल शोधन संयंत्रों से निकलने वाले वहि:स्राव का निपटान और इसका समुचित उपयोग ।
7. स्लज गैस तथा शोधन संयंत्रों के अन्य शेष उत्पादों का उपयोग ।

चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का मूल्य

75. **श्री नाथ पाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षों में गुजरात और महाराष्ट्र से देश में चोरी छिपे लाये गये सोना, घड़ियों संश्लिष्ट धागे तथा शराब और स्प्रिट की वस्तुवार मात्रा एवं मूल्य क्या है ; और

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं, जिनमें चोरी-छिपे लायी गयी ये वस्तुयें बनाई गई हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों के रास्ते चोरी-छिपे रूप से देश में लाये जाते समय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिये अनुसार हैं :—

	मात्रा	मूल्य (लाख रुपयों में)
सोना	10,865 कि० ग्रा०	917 (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर)
घड़िया	6,52,000 (संख्या)	657
संश्लिष्ट धागे	—	कुछ नहीं
शराब और स्प्रिट	—	0.14

(ख) सोने के परिशोधन और घड़ियों के निर्माण के देश ब्रिटेन, स्विटजरलैंड, जर्मनी, फ्रांस तथा जापान है ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था के सम्बंध में विश्व बैंक का प्रतिवेदन

76. **श्री कृ० मा० कौशिक** :
श्री नंजा गौडर :
श्री रा० की० अमीन :
श्री नंदकुमारी सोमानी :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में पेरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठक के विचारार्थ एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या विश्व बैंक ने अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया है कि आर्थिक क्षेत्र में गतिरोध के लिए एक सीमा तक भारत का राजनैतिक संकट उत्तरदायी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहां ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Special Central Assistance to States

7. **Shri Bhola Nath Master :** **Shri Devinder Singh Garcha :**
Shri V Narasimha Rao :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of the States which are being provided Special Central Assistance on account of their weak financial position during the year 1970-71 and the amount provided to each ;

(b) the terms and conditions on which this assistance has been given ;

(c) whether the said assistance has been provided keeping in view the fact that their resources are lesser for the non-Plan programmes ; and

(d) the reasons for the paucity of resources for the non-Plan programmes ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The reference in the question is perhaps to the special accommodation (by way of loans) to be provided to certain States during the current year for which a provision has been made in the Central budget. Such accommodation is to be given to those States only which, in the assessment of the Planning Commission, are expected to have inescapable gaps in their resources. According to the preliminary assessment made by the Planning Commission last year, the States which may require special accommodation in the current year are Andhra Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Mysore Orissa, Rajasthan and West Bengal. The exact amounts which may have to be given to individual States and the terms and conditions on which these would be given have, however, not yet been finalised.

(c) and (d). Under this arrangement Government have agreed in principle to provide special assistance to States which may have inescapable gaps in resources. Such gaps will be determined after an assessment by the Planning Commission in regard to unavoidable non-Plan commitments, the scope for economies in non-Plan expenditure, the efforts made to improve revenue and tax collections and mobilisation of other normal budgetary resources. This will enable such States to utilise the additional resources that they can raise towards their approved Plan outlays.

भारत सहायता सार्थ-संघ से सहायता

78. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री रा० बरुआ :**
डा० रानेन सेन : **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री जनार्दनन : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री चेंगलरायां नायडू : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री हिम्मत सिंहका : **श्री बे० कु० दास चौधरी :**
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत संघ ने 1969-70 में सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि देने का वायदा किया था ;

(ख) प्राप्त सहायता की वास्तविक राशि क्या है ;

(ग) संघ के सदस्य देशों द्वारा चालू वर्ष के लिए सहायता की क्या सीमा निर्धारित की गई और सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की थी ;

(घ) प्रत्येक देश को कितनी-कितनी सहायता देने का वचन दिया है ; और

(ङ) क्या संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत की आवश्यकतायें पूरी हो सकेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मई 1969 में भारत सहायता संघ की जो बैठक हुई थी, उसमें यह बात स्वीकार कर ली गई थी कि 1969-70 के लिए भारत को कुल मिलाकर 110 करोड़ डालर (825 करोड़ रुपये) की सहायता के वचनों की आवश्यकता है जिस में 70 करोड़ डालर (525 करोड़ रुपये) के वचन प्रायोजना-भिन्न सहायता के रूप में और 40 करोड़ डालर (300 करोड़ रुपये) के प्रायोजना सहायता के रूप में होंगे।

(ख) 1969-70 के लिए सहायता की कुल रकम, जिसके लिए करारों पर हस्ताक्षर किये गये है, 81.30 करोड़ डालर (610 करोड़ रुपये) है अर्थात् 50.70 करोड़ डालर (380 करोड़ रुपये) प्रायोजना-भिन्न सहायता के लिए और 30.60 करोड़ डालर (230 करोड़ रुपये) प्रायोजना सहायता के लिये।

(ग) मई 1970 में हुई बैठक में भारत सहायता संघ ने यह मान लिया है कि 1970-71 के लिए भारत को प्रायोजना-भिन्न सहायता के रूप में 70 करोड़ डालर (525 करोड़ रुपये) और प्रायोजना सहायता के लिए 40 करोड़ डालर (300 करोड़ रुपये) की आवश्यकता है। प्रायोजना और प्रायोजना-भिन्न सहायता के लिए भारत सहायता संघ ने हमारी आवश्यकताओं का जो अनुमान लगाया है वह हमारे अनुमान के अनुरूप है।

(घ) अलग-अलग देशों से कितनी सहायता मिलेगी, इस बात का पता तभी चल सकेगा जब सहायता देने वाले देशों के विधानमण्डलों द्वारा विनियोग सम्बन्धी और अन्य प्रक्रियायें पूरी कर ली जायेंगी।

(ङ) जी, हां।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा रूसी सहयोग से बनाई गई परियोजनायें

79. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा रूसी सहयोग से बनाई गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए मूलतः क्या समय-सीमा निश्चित की गई थी, इस प्रकार कितना व्यय आंका गया था और मन्जूरी से पहले प्रत्येक परियोजना के क्या प्राक्कलन थे ;

(ग) अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) (i) ऋषिकेश में एण्टीबायोटिक्स प्लांट (ii) हैदराबाद में संश्लिष्ट औषधि प्लांट और (iii) मद्रास में सर्जिकल प्लांट ।

(ख) और (ग). विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परियोजनाओं के निर्माण की पूर्ति, उनके चालू तथा लागत अनुमानों के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी गई । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद ही 1964 में निर्माण की पूर्ति के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी । 1966 में निर्माण की प्रगति का पुनरीक्षण किया गया था तथा एण्टीबायोटिक्स प्लांट और संश्लिष्ट औषधि प्लांट के विभिन्न उत्पादों के लिए चालू तिथियां निर्धारित की गईं । इनका 1967 से पुनरीक्षण किया गया । सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स प्लांट में उत्पादन समय-सीमा के अनुसार शुरू हुआ ।

पूर्व आयातों तथा तकनीकी विकास के महा निदेशालय के पास उस समय उपलब्ध अन्य दित्ता के आधार पर माँग अनुमान तैयार किये गये तथा उत्पाद-मिश्र एवं उत्पादन क्षमतायें उस आधार पर निर्धारित की गईं ।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद कम्पनी द्वारा लागत अनुमान तैयार किये गये तथा उनका परिवर्तित परिस्थितियों के कारण दो अवसरों पर पुनरीक्षण किया गया है ।

(घ) (i) **एण्टीबायोटिक्स प्लांट ऋषिकेश** :

यह लगभग 30 प्रतिशत श्रमता पर कार्य कर रहा है तथा कम उत्पादन एवं साधारण कार्य कुशलता की कई तकनीकी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा है ।

(ii) **संश्लिष्ट औषधि प्लांट, हैदराबाद** :

चालू अवधि के दौरान इसे पेश हुई कई तकनीकी समस्याओं के बावजूद, यह लगभग 70 प्रतिशत क्षमता पर कार्य कर रहा है । ये समस्यायें, सहयोगियों के पूर्ण सहयोग तथा प्लांट में किये गये गवेषणा कार्य से हल की गई ।

(iii) **सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स प्लांट, मद्रास** :

इस प्लांट को अब तक आर्डरों की कमी के कारण हानि हुई, लेकिन यह इस समय रूस से 22 लाख रुपये मूल्य के निर्यात आर्डर को पूरा करने में व्यस्त है । 40.2 लाख रुपये मूल्य के कुल आर्डर इसके पास है ।

विदेशी सहायता में घाटा

80. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० बी० आर० श्योनी का यह कहना सच है कि भारत को जो विदेशी सहायता मिलती है उसका बहुत बड़ा भाग आन्तरिक एवं वाह्य क्षरण एवं तस्कर अभियानों के लिये वित्तीय पोषण में चला जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षरण में अति पूंजीकरण, भ्रष्ट भुगतान, अनावश्यक

सामाजिक मदें और वेतनतर लाभ तथा अलाभप्रद उद्योग एवं उत्पादन निकायों का निर्माण सम्मिलित है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(क) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

हिन्द गाल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा भारतीय तेल निगम के साथ हुए लेन-देन में की गई अनियमितताओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

82. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** हिन्द गाल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा भारतीय तेल निगम के साथ हुए लेन-देन से की गई अनियमितताओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने के संबंध में 16 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 478 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में कहां तक प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : अपनी 86वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.34 में प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिश संख्या 11 को लागू करने के सम्बन्ध में की जा रही आगामी कार्यवाही के ब्यौरों को इस समय बताना जनहित में नहीं होगा ।

कपड़े पर उत्पादन शुल्क

83. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक उद्योगों में विभिन्न आकार के एककों में उत्पादन शुल्क की दर अलग-अलग है ;

(ख) क्या सरकार को बड़ी और छोटी सूती मिलों पर उसी प्रकार से दर लागू करने के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ में किसी विशेष उत्पादन पर शुल्क, उसका उत्पादन करने वाले कारखाने के आकार का भेद किये बिना एक ही दर से नियत है । परन्तु केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के नियम 8 के द्वारा सरकार को उपयुक्त मामलों में शुल्क से पूर्व अथवा आंशिक छूट देने के अधिकार मिले हुए हैं । इस अधिकार के अधीन सरकार ने उत्पादन शुल्क लगने योग्य किसी-किसी माल के उत्पादक छोटे पैमाने के कारखानों को शुल्क में कुछ रियायत दी है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल नहीं उठता है।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा धन स्वदेश भेजना

84. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रहने तथा कार्य करने वाले भारतीयों की गत तीन वर्षों में वर्षवार संख्या क्या है :

(ख) हर वर्ष उन्होंने कितनी धन राशि स्वदेश भेजी है ; और

(ग) स्वदेश भेजी जाने वाली धनराशि में कमी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विदेशों में रहने और काम करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या के सही-सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). इस समय शोधन शेष के आंकड़े रखने की जो प्रणाली है उससे देश में आने वाली रकमों के राष्ट्रीयता के अनुसार आंकड़ों का पता नहीं चलता। लेकिन 1967 की तुलना में 1968 और 1969 में देश में बाहर से अधिक रकमें आयीं हैं।

प्रधान मन्त्री द्वारा राजधानी के अस्पतालों का दौरा

85. **श्री सु० कुं० तापड़िया :**
श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने राजधानी के अस्पतालों का अचानक दौरा किया है और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही ; और

(ख) निर्धन रोगियों को अस्पताल में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्होंने मंत्रालय को क्या कदम उठाने के लिये कहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). प्रधान मन्त्री ने 9 मई, 1970 को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में आकस्मिक दौरा किया। उन्होंने वहिरंग विभाग, अस्पताल के रसोई घर एवं स्नानागारों के सुधार के लिये कुछ सुझाव दिये। उन्होंने प्रतीक्षा के लिए समुचित स्थान, आपात रोगियों की ओर तुरन्त ध्यान देने तथा कैन्टीन सेवाओं का सुविधाजनक स्थान आदि जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने की इच्छा व्यक्त की। इन सब बातों पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है और उन्हें शीघ्र ही पूरा किया जायेगा।

विश्व बैंक से सहायता

86. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के लिये विश्व बैंक से सहायता के रूप मे कितनी राशि प्राप्त हुई है और गत वर्ष की क्रमशः परियोजना एवं परियोजनोत्तर सहायता आंकड़ों के अनुपात में यह राशि कितनी है ; और

(ख) क्या संघ सहायता के लिये निर्यात वृद्धि आदि जैसी कोई शर्त भी रखता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत को, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ सहित विश्व बैंक से 1969-70 के लिए 24.80 करोड़ डालर (186 करोड़ रुपये) की सहायता प्राप्त हुई जिसका ब्यौरा इस प्रकार है —अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण परिशोधन सम्बन्धी सहायता के रूप में 1.50 करोड़ डालर (11.25 करोड़ रुपये), अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्रायोजना-भिन्न सहायता के रूप में 7.5 करोड़ डालर (50.25 करोड़ रुपये) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्रायोजना सहायता के रूप में 11.75 करोड़ डालर (88.1 करोड़ रुपये) और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से प्रायोजना सहायता के रूप में 4.05 करोड़ डालर (30.38 करोड़ रुपये)। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक, कुल 11.75 करोड़ डालर (88.1 करोड़ रुपये) के करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं जिन में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण परिशोधन संबंधी सहायता के लिए 1.50 करोड़ डालर के (11.25 करोड़ रुपये), अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्रायोजना सहायता के लिए 6.25 करोड़ डालर (46.9 करोड़ रुपये) के और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से प्रायोजना सहायता के लिए 4.00 करोड़ डालर के (30 करोड़ रुपये) करार शामिल है।

(ख) जी नहीं।

गुजरात में अतिरिक्त मेडिकल कालेज

88. **श्री प्र० न० सोलंकी :**

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने गुजरात में और अधिक मेडिकल कालेज खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सरकार ने कौन-कौन से स्थान पर मेडिकल कालेज स्थापित करने की सिफारिश की है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है अथवा लेने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, गुजरात सरकार यह जानना चाहती थी कि भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य को एक चिकित्सा महाविद्यालय देने का निश्चय किया है अथवा नहीं।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन नये चिकित्सा महाविद्यालयों के खोले जाने का प्रस्ताव है वे किन-किन स्थानों में खोले जायेंगे इसका निश्चय राज्य सरकार ने करना है। गुजरात सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को किन्ही भी स्थानों का सुझाव नहीं दिया है।

(ग) स्वास्थ्य संबंधी केन्द्रीय कार्यकारी दल ने सुझाव दिया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में गुजरात के लिए नया चिकित्सा महाविद्यालय राज्य क्षेत्र में खोला जाय।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नये चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है और इस प्रयोजना के लिए उन्हें कोई केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है। कोई भी नया चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार को राज्य-योजना में ही आवश्यक परिव्यय का प्रावधान करना होता है।

मंत्रियों और अधिकारियों के फरनीचर, बिजली, लेखन सामग्री आदि व्यय में कमी

89. **श्री न० ता० दास** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रियों और अधिकारियों के लिए फरनीचर, बिजली, लेखनसामग्री तथा अन्य वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कटौती की क्या सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ख) किन मन्त्रियों ने पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से तत्सम्बन्धी अनुदेशों का पालन नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) मन्त्रियों और उप-मन्त्रियों के निवास स्थानों पर बिजली के उपकरणों तथा फ़र्नीचर की सप्लाई, मन्त्रियों के निवास स्थान नियम, 1962 के अन्तर्गत नियमित होती है। इस के अनुसार, उप-मन्त्री से अन्य, मन्त्री उसे आवंटित किए गए निवास स्थान में 38,500 रुपये की ऊपरी वित्तीय सीमा तक, तथा उप-मन्त्री 22,500 रुपये की ऊपरी सीमा तक बिना किराये के फर्नीचर तथा बिजली के उपकरण की सप्लाई का पात्र है। ऐसे निवास स्थानों में, इन सीमाओं से अधिक दिये गये फ़र्नीचर और बिजली के उपकरणों की प्रत्येक वस्तु के लिए, मन्त्री द्वारा उन्हीं दरों पर किराया देय है जो कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। मन्त्री के निवास स्थान के कार्यालय-भाग में सप्लाई किये गये फर्नीचर और बिजली के उपकरणों का मूल्य उपर्युक्त ऊपरी सीमा में शामिल नहीं है। निवास स्थान के कार्यालय भाग में फर्नीचर सप्लाई करने के लिए प्रशासकीय मन्त्रालय स्वयं उत्तरदायी हैं।

मन्त्रियों और उप-मन्त्रियों के निवास स्थानों पर बिजली और पानी की सप्लाई के लिए

कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तथापि, उन्होंने स्वेच्छा से 2,400 रुपये प्रतिमास की ऊपरी सीमा को मान लिया है। इस ऊपरी सीमा से अधिक पानी तथा बिजली की खपत के लिए, मन्त्री अदायती करने का उत्तरदायी है।

मन्त्रियों के कार्यालयों तथा उनके निवास स्थान के कार्यालय-भागों में फर्नीचर सप्लाई करने का उत्तरदायित्व, सम्बन्धित प्रशासकीय मन्त्रालयों का है। इस प्रयोजन के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है तथा सप्लाई वास्तविक आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

अधिकारियों के निवास स्थानों पर फ़र्नीचर, बिजली तथा पानी की मुफ्त सप्लाई नहीं की जाती, सिवाय इस के कि निवास स्थान पर सरकारी काम करने के लिए मेज, कुर्सी आदि जैसे न्यूनतम फर्नीचर की सप्लाई की अनुमति है।

अधिकारियों को लेखन-सामग्री की सप्लाई मुख्य नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय के दिनांक 14 जुलाई, 1954 के कार्यालय ज्ञापन सं० 5/111/52--पी० एण्ड एस० में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रशासित की जाती है। तथापि, मुख्य नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री द्वारा निर्धारित लेखन सामग्री सम्बन्धी मापदण्ड, मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों तथा रेलवे, डाक तथा तार विभाग और रक्षा एककों जैसे अदायगी करने वाले विभागों पर लागू नहीं होता। अदायगी करने वाले विभागों को सप्लाई, उनके प्रशासकीय मन्त्रालयों द्वारा किये गये वित्तीय नियतनों के अनुसार दी जाती है।

(ख) तथा (ग). ऐसे उदाहरण हमारे नोटिस में कोई नहीं लाये गये हैं।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार

90. **श्री न० ता० दास** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के विस्तार का कार्यक्रम क्या है ;

(ख) दिल्ली तथा नई दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को इस योजना से कब तक लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना पर कितना वार्षिक व्यय करने का लक्ष्य है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). दिल्ली/नई दिल्ली केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना एक नान-प्लान-स्कीम है। इस योजना के अन्तर्गत नये औषधालय खोलने के लिए वार्षिक आधार पर धन की व्यवस्था की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के लिए संस्वीकृत बजट में और अधिक औषधालय खोलने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

दिल्ली/नई दिल्ली के सभी नागरिकों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे, लक्ष्मी बाई नगर, मोती बाग, किदवई नगर, एण्ड्रूज गंज, नार्थ एवेन्यू,

दक्षिण एवेन्यू, कन्स्टिट्यूशन हाऊस, चाणक्यपुरी, हौज खास, पण्डारा रोड, नौरोजी नगर, टेलिग्राफ लेन, वैलेजली रोड, रामकृष्णपुरम-2, में चल रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले ग्राम जनता के लोग, निश्चित दर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का अंशदान देकर इसकी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान के मामले

91. **श्री राम चरण :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री शिव चरण लाल :**
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण एवं नगरीय जनता पर लगाये गये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मामले बहुत अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न आय वर्गों में कराधान सम्बन्धी मामलों में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) ऐसी असंगत परिस्थिति को अपनाये रखने के कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). वित्त मंत्रालय ने 1963-64 के अप्रत्यक्ष कर भार के सम्बन्ध में जो अध्ययन किया था उसके अनुसार शहरी परिवारों पर पड़ने वाला अप्रत्यक्ष कर भार कुल उपभोक्ता व्यय के अनुपात में 16.6 प्रतिशत बैठता है—जो ग्रामीण परिवारों पर पड़ने वाले 8.0 प्रतिशत कर भार के दुगने से थोड़ा सा ज्यादा है। उक्त अध्ययन के अनुसार, विभिन्न व्यय समूहों के शहरी और ग्रामीण परिवारों पर जो अप्रत्यक्ष कर-भार पड़ता है उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आंकड़ों की अपर्याप्ता के कारण शहरी और ग्रामीण परिवारों पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष कर-भार के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) हालांकि सरकार की लगातार यह कोशिश रहती है कि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जाय कि जहां तक सम्भव हो शहरी और ग्रामीण परिवारों पर पड़ने वाले कर-भार का अन्तर कम हो लेकिन जब तक उपभोग के स्वरूप में अन्तर रहेगा तब तक एक ही व्यय वर्ग के शहरी और देहाती परिवारों पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष कर-भार में अवश्य कुछ अन्तर बना रहेगा। जहां तक प्रत्यक्ष कर-भार का सम्बन्ध है, उसमें अन्तर होने का कारण यह है कि केन्द्र केन्द्रीय आयकर जो केवल कृषि-भिन्न आय पर लगता है, उसके ढांचे में तथा उसकी दरों में और भू-राजस्व तथा कृषि आयकर के ढांचे और दरों में, जो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं, भिन्नताएं हैं।

विवरण

उपभोक्ता व्यय के अनुपात में कर का प्रतिशत

परिवारिक मासिक व्यय समूह	1953-54			1958-59			1963-64		
	ग्रामीण	शहरी	अखिल भारतीय	ग्रामीण	शहरी	अखिल भारतीय	ग्रामीण	शहरी	अखिल भारतीय
रु० 0-50	2.2	3.6	2.4	2.5	5.8	3.1	5.8	11.1	6.5
,, 51-100	2.4	4.5	2.7	3.6	7.1	4.3	6.1	11.6	7.0
,, 101-150	2.6	5.1	3.1	4.1	8.0	5.1	6.8	12.6	8.0
,, 151-300	2.8	5.1	3.3	4.8	9.0	5.9	8.8	14.0	10.1
301 रुपये और उसके ऊपर	4.1	8.2	5.5	6.9	13.8	9.3	11.9	24.6	16.6
सभी परिवार	2.9	5.9	3.6	4.4	9.3	5.7	8.0	16.6	10.1

कोयली शोधनशाला के विस्तार कार्यक्रम में बाधा

92. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री प० गोपालन :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयली शोधनशाला के प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम को रोका जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसका कारण देश में कच्चे तेल का न मिलना है ; और

(घ) यदि हां, तो कच्चे तेल के न मिलने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). आगामी वर्षों में गुजरात तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गुजरात शोधनशाला के विस्तार के प्रश्न पर, एक अध्ययन दल इस समय विचार कर रहा है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और रूसी विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण

93. **श्री क० हाल्दर :** **श्री जि० मो० बिस्वास :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और रूसी विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से दिये गये सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ख) इन निष्कर्षों पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का रूसी विशेषज्ञों की सहायता से देश में पैट्रोलियम संसाधनों का एक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने का प्रस्ताव हैं। इस उद्देश्य के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और रूसी टैकनोएक्सपोर्ट के बीच एक ठेके पर हस्ताक्षर हुए हैं।

राष्ट्रीकृत बैंकों में राष्ट्रीकरण के बाद की गई कार्रवाई

94. **श्री स० चं० सामंत** :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री भोगेंद्र झा :
श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन उद्देश्यके लिये इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसकी पूर्ण प्राप्ति के लिये राष्ट्रीयकरण के बाद की कार्यवाही के रूप में ऐसी क्या कार्यवाही की गयी है जिसका संकेत वित्त मंत्री ने उक्त समय पर दिया था ; और

(ख) प्रशासन में क्या परिवर्तन किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बैंक राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य ये थे कि सारे देश में बैंक संबंधी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जाए और समाज के उन वर्गों तथा क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए जिन्हें बैंक-ऋण का यथोचित भाग प्राप्त नहीं होता रहा है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख यहां किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1969 में बड़े भारतीय बैंकों के लिए शाखा विस्तार का कार्यक्रम तैयार किया जिस में बैंक रहित केन्द्रों पर विशेष ध्यान दिया गया था। 1350 केन्द्रों की सूची एक परिचारित की गयी जिन में से 1186 केन्द्र बैंक-रहित थे। 1970 के पूर्वार्द्ध में 600 शाखाएं चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि 30 जून 1970 तक वास्तव में 875 शाखाएं खोली जा चुकी थीं। हाल ही में बैंकों को कहा गया है कि वे कुछ ऐसे जिलों में शाखाएं खोलने के लिये विशेष ध्यान दें जहां अधिक बैंक सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता है। जहाँ तक ऋण देने का संबंध है बहुत से बैंकों ने किसानों, छोटे उद्योगपतियों, सड़क परिवहन चालकों और आत्मनियोजित व्यक्तियों आदि के उन आर्थिक क्षेत्रों की सहायता के लिये नयी योजनायें तैयार की हैं जिनकी ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों को दिये जा रहे अग्रिमों की बकाया रकमों तथा खातों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अब तक जो क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं उन को बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के लिए गारंटी की एक पद्धति निर्धारित करने के प्रयोजन से एक कार्यकारी दल की स्थापना की गयी थी। इस दल ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं जो इस समय विचाराधीन हैं और इनके बारे में शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

2. रिजर्व बैंक ने, प्रत्येक जिले में सुव्यवस्थित और समन्वित ढंग से बैंक व्यवसाय के

सघन विकास के दीर्घकालीन उपाय के रूप में बैंक नेतृत्व योजना बनाई है। इस प्रयोजन के लिये रिजर्व बैंक ने कुछ महानगरीय क्षेत्रों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों को छोड़कर भारतीय संघ के सभी जिले दिसम्बर 1969 में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों को बांट दिये थे। प्रत्येक बैंक को, जिले में जमा की रकमें जुटाने की सम्भावना को आंकने और उस जिले में रकमों की उपलब्धि और ऋणों की माँग के अन्तर को जानने के लिये साधनों का सर्वेक्षण करने के संबंध में काम प्रारम्भ करना पड़ता है। प्रत्येक जिले की अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित आंकड़ों को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसूची के रूप में संकलित करने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इन सर्वेक्षणों का प्रयोजन, भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए आधार तैयार करना है।

3. ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन और वित्तीय आकलन में सुधार करने के लिये और अन्ततः ऋण का उद्दिष्ट उपयोग हो सके इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए भी कदम उठाए गये हैं। रिजर्व बैंक एक करोड़ रुपये से अधिक बैंक ऋणों के प्रार्थना-पत्रों की छानबीन पहले से अधिक सावधानी से कर रहा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अतिरिक्त ऋण उसी अवस्था में दिया जाए जबकि अतिरिक्त उत्पादन के लिये वस्तुतः उसकी आवश्यकता हो। 25 लाख रुपये और उससे अधिक की व्यक्तिगत ऋण सीमा के प्रस्तावों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सावधानी बरतने के लिये बैंकों को भी कह दिया गया है। रिजर्व बैंक ने, ऋण सुविधाओं सम्बन्धी प्रस्तावों के सम्बन्ध में किसी न्यायसम्मत निर्णय पर पहुंचने में बैंकों को सहायता देने के लिये एक प्रपत्र तैयार किया है।

(ख) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पहले निदेशक मण्डलों का गठन बैंक समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत 18 जुलाई, 1970 को किया गया था। यह अन्तरिम व्यवस्था है और नियमित निदेशक मण्डलों का गठन सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9 के अधीन तैयार की जाने वाली योजना के अन्तर्गत किया जाएगा। बैंकों के प्रशासनिक ढांचे में फिलहाल कोई और परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों को नियमित करना

95. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में स्थित दिल्ली और नई दिल्ली के कस्बों में अनधिकृत निर्मित विभिन्न बस्तियों या भूमि को नियमित करने के बारे में दिल्ली प्रशासन या दिल्ली विकास प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने ढांचों, निर्माणों, अहातों आदि को नियमित किया गया है ; और

(ग) ऐसे कितने मामले अभी निपटारे के लिये विचाराधीन हैं और उनके बारे में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां। 1969 में दिल्ली प्रशासन ने यह निर्णय किया था कि उन अनधिकृत निर्माण बस्तियों के नियमितीकरण के प्लान तैयार किये जायेंगे जो 1, फरवरी, 1967 से पहले बन चुकी थीं तथा ऐसे निर्माण बस्तियों का नियमितकरण कर दिया जायेगा जो कतिपय शर्तों को पूरा करती हों। दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्रों में आने वाली ऐसी 27 अनधिकृत बस्तियां है।

(ख) और (ग). इन 27 बस्तियों में से 5 के नियमितीकरण के प्लानों को अनुमोदित कर दिया गया है तथा उनमें नियमितीकृत संरचनाओं का प्रतिशत 81.4 प्रतिशत से 87.5 प्रतिशत तक के बीच है।

8 बस्तियों के नियमितीकरण के प्लान तैयारी की अन्तिम अवस्था में हैं, तथा एक बस्ती का प्लान अभी बनाया जाना है। यह बताना संभव नहीं है कि इन बस्तियों के नियमितीकरण के प्लानों को कब तक अनुमोदित कर दिया जायेगा।

शेष 13 बस्तियों के नियमितीकरण के प्लानों को तैयार नहीं किया जाना है, क्योंकि उनमें से 9 वृहत् योजना में निर्धारित भूमि-उपयोग के अनुरूप नहीं हैं और 4 बस्तियों में कोई संरचना नहीं है।

Realisation of Income-Tax from Officers of Modi Group Industries

96. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of Income tax due from each of the Directors and the Managers of the Modi Group of Industries during the financial years 1967-68, 1968-69 and 1969-70 ;

(b) the amount of Income-tax realised by Government from each of them during the said periods ; and

(c) the amount of Income-tax still outsanding against each of them and the action Government propose to take to recover the said amount ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). There were a large number of Directors and Managers of the Modi Group of Industries during the financial years 1967-68, 1968-69 and 1969-70. These Directors and Managers are being assessed to tax in several Commissioner's charges and as such the collection of the required information will require considerable time and labour. If the Hon'ble Members desire information about any particular Director/Manager, the same will be duly furnished.

Seizure of Opium

97. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the central excise authorities had seized a large quantity of opium at Mohania Check Post in Shahabad District in the later half of June 1970 ;

(b) if so, the quantity and the value thereof ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) 84.3 Kgs. of the approximate value of Rs. 3,372 but which would fetch a very much higher price in the illicit market.

(c) No arrests have so far been made.

Assessment of Income-tax on Modi Group of Industries

98. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of income-tax assessed on the Modi Group of Industries during the financial years 1967, 1968 and 1969 ;

(b) the amount of Income-tax realised from them during the aforesaid years ;

(c) whether it is a fact that a huge amount of Income-tax is outstanding against the Modi Group of Industries ; and

(d) if so, the amount outstanding against them on this account and the action taken by Government to realise the same ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d). The requisite information is not readily available. It is being collected in respect of the Modi Group of Industries as appearing in the Monopolies Inquiry Commission's Report, 1965 for the financial years 1967-68, 1968-69 and 1969-70 and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

Renting of Vigyan Bhawan, Rabindra Rangshalla and Mavalankar Auditorium, New Delhi

99. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the number of times Government let out Vigyan Bhavan, Rabindra Ranghshala and Mavalankar Auditorium in New Delhi to Government, Semi-Government and Private organisations since the 1st January, 1967 till to date, year-wise ; and

(b) the total amount of rent realised therefrom during the said period, year-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh): (a) and (b). A statement furnishing the information is attached.

STATEMENT

Statement showing the number of times Government let out Vigyan Bhavan, Rabindra Rangshala and Mavalankar Auditorium to Government, Semi-Government and

Private Organisatsons and total amount realised from 1st January, 1967 to 30th June, 1970, year-wise.

Name of the building	Year	Let out to			Total	Total amount realised
		Govern-ment	Semi-Govern-ment	Private		
Vigyan Bhavan	1967	188	22	23	233	70,161.97
	1968	159	10	22	191	1,03,280 64
	1969	248	19	50	317	75,304.71
	1970	88	13	36	137	62,196.26
*Rabindra	1969	—	1	15	16	7,720.00
Rangshala	1970	1	—	9	10	8,425.00
Mavalankar	1967	13	—	46	59	39,488.25
Auditorium	1968	25	14	86	125	64,797.50
	1969	45	15	81	141	71,540.00
	1970	25	6	93	124	57,660.00

NOTE :—The amount realised does not include the amount realised as advance-payment for bookings beyond the 30th June, 1970.
*Rabindra Rangshala was inaugurated in October, 1968.

पी० एल० 480 निधियों उपयोग

100. **श्री हुंचे गौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 तथा 1969 में पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका सरकार से रुपयों में कितनी वास्तविक सहायता प्राप्त की गई ;

(ख) इन वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर कितनी सहायता का उपयोग किया गया ;

(ग) इन वर्षों में भारत में औद्योगिक मजदूरों के लाभ के लिये अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा आरम्भ किये गये कार्यक्रमों पर इस सहायता में से कितनी राशि व्यय की गयी ; और

(घ) कार्यक्रमों, परियोजनाओं और भाग लेने वाले संगठनों के नामों पर ब्यौरा क्या है और इन वर्षों में इन कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को भत्ते के रूप में कितनी राशि दी गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें 1968-69 और 1969-70 के दौरान पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमेरिका की सरकार से भारत सरकार को प्राप्त हुए ऋणों का प्रोयोजनावार ब्यौरा दिया गया है।

(ग) शून्य।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता। [**ग्रन्थालय मे रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी 3712/70]

राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि में वृद्धि/कमी

101. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि कितनी है ; और

(ख) क्या जमा राशि में कोई वृद्धि अथवा कमी हुई है, यदि हां, तो किस वर्ष में वृद्धि अथवा कमी हुई है और इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक विवरण सभा संलग्न है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा रकमों में होने वाली वृद्धि की दर 1970-71 के वित्तीय वर्ष के 3 महीनों में 4.8 प्रतिशत रही जो 1969-70 के उन्हीं तीन महीनों में हुई वृद्धि की 8.8 प्रतिशत की दर की तुलना में कम है। जमा की रकमों में अपेक्षाकृत कम रफ्तार से वृद्धि होने का कुछ कारण सरकार द्वारा घाटे की वित्त-व्यवस्था का अपेक्षाकृत कम विस्तार होना और विदेशी मुद्रा की शुद्ध (नेट) प्राप्तियों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होना है। इसके अलावा, यह विश्वास किया जाता है कि इस वर्ष हाल में मूल्यों में हुई वृद्धि का और औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियों में हुए सुधार का, जमा की रकमों में होने वाली वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विवरण

14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा रकमें

(करोड़ रुपयों में)

निम्न महीनों के अन्तिम शुक्रवार को	राशि	पिछले वर्ष के मार्च के महीने की तुलना में वृद्धि
मार्च, 1968	2094.1	
मार्च, 1969	2404.3	+310.2 (+14.8 प्रतिशत)
जून, 1969	2615.5	+211.2 (+8.8 प्रतिशत)
मार्च, 1970	2814.8	+410.5 (+17.1 प्रतिशत)
जून, 1970	2950.0	+135.2 (+4.8 प्रतिशत)

विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के लिये नियत किये गए दर

102. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में पेट्रोलियम के प्रत्येक पदार्थ के लिए क्या दर नियत किये गये हैं ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में दर में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य वार्षिक आधार पर निर्धारित नहीं किये जाते हैं। 1.2.1966 से 31.5.1970 की अवधि के दौरान सरकार ने तेल मूल्यों के कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्यांकन किया था। 1.6.1970 से मूल्यांकन पैटर्न तेल मूल्य समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों पर आधारित है।

(ख) मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर आधारित प्रारम्भिक निर्धारण के बाद, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धियां के निम्न कारण हैं ;

(क) उत्पादन-शुल्क घाट-भाड़ा आदि जैसे सांविधिक करों में वृद्धि ; और

(ख) अन्य प्रभारों में वृद्धियां जैसे रेलवे भाड़ा, चुंगी आदि जो मूल्य ब्यौरों में शामिल हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

103. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद का देश में कुल कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों में देश में इनके उत्पादन पर वर्ष-वार कुल कितना धन व्यय किया गया ; और

(ग) उत्पादन और व्यय में हुई वृद्धि का अनुपात क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया है।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी०—3713/70]

सीमा शुल्क विनियमयों का उल्लंघन

104. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के पूर्वार्ध में कितने लोगों ने सीमाशुल्क विधियों का उल्लंघन किया और प्रत्येक पत्तन पर ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी थी ;

(ख) उनमें से कितने सरकारी कर्मचारी थे और कितने सरकार से सम्बद्ध थे ;

(ग) कुल कितने मूल्य का माल पकड़ा गया और उसमें से कितना माल सरकार ने जब्त किया ;

(घ) जुर्माने के भुगतान के बाद कितना माल छोड़ दिया गया और जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ङ) सीमा शुल्क की चोरी को कम करने अथवा इसे पूर्ण रूप से रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन सम्बन्धी सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और वह सभा की मेज पर रख दी जायेगी। परन्तु सरकार के कर्मचारियों तथा सरकार से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों के बारे में सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में सरकार द्वारा भूमि अर्जित करना

105. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकार ने कितनी-कितनी भूमि अर्जित की है और विभिन्न कालोनियों में भूमि के मालिकों को किस दर पर प्रतिकर दिया गया है ;

(ख) विभिन्न कालोनियों में भूमि की बिक्री के लिये क्या कीमत निश्चित की गई है और गत एक वर्ष में निश्चित कीमत पर कितने लोगों को भूमि दी गई है ;

(ग) दिल्ली तथा नई दिल्ली में भूमि की नीलामी से सरकार को प्रति वर्ग गज। कनाल कितनी अधिकतम कीमत प्राप्त हुई है ; और

(घ) निम्न आय वर्ग के लोगों की रिहायशी स्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकार ने क्या प्रभावी कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार, नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए 1961-62 के वर्ष से लेकर 1969-70 तक 31,545 एकड़ भूमि अर्जित की है। भूमि अर्जन कलेक्टरों द्वारा अदा किये गये मुआवजे की न्यूनतम तथा अधिकतम दर 200 रुपये प्रति बीघा से लेकर 15,000 रुपये प्रति बीघा के बीच है जो भूमि के स्थित और प्रकार पर निर्भर है।

(ख) विकसित भूमि की सुरक्षित दर प्रत्येक इलाके में पृथक-पृथक है। एक ही इलाके में निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिए एवं नीलामी के लिये पृथक सुरक्षित दर निर्धारित की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न रिहायशी योजनाओं में भूमि के लिए जुलाई 1969 से लागू पूर्व-निर्धारित दरें निम्न आय वर्ग के लिये 36.00 रुपये से 50.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर और माध्यम आय वर्ग के लिए 53.00 रुपये 68.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच

है। 1-7-1969 से 30-6-1970 के बीच एक वर्ष की अवधि के दौरान विभिन्न आकार के 603 प्लाट पूर्व निर्धारित दरों पर आवंटित किए गये थे।

(ग) 245.18 रुपये प्रति वर्ग मीटर का अधिकतम मूल्य सफदरजंग रिहायसी स्कीम में 8-2-1970 को हुए नीलामी में एक रिहायशी प्लाट के लिए प्राप्त हुआ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्न आय वर्ग लोगों को वास्तविक लागत से भी कम रियायती दरों पर आवंटन करने के लिए प्लाट विकसित करता रहा है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण उन्हें किरायाक्रयीद आधार पर आवंटन के लिए मकानों का निर्माण कर रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय

106. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :**

श्री अब्दुल गनी डार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1969-70 में परिवार नियोजन पर कुल कितना धन व्यय किया गया है और उसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा कितना-कितना है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए 1970-71 में कितनी धन राशि की व्यवस्था की गई है और उक्त धन राशि किस प्रकार खर्च की जायेगी ; और

(ग) जनसंख्या में 1969-70 में कितने प्रतिशत की कमी हुई और इस सम्बन्ध में सरकार को क्या मुख्य एवं विशेष लाभ हुए ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) वर्ष 1969-70 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कुल अनुमानित खर्च 4028.93 लाख रुपये था। इसमें से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने 3567.18 लाख रुपया खर्च किया था जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने शत प्रतिशत सहायता प्रदान की थी।

(ख) वर्ष 1970-71 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए 5200.00 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। इसमें से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 4618.71 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) अनुमान है कि वर्ष 1969-70 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 18.59 लाख जन्म रोके गए।

वर्ष के दौरान जो मुख्य सफलताएं प्राप्त हुई वे इस प्रकार हैं :—

(1) परिवार नियोजन के नसबन्दी, लूप और प्रचलित गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाने वालों की संख्या में 35 लाख की वृद्धि।

(2) 59 चुने हुए अस्पतालों में प्रसवोत्तर कार्यक्रम की नई योजनाएं, 17 जिलों में

सघन जिला कार्यक्रम, वाराणसी प्रभाग के 5 जिलों में चुने हुए क्षेत्र कार्यक्रम और मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शिशुओं और स्कूल जाने से पूर्व अवस्था वाले बच्चों और माताओं का डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस आदि रोगों से बचाव और माताओं और बच्चों में पोषण के अभाव से होने वाली रक्तक्षीणता की रोकथाम सम्बन्धी योजनाएं शुरू की गई ।

पैट्रोलियम वस्तुओं के बारे में अनुसंधान

107. **श्री प्रेम चंद वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोलियम वस्तुओं के अनुसंधान कार्य में संलग्न विभाग को गत एक वर्ष के दौरान कितनी वस्तुओं का और देश के किस हिस्से में पता लगा है और प्रत्येक वस्तु के कितनी मात्रा में प्राप्त होने की आशा है ;

(ख) देश में पैट्रोल, मिट्टी का तेल, उर्वरक, डीजल आदि पैट्रोलियम वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है ;

(ग) 1968,1969 और 1970 में इन वस्तुओं की कीमत में क्या अन्तर है ; और

(घ) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कोई विशेष अनुसंधान दल भेजा है, यदि हां, तो इसने क्या प्रतिवेदन दिया है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस उद्देश्य के लिए एक अलग अनुभाग स्थापित करके, पर्वतीय क्षेत्रों में अनुसन्धान की ओर विशेष ध्यान देगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) आसाम और गुजरात में तेल और गैस पाया गया है। मात्रात्मक अनुमान लगाने के लिए अतिरिक्त व्यधन किया जा रहा है ।

राजस्थान के जैसलमेर जिला में व्यध्ति कुंओं में से एक में प्राकृतिक गैस पाई गई है। गैस संचय के बारे में अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए, और व्यधन कार्य किया जा रहा है। उपलब्ध दित्ता के आधार पर, संचय व्यापारिक हित के दिखाई नहीं देते हैं ।

(ख) प्रत्येक तीन या चार वर्षों में नियुक्त मूल्य जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण करती है । जबकि प्रत्येक मूल्यांकन अवधि के दौरान, उत्पादों के मूल्य वही रहे है, उनमें वृद्धियां या कमियां, यदि कोई हों, उत्पादन शुल्कों और करों में उतार-चढ़ाव के कारण है । जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, सेन्ट्रल फर्टिलाइजर पूल आयातित उर्वरकों का वितरण यथा सम्भव बिना-लाभ तथा बिना हानि के आधार पर अधिकतम किफायत वाले मूल्यों पर करता है । चार मुख्य उर्वरकों अर्थात् अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के मूल्यों का साविधिक रूप से नियन्त्रण किया गया है ।

(ग) 1968, 1969 और 1970 आदि में पैट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों के मूल्यों के तीन विवरण पत्र संलग्न है (विवरण पत्र एक से तीन तक)

(घ) पहाड़ियो में भूगर्भीय और भूभौतिकी अन्वेषण कार्य, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य का अंश है। आयोग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भूगर्भीय, गुरुत्व, चुम्बकीय, भूकम्पीय और व्यधन कार्य किये हैं। वर्तमान समय में, जम्मू और काश्मीर राज्य में सूरिनसार के समीप एक गहरा अन्वेषी कुआं व्यधन किया जा रहा है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3714/70]

श्री एस० निजलिंगप्पा को प्राप्त गुप्त दान के संबंध में जांच

108. **श्री मु० अ० खां :**
श्री मुरासोली मारन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित हुआ है कि कांग्रेस (ओ) के अध्यक्ष श्री एस० निजलिंगप्पा को गत कुछ महीनों से गुप्त दान प्राप्त हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस गुप्त दानी के आय-स्रोत और श्री निजलिंगप्पा को अब तक प्राप्त कुल रकम का पता लगाने के लिये जांच का आदेश दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जी, हां। नाम छिपाकर दिये गये ऐसे दान के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आये हैं। सामान्यतया दान की रकमें दान पाने वाले की कर लगने योग्य आय नहीं समझी जाती और बहरहाल जांच कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान ही की जा सकती है।

बरौनी उर्वरक परियोजना में होने वाला घाटा

109. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा :** **श्री सीताराम केसरी :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी उर्वरक कारखाने को मिट्टी हटाने के कार्य सम्बन्धी परियोजना के जबरदस्ती रोके जाने के कारण गत दो महीनों से भी अधिक समय से प्रतिदिन लगभग एक लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार कौन से कदम उठाये जाने पर विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) बरौनी उर्वरक कारखाने के अर्थ फिलिंग के कार्य में कुछ बाधा उत्पन्न हुई थी क्योंकि इलाके के भू-स्वामियों ने उपकरणों के लाने ले जाने में रुकावट डाली थी और कार्य जारी रखे जाने पर ठेकेदारों को भयंकर परिणामों की धमकी दी थी परन्तु इससे संयंत्र को प्रति दिन 1 लाख रुपये का घाटा नहीं हुआ।

(ख) राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई है। इस बीच कारखाने की सीमा के अन्दर बेकार पड़े कुछ क्षेत्रों, जहां पर अर्थ फिलिंग कार्य के लिए भूमि खोदी जा रही है, के नियतन से वैकल्पिक प्रबन्ध कर दिये गये हैं।

ब्रिटेन से सहायता

110. **श्री रामचंद्र वीरप्पा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार वित्तीय वर्ष 1970-71 के लिए भारत को 81 करोड़ रुपये का ऋण देना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण को किस उद्योग विशेष के प्रयोग में लाया जाएगा ; और

(ग) इस नये ऋण करार की शर्तें क्या होंगी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां। ब्रिटेन की सरकार ने भारत को 1970-71 के लिए 81 करोड़ रुपये (450 लाख पौण्ड) देने का वचन दिया है।

(ख) यह रकम जो यथा समय, करारों के अन्तर्गत ऋणों में परिवर्तित कर दी जायेगी, किसी विशेष उद्योग के लिए निर्धारित नहीं की गई है बल्कि इसका उपयोग विभिन्न प्रायोजनाओं के वित्त पोषण और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कई प्रकार के पूंजीगत माल और अनुरक्षण-सम्बन्धी माल के आयात के लिए किया जाएगा।

(ग) ये ऋण ब्याज-मुक्त होंगे और इनकी वापसी 25 वर्ष की अवधि में करनी होगी जिसमें 7 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है।

एस्सो द्वारा अपनी बम्बई स्थित शोधनशाला के लिए आयातित कच्चे तेल की कीमत में कमी

111. **श्री रामचंद्र वीरप्पा** :
श्री क० अ० प्रसाद :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस्सो अमरीकन आयल कम्पनी को आदेश दिया गया है कि अपनी बम्बई स्थित शोधनशाला के लिए 80 प्रतिशत लाइट अरेबियन कच्चे तेल को 1.25 डालर प्रति बैरल की दर से सप्लाई करे ; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनी की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) कम्पनी से कहा गया है कि वह 1-7-70 से 80% अरेबियन लाइट और 20% अरेबियन हैवी क्रूडज के कच्चे तेल मिश्रण की सप्लाई करे ;

(ख) उन्होंने 1.25 डालर प्रति बैरल के जिसका विशेष गुरुत्व 32°-33.5° ए० पी० आई० के बीच है, सहमत मूल्य पर ऐसा करने की सहमति प्रकट कर दी है।

केन्द्रीय राजस्व की वसूली

112. **श्री ब० कृ० दास चौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 और 1969-70 के वर्षों में केन्द्रीय राजस्व की लगभग कितनी वसूली हुई ;

(ख) क्या राजस्व वसूली में वृद्धि हुई है, और यदि हां, तो कितनी ?

(ग) की गई अनुमानित वसूलियां तथा अभी की जाने वाली वसूलियों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उसको शीघ्र वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). वर्ष 1969-70 में विभिन्न करों तथा शुल्कों के माध्यम से वसूल हुए केन्द्रीय राजस्व की रकम 2712 करोड़ रुपये हैं, और वर्ष 1968-69 में यह रकम 2448 करोड़ रुपये थी। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 1969-70 में वसूल हुए केन्द्रीय राजस्व में 264 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अधीन वसूल हुए केन्द्रीय राजस्व के ब्यौरे तथा 31-3-70 को इन करों तथा शुल्कों की बकाया की स्थिति का एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(घ) सरकार, करों और शुल्कों की बकाया की स्थिति की समीक्षा करती रहती है और ऐसे प्रशासनिक तथा वैधानिक उपाय करती रहती है जो स्थिति का मुकाबला करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे जाते हैं।

विवरण

कर-शुल्क	उगाहियां		बकाया
	1968-69	1969-70	(31-3-1970 को)
		(करोड़ रुपयों में)	
आय-कर	678.24	786.85*	513.37
धन-कर	7.16	10.89	7.03
दान-कर	0.88	1.01	1.31
व्यय-कर	0.04	0.04	0.30
सम्पदा-शुल्क	6.74	7.09	7.76
सीमा-शुल्क	446.50	419.58*	0.24
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	1308.03	1486.81*	38.01
जोड़	2447.59	2712.27	568.02

*ये आकड़े विभागीय हैं।

एस० ए० एस० लेखपालों और यू० डी० सी० के पदनामों के परिवर्तन करने के बारे में लेखा-परीक्षा कर्मचारियों की माँग

113. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा-परीक्षा कर्मचारियों ने एस० ए० एस० लेखापालों और यू० डी० सी० के पदनामों मे परिवर्तन करने और उनके वेतनमानों का पुनरीक्षण करने सम्बन्धी अपनी मांगों पर जोर देने के लिए जून, 1970 में कोई प्रदर्शन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 6 तथा 17 जून 1970 को, दिल्ली के लेखा परीक्षा कार्यालयों के कुछ व्यक्तियों ने भारत नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक के कार्यालय के समक्ष अधीनस्थ लेखा सेवा (एस० ए० एस०) लेखाकारों उच्च श्रेणी लिपिकों के पदनामों के परिवर्तनन तथा वेतन-मानों के संशोधन की मांग करते हुए नारे लगाये ।

(ख) यद्यपि इन प्रदर्शनों के बाद कर्मचारी संस्थाओं द्वारा इस सम्बन्ध में कोई व्यापक प्रस्ताव अभी तक पेश नहीं किये गये हैं, तथापि यह समझा जाता है कि अधीनस्थ लेखा सेवा लेखाकार तथा उच्च श्रेणी लिपिक पदनामों के स्थान पर क्रमश: अनुभाग अधिकारी तथा लेखा परीक्षक पदनामों की मांग का प्रयोजन, अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्यत: इन कर्मचारियों के बेहतर वेतन-मानों सम्बन्धी दावों को सुदृढ़ बनाना है । तृतीय वेतन आयोग को, केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन ढांचों पर विचार करना है तथा एतदनुसार लेखा परीक्षा कार्यालय के कर्मचारियों को यथा समय अपना मामला आयोग के समक्ष पेश करने का अवसर प्राप्त होगा ।

औषधियों की कमी

114. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : **श्री जी० बैकंटास्वामी** :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधि उद्योग ने जून, 1970 में केन्द्रीय सरकार तथा उपभोक्ताओं को निकट भविष्य में औषधियों की सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से अत्यावश्यक औषधियों की कमी के बारे में चेतावनी दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई गई थी । किन्तु कई क्षेत्रों में ऐसी शंका व्यक्त हुई थी कि औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के प्रकाशन के कारण कुछ उत्पादन-कर्त्ता कई दवाइयों के उत्पादन में कमी तथा उनके उत्पादन को बन्द कर दे जिसके परिणाम-स्वरूप दवाइयों में कमी हो सकती है ।

(ख) परिस्थिति पर कड़ी निगहरानी रखी जा रही है और सरकार किसी घटना का मुकाबला करने के लिए कदम उठायेगी।

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में नई दिल्ली नगर-पालिका की इमारत का उपयोग

115. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाणक्यपुरी में नई दिल्ली नगरपालिका की खाली पड़ी इमारत में एक होटल बनाने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). चाणक्यपुरी में नई दिल्ली नगर पालिका की इमारत में होटल बनाने के संबन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि उन्होंने होटल बिल्डिंग के लायसेन्स के संबन्ध में पांच बार टैन्डर आमन्त्रित किये परन्तु हर बार बातचीत इस लिये बेकार गयी कि या तो उच्चतम टेन्डर देने वाला टेन्डर की आधारभूत अपेक्षयाओं के अनुसार नहीं चल सका और विहित अनिवार्यताओं को पूरा नहीं कर सका अथवा उच्चतम टेन्डर देने वाले की शर्तें समिति को स्वीकार नहीं हुई और समिति ने टेन्डर अस्वीकृत कर दिये। भारतीय पर्यटन विकास निगम के साथ इस इमारत के उपयोग के बारे में बात चल रही हैं।

कोयला खान विलयन आयोग की स्थापना

116. **श्री रवि राय** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों को मानते हुए एक कोयला खान विलयन आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है ; यदि हां तो, आयोग की क्या शक्तियां होंगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार अव्यवस्थित खानों का अधिग्रहण कर लेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार कब तक एक विधान पेश करेगी और उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोयला खानों का अनिवार्य सम्मेलन तथा अर्जन करने की परियोजना को अन्तिम

रूप दिया जा रहा है और इस संबन्ध में सरकार द्वारा शीघ्र ही आवश्यक विधान पेश किये जाने की प्रत्याशा है ।

खेतड़ी तांबा परियोजना, राजस्थान में अनुमानित निवेश

117. **श्री रवि राय** :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में खेतड़ी तांबा परियोजना के अनुमानित निवेश में पर्याप्त वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस वृद्धि के कारणों की छान-बीन की है ;

(घ) सरकार द्वारा उन कारणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ख). प्रायोजना के लिये उस समय के परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर खेतड़ी तांबा प्रायोजना से लगमग 24.44 करोड़ रुपये की लागत पर 21.000 मैट्रिक टन इलैक्ट्रोलाइटिक श्रेणी के तांबा धातु उत्पादन कार्यक्रम को सरकार ने मई 1962 में अनुमोदित किया ।

मई 1964 में प्रायोजना के विस्तार का पुनर्विलोकन किया गया था और सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन हेतु, जिसे बाद में उपयुक्त उर्वरक के उत्पादन के लिये प्रयोग में लाया जाना था, अयस्क के सल्फर गुणों के उपयोग की दृष्टि से खेतड़ी में परावर्तन भट्टी प्रदावक के स्थान पर स्फुरण प्रद्रावक लगाने का विनिश्चय किया गया था । यह भी विनिश्चय किया गया था कि लगभग 10,000 मैट्रिक टन तांबा धातु प्रतिवर्ष के उत्पादन के लिये कोलिहाल की निकटस्थ खान का विकास किया जाए । प्रतिवर्ष 31,000 मैट्रिक टन तांबा धातु के उत्पादन और सल्फ्यूरिक एसिड के जिसे फिर उर्वरक के उत्पादन के लिये प्रयुक्त किया जाना था, उत्पादन वाली प्रायोजना का संबंधित स्वरूप अक्तूबर 1966 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था । उद्योग समूह की अनुमानित लागत उस समय 78.52 करोड़ रुपये की परिकल्पित की गई थी ।

तत्पश्चात् खेतड़ी कोलीहान तांबा सर्कट के लिये विस्तृत अनुमान लगाये गये और उन्हें सरकार द्वारा जुलाई, 1969 में अनुमोदित किया गया । उपनगर की लागत को अपवर्जित करते हुए केवल तांबा सर्कट पर व्यय 69.79 करोड़ था ।

लगभग 2 लाख मैट्रिक टन ट्रिपल सुपरफास्फेट का उत्पादन करने के लिये एसिड एवं उर्वरक संयंत्र के विस्तृत अनुमान उस के पश्चात् तैयार किये गये हैं और वे जांच के अधीन है । इस एकक की लागत अनुमान 17.80 करोड़ रुपये हैं । उपनगर सहित खेतड़ी तांबा उद्यगो समूह

की कुल पूंजी गत लागत अब 93.58 करोड़ रुपये है, जो निम्न प्रकार से है :

1. खेतड़ी-कोलिहान तांबा सर्कट :	61.75 करोड़ रुपये	अनुमान पहले ही
2- कोलीहान खान का विकास :	7.04 करोड़ रुपये	स्वीकृत ।
3. खेतड़ी-कोलिहान उपनगर :	6.99 करोड़ रुपये	अपेक्षाओं के अनुसार भागत: स्वीकृत ।
4. एसिड-एवं-उर्वरक संयंत्र :	17.80 करोड़ रुपये	अनुमान संविक्षाधीन ।
जोड़ :	93.58 करोड़ रुपये	

लागत अनुमानों में यह वृद्धि कई कारणों से हुई है परन्तु तांबे के संवर्धित उत्पादन, उपोत्पादों की प्राप्ति और उर्वरक के उत्पादन के लिये प्रायोजना के संबधित कार्य क्षेत्र, मूल्य वृद्धि अवमूल्यन आदि इस के मुख्य कारण है और यह वृद्धि अपरिहार्य है ।

अल्यूमीनियम उद्योग के विकास के लिये बिड़लाओं को दिया गया लाइसेंस

118. **श्री रवि राय : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़लाओं को अपने अल्यूमीनियम उद्योग की क्षमता को बढ़ाने के लिये आवश्यक अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). अपने रेगुकूट एल्यूमिनियम प्रद्रावक के विस्तार (60-120,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष) के लिये हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन दिसम्बर 1966 में जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस के अनुसार उन्हें लाइसेंस को कार्यान्वित करने के लिये 5 जून 1968 तक "प्रभावी कदम" उठाने थे । औद्योगिक उपक्रम पंजीकरण और अनुज्ञाप्तिकरण नियम, 1952 के अधीन, जैसा कि कम्पनी ने दावा किया था, क्या वास्तव में "प्रभावी कदम" उठाये थे, अथवा नहीं, इस प्रश्न की जांच की गई थी और सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रद्रावक के विस्तार के लिये उन के द्वारा "प्रभावी कदम" उठाये गये हैं । लाइसेंस में अन्तर्निहित परियोजना को पूरा करने के लिये कारपोरेशन को कुछ और समय भी दिया गया है । पुनरीक्षित समयावलि के अनुसार कम्पनी को नीचे उपदर्शित दो अवस्थाओं में विस्तार को प्रभावी करना है :

(1) 30 अप्रैल, 1972 तक
60,000 से 100,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष ।

(2) 31 दिसम्बर, 1973 तक 100,000 से
120,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष ।

यद्यपि अन्तिम विस्तार पूर्ण करने के लिये कालावधि की सीमा 31 दिसम्बर 1973 तक बढ़ा दी गई है तथापि, कम्पनी को कहा गया है कि वह यदि सम्भव हो तो परियोजना को इस से भी पहले पूरा करने के लिये सभी सम्भव कदम उठाए।

चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मकानों का निर्माण

119. **श्री वंश नारायण सिंह :** **श्री जि० ब० सिंह :**
श्री ओंकार सिंह :. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस समय कितने आवास गृहों की आवश्यकता है।

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान अधिक मकान बनाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और चालू योजना के अन्तर्गत कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा ;

(ग) योजना के अन्त में देश में मकानों की कितनी कमी होगी ;

(घ) सस्ते मकान बनाने की दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) पिछले एक वर्ष में प्रत्येक राज्य में हरिजनों के लिये कितने मकान बनाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) चतुर्थ योजना के आरम्भ में आवास की अनुमानित कमी, नगरीय क्षेत्र में 119 लाख एकक और ग्रामीण क्षेत्र में 718 लाख एकक थी।

(ख) समुदाय के विभिन्न वर्गों के हित में सहायता/ऋण देने के लिये पिछली पंच-वर्षीय योजनाओं में प्रवर्तित सभी सामाजिक योजनाओं को चतुर्थ योजना में भी जारी रखा जा रहा है। "आवास और नगरीय विकास" के अन्तर्गत चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में 241.87 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हाल ही में कम्पनीज़ एक्ट, 1956 के अधीन सरकारी कम्पनी के रूप में एक केन्द्रीय आवास और नगर-विकास वित्त निगम पंजीकृत हो चुका है जो कुछ वर्षो की अवधि में संचित किए जाने वाले 200.00 करोड़ रुपयें की आवर्तन निधि का संचालन करेगा। इस निधि में राज्य आवास बोर्डों, सुधार न्यासों, नगर निगमों, जैसे सांविधिक निकायों को और राज्य सरकारों को स्व-वित्त-प्रबन्धित प्रकार की आवास और नगर-विकास परियोजनाओं में पूंजी लगाने के लिए ऋण दिए जायेंगे।

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के दौरान, राज्य क्षेत्र के आवास सहित सभी कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता "खण्ड ऋणों" और "खण्ड अनुदानों" के रूप में उपलब्ध की जायेगी, जो किसी विशेष विकास शीर्षक से सम्बद्ध नहीं होगीं। राज्य सरकारें विभिन्न राज्य प्लानों की स्कीमों (जिसमें आवास और नगर-विकास सम्मिलित हैं) पर उपयोग में लाने वाली राशि के निर्णय करने में स्वतन्त्र होगी। इस प्रकार चतुर्थ योजना में मकानों के निर्माण के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) इस स्थिति में चतुर्थ पंच वर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक आवास की कमी का विश्वासनीय अनुमान लगाना कठिन होगा। 1971 की जन गणना के पश्चात् कुछ विश्वासनीय आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।

(घ) निम्न आय वर्गों के लिये सस्ते मकानों की व्यवस्था के लिये, भारत सरकार ने औद्योगिक कर्मचारियों, बागान कर्मचारियों, समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों, गन्दी बस्ती के रहने वाले आदि के लिये कई सामाजिक आवास योजनायें आरम्भ की हुई हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके प्लान निधियों से किया जाता है।

(ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अमेरीका से ऋण

120. **श्री मुहम्मद शरीफ** :

श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की उद्योगों तथा कृषि सम्बन्धी वित्त की विभिन्न आवश्कताओं के लिये अमेरीकी ऋण उपलब्ध करने के लिये जून, 1970 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां। 23 जून 1970 की संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 16 करोड़ डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयोजना-भिन्न ऋणों के सामान्य स्वरूप की भांति इस ऋण के अन्तर्गत कृषि से सम्बन्ध विभिन्न प्रकार की बहुत सी वस्तुओं (जैसे उर्वरक और हानिकर जीवों को नष्ट करने वालीं दवाएं) और औद्योगिक कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात की वित्त-व्यवस्था की जायेगी। ऋण की रकम 40 वर्षों की अवधि में वापस करनी होगी जिसमें छूट की अवधि में वापस करनी होगी जिसमें छूट की अवधि के 10 वर्ष शामिल हैं। पहले 10 वर्षों में ब्याज की वार्षिक दर 2 प्रतिशत और उसके बाद 3 प्रतिशत होगी। ऋण-करार की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में भी रख दी गई है।

दिल्ली में विकसित प्लाटों का संसद सदस्यों को आवंटन

121. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की संसद सदस्यों को दिल्ली में पूर्व निश्चित कीमतों पर विकसित प्लाट देने की योजना समाप्त कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में, राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ संसद् सदस्यों को, जिन्होंने प्लाटों के लिए आवेदन किया था, प्लाटों की पेशकश की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता

122. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अधिक राशि की सहायता मिलेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह राशि कितनी होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी०—3715/70]

केरल मुस्लिम लीग का तस्करी गिरोह से कथित सम्बन्ध

123. **श्री छ० म० केदरिया** :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री पी० सी० एस्थोस :
श्री ई० के० नायनार :
श्री के० रमानी :
श्रीमती सुशीला गोपालन:
श्री प० गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री उमानाथ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के पुत्र के बन्दी बनाये जाने के फलस्वरूप केरल में तरक्की गिरोह में मुस्लिम लीग के अन्तर्गत होने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच की है, तथा इस तस्करी में कालीकट के धनी व्यापारी के शामिल होने का आरोप है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). प्राप्त सूचना के आधार पर, 26 मई 1970 को सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्ता-कार्यालय, कोचीन के अधिकारियों द्वारा कालीकट में श्री सैयद मुहम्मद वफाक्की थांगलवल्द, श्री सैयद अब्दुल रहमान वफाक्की थांगल, अध्यक्ष, केरल राज्य मुस्लिम लीग के करोबार और रिहायशी

स्थानों पर तालाशी ली गयी थी। इस तलाशी के परिणामत: ये वस्तुएं बरामद की गयी : कपड़े की एक खाली जैकिट जिसमें जेबें लगी थीं और कपड़े की एक पेटी ये दोनों इस किस्म की हैं। जिनका प्रयोग आमतौर पर निषिद्ध सोना लाने ले जाने के लिये किया जाता है, कुछ टेट्रन धागा, मेकेनिकल लाइटरों के लि। दो गैस के सिलिंडर, टेप रिकार्डरों से लिये कुछ टेप और कुछ अपराध-आरोपणीय दस्तावेज । श्री सैयद मुहम्मद को 27 मई 1970 को सीमाशुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गिरफ्तार किया गया था और जिला मजिस्ट्रेट, कोजिकोडे के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने श्री मुहम्मद की जांच पड़ताल पूरी होने तक जमानत पर छोड़ दिया।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में वास्तुकारों की वरिष्ठता सूची

124. **श्री छ० म० केदारिया** :

श्री शिव नारायण :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के वास्तुशिल्पीय विभाग में गत तीन वर्षों से वास्तुकारों और सहायक वास्तुकारों की बरीयता सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या वास्तुकारों और सहायक वास्तुकारों की श्रेणी में बरीयता सूची को अन्तिम रूप देने से पूर्व कोई स्थायीकरण किया गया है ;

(ग) क्या यह स्थायीकरण वैध है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार स्थायीकरण को रद्द करने के बारे में विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) 1 जनवरी, 1969 तक वास्तुकारों की वरीयता सूची 3 मार्च 1969 को जारी की गयी थी। सहायक वास्तुकारों की बरीयता सूची अन्तिम बार जनवरी, 1964 में जारी की गई थी। कुछ और सहायक वास्तुकारों की नियुक्ति के फलस्वरूप एक ताजी वरीयता सूची तैयार की गई तथा नवम्बर 1968 में प्रचिालित की गई थी । इस मामले में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए सहायक वास्तुकारों की 1 जनवरी, 1969 तक अन्तिम वरीयता सूची को गृह मंत्रालय के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठता।

तीसरे वेतन आयोग के निदेश पदों में संशोधन

125. **श्री लखन लाल कपूर** :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति तीसरे वेतन आयोग के निर्देश-पदों में सरकार ने संशोधन किये हैं, ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन संशोधनों के सुझाव दिये गये हैं ;

(ग) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधि को उक्त आयोग में शामिल करने की कर्मचारियों की मांग को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वेतन आयोग में शामिल किये गये कर्मचारियों के प्रतिनिधि का नाम क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 4 जून 1970 के संकल्प संख्या फा० 7(25)-ई 111, ए/69 की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(ग) तथा (घ). जैसा कि सरकार द्वारा पहले ही घोषणा की गई है, तीसरे वेतन आयोग में श्रमिक वर्ग का एक प्रतिनिधि शामिल करने के प्रश्न पर तब तक विचार किया जायेगा जब कोई ऐसा व्यक्ति मिल जायेगा जो मुख्य मजदूर संघों को स्वीकार हो । अभी तक ऐसा कोई सम्मत, व्यक्ति नहीं मिल सका है । [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी०—3716/70]

पश्चिम बंगाल के पेंशन परिषद का अभ्यावेदन

126. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी पेन्शन परिषद् ने जो कि पश्चिम बंगाल के राज्य और केन्द्रीय सरकार के पेंशन पाने वालों का एक प्रतिनिधि निकाय है, चालू मूल्य सूचकांक के आधार पर उचित सहायता एवं उनके पेंशन के अवमूल्यन के लिए क्षतिपूर्ति के लिए अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). कुछ समय पूर्व, सरकारी पेंशनर संस्था, पश्चिम बंगाल की ओर से, केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को, अन्य बातों के साथ-साथ, अतिरिक्त एतदर्थ वृद्धि की मंजूरी देने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । किन्तु इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका है ।

जीवन बीमा कारोबार करने के लिए गैर-सरकारी बीमा कम्पनियों द्वारा आदेश लेना

127. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी बीमा कम्पनियों ने जीवन बीमें का कारोबार करने के लिए अनुमति मांगी है :

(ख) क्या सरकार सामान्य बीमा कम्पनियों को ऐसा करने के लिए अनुमति देने पर विचार कर रही है जैसा कि बैंकों, एयर लाइन्स, इस्पात आदि के मामले में किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). भारत में जीवन बीमा का कारोबार करने का एकाधिकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 30 के अन्तर्गत भारत के जीवन बीमा निगम को प्राप्त है । इस कानूनी उपबन्ध को देखते हुए, विविध बीमा कम्पनियों को भारत में जीवन बीमा का कारोबार करने की अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता ।

मकानों की आवर्तक निधि के लिए प्रबन्धक बोर्ड की स्थापना

129. **श्री दण्डपाणि** :
श्री मयावन :
श्री नंजा गौडर :
श्री अजमल खां :
श्री नारायणन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दे० अमात :
श्री कोसाई बरुआ :
श्री मीठालाल मीना :
श्री गु० च० नायक :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकानों के लिए 200 करोड़ रुपये की आवर्तक निधि आरम्भ करने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भी केन्द्रीय आवास और नगरीय निकास वित्त निगम के लिए सरकार अभी तक प्रबन्धक बोर्ड का गठन नहीं कर पाई है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के गठन में क्या-क्या मुख्य कठिनाइयां हैं ;

(ग) क्या उक्त निधि के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में मतभेद हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो बोर्ड की नियुक्ति और गठन के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (घ). सरकार आजकल आवास और नगर-विकास के लिए कुल 200 करोड़ रुपये तक की आवर्तन निधि के लिए संभावित वित्तीय साधनों को जिन्

शर्तों पर पूंजी एकत्रित की जा सकती है, पर विचार कर रही है। ज्योंहि इन प्रश्नों का हल हो जायेगा, तभी चेयरमैन की नियुक्ति के, तथा बोर्ड के डाइरेक्टरों के गठन के उपाय किये जायेंगे। इसके निकट भविष्य में होने की आशा है। इसी बीच, निगम के संस्था के ज्ञापन-पत्र अंशदाता, इसके डायरेक्टरों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ग्रामीण आवास परियोजनायें

130. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में आवास विकास निधि का 50 प्रतिशत भाग ग्रामीण आवास परियोजनाओं के लिए निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). इस विभाग से सम्बद्ध संसद की सलाहकार समिति की बंगलौर में जून, 1970 को हुई बैठक के दौरान एक सुझाव दिया गया था कि चतुर्थ योजना में आवास और नगर-विकास के लिये कुल व्यवस्थित पूंजी का 50 प्रतिशत ग्रामीण आवास पर प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इस सुझाव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो कि इस मामले में मुख्यत: सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा आयात की गई वस्तुओं से बिक्री कर का हटाया जाना

131. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या सरकार का विचार बंगाल में सरकारी क्षेत्र के आयात अभिकरणों के माध्यम से वितरकों को दी जाने वाली आयातित वस्तुओं पर बिक्री कर समाप्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस नये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों से प्रसिद्ध आयातकों को, जो कि राज्य अभिकरणों से वस्तुयें प्राप्त कर सकते हैं, सप्लाई की गई वस्तुओं पर बिक्री कर न लगाने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). बिक्री कर लगाने का विषय, संविधान के अनुसार, सामान्यतः राज्य सरकार का है। बिक्री कर से यदि कोई छूट दी जानी होती तो वह सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा ही मंजूर की जा सकती है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र सरकारों को कोई पत्र नहीं भेजा है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

पोलीथीन फिल्मों पर उत्पादन शुल्क

132. **श्री वि० नरसिम्हा राव** :

श्री म० सुदर्शनम :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि पोलीथीन फिल्मों पर उत्पादन शुल्क समाप्त किया जाये क्योंकि इस कारण ले-फ्लैट ट्यूबिंग तैयार करने वाले छोटे-छोटे बहुत से कारखानों का काम ठप्प हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) पोलीथीन ले-फ्लैट ट्यूबिंग, शीटों, शीटिंग तथा फिल्मों को अब 17-7-1970 से शुल्क की अदायगी से छूट दी जा चुकी है।

Resignation by Chairman, Hindustan Zinc Limited

133. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Shri Raghunath Singh, Chairman, Hindustan Zinc Limited has tendered his resignation and if so, the reason given by him for this resignation and Government's reaction in regard thereto ;

(b) the amount of salary, as also the details of other facilities like conveyance, accommodation and allowances as are given to the Chairmen of other Public Undertakings, which used to be given to Shri Raghunath Singh while he was holding the above post, the tenure of his office and the amount received by him as salary and allowances and in the form of other facilities during the period of his holding the said office ; and

(c) the financial position of the undertaking when it was taken over by Government and the improvements made in its financial position during the Chairmanship of Shri Raghunath Singh ?

The Ministers of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhury) : (a) The Hindustan Zinc Limited was incorporated in January, 1966 to own and manage the undertakings of the Metal Corporation of India acquired by the Government in October, 1965. Shri Raghunath Singh was appointed as part-time Chairman or the Company in an honorary capacity in September, 1967 and until further orders.

In accordance with the recommendations of the Administrative Reforms Commission, the Government early in 1969 felt that it would be desirable to combine the posts of Chairman and Managing Director of the Company having regard to the various problems faced by the Company in respect of production and development of mines, proposal for doubling the capacity of the smelter, conversion of single superphosphate into triple superphosphate, etc. In March, 1970, the then Managing Director of the Company got an U.N. assignment and it was felt that the change could appropriately be implemented while inducting the new incumbent. Accordingly, a new officer for the post of Chairman-cum-Managing Director was selected and it was decided on 7.5.1970 that Shri Raghunath Singh will cease to hold the office of the part-time Chairman of the Company on the assumption of charge by the new officer. Shri Raghunath Singh was informed of this decision. Thereafter Shri Singh submitted his resignation on 9.5.1970 wherein he mentioned that as Government had lost faith and confidence in him, it was not possible for him to serve as Chairman of the Company. The resignation of Shri Raghunath Singh was accepted in deference to his wishes and in modifications of the earlier orders. There was, thus no question of losing faith or confidence in him.

(b) The Public Sector Undertakings have been classified on the basis of their importance to the economy and the complexity of their problems into four schedules and the following salary scales fixed for the Chief Executives of each :

Schedule A	—	Rs. 3500—125—4000
Schedule B	—	Rs. 3000—125—3500
Schedule C	—	Rs. 2500—100—3000
Schedule D	—	Rs. 2000—100—2500

Full-time Chairman of a public undertaking draws pay in the scale of pay of the Schedule in which the port has been included and will be entitled to other perquisites like House Rent Allowance, City Compensatory Allowance and use of company's car. Part-time Chairman of a public undertaking is not paid any salary.

Shri Raghunath Singh, as part-time Chairman of the Company, drew sitting fee and allowances for attending the meetings of the Board at the following rates :

(i) Sitting fee at Rs. 75 for each meeting of the Board.

(ii) Sitting fee at Rs. 25 for each meeting of a Sub-Committee of the Board of Directors.

(iii) Travelling expenses by air/rail for attending the meetings of the Board or of a Sub-Committee and also for travelling to the site of the project etc. and visit to places in connection with the affairs of the Company plus incidentals as admissible to Government Servants of the 1st Grade.

(iv) Daily allowance at Rs. 20 per day and also full Daily Allowance for the day preceding the day of the meeting if he arrived in the forenoon of that day and for the day following the day of the meeting if he left in the afternoon of that day.

(v) Mileage at the rates admissible to officers of the 1st Grade in respect of journeys by road between places not connected by rail.

Shri Raghunath Singh received a total amount of Rs. 43,749 from the Company during the tenure of his office as per details below :

(i) Sitting fee etc.	Rs. 1.875
(ii) Daily Allowance	Rs. 4.880
(iii) Travelling expenses	Rs. 36,994
	Rs. 43,749

(c) At the time of taking over of the undertaking in October. 1965, accept for the lead smelter, the other units were incomplete. After completion of the construction the zinc smelter went into commercial production in January, 1968 and the development of the mines to feed the zinc smelter is expected to be completed by December, 1971. During the first two years of its working, the Company made a small profit of Rs. 4,48,580 as per details below :

(i) 1966-67	Rs. 2,53,512
(ii) 1967-68	Rs. 1,95,068
Total	Rs. 4,48,580

The accounts of the Company for the subsequent years are under finalisation. As in all corporate organisations, it is not possible to make any corelation between the financial position of the undertaking at different times and the efforts of any individual(s).

Reduction in Prices of Patent Medicines

134. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the date on which Government made an announcement for reduction in the prices of various patent medicines (by brand names) to be sold to consumers and patients and the date from which these medicines are being or will be sold at reduced prices in the open market ; and

(b) the name together with pre-reduction and post-reduction prices of medicines, the retail prices of which have been reduced ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Government issued on the 16th May, 1970, the Drugs (Prices Control) Order, 1970, to regulate the prices of drugs and medicines. The manufacturers, etc., are required to issue the revised prices lists on the basis of the formula prescribed in the order, by the 31st July, 1970.

(b) The order is of general applicability and applies to all drugs and medicines. As such it is not possible to furnish the required information. Besides the revised prices will be effective from the 1st August, 1970.

High Prices of Fuel Gases

135. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the high prices of Indane, Burshane fuels and other petroleum gas used in burners and whether Government propose to take any steps to reduce their prices ;

(b) the reduction declared in the recent past, if any regarding the prices of the said fuels ;

(c) when such declaration was made and when it came into effect and to what extent and the areas in which it came into effect in favour of the consumers ;

(d) the prices which were charged from the consumers for the gas cylinders in various areas on the 31st March, 1968, 1969 and 1970 and on the 31st May, 1970 and the 30th June, 1970 ; and

(e) the areas in which gas cylinders are now available to new consumers and the time taken in making them available ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The Oil Prices Committee has suggested a reduction in the price of L. P. Gas supplied for domestic use and this is being examined by Government.

(b) The marketing companies have not made any reduction in the price of L.P. Gas in the recent past except for variations, if any, in local taxes.

(c) Does not arise.

(d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(e) The supply position varies from company to company. While East Coast Gas Company (which sells Calgas) and Kosangas Company (which sells Esso Gas) are in a position to supply cylinders within a period of 15 days, Burmah Shell and Indian Oil Corporation have placed an embargo on new customer enrolement due to the restricted availability of L.P. Gas and L P G. cylinders respectively. Indian Oil Corporation is unable to indicate the time that would be taken to make cylinders available to new applicants.

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के बारे में शान्तिलाल शाह समिति की सिफारिशें

136. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के बारे में शान्ति लाल शाह समिति की सिफारिशों के बारे में क्या निर्णय किया है और उनकी क्रियान्वित करने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (दा० रा० चव्हाण) : पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यांकन के बारे में, तेल मूल्य समिति की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णयों का संकल्प 11 मई, 1970 को सभा-पटल पर रखा गया था। ये सारे निर्णय 1 जून, 1970 से लागू किये गये हैं। तरल पेट्रोलियम गैस का मूल्यांकन सरकार के विचाराधीन है।

आधा जारी कच्चे तेल के प्रति बैरल पर 51 सैण्टस की कटौती के बारे में समिति की सिफारिश पहले ही कार्यान्वित हो चुकी है और समिति की सिफारिश के अनुसार डौरिस कच्चे तेल पर कटौती प्राप्त करने के लिए यत्न किये जा रहे हैं। देशीय कच्चे तेल के मूल्य को जांचने के लिए, समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का दिया जाना

137. **श्री हिम्मतसिंहका** :

श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां जिनकी सिफारिश डनलप समिति द्वारा इंगलैंड में दिसम्बर, 1969 में की गई थी का सरकारी औषधालयों तथा अन्य परिवार नियोजन केन्द्रों में प्रयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त नई औषधि की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और वह कितनी प्रभावशाली है ; और

(ग) उक्त गोली का भारत में उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और उसका निर्माण करने का लाइसेंस किन-किन कम्पनियों को दिया गया है और प्रत्येक एकक की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां । खाने वाली गोली जिसमें एस्ट्रोजन की मात्रा कम है, गोली परीक्षण योजना में शुरू कर दी गई है ।

(ख) जिस गोली का अब प्रयोग किया जा रहा है उसमें नोरजेस्ट्रेल (प्रोजेस्टोजेन) की मात्रा 0.5 मिलीग्राम और एथिनिलिएस्टेडियोल (एस्ट्रोजन) की मात्रा 50 मिलीग्राम होती है । डनलप समिति के अनुसार एस्ट्रोजन की कम मात्रा वाली खुराक की क्षमता अधिक मात्रा वाली खुराक के बराबर ही होती है ।

(ग) औषधि एवं अंगराग अधिनियम के अधीन और उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार एस्ट्रोजन की 50 मिलीग्राम वाली खाने वाली गोली तैयार करने के लिए निम्नलिखित फर्मों को अनुमति मिली है :—

	उत्पादन का नाम	पदार्थ की मात्रा
1. मैसर्स जर्मन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड	मिनोवलर ई डी	नौरथिस्टेरोन एसेटेड 1 मिलीग्राम एथिनिल—एस्ट्रेडियल 0.5 मिलीग्राम
2. मैसर्स पार्क-डेविस	नोरलेस्ट्रेन	नौरथिस्टेरोन—एसेटेड 1 मिलीग्राम एथिनिल—एस्ट्रेडियल 0.5 मिलीग्राम
3. मैसर्स सर्ल (भारत) लिमिटेड	ओबुलेन-50	एथिनाडियल—डाइसेटेड 1 मिलीग्राम एथिनिल—एस्ट्रेडियल 10.05 मिलीग्राम
4. मैसर्स शैरिंग एशिया	प्रिमोवलर	21 मोरजेस्ट्रेल 0.5 मिलीग्राम एथिनिल—एस्ट्रेडियल 0.05 मिलीग्राम
5. मैसर्स वाइथ लेब्स	ओवरल	नोरजेस्ट्रेल 0.5 मिलीग्राम एथिनिल—एट्रेडियल 0.05 मिलीग्राम

उपर्युक्त उत्पादनों में से मिनोवलर ई० डी० और ओवरल पहले ही बाजार में बिक रही हैं । आशा है कि आवुलेन 50 का प्रयोग शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा । उत्पादन क्षमता की लाइसेंस सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसर्स शिव सागर एस्टेट, बम्बई को ऋण का दिया जाना

138. **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने हाल ही में राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् बम्बई की मैसर्स शिव सागर एस्टेट को अमरीका की हिल्टन होटल्स कारपोरेशन के सहयोग से बम्बई में एक वैभवशाली होटल निर्माण करने के लिए 15 लाख रुपये का ऋण दिया हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी को यह ऋण किस आधार पर दिया गया ; और

(ग) क्या इतने बड़े उद्योगों के लिए इतनी बड़ी धनराशि ऋण के रूप में देना राष्ट्रीयकृत बैंकों की नीति के अनुरूप है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नही होता ।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक, सामाजिक दृष्टि से सभी उपयोगी उत्पादक उद्यमों की ऋण की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वतन्त्र हैं ।

व्यापार गृहों तथा उनके कार्यालयों का कलकत्ता से दिल्ली में ले जाया जाना

139. **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता तथा अन्य नगरों से व्यापार गृहों तथा उनके कार्यालयों के दिल्ली में आ जाने से राजधानी में आवास की समस्या उत्पन्न हो गई है ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप हाल में दिल्ली में रिहायशी तथा वाणिज्यक प्रयोजनों के स्थानों के किरायों में असाधारण वृद्धि हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में आवास की कमी की समस्या को हल करने तथा किरायों आदि को स्थिर रखने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). सरकार को किसी ऐसी प्रवृतियों का ज्ञान नहीं है ।

(ग) कलकत्ता से व्यापार गृहों और कार्यालयों के स्थानान्तरण के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण के 1970-71 और 1971-72 के दौरान मध्यम

आय और निम्न आय वर्गों के लिए मकानों के निर्माण कार्यक्रम से दिल्ली में आवास की कमी में राहत होने की तथा किराये में भी स्थिरता आने की आशा है ।

दिल्ली के अस्पतालों में उपकरणों और औषधियों की कमी

140. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रैल, 1970 में प्रकाशित प्रेस समाचारों की ओर ध्यान दिया है जिनमें उल्लेख किया गया है कि दिल्ली और नई दिल्ली के अस्पतालों में उपकरणों और औषधियों की भारी कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रोगियों को अस्पतालों में हफ्तों तक पलंग नहीं मिलते और पलंगों के न मिलने के कारण वे जमीन पर लेट रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उक्त अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना एवं आपात सेवा विभाग में बड़ी संख्या में आये रोगियों की भर्ती के कारण अथवा जब कभी कोई महामारी हो जाती है तो दिल्ली के कतिपय अस्पतालों में कुछ भीड़-भाड़ हो जाती है ।

(ग) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कार्य की जांच करने तथा उनके कार्य करने के तौर-तरीकों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए सरकार के० एन० राव समिति के नाम से विख्यात एक समिति गठित की थी । इस समिति की अधिकांश सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली गई है तथा उन्हें लागू किया जा रहा है । दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु हर प्रकार से प्रयास किया जाता है ।

बम्बई में चोरी छिपे लाई गई घड़ियां तथा अन्य वस्तुओं का पकड़ा जाना

141. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्री एम० एस० कृष्ण :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1970 के "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह लिखा था कि 24 जून, 1970 को बम्बई में अवैध रूप से लाई गई विलास की वस्तुएं, जिनमें मुख्यत: कलाई पर बांधने वाली घड़ियां थी, पकड़ी गई थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी भी व्यक्ति ने उन वस्तुओं का मालिक होनें का दावा नहीं किया है ;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 24 जून 1970 को बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा लगभग 14 लाख रुपये मूल्य की 16,311 कलाई घड़ियों और लगभग 3,600/–रुपये मूल्य की अन्य विलास वस्तुएं पकड़ी गयी थीं।

(ख) से (घ). माल के बारे में कोई दावा पेश नहीं किया गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। जांच पड़ताल चल रही है।

नई दिल्ली के नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्रों के लिए पृथक जल संयंत्र

142. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने नई दिल्ली के, नई दिल्ली नगरपालिका के अन्तर्गत क्षेत्रों के लिए पृथक जल संयंत्र लगाने की एक योजना भारत सरकार को प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने इस परियोजना पर होने वाले खर्च के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) क्या इस बीच सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

सीमाशुल्क नियम और विदेशों में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास

143. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में सीमाशुल्क सम्बन्धी नवीनतम नियम तथा विनियम उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीमाशुल्क अधिकारी विदेशों से आने वाले यात्रियों को अवतरण प्रमाण-पत्र नहीं देते हैं।

(ग) यदि हां, इनके क्या कारण हैं ; और

(घ) भारतीय वाणिज्य दूतावासों को सीमाशुल्क के नवीनतम नियम और विनियम उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) असबाब नियमों में किये गये संशोधन, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को तत्काल सूचित किये जाते हैं।

परिवार नियोजन के लिए शाकनाशी तथा कीटनाशी औषधियों का प्रयोग

144. **श्री दिनकर देसाई** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ शाकनाशी (हार्विसाइड्स) और कीटनाशी औषधियों के प्रयोग और नपुंसकता के बीच कोई सम्बन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए इनका प्रयोग करने की सरकार की कोई योजनाएं हैं ;

(ग) क्या सरकार के परिवार नियोजन एककों ने इस सम्बन्ध में कोई प्रयोग किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) यह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है कि शाकनाशी (हर्विसाइड्स) और कीटनाशी औषधियों के प्रयोग और नपुंसकता के बीच कोई सम्बन्ध है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी दूतावासों के माध्यम से व्यक्तियों को धन का भेजा जाना

145. **श्री दिनकर देसाई** : **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1969-70 में विदेशी दूतावासों अथवा संगठनों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रिकों को सम्बन्धित देशों से कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ख) इस राशि को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं के नाम क्या हैं और उन्हें कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(ग) यह राशि किस-किस प्रयोजन के लिए दी गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राजनयिक नियमों और कार्यविधियों के अनुसार भारत स्थित विदेशी मिशनों को अपने खर्च का ब्यौरा पेश करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार एसे कोई नियम नहीं है जिनके अनुसार भारत-स्थित विदेशी संगठनों के लिए अपने हिसाब-किताब या उनके द्वारा किये गये भुगतान की घोषणा करना जरूरी हो। अतः माँगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है।

रोहतक के निकट सोने का पकड़ा जाना

147. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **वित्त** मन्त्री 30 मार्च 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 664 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 मार्च, 1970 को हरियाणा में रोहतक के निकट पकड़े गये क्विंटल सोने के बारे में जाँच कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या हरियाणा पुलिस इस मामले में केन्द्रीय सरकार को पूरा सहयोग दे रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

(ग) हरियाणा पुलिस केन्द्रीय सरकार को पूरी तौर पर सहयोग दे रही है।

रुपये का अवमूल्यन और भारत सहायता सार्थ संघ से सहायता

148. **श्री चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने हाल ही में हुई भारत सहायता सार्थ संघ की बैठक में चौथी योजना की आवश्यकताओं के लिए सहायता का कोई नया प्रस्ताव रखा था ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सहायता सार्थ संघ के देशों की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार सार्थ संघ अग्रेतर ऋण देने से पूर्व भारत पर रुपये का और अवमूल्यन करने के लिये दबाव डाल रहा है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). भारत में सहायता संघ प्रत्येक वर्ष के लिये दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में उस वर्ष के प्रारम्भ में विचार करता है। यह विचार भारत के आयोजित आर्थिक विकास के सन्दर्भ में किया जाता है और इस प्रकार जो सहायता दी जाती है वह आयोजना सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए होती है।

1969-70 के लिए, जो चौथी आयोजना का पहला वर्ष है, प्रायोजना-सहायता और प्रायोजना-भिन्न सहायता, दोनों के लिए कुल 610 करोड़ रुपये (81.3 करोड़ डालर) की राशि

के सहायता-करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे। जहां तक चालू वर्ष का संबन्ध है, जो चौथी ग्रयोजना का दूसरा वर्ष है, भारत सहायता संघ ने, जिसकी बैठक 27 और 28 मई 1970 को हुई थी, वर्ष 1970-71 की आवश्यकताग्रों पर विचार किया ग्रौर इस बात को स्वीकार किया कि भारत को 70 करोड़ डालर (525 करोड़ रुपये) की प्रायोजना-भिन्न सहायता और 40 करोड़ डालर (300 करोड़ रुपये) की प्रायोजना-सहायता वचन दिये जाने की ग्रावश्यकता है। चालू वर्ष के लिए प्राप्त होने वाली वास्तविक रकम का पता, सहायता देने वाले देशों के विधानमंडलों से ग्रनुमोदन प्राप्त हो जाने औ द्विपक्षीय सहायता-करारों पर हस्ताक्षर हो जाने बाद ही लगेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चुंगी-कर लगाया जाना

149. **श्री शिव चंद्र झा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, ग्रावास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने हाल ही में चुंगी-कर लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न दल तथा श्रम संगठन चुंगी लगाने के विरूद्ध हैं ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन ग्रौर निर्माण ग्रावास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ग्रौर (ख). कलकत्ता महानगरीय जिला क्षेत्र में स्थानीय निकार्यों के राजस्व में अतिरिक्त वृद्धि करने एवं विकास कार्यों, ग्रादि के लिए उनकी ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति हेतु आय स्रोतों को बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में चुंगी-कर लगाने का एक प्रस्ताव बिचाराधीन है।

(ग) ग्रौर (घ). ग्रावश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ग्रौर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

सूखे ग्रौर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिये बिहार को सहायता

150. **श्री शिव चंद्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के सूखे और कमी से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिये विहार सरकार को कोई विशेष सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), से (ग). राज्यों को, सूखाग्रस्त सम्बन्धी राहत कार्यों ग्रादि के व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता की रकम उन सिफारिशों के ग्राधार पर दी जाती है, जो केन्द्रीय सरकार के दलों द्वारा व्यय की अधिकतम सीमाग्रों

के वारे में की जाती है। ये दल स्थिति का और राहत कार्यों के लिए धन की आवश्यकताओं का जायजा लेने के लिए सम्बद्ध राज्यों का दौरा करते हैं ।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के एक दल ने हाल ही में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिये बिहार के उन कुछ जिलों का दौरा किया था जिनमें सूखा पड़ने की सूचना मिली है। केन्द्रीय दल के अनुसार, राज्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे भारत सरकार से विशेष सहायता की आवश्यकता हो।

सरकारी उपक्रमों की हुई हानि की जांच

151. **श्री मंगलाथुमाडम** :

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी उपक्रमों को हुई हानि की जांच आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कोई निदेश-पत्र निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) हालांकि सरकार ने सरकारी उद्यमों को हुई हानि के सम्बन्ध में कोई सामान्य जांच शुरू नहीं की है, फिर भी सरकारी उद्यम कार्यालय सरकारी उद्यमों के कार्यचालन पर सामान्य रूप से लगातार नजर रखता है और चुने हुये सरकारी उद्यमों के कार्यचालन के गहन अध्ययन का कार्य नियमित आधार पर किया जाता है।

(ख) से (घ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

एस्सो द्वारा अरेबियन कच्चे तेल के स्थान पर अधा जारी कच्चे तेल का आयात करने का प्रस्ताव

152. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐस्सो ने वर्तमान अरेबियन कच्चे तेल का आयात करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

आयकर अधिकारियों के पास कार्यभार

153. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त विधेयक, 1970 फर्मों की पूंजी के 5 प्रतिशत विनियोजन के प्रतिबन्ध के कारण आय का निर्धारण करने वाले अधिकारियों तथा न्याय पर दबाव तथा उनकी कठिनाइयों को कम करने में समर्थ नहीं हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक में समुचित संशोधन करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कर निर्धारण के समय इन मामलों के शीघ्र निपटाने की क्या योजनायें हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) धर्मादा तथा धार्मिक न्यासों से सम्बन्धित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 तथा 13 में वित्त अधिनियम 1970 के जरिये संशोधन किये गये हैं, जिससे कानून की खामियों को, जिनके कारण कर-परिहार किया जाता है, दूर किया जा सके। आयकर विभाग तथा न्यासों के कार्य में कोई भी वृद्धि प्रासंगिक होगी ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) धर्मादा न्यासों के कर निर्धारण का कार्य शीघ्र हाथ में लेने के लिये आयकर-अधिकारियों को आदेश जारी किये जायेंगे ।

स्टैन्र्ड ड्रम तथा बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी

156. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वित्त मंत्री** 27 अप्रैल 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1232 के उत्तर के सम्बत्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री मगनलाल छगन लाल द्वारा उस समय जबकि ऐसी कोई योजना नहीं थी 60 लाख रुपये का रहस्योद्घाटन किये जाने को ध्यान में रखते हुए क्या इससे यह पता नहीं लगता कि उन्होंने हजारों टन इस्पात बाजार में बेचा है जो कि उनको ढोल बनाने के लिये स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के नाम से व्यापार जारी रखने सम्बन्धी लाइसेंस प्राप्त होने के पश्चात् तकनीकी विकास निदेशालय, आयात से, इण्डियन आयल कारपोरेशन, तथा रुसी रिफाइनरी कम्पनी तथा विभिन्न अन्य साधनों से प्राप्त हुआ था और इस प्रकार उन्होंने नेशनल रेयन के शेयर जमा किये तथा उन्होंने उक्त काले धन से किलिक निक्सन आदि को अपने नियंत्रण में लिया ;

(ख) क्या इस से यह पता नहीं लगता कि इस फर्म ने अत्यधिक खरीद तथा व्यय किया है ताकि मामूली लाभ दिखाया जा सके, तथा अधिक आय न हो, और करों का भारी मात्रा में अपवंचन किया है : और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके कार्य की जांच के आदेश न दिये जाने के क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) छिपाई हुई आय तब प्रकट की गई जब स्वेच्छा से आय प्रकट करने की योजनाएं विद्यमान थी। यद्यपि प्रकट की गई आय से पता चलता है कि इसके पहले कर निर्धारिती, अपनी आय पर कर की अदायगी से बचता रहा था, तथापि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है कि प्रकट की गई आय किसी स्त्रोत विशेष से उद्भूत हुई थी।

प्रकट की गयी आय, मेसर्स मगन लाल छगन लाल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शेयरों के रूप में विभिन्न कम्पनियों में किये गये बेश का एक अल्प भाग है।

(ख) तथ्यों से जाहिर होता है कि कर निर्धारिती ने कर-अपवंचन किया था किन्तु साक्ष्य के आधार पर कर-अपवंचन के तरीके का सही सही निर्धारण करना संभव नहीं है।

(ग) गत वर्ष, इस कम्पनी के खिलाफ और आगे कर-अपवंचन किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। पूरी-पूरी जांच किये जाने के आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं तथा इस समूह के मामलों को, पूर्ण तथा समन्वित जांच पड़ताल के लिये, आयकर आयुक्त (सेंट्रल), बम्बई के कार्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

बैंकों के जमा राशि में कमी

157. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1969 से जून 1970 की अवधि में बैंकों के जमा खातों में इससे पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में कम राशि जमा हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कम राशि जमा होने के कारणों की जांच की गई है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है कि खातों में अधिक राशि जमा हो ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अक्तूबर 1969 से जून 1970 तक की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा रकमों में कमी नहीं हुई। लेकिन 1969-70 (अक्तूबर-जून) में जमा की रकमों में 451.0 करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई वह 1968-69 की उसी अवधि में हुई 530.8 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में कम थी।

(ख) और (ग). 1969-70 में जमा की रकमों में अपेक्षाकृत कम तेजी से वृद्धि होने का कुछ कारण सरकार द्वारा की जाने वाली घाटे की वित्त-व्यवस्था का पहले की अपेक्षा कम विस्तार होना और विदेशी मुद्रा की शुद्ध प्राप्तियों में कम वृद्धि होना है। इसके अलावा, यह समझा जाता है कि मूल्यों में हुई वृद्धि और उद्योग तथा व्यापार में हुए सुधार का, जमा की रकमों में होने वाली वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जमा की रकमों की वृद्धि की गति कम होना, सरकार के लिए चिंता का विषय रहा है और इस ओर सम्बद्ध बैंकों का विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया है। उन्हें जमा के लिए रकमें जुटाने के लिए अभियान चलाने और जमा के लिए रकमें आकर्षित करने के लिए नयी योजनायें शुरू करने की सलाह दी गयी है। जमा के लिए रकमें जुटाने के काम में तेजी लाने के उपायों पर, वित्त मंत्री के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों की 22 जुलाई 1970 को हुई बैठक में विचार किया गया था। जमा के लिए रकमें जुटाने के

अभियान में सहायता देने के लिए, रिजर्व बैंक ने जमा की छोटी-छोटी रकमों के संग्रह के सम्बन्ध में दलाली की अदायगी के बारे में लगायी हुई अपनी पाबन्दियों को ढीला कर दिया है और अपेक्षाकृत लम्बी अवधि के लिए जमा रकमों के व्याज की दर में वृद्धि कर दी है। रकमें जमा कराने के अभियान में पूरी लगन से सहयोग देने के लिए बैंक कर्मचारियों को दिये जाने वाले प्रोत्साहनों पर विचार किया जा रहा है।

बैंकों से ऋण की माँग

158. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों में धन जमा करने की अपेक्षा उनसे ऋण लेने की मांग तेजी से बढ़ रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि इस प्रवृति को बढ़ने दिया गया तो मुद्रा स्फीति हो जायगी ; और

(ग) यदि हां, तो ऋण में कमी करने तथा धन जमा करने के लिए प्रोत्साहन देने के बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 30 जून 1970 को समाप्त हुए पिछले एक वर्ष में सभी वाणिज्यक बैंकों में जमा की कुल रकमों में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि बैंक-ऋण में 17.5 प्रतिशत की।

(ख) और (ग). बैंक-ऋण में नियमित रूप से वृद्धि होना, विकासशील अर्थ-व्यवस्था का एक लक्षण है। फिर भी, इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कि बैंक-ऋण में युक्तियुक्त स्तर से अधिक वृद्धि न हो और ऋण का उपयोग सट्टेबाजी के प्रयोजनों के लिए न किया जाय, भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाये हैं। रिजर्व बैंक ने तेलहनों, बनास्पती सहित वनस्पति तेलों, रूई और कपास और गुड़ जैसी कुछ ऐसी वस्तुओं के, जिनकी कमी है, आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर लगी पाबन्दियों को और कडा बना दिया है। उन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, जिनमें 50 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक रकमें जमा हैं, और विदेशी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के व्याज की दरों के सम्बन्ध में 9.5 प्रतिशत वार्षिक की जो उच्चतम सीमा निर्धारित थी, उसे जनवरी 1970 में हटा दिया गया ताकि बैंक इन दरों में वृद्धि कर सकें। फरवरी में, रिजर्व बैंक ने बैंकों को दिये जाने वाले पुनर्वित्त पर कुछ पाबन्दियां लगाने की घोषणा की और इसके साथ-साथ इस प्रकार के कर्जों की लागत में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये। इन कदमों का उद्देश्य यह था कि गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों में होने वाली वृद्धि को कम किया जाय।

जमा की रकमों में वृद्धि की गति को तेज करने के महत्व को पूरी तरह से स्वीकार किया गया है और वित्त मंत्री ने बैंकों के अभिरक्षकों के साथ हाल में हुई अपनी बैठक में इस पहलू पर भारी बल दिया था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाये जा चुके हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों के एजेन्टों द्वारा घर घर जा कर इकट्ठा की गयी जमा की छोटी छोटी रकमों के सम्बन्ध में दलाली की अदायगी पर लगायी गयी पाबन्दी को ढीला कर दिया है। लम्बी अवधि

के लिए जमा रकमों के ब्याज की दर बढ़ा दी गयी है। वाणिज्यिक बैंकों ने जमा के लिए रकमें जुटाने को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है और प्रोत्साहन दिये हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने स्थापित करनें के मानदण्ड

159. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए हाल ही में कुछ मानदण्ड निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या नये मानदण्डों के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये नये लाइसेंस जारी किये गये है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स हिंद गल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ सौदे में भारतीय तेल निगम को हानि

160. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री मैसर्स हिन्द गाल्वनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ सौदे में भारतीय तेल निगम को हुई हानि के बारे में 13 अप्रैल, 1970 के प्रश्न संख्या 6152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय तेल निगम द्वारा फर्म के विरूद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में दायर किये गये मुकदमें की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मामला अभी तक बम्बई हाई कोर्ट में अनिर्णीत पड़ा हुआ है।

मई, 1970 मे आसनसोल के निकट थानोरा कोयला खान में आग

161. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1970 में आसनसोल के निकट सीतारामपुर में थानोरा कोयला खान में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि का अनुमान है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है तथा मजदूरों को सहायता देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) कोयले के उत्पादन में लगभग आठ हजार मैट्रिक टन की हानि हुई ।

(ग) अपेक्षाओं से अतिरिक्त हुए श्रमिकों को क्रमश: पुन: आमेलित कर लिया गया था ।

आय-कर दाता

162. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में एसे अनिगमित आयकर दाताओं की कुल संख्या कितनी है जिनकी आय 5,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक है ;

(ख) उपर्युक्त कर दाताओं में से कितने व्यक्तियों की आय वेतन से होती है तथा कितने व्यक्तियों की आय वेतन के अतिरिक्त अन्य साधनों से होती है ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में इन करदाताओं से कितना राजस्व प्राप्त किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 5,000 रु० से 7,500 रु० के बीच के आय समूह में आने वाले कर निर्धारितियों की संख्या तथा उनके द्वारा देय आयकर

I. 1954-55

करनिर्धारितियों के विवरण	निर्धारितियों की संख्या	देय आयकर (000 रुपये)
(क) कर-निर्धारितियों के सभी वर्ग (कम्पनियों को छोड़कर)	365639	5,83,96
(ख) वेतन-भोगी	184865	2,80,84
(ग) गैर वेतन-भोगी	180774	3,03,11
II. 1966-67		
(क) कर-निर्धारितियों के सभी वर्ग (कम्पनियों को छोड़कर)	452168	7,58,55
(ख) वेतन-भोगी	211832	3,88,16
(ग) गैर वेतन-भोगी	240336	3,70,39

राष्ट्रीकृत बैंकों के लाभ मे कमी

163. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री बलराज मधोक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 6 महीनों से राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ की राशि में कमी होती जा रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए चौथी योजना मे पूंजी परिव्यय

164. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में 403 करोड़ रुपये पूंजी परिव्यय मांग था लेकिन केवल 181 करोड़ रुपये मन्जूर किये गये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे तेल तथा गैस के अन्वेषण और उत्पादन सम्बन्धी दस वर्षीय योजना पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि (1969-70 से 1973-74) में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 356 करोड़ रुपये का पुनरीक्षत पूंजी परिव्यय माँगा था, जिसे योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है । इस राशि में से, पूंजी व्यय 181 करोड़ रुपये है ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के चौथी आवंटनों में पुनरीक्षण होने के परिणाम-स्वरूप इस की दस वर्षीय योजना में उचित रूप से पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

प्रधान मन्त्री के लिए विशेष प्रकार के भवन का निर्माण

165. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में प्रधान मंत्री के लिए विशेष प्रकार के भवन का निर्माण करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रधान मंत्री के लिए नये मकान का निर्माण कब तक किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

कैंसर का पता लगाने तथा इसका उपचार करने के लिए अनुसंधान

166. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में कैंसर का पता लगाने तथा इस बीमारी का वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली से इलाज करने के सम्बन्ध में अत्यधिक अनुसंधान किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं तथा गत दो वर्षों में किये गये अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार इन अनुसंधान कार्यों का देश में पूरा लाभ उठा रही है ;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इन अनुसंधान कार्यों से उठाये गये चिकित्सा सम्बन्धी लाभों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या विदेशों में इस बीमारी के लिये दी जाने वाली औषधियां भारत में उपलब्ध हैं, और यदि नहीं, तो क्या जिन देशों में यह औषधियां दी जाती हैं उनसे इनका आयात किया जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(क) भारत तथा बहुत से बाहरी देशों में, विशेषतया अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पश्चिम जर्मनी तथा यूरोपीय देशों में इस बीमारी पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है । प्रयास यह है कि इस रोग के कारण, लक्षण, इतिहास, उससे बचने के उपाय और तुरन्त निदान के बारे में अधिकाधिक जानकारी हासिल हो जाये ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इससे यह लाभ हुए हैं कि इसके समय पर निदान तथा शल्य चिकित्सा, रसायन चिकित्सा और विकिरण द्वारा प्रारम्भिक घावों के उपचार की अच्छी उपलब्ध हो गई हैं । शरीर के स्मीयर एग्जामिनेशन के प्रस्तावित व्यापक प्रयोग से सामूहिक जांच कार्यक्रम चलाकर कैंसर का समय पर पता लगाना सम्भव हो जायेगा ।

(ङ) कैंसर के उपचार की बहुत सी औषधियां भारत में उपलब्ध हैं । इन्हें विदेशों से या तो तैयार दवा के रुप में अथवा देश में दवा तैयार करने के लिए स्थूल औषध के रूप में आयात किया जा रहा है ।

कम मूल्य पर औषधियों का प्राप्त न होना

167. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आदेशों के अनुसार कम मूल्यों पर दी जाने वाली औषधियों की सूची में दी गई औषधियां खरीदारों को कम कीमत पर उपलब्ध नहीं होती ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन निर्माताओं के मुख्य कार्यालय बम्बई में हैं उन्होंने कैमिस्टों को दवाइयों के मूल्यों में कमी करने तथा दवाइयों को कम मूल्य पर बेचने से इनको होने वाली हानि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में अभी तक कोई वचन नहीं दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करने तथा निर्माताओं से औषधियों को कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). दि ड्रग्ज (प्राइसेज कन्ट्रोल) आर्डर, 1970, जोकि 16 मई, 1970 को जारी किया गया था, में दवाओं की कीमतों की कोई लिस्ट नहीं है। आर्डर की शर्तों के अनुसार आवश्यक प्रचुर दवाओं की कीमतें नियत कर दी गई है और दूसरे प्रचुर औषधियों के मूल्य इस आज्ञा के आरम्भ होने के फौरन पहले प्रचलित मूल्य पर स्थिर कर दिये गए हैं। अधिक मूल्य लेने के मामलों पर, जिनकी सरकार को सूचना दी गई है, विचार किया जा रहा है। जहां तक फार्मयूलेशन्स का सम्बन्ध है, संशोधित मूल्य 1 अगस्त, 1970 से लागू होंगे, क्योंकि संशोधित मूल्य सूचियां 31 जुलाई, 1970 तक जारी की जानी हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि उद्योग आम तौर से परचून कैमिस्टों को, संशोधित सूचियां लागू होने की तिथि पर उनके पास पड़े स्टाक के मूल्यों में कमी के लिए, मुआवजा देने के लिए तैयार है, अधिकांशतः, उद्योग ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वे आदेश के सुचारू और प्रभावशाली रूप से लागू करने में अवश्य सहयोग देंगे। यदि कभी कोई आदेश के उल्लंघन का मामला सरकार की दृष्टि में आया तो उचित कार्य-वाही पर विचार किया जायेगा।

स्वर्ण बांड धारक

168. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 अक्तूबर, 1965 को आरम्भ की गई राष्ट्रीय प्रतिरक्षा स्वर्ण बांड 1980 योजना के अन्तर्गत स्वर्ण-बांड धारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त योजना में कुल कितना स्वर्ण दिया गया ;

(ग) क्या सरकार ने उस कानूनी स्थिति के बारे में विचार किया है जबकि बांड-धारी को उक्त योजना के अन्तर्गत सोना वापिस मिलता है और यदि हां, तो इस प्रकार प्राप्त हुए सोने की कानूनी स्थिति क्या होगी जबकि यह उसके कब्जे में पाया जाये विशेष रूप से जब बांड-धारक उस दिन सोना वापिस लेता है जबकि स्वर्ण नियंत्रण आदेश लागू हो ; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार यह विचार कर रही है कि बांड-धारक को सोने की बजाय जोकि उसने उक्त योजना के अन्तर्गत दिया है, नकदी दी जाये, यदि हां, तो क्या उसको चालू बाजार दर पर सोने की कीमत दी जाएगी अथवा उस दिन की सरकारी दर पर ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1,45,366 ।

(ख) परख से पहले 1,36,94,817.467 ग्राम ।

(ग) सरकार को स्वर्ण नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत इस प्रकार की किसी कानूनी कठिनाई की आशंका नहीं है ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

त्रिपुरा में एक नया मैडिकल कालेज खोला जाना

169. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या तथा डाक्टरों के अनुपात को बनाये रखने की दृष्टि से भविष्य में देश में कुछ नये मैडिकल कालेज स्थापित करने का विचार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का त्रिपुरा में नया मैडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां । चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-योजनाओं के अन्तर्गत देश में 10 नये चिकित्सा कालेज खोले जा रहे हैं । इन कालेजों को निम्न प्रकार से खोलने का सुझाव दिया गया है :

राज्य का नाम	खोले जाने वाले चिकित्सा कालेजों की संख्या
बिहार	1
हरियाणा	1
गुजरात	1
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	2
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	2

(ग) जी नहीं। त्रिपुरा में नये चिकित्सा कालेज खोलने का चौथी योजना में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) नये मैडिकल कालेज खोलने के लिए अपनाये गये मानदण्ड अर्थात् 50 लाख लोगों के लिये एक कालेज के अनुसार संघ क्षेत्र त्रिपुरा जिसकी आबादी कुल 16 लाख है पात्र नहीं है।

देश में सुनने अथवा बोलने में असमर्थ व्यक्तियों का सर्वेक्षण

170. **श्री जे० के० चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंलौर के श्रवण तथा वाक् केन्द्र और नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव किया है कि देश में यह समस्या किस सीमा तक है, उसका अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख). भारत में वाक् श्रवण सम्बन्धी समस्या पर श्रवण और वाक् केन्द्र वैलूर और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली स्थित श्रवण एवं वाक् विकृति विज्ञान पुनर्स्थापन एकक के संयुक्त तत्वावधान में 21 से 23 मई, 1970 तक आयोजित विशेष कर्मशाला में सभी प्रतिनिधियों की सर्व सम्मति से यह राय थी कि ऐसे असमर्थों को पुनःस्थापित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारियों, उपस्कर तथा अन्य साज-सामान की आवश्यकता मालूम करने की समस्या की गम्भीरता जानने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के विकलांगों, विशेष रूप से सुनने और बोलने में असमर्थ व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। चूंकि देश में ऐसे असमर्थों के बारे में कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं है इसलिए सभी सम्बन्धित व्यक्तियों ने यह महसूस किया कि इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अभी कोई विस्तृत प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

औषधियों की रूपान्तरण लागत और पैकिंग खर्च के लिए मानदण्ड

1171. **श्री नंजा गौडर :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों की रूपान्तरण लागत और पैकिंग खर्च के लिए मान दण्डों को अन्तिम रूप दे दिया है जिससे औषध निर्माण उद्योग के फुट कर मूल्य निर्धारित कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में औषध निर्माण उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) परिवर्तन के ये मान दण्ड 25-5-70 के गजेट आफ इण्डिया सक्स्ट्राआर्डीनरी भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग) इन मान दण्डों को डेवलपमेंट काउंसिल फार ड्रग्ज एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स के विचारों को मालूम करने के बाद जारी किया गया था । फार्मेस्यूटिकलज उद्योग ने लगभग सारे ही मान-दण्डों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें दवाईयों की संशोधित कीमतों के लिए अपनाने की सहमति प्रकट की है ।

भारतीय तेल निगम द्वारा गुजरात को सप्लाई किए जाने वाले अवशिष्ट ईंधन तेल का मूल्य निर्धारित करना

172. **श्री बि० कु० मोड़क :**
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री नम्बियार :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सुझाव दिया है कि भारतीय तेल निगम द्वारा गुजरात तेल शोधक कारखाने से गुजरात को सप्लाई किये जाने वाले अवशिष्ट ईंधन तेल के मूल्य सम्बन्धित दोनों पक्षों की परस्पर बातचीत के द्वारा तय किये जाने चाहिए ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और वह शान्ति लाल शाह समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर दृढ़ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विवाद को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). तेल मूल्य समिति ने सिफारिश की है कि घुवारन सन्यन्त्र को सप्लाई के लिए कम्पनी के संग्रहालय केन्द्र पर अपशिष्ट ईंधन तेल का मूल्य 45 रुपये प्रति मीटरी टन होना चाहिए । सरकार ने तेल मूल्य समिति की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है । परन्तु गुजरात के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को इस निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है ।

Payment of Income-tax by Firms and Individuals in Allahabad

173. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of the persons and the companies in Allahabad against which more

than Rs. 1,00,000 are outstanding in the form of Income-tax and other taxes and also the number of years from which these amounts have been outstanding against them ; and

(b) the steps being taken by Government for the speedy realisation of Income-tax ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The requisite information is given in the Annexure. [*Placed in Library. See* No. LT—5717/70].

राज्य तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्त पोषित टाइल कारखाने

174. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कनारा जिले में कुल 63 में से कितने टाइल कारखानों का राज्य तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों से लिये जाने वाले ब्याज-दर पर वित्त पोषण किया जाता है ;

(ख) सामान्य शर्तों के आधार पर कितनों का वित्त पोषण किया जाता है और उनको सूचित क्यों नहीं किया गया कि उनका भी छोटे पैमाने के उद्योगों की भांति 7½ प्रतिशत ब्याज-दर पर वित्त पोषण किया जा सकता था ;

(ग) क्या उनसे लिया गया अतिरिक्त ब्याज लौटा दिया जायेगा ; और

(घ) टाइल उद्योग के गम्भीर संकट को ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण कई कारखाने बन्द हैं, क्या सरकार राज्य बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को इन उद्योगों को एक विशेष अभियान के द्वारा ऋण देने और उसके परिणाम सरकार को बताने के लिए अनुदेश देगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और उन्हें सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

जमाखातों तथा अग्रिम धन के लिए बैंक दर

175. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों में जमाखातों तथा अग्रिम धन दिये जाने की दर क्या थी और इस समय यह दर कितनी है ;

(ख) दरों में वृद्धि कृषि वस्तुओं के लिए अग्रिम धन देने में रोक लगाने पर किस हद तक सफल सिद्ध हुई है और दरों में वृद्धि से पूर्व तथा बाद में दिये गये अग्रिम धन के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् से मूल्यों के सामान्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है और इस बात के लिए अध्ययन न किये जाने के क्या कारण हैं कि इस वृद्धि के सम्बन्ध में अग्रिम धन की दर में वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) राष्ट्रीयकरण से पूर्व तथा बाद में औद्योगिक विकास के लिए कुल कितना अग्रिम धन दिया गया और क्या रोजगार के अवसरों के समाप्त हो जाने की शर्तों में इसमें हुई कमी पर सरकार ने विचार किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीयकरण से पूर्व

बैंकों में जमा रकमों के ब्याज की दरें और वर्तमान दरें संलग्न अनुबन्ध में दी गयी हैं। बैंक, अग्रिमों पर उन दरों पर ब्याज लेने के लिए स्वतन्त्र हैं, जिन्हें वे युक्तिसंगत समझें, परन्तु निर्यात ऋणों और प्राथमिक सहकारी समितियों को दिये जाने वाले अग्रिमों के ब्याज की अधिकतम दर, रिजर्व बैंक द्वारा, क्रमश: 6 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत निश्चित की गयी है। 50 करोड़ रुपये और इससे अधिक जमा रकमों वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों की 9.5 प्रतिशत की अधिकतम दर रिजर्व बैंक द्वारा जनवरी, 1970 में हटा ली गई थी और 21 जनवरी, 1970 से अनाज, तेलहनो, बनास्पति सहित वनस्पति तेलों और देशी रुई और कपास जमानत के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों के ब्याज की न्यूनतम वार्षिक दर 10 प्रतिशत कर दी गयी ताकि उन जिन्सों की जिनकी कमी है, सट्टेबाजी के उद्देश्य से जमाखोरी को रोका जा सके। अनाज को छोड़कर, यह दर 28 अप्रैल, 1970 को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई थी।

(ख) जनवरी, 1970 के मध्य में अर्थात् अग्रिमों पर 9.5 प्रतिशत की अधिकतम ब्याज दर के हटाये जाने से पहले, कमी वाली उपर्युक्त जिन्सो के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की रकम 317 करोड़ रुपये थी। मई, 1970 के मध्य तक अग्रिमों की रकम में और वृद्धि नहीं हुई और यह रकम उतनी ही रही।

(ग) मूल्यों के सामान्य-सूचक अंक मे 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् यह सूचक-अंक 28 जून, 1969 के 173.5 से बढ़कर 27 जून, 1670 को 180.3 हो गया। कमी वाली जिंसों के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों के ब्याज कीं दरों में वृद्धि का निर्णय इन जिन्सों की सट्टेबाजी के लिए जमाखोरी को रोकने के लिए किया गया था। फिर भी, ऋण सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित करते समय सरकार और रिजर्व बैंक, मूल्यों, उत्पादन, ऋण और मुद्रा उपलब्धि की प्रवृत्तियों पर लगातार नजर रखते हैं। ऋण सम्बन्धी नीति निर्धारित करते समय मूल्यों में होने वाली कुल वृद्धि और अलग-अलग क्षेत्रों में मूल्यों में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) जून, 1969 के अन्त तक औद्योगिक क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों की बकाया रकम लगभग 2320 करोड़ रुपया थी। 1 अप्रैल, 1970 के अन्त तक यह रकम लगभग 2560 करोड़ रुपया थी। अत: औद्योगिक क्षेत्र को दिये जाने वाले अग्रिमों में कोई कमी नहीं हुई है।

विवरण

मूल्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा रकमों पर दिये जाने वाले ब्याज की दरें

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

जमा रकमों की किस्म	राष्ट्रीयकरण से पूर्व ब्याज की दरें	ब्याज की वर्तमान प्रभावी दरें
चालू खाते	धर्मार्थ खातों के अलावा कोई ब्याज नहीं	रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना कोई ब्याज नहीं
बचत जमा	3½	3½

14 दिन के लिए जमा रकमें	शून्य	शून्य
15 दिन से 45 दिन तक के लिए जमा रकमें	1¼	1¼ से अधिक नहीं
46 दिन से 90 दिन तक के लिए जमा रकमें	2½	2½
91 दिन और उससे अधिक परन्तु 6 महीने से कम अवधि के लिए जमा रकमें	4	
6 महीने और इससे अधिक परन्तु 9 महीने से कम अवधि के लिए जमा रकमें	4½	4½
9 महीने और इससे अधिक परन्तु 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जमा रकमें	5	5
1 वर्ष और इससे अधिक परन्तु 2 वर्ष से कम अवधि के लिए जमा रकमें	5½	5½
2 वर्ष, परन्तु 3 वर्ष से कम अवधि के लिए जमा रकमें	5¾	
2 वर्ष और उससे अधिक परन्तु 3 वर्ष तक और पूरे 3 वर्ष की अवधि के लिये जमा रकमें		6
3 वर्ष, परन्तु 5 वर्ष से कम अवधि के लिए जमा रकमें	6	
3 वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष तक और पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए जमा रकमें		6½
5 वर्ष से 7 वर्ष से कम अवधि के लिए जमा रकमें	6½	
5 वर्ष से अधिक परन्तु 6 वर्ष तक और पूरे 6 वर्ष की अवधि के लिए जमा रकमें		6¾
6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जमा रकमें		7

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों मे उर्वरक उत्पादन की निर्धारित से कम क्षमता का प्रयोग

176. **श्री लोबो प्रभु :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उर्वरक उत्पादन की कितनी क्षमता है ;

(ख) पिछले वर्ष इसमें से कितनी क्षमता का प्रयोग किया गया था ; और

(ग) उस पता लगे प्रत्येक कारण को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं हो सका है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : 1-1-70 को नाइट्रोजन के रूप में उर्वरक क्षमता निम्न प्रकार थी :

(000 मीटरी टन नाइट्रोजन)

	स्थपित क्षमता	1969-70 में प्राप्य क्षमता
सरकारी क्षेत्र	684	602
गैर सरकारी क्षेत्र	660	376
	1344	978

(ख) 1969-70 में प्राप्य क्षमता का प्रयोग इस प्रकार था :

सरकारी क्षेत्र	69%
गैर सरकारी क्षेत्र	79.2%
कुल	73.2%

(ग) तकनीकी तथा बिजली की खराबियों के कारण अयोजनाबद्ध काम बन्दी, सुविधाओं तथा कच्चे माल की कमी और श्रमिक समस्याएं 1969-70 में उत्पादन में हुई हानि के मुख्य तथ्य है । इन ज्ञात तथ्यों में कमी करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

विदेशी में गये संसद् के प्रतिनिधि मण्डल

177. **डा० सुशीला नैयर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में संसद् सदस्यों के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों को किन उद्देश्यों से विदेशों में भेजा गया था तथा प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल द्वारा सम्पन्न किये कार्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई तथा अन्य कितना व्यय किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). सूचना अनुबंध की गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०— 3718/70]

लेखा बाह्य धन

178. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष-कर जांच समिति से काले धन की वास्तविक राशि का पता लगाने के लिए कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। इससे पहले नियुक्त किये गये आयोगों और समितियों का यह विचार था कि काले धन की सीमा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। पहले लगाये गए अनुमान भी अनन्तिम थे और कई तरह की मान्यताओं का आधार लिए हुये थे।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

आय-कर विभाग से द्वितीय श्रेणी के पदों का समाप्त करना

179. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर राजपत्रित सेवा संघ की फैडरेशन ने सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि आय-कर विभाग से द्वितीय श्रेणी के पदों को समाप्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) पहले तथा दूसरे वेतन आयोगों, प्रत्यक्षकर प्रशासन जांच समिति तथा हाल में प्रशासनिक सुधार आयोग ने आयकर अधिकारी श्रेणी-II के संवर्ग को समाप्त करने की सिफारिश नहीं की। प्रत्येक विभाग में बहुत सा काम ऐसा होता है जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता और जो श्रेणी-II के अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। यही कारण है कि लगभग सभी विभागों के संवर्गों में श्रेणी-II सेवा की व्यवस्था है। श्रेणी-II सेवा की व्यवस्था होने से विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों को सीधे श्रेणी-I सेवा में पदोन्नत नहीं किया जा सकता। जैसे ही श्रेणी-II सेवा का कोई अधिकारी पर्याप्त वरिष्ठता और उपयुक्त दक्षता प्राप्त कर लेता है, उस श्रेणी-I सेवा में पदोन्नति का अवसर मिल जाता है। ये ही कारण हैं कि आयकर अधिकारियों की श्रेणी-II सेवा की समाप्ति संबन्धी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा वेतन आयोग, निस्संदेह, इस मामले की जांच करेगा और अपनी सिफारिशें पेश करेगा।

विशाखापतनम में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये 'आक्सीडेंटल पेट्रोलियम कारपोरेशन' के प्रस्ताव

180. **श्री अ० कु० गोपालन** :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आक्सीडेटल पेट्रोलियम कारपोरेशन के विशाखापतनम में उर्वरक कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को, जिसमें कच्चे माल के रूप में आयातित अमोनिया तथा फासफोरिक एसिड प्रयोग में लाया जायेगा, मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). प्रतिवर्ष 140,000 मीटरी टन नाइट्रोजन और प्रतिवर्ष 140,000 मीटरी टन $पी_2 ओ_5$ उर्वरकों की अन्तिम क्षमता के लिए विशाखापत्तनम में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना हेतु 23 जून, 1969 को पार्टी को एक आशय पत्र जारी किया गया है। प्रस्ताव में 18 महीनों की अवधि के लिए अमोनिया और 5 से 7 वर्षों की अवधि के लिए फासफोरिक एसिड के आयात निहित है। प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप देना है।

हल्दिया-बरौनी पाईप लाईन

181. **श्री मधु लिमये :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री भगवान दास :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन तथा इससे सम्बन्धित कोयला-क्षेत्र के पार भाग का निर्माण करने से सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों सम्ब-धी समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है।

(ख) क्या सरकार को इसी विषय पर नैंडूर पी० श्रीनिवासन राव का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है ; और

(ग) यदि हां, इन प्रतिवेदनों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) रिपोर्ट परीक्षाधीन है।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता क्योंकि दोनों रिपोर्टें परीक्षाधीन हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक आफ इण्डिया की जमा राशियां

182. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण करने से पूर्व 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक आफ इंडिया की कुल जमा राशि कितनी थी ;

(ख) 19 जुलाई 1970 को इन बैंकों की कुल जमा राशि कितनी है ; और

(ग) क्या उसी अवधि में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक की जमा राशि की अपेक्षा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि में अनुपातिक वृद्धि हुई है अथवा तेजी के साथ वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जैसा कि विवरण को देखने से पता चलता है। गैर-राष्ट्रीयकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा रकमों में 18-7-1969 से 10-7-1970 तक की अवधि में (अर्थात् सबसे हाल

की उस तारीख तक जिसके सम्बन्ध में जमा की रकमों के आंकड़े उपलब्ध हैं) 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उसके मुकाबले में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा रकमों में 13.6 प्रतिशत की तथा भारतीय स्टेट बैंक की जमा रकमों में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विवरण

	जमा रकमें (अन्तर्बैंक जमा रकमों को छोड़कर)		जमा रकमों में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
	18-7-69 को	10-7-1970 को (हाल के उपलब्ध आँकड़े)		
14 बैंक जिनका 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया	2626.22	2083.44	357.22	13.6
भारतीय स्टेट बैंक	959.22	1130.56*	171.34	17.9
गैर-सरकारी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक				
(क) भारत स्थित विदेशी बैंक	482.36	530.05		
(ख) भारतीय बैंक	299.19	330.77		
	781.55	860.82	79.27	10.1

*इसमें बैंक आफ बिहार और नेशनल बैंक आफ लाहौर की जमा रकमें शामिल हैं जो कुल मिलाकर लगभग 24 करोड़ रुपया बैठती हैं। इन दोनों बैंकों का क्रमशः नवम्बर 1969 और फरवरी 1970 में भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया था।

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों की बिक्री

183. **श्री मधु लिमये** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों को किस्तों के आधार पर किरायेदारों को बेचने की अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार बाजार शुल्क लेगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार किन कारणों से प्रेरित होकर इस प्रकार की योजना से लाभ कमाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम के अन्तर्गत निर्मित मकानों को, वर्तमान दखलकारों को बेचने का एक प्रस्ताव, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ है तथा वह विचाराधीन है। यह कहना अभी समयापूर्व होगा कि किन शर्तों पर प्रस्ताव अनुमोदित किया जायेगा।

फर्मों के नाम काली सूची में दर्ज करना

184. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धन कर अथवा आय-कर के मामले में किन्हीं दोषी मालिकों अथवा फर्मों के नाम काली सूची में दर्ज किये हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या दोषकर्ताओं के नाम काली सूची में दर्ज करने के पश्चात् उनमें से किसी को कोई सहायता दी गई है और यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है और कितनी सहायता दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). जी, नहीं। तथापि किसी भी कर-निर्धारिती की, जिसने आयकर तथा धन-कर की अदायगी करने में चूक की है, सरकारी विभाग से क्रमशः ठेका प्राप्त करने तथा आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आयकर बेबाकी सत्यापन प्रमाण-पत्र पाने का हक नहीं है।

आय-कर निरीक्षकों की परीक्षा

185. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिये हैं जिनसे मई, 1970 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में आय-कर निरीक्षक की परीक्षा में बैठने वालों ने परीक्षा का बहिष्कार किया था तथा परीक्षा भवन का कुछ फर्नीचर जला दिया था ;

(ख) क्या जांच समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). सरकार द्वारा किसी औपचारिक जांच का आदेश नहीं दिया गया। किन्तु आयकर आयुक्त, दिल्ली-1 ने सरकार को उस घटना के बारे में अवगत कराये रखा तथा अपने सामान्य कर्तव्यों के दौरान मामले के सभी पहलुओं की जांच की।

(क) सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित कुछ रिपोर्टों में निहित आरोपों की ओर आकृष्ट किया गया। परीक्षा लेने के सम्बन्ध में आरोप यह थे कि घटना के एक दिन पूर्व निरीक्षकों ने विभागीय उम्मीदवारों की सहायता की थी तथा प्रश्न-पत्र का रहस्योद्घाटन हो गया था। जांच किये जाने पर आरोप निराधार पाये गये। वास्तव में संबंधित प्रश्न पत्र जो कि "सामान्य अंग्रेजी" का था कि उम्मीदवारों को किसी के द्वारा कोई खास सहायता नहीं दी जा

सकती थी। प्रत्येक मंजिल में निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त के ओहदे के एक वरिष्ठ अधिकारी की सीधी निगरानी में थे तथा परीक्षा में भाग लेने वाले कुल 5776 उम्मीदवारों में से, 188 विभागीय उम्मीदवारों को नौ अलग-अलग मंजिलों में बिठाया गया था, और वस्तुतः अन्य उम्मीदवारों और उनमें कोई भेद नहीं था। इसके अतिरिक्त जिस समय कथित सहायता दी गई उस समय इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई थी।

घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों के पास पहले ही रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है तथा जांच पड़ताल जारी है।

पुराने सिक्कों का टंकण

186. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्थित भारत सरकार की टकसाल पुराने सिक्कों का टंकण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसने अब तक किस प्रकार के पुराने सिक्कों का टंकण किया है ; और

(ग) पुराने सिक्कों का टंकण करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जून 1970 तक, भारत सरकार की बम्बई स्थित टकसाल मुद्राशास्त्रियों के विशिष्ट आर्डरों पर ऐसे पुराने सिक्के फिर से बना दिया करती थी, जिनके ठप्पे उसके पास थे। इसका प्रयोजन धन कमाना था। 1969 से, टकसाल ने प्रत्येक वर्ष बनाये जाने वाले सभी मूल्यों के सिक्कों के 'प्रूफ' सिक्के, बिक्री के उद्देश्य से बनाने का नियमित कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रकार के सिक्कों के ऊंचे मूल्य को बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि ग्राहक को इस बात का विश्वास दिलाया जाय कि इस किस्म के सिक्के भविष्य में दुबारा नहीं बनाये जायेंगे। टकसाल ने 'प्रूफ' सिक्कों के संबंध में इस प्रकार का आश्वासन दिया है और इस सम्बन्ध में अपनी सदाशयता प्रमाणित करने के लिये पुराने सिक्के फिर से बनाने की अपनी पहली पद्धति 1-7-70 से समाप्त कर दी है।

आवास-निर्माण ऋणों की निर्धारित राशि में वृद्धि

187. **श्री दे० अमात** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरन्तर बढ़ती हुई निर्माण लागत को ध्यान में रखते हुए, उनके मन्त्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंजूर किये जाने वाले आवास-निर्माण ऋण की अधिकतम सीमा और जिन गृहों के निर्माण के लिए ये ऋण दिये जाते हैं उनकी अधिकतम अनुमानित निर्माण लागत अवास्तविक हो गयी है क्योंकि कोई भी मकान निर्धारित राशि से नहीं बनता ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन राशियों को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तीसरे वेतन आयोग के निदेश पदों को अन्तिम रूप देना

188. **श्री दे० अगात :**

श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग के निर्देश-पदों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या राष्ट्रपति के सचिवालय, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय आदि जैसे स्वतंत्र कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और भत्ते आदि पर भी आयोग विचार करेगा और यदि नहीं, तो इस पर जांच करने तथा उनके वेतन ढांचे आदि में संशोधन करने के लिए क्या प्रतिक्रिया अपनाई जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां । वित्त मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल 1970 तथा 4 जून 1970 के संकल्पों की प्रतियां, जिनमें तीसरे वेतन आयोग के निर्देश-पदों का उल्लेख है संलग्न हैं ।

(ख) जहां तक राष्ट्रपति के सचिवालय और निर्वाचन आयोग का सम्बन्ध है, प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है । स्वाधीन कार्यालयों के मामले में, जो तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में नहीं आते, उनके वेतन ढांचे पर आयोग की केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के अन्य समान वर्गों से सम्बन्धित सिफारिशों को देखते हुए, पुनर्विचार किया जा सकता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3719/70]**

Legislation on Indigenous System of Medicine

189. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether separate legislation on Homoeopathy, Ayurveda, Siddha and Unani systems of medicine would be introduced during the current session ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). A Bill to provide for the constitution of a Central Council of Indian Medicine and Homoeopathy and the maintenance of a Central Register of Indian Medicine and Homoeopathy and matters connected therewith was introduced in the Rajya Sabha in December, 1968. The Bill was referred to a Joint Committee of both the Houses of Parliament. The Joint Committee recommended that there should be two separate and independent Central Councils—one for all the three systems of Indian Medicine *viz.* Ayurveda, Siddha and Unani and the other for Homoeopathy. This is at present under cons deration in the Rajya Sabha.

सरकार का आंतरिक ऋण

190. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का 31 मार्च, 1970 को कुल आंतरिक ऋण कितना था जिसमें रुपया ऋण, सरकारी हुण्डियां, छोटी बचत, भविष्य निधि आदि शामिल हैं और उस पर कुल कितना वार्षिक ब्याज देना पड़ता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के खाते अभी बन्द नहीं किये गए हैं। फिर भी, बिल्कुल हाल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार का बकाया आंतरिक ऋण 3 मार्च, 1970 को 10,678.92 करोड़ रुपया था जिसमें ये मदें शामिल थीं :

	(करोड़ रुपयों में)
1. रुपया-ऋण	4,144.97
2. सरकारी हुंडियां	2,233.66
3. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और एशियाई विकास बैंक के नाम जारी की गई विशेष रुपया-प्रतिभूतियां	688.54
4. अल्प बचत योजनाएं (इनामी बाण्ड और वार्षिकी-पत्रों सहित)	2,022.75
5. राज्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि	762.09
6. पी० एल० 480 सम्बन्धी जमा	656.93
7. आय पर वार्षिकी जमा	132.97
8. अन्य मदें	37.01
	10 678.92

चालू वर्ष के बजट में ब्याज की आयदगी और प्रासंगिक व्यय के लिए 17.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राजस्थान और मैसूर राज्यों में खनिज उत्पादन

191. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और मैसूर राज्यों में वर्ष 1968-69 और 1969-70 में कुल कितना खनिज उत्पादन हुआ था ;

(ख) इनसे पहले के तीन वर्षों की तुलना में ये आंकड़े कम है अथवा अधिक ;

(ग) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में खनिजों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उन राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). खनिज आंकड़े केलन्डर वर्ष के अनुसार एकत्रित किये जाते हैं। गत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान एवं मैसूर में मुख्य/गौण खनिजों के उत्पादन के मूल्य दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3720/70]

(ग) राज्य सरकारों को विनिर्दिष्ट रूप से खनिज उत्पादन के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, एकमुश्त अनुदानों या ऋणों के रूप में राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप और तलचर में उर्वरक कारखाने

92. श्री **अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). पारादीप में उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन भारतीय उर्वरक निगम को पारादीप में आयातित अमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना पर तकनीकी आर्थिक संभाव्य रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

मैंगनीज खानों का विस्तार

193. श्री **अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में मैंगनीज खानों के प्रस्तावित विचार को बन्द करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). मूल्यों में गिरावट तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेबोन, ब्राजील

आदि देशों से बढ़ी हुई प्रतियोगिता के कारण से मैंगनीज अयस्क के निर्यात का बाजार कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अतः देश में मैंगनीज खानों के विस्तार का प्रश्न इस समय नहीं उठता है।

प्रस्तावित इस्पात कारखानों के लिए होसपेट में लौह अयस्क के लिए क्षेत्र का आरक्षण

194. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित इस्पात कारखाने की स्थापना को दृष्टि में रखते हुए होसपेट में लौह अयस्क के लिये क्षेत्र का आरक्षण करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ताकि गैर-सरकारी खान फैक्टरियों द्वारा मनमाने उपयोग को रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). (आपूर्ति के स्रोत एवं परिवहन समस्याओं आदि सहित) प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क की अपेक्षाओं की जांच करने के लिए समिति गठित की गई है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति रामनदुर्ग लौह-अयस्क निक्षेपों से की जानी प्रस्तावित है, जिसका पर्याप्त भाग राज्य सरकार द्वारा पहले ही आरक्षित किया जा चुका है। अतः इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति में किसी भी कठिनाई के उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। तथापि इस विषय पर उपरोक्त समिति द्वारा विस्तार किया जा रहा है।

चौथी योजना में प्राप्त हुई विदेशी सहायता में से ब्याज का भुगतान

195. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चौथी योजना के लिए विभिन्न देशों से कितना ऋण लिया है ; और

(ख) इन ऋणों पर किस दर से ब्याज दिया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) 1969-70 में विदेशी मुद्रा के रूप में अदा किये ब्याज की कुल रकम 144 करोड़ रुपया थी और अनुमान है कि 1970-71 में यह रकम 152 करोड़ रुपया होगी। भिन्न-भिन्न देशों की ब्याज की दरें भिन्न-भिन्न हैं और कुछ मामलों में एक ही देश से मिले अलग-अलग ऋणों की दरें भी एक दूसरे से भिन्न हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त चालू ऋणों के ब्याज की दरों का एक विवरण भी सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 3721/70]

नारंग बंधुओं द्वारा बम्बई में अम्बेसैडर होटल खरीदा जाना

196. **श्री जार्ज फरनेण्डीज** : क्या **वित्त मन्त्री** 9 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 319 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच कर ली है जिनमें नारंगबन्धुओं, श्री रामुनारंग और श्री मनु नारंग ने चर्चगेट बम्बई स्थित अम्बेसेडर होटल को 55 लाख रुपये में खरीदा ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की भी जांच की है कि क्या नारंग बन्धुओं ने बम्बई गैरेज प्राइवेट लिमिटेड को भी कूली मस्तान को बेचने से पूर्व बहुत बहुत ऊंचे मूल्य पर खरीदा था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग). उपर्युक्त लेन-देन कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष 1968-69 में किये गये थे। वर्ष 1969-70 की कर-निर्धारण विषयक कार्यवाही के दौरान, जिसे 31 मार्च, 1972 तक समाप्त किया जाना है, जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच-पड़ताल की इस स्थिति में ब्यौरे जाहिर करना सम्भव नहीं है।

अहमदाबाद विद्युत सप्लाई, बम्बई उपनगरीय विद्युत सप्लाई आदि की प्रबंध व्यवस्था के बारे में जीवन बीमा निगम का पत्र

197. **श्री जार्ज फरनेण्डीज** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अहमदाबाद विद्युत सप्लाई, बम्बई उपनगरीय विद्युत सप्लाई, थाना विद्युत सप्लाई, सूरत विद्युत सप्लाई और कोहिनूर मिल्स लिमिटेड, बम्बई (पहले मेसर्स किल्लिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधाधीन कम्पनियों) को प्रबंध एजेसी प्रणाली के समाप्त होने के फलस्वरूप इन कम्पनियों की भावी प्रबंध व्यवस्था के बारे में लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो यह-पत्र व्यवहार किन परिस्थितियों में किया गया है ;

(ग) इस पत्र-व्यवहार का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम इन कम्पनियों की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में कोई दूसरा मत भी रखता था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रबंध एजेंसी प्रणाली के समाप्त होने पर कम्पनियों की भावी प्रबंध व्यवस्था के सम्बन्ध में उक्त कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कम्पनियों को पत्र भेजे गये थे।

(ग) (i) विद्युत कम्पनियों का प्रबंध व्यवस्था संबंधित निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाना चाहिये और इस कार्य में तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की सहायता ली जानी चाहिए तथा कोई प्रबंध निदेशक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) कोहिनूर मिल्स लिमिटेड को सूचित किया गया कि वह केवल एक प्रबंध निदेशक नियुक्त करे जिसका पारिश्रमिक 7,500 रु० प्रति मास हो, और जिसे 1 प्रतिशत लाभ-कमीशन के रूप में मिले जो 45,000 रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं हो, तथा कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा जो स्वीकार किये जांय, वे अतिरिक्त लाभ मिलें। कोई अन्य पूर्ण कालिक वेतन पाने वाला नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) जी, नही।

बम्बई के सर हीरजी गोवासजी जहांगीर द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

198. **श्री जार्ज फरनेण्डीज** : क्या वित्त मन्त्री 11 मई 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1557 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने पर सर हीरजी गोवासजी जहांगीर के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) क्या सर हीरजी को विदेशी खातों से और आगे धन स्थानान्तरित करने से रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार सर हीरजी द्वारा अब तक तस्करी किये धन का ठीक ठीक पता लगाने के लिये किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजंसी का सहयोग प्राप्त करने में सफल हो गई ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) श्री हीरजी गोवासजी जहांगीर को जारी किये गये कारण-बताओ ज्ञापनों में उनके विरुद्ध ये आरोप लगाये गये हैं।

3000 डालर की विदेशी मुद्रा समर्पित नहीं कर पाने के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की धारा 9 का उल्लंघन तथा उनके द्वारा 1,70,000 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा को अनधिकृत रूप से प्राप्त करने की कोशिश किये जाने के कारण धारा 23 बी के साथ पारित धारा 4 (1) का उल्लंघन।

धारा 19 (2) के अधीन उन्हें जारी किये गये निदेश का पालन नहीं करने के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 23 (I ए) के अधीन उनके विरुद्ध न्यायालय में शिकायत भी दायर की गयी है।

(ख) सभी व्यवहार्य उपाय किये जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक द्वारा व्यापारी बैंकिंग सेवा योजना की घोषणा

199. **श्री जार्ज फरनेण्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक ने देश में एक व्यापारी बैंकिंग सेवा योजना की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह इस मामले में वित्त मन्त्रालय द्वारा अनुमति दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) ऐसी योजना से भारतीय अर्थ-व्यवस्था को क्या लाभ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : नेशनल और ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड ने, निगम रूपी अपने ग्राहकों को उनके पूंजीगत ढांचों तथा अन्य मामलों में वित्तीय सलाह देने के उद्देश्य से अपनी व्याहारिक बैंकिंग सेवाओ के अंग के रूप में, भारत में निर्गम गृह,, स्थापित करने के लिये नवम्बर 1967 में भारत सरकार की अनुमति माँगी थी। चूंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1947 के अन्तर्गत, किसी बैंक को "निर्गम-गृह" सम्बन्धी कारबार की मनाही नहीं है। इसलिए नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह इस प्रकार का कारबार हाथ में लेने के लिए या तो रिजर्व बैंक से या केंद्रीय सरकार से अनुमति ले। बैंक ने 196 ; के मध्य में अपने 'निर्गम-गृह' की स्थापना की थी।

हाल ही में अर्थात जून 1970 में बैंक ने यह संकेत किया था कि वह इस देश से पूँजीगत माल निर्यात करने के उद्देश्य से आवश्यक वित्त प्रबन्ध करने के लिये सुविधायें प्रदान कर सकता है। किन्तु बैंक ने अभी तक प्रस्तावित योजना का और आगे ब्यौरा नहीं दिया है।

भारतीय तेल निगम के बैरलों की सप्लाई के लिए स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के पास शेष क्रयादेश

200. **श्री जार्ज फरनेण्डीज** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री भारतीय तेल निगम को बैरलों की सप्लाई के लिये स्टैन्डर्ड ड्रम एन्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के पास शेष क्रयादेशों के ब्यौरे से सम्बन्धित 4 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8428 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई, ने भारतील तेल निगम को इसके अपने इस्पात के बदले में कितने बैरल सप्लाई करने का वचन दिया था ;

(ख) क्या उस कम्पनी ने अपना वचन पूरा कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) प्रतिमास 15,000 बैरल या अपने देशीय इस्पात से अपने मासिक उत्पादन का 25 प्रतिशत इनमें से जो भी कम हो।

(ख) भारतीय तेल निगम से बातचीत के दौरान, फर्म के प्रतिनिधि ने बताया है कि इस विषय में वचनबद्धता पूरा कर दिया गया है। भारतीय तेल निगम ने इसे प्रमाणित करने को कहा है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

Railway Accidents on North Eastern Railway

201. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of accidents that took place on the North Eastern Railway since 1st January, 1967 ;

(b) the total amount of loss suffered by the Railways as a result of these accidents ;

(c) the total number of persons killed as also the number of those injured in these accidents ;

(d) the number of accidents which took place as a result of carelessness on the part of the Railway employees and the number of those accidents which took place due to technical defects ; and

(e) the number of accidents in regard to which inquiries were instituted ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) During the period 1.1.1967 to 30.6.1970 there were 367 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the North Eastern Railway.

(b) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 25,45,000.

(c) In these accidents 105 persons were killed and 406 injured.

(d) and (e). All the 367 train accidents were inquired into. Two hundred and thirty five of these cases were due to failure of railway staff and 38 due to failure of railway equipment.

Railway Accidents on Eastern Railway

202. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of accidents that took place on the Eastern Railway since 1st January, 1967 ;

(b) the total amount of loss suffered by the Railways as a result of these accidents ;

(c) the total number of persons killed as also the number of those injured as a result of these accidents ;

(d) the number of accidents that took place as a result of carelessness on the part of the Railway employees and the number of those accidents which took place due to technical defects ; and

(e) the number of accidents in regard to which inquiries were instituted ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) During the period 1.1.1967 to 30.6.1970 there were 210 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Eastern Railway.

(b) the cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 86,83,700.

(c) In these accidents 58 persons were killed and 362 injured.

(d) and (e). All the 210 train accidents were inquired into. One hundred and thirteen of these cases were due to failure of railway staff and 39 due to failure of railway equipment.

Take over of Railway Lines Run by Private Parties

203. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 600 on the 24th March, 1970 regarding condition of Railway compartments of S.S. Light Railway and state :

(a) the number and names of such other Railway lines which are being run by Private parties ;

(b) whether Government are fully satisfied about the running of these Railway lines ; and

(c) the steps being taken by Government to take over all these Railway lines and the time likely to be taken in taking them over ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) Five, namely,

(1) Futwah—Islampur Railway

(2) Howrah—Amta Railway

(3) Howrah—Sheakhala Railway

(4) Arrah—Sasaram Railway

(5) Dehri—Rohtas Railway

(b) The Government do not control the working of the Railways which are run by private companies. However, the safety of the travelling public is ensured by the Government through periodical inspections by the Additional Commissioner of Railway safety under the control of the Ministry of Tourism and Civil Aviation.

(c) The Government have no proposal at present of taking over any of these privately owned Railways.

Survey of Khandwa-Dohad Railway Line

*204. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a survey of Khandwa-Dohad Railway line was conducted during the tenure of Shri Jagjiwan Ram as Railway Minister ;

(b) whether it is also a fact that the Minister had visited the area by car ; and

(c) if so, the results thereof and the reaction of Government in this regard ; and the present position of the report which was prepared after his tour ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) and (c). No survey for a new line from Dohad to Khandwa was carried out in the recent past. However a traffic survey for a new line from Dohad to Indore was carried out in 1954 and updated in 1959 and the project was dropped as it was unremunerative. Due to the difficult financial position of the Railways it is not possible to consider the construction of the Dohad-Khandwa line at present.

(b) The details of the then Minister's visit are not now readily available.

पंजाब में स्कूटर परियोजना

205. **श्री देविन्द्र सिंह गार्चा :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पंजाब राज्य में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय स्कूटर परियोजना स्थापित करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच इस मांग की जांच कर ली गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं।

(ग) क्या सरकार को पता है कि पंजाब में सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में पंजाब की शिकायत को कैसे दूर करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब सरकार को सूचित कर दिया गया है कि प्रस्तावित परियोजना के स्थान के प्रश्न पर तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विचार कर लेने पर तथा परियोजना पर सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय ले लिए जाने के पश्चात विचार किया जायेगा। राज्य सरकार को अग्रेतर सूचित किया गया है कि पंजाब राज्य में प्रस्तावित परियोजना के स्थान के लिए उनके अनुरोध को मान लिया गया है तथा उस पर अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त उसी प्रकार के अनुरोधों के साथ ही उचित रूप से विचार किया जायेगा।

(ग) यह कहना ठीक नहीं होगा कि पंजाब में व्यावहारिक रूप में कोई सरकारी क्षेत्र वाला उपक्रम नहीं है। वास्तव में, पंजाब राज्य में दो सरकारी क्षेत्र वाले उपक्रम हैं जिनके नाम हैं नंगल खाद संयन्त्र तथा हैवी वाटर प्रोजेक्ट।

(घ) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के स्थान का निर्णय अवश्य ही तकनीकी आर्थिक विचारों क आधार पर करना होता है।

नागपुर रेलवे यार्ड से अत्यधिक विस्फोटक डिटौनेटरों की चोरी

206. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1970 में नागपुर रेलवे यार्ड से कुछ अत्यधिक विस्फोटक शक्ति वाले डिटौनेटर चुरा लिए गये थे और उन्हें दुबारा पैक करके जाली लेबल लगाकर प्रेषित कर दिया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितने डिटौनेटरों की चोरी हुई थी और उनका मूल्य क्या था ;

(ग) क्या इस प्रकार की चोरियां प्रायः होती रहती हैं और यदि हां, तो ऐसी चोरियों का राज्यवार तथा तिथिवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सिलसिले में पकड़े गये लोगों के नाम क्या हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ। अजनी यार्ड, नागपुर से।

(ख) लगभग 450 रुपये के मूल्य के नव पेटियां जिनमें से छः पेटियां बरामद कर ली गयी हैं।

(ग) जी नहीं। 1970 में ऐसे 12 मामले हुए—असम, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक-एक मामला और बिहार में दो मामले। पश्चिम बंगाल में 28 मार्च, 2 अप्रैल, 12 मई, 2 जून, 25 जून और 30 जून को छः मामले हुए।

(घ) 11 व्यक्ति पकड़े गये। एक अपराधी को गोली मार दी गयी। 5 व्यक्तियों को जिनके विरुद्ध गवाही नहीं मिल सकी छोड़ दिया गया और 6(छः) मामलों में जांच की जा रही है (उनके नाम उपलब्ध नहीं हैं)।

विदेशी सहयोग से आंध्र प्रदेश में बीयर तैयार करना

207. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में बीयर तैयार करने के लिए किस फर्म ने विदेशी सहयोग प्राप्त किया है, विदेशी सहयोग किस प्रकार का है और प्रस्तावित मद्य निर्माण शाला के विशेष विवरण सहित विदेशी सहयोग का नाम क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि तकनीकी विकास के महानिदेशालय की राय थी कि भारत में मद्य निर्माण उद्योग को विदेशी सहयोगी की आवश्यकता नहीं है और यदि हां, तो इस राय के विपरीत मन्त्रालय द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डेन्मार्क के सहयोगों को मद्य निर्माण-शाला के निर्माण का कोई अनुभव नहीं है और न ही वह उपकरणों को सप्लाई करने की स्थिति में है ; और

(घ) मद्य निर्माण-शालाओं की स्थापना के सम्बन्ध में अनिर्णीत पड़े प्रस्तावों की सख्या क्या है और वे प्रस्ताव किस प्रकार के हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) श्री एम० के० जाजोदिया, नई दिल्ली ने जिन्हें आन्ध्र प्रदेश में बीयर बनाने के लिए आशय-पत्र जारी किया गया था, कोपेनहेगन, डेनमार्क के मेसर्स कार्लसकरी के साथ तकनीकी सहयोग के लिए आवेदन किया है। बीयर परियोजना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

	रुपये
(1) विनियोजित पूंजी	80,00,000
(2) वार्षिक क्षमता	50,000
(3) संयंत्रों की कीमत	
(1) आयातित	10 लाख (देशीय उपलब्धि के आधार पर)
(2) देशीय	50 लाख

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के अनुसार वर्तमान उत्पादकों को जो प्राथमिक तौर पर अन्तर्देशीय खपत के लिए बीयर तैयार करते हैं देशीय तकनीकी जानकारी

उपलब्ध है। पर बीयर की किस्म में सुधार करने के उद्देश्य से विशेष रूप से विदेशी बाजार को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के विचार से सरकार ने इस क्षेत्र में गुणावगुणों के आधार पर विदेशी तकनीकी सहयोग के प्रस्तावों पर विचार किया है तथा कर रही है बशर्ते इसमें निर्यात की व्यवस्था हो तथा निश्चित निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा की पर्याप्त प्राप्ति हो सके।

(ग) मेसर्स कार्लसवर्ग को पैनहेगन संसार के प्रमुख बीयर निर्माताओं में से हैं।

(घ) विदेशी सहयोग के लिए श्री एम० के० जाजोदिया का ही एक मात्र आवेदन सरकार के पास अनिर्णीत पड़ा है।

प्रस्तावित सलेम इस्पात कारखाने का निर्माण करने के बारे में भारत के भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा विवर्तनिक टेकटोनिक मानचित्र का तैयार किया जाना

208. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने भारतीय भू-विज्ञान सवक्षण संस्था से कंजायलाइक्षेत्र का, जहां प्रस्तावित सलेम इस्पात कारखाने का निर्माण किया जाना है, विवर्तनिक मानचित्र तैयार करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो विवर्तनिक मानचित्र की विशेष बातें क्या है, यह किस तारीख को बन कर तैयार हो गया था, और इस पर कितनी लागत आई है ;

(ग) क्या यह सच है कि क्षेत्र चयन समिति ने क्षेत्र को चयन करने से पूर्व नक्शे का अध्ययन नहीं किया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि विवर्तनिक मानचित्र में ऐसी कई कमियां दिखाई गई है जिनके फलस्वरूप इस्पात संयंत्र के लिए विशेष आधारशिलाओं की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिये किन समितियों को कहा गया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) तकनीकी-आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने वाले परामर्शदाताओं की नियुक्ति सरकार के विचाराधीन है।

आसाम, केरल तथा नागालैंड में कागज के मिलों की स्थापना

209. **श्री वासुदेवन नायर** :
डा० रानेन सेन :
श्री के० हाल्दर :
श्री जनार्दनन :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कागज निगम ने आसाम, केरल तथा नागालैंड में कागज के कारखाने लगाने की योजना को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन कारखाने के कब तक लगाए जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). केरल में एक अखबारी कागज बनाने वाले संयन्त्र की स्थापना करने तथा आसाम और नागालैंड में एक एक कागज/लुगदी बनाने वाले संयन्त्र की स्थापना करने का निश्चय किया गया है। साथ ही इन संयन्त्रों में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करने का भी निश्चय किया गया है :—

(1) केरल	75,000 मी० टन अखबारी कागज प्रतिवर्ष
(2) आसाम	8,000 मी० टन लुगदी तथा 5,000 मी० टन कागज
(3) नागालैंड	30,000 मी० टन प्रत्येक लुगदी और कागज दोनों

इन प्रायोजनाओं के 1973-74 के अन्त तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है। इन प्रायोजनाओं को क्रियान्वयन का वास्तविक अग्रेतर विवरण हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है।

पहियेदार हाथ के ठेले खरीदने के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता

210. **श्री रामचरण :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री शिवचरण लाल :
श्री रघुवीर सिंह :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलमूत्र को सर पर रखकर ढोने की रुढ़िवादी प्रथा अभी तक सारे देश में पूरी तरह से प्रचलित है ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार केन्द्रीय सरकार ने पहियेदार हाथ के ठेले खरीदने के लिए राज्यों को कितनी कितनी वित्तीय सहायता दी है, ताकि इस प्रथा को समाप्त किया जा सके ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता पर्याप्त है ;

(घ) क्या यह संपूर्ण सहायता राशि उसी कार्य पर खर्च की गई जिसके निमित्त यह दी गई थी ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे और राज्यवार उससे कितनी-कितनी राशि अप्रयुक्त रही ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये और अधिक सहायता देने का है और यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) यह प्रथा देश के बहुत से भागों में अब भी प्रचलित है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को मेहतरों और संमार्जकों इत्यादि के कार्य की तथा रहने सहने की परिस्थितियों में सुधार करने की मिली-जुली योजना के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी है :—

1967-68	10.05
1968-69	20.00
1969-70	51.25

(ग) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता उपलब्ध वित्तीय साधनों तथा अनुमोदित बजट आवंटनों पर आधारित थी ।

(घ) राज्य सरकारों को दिये गए अनुदानों की शर्तों के अनुसार, वे केवल उसी प्रयोजन के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए वह दिया गया है । बहुत सी राज्य सरकारों ने इस सहायता का पूरा उपयोग किया, परन्तु कुछ ऐसा नहीं कर सकीं । तृतीय योजना के दौरान राज्य-वार आवंटन, खर्च तथा उपयोग की प्रतिशतता दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध में दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 3722/70] ।

(ङ) मेहतरों और संमार्जकों इत्यादि को काम करने तथा रहने सहने की परिस्थितियों में सुधार के लिए वर्ष 1969-70 में किए गए 51.25 लाख रुपये के आवंटन की अपेक्षा वर्ष 1970-71 में 57.20 लाख रुपये का अधिक आवंटन किया गया है ।

श्री वें० गिरि व० गिरि के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर खर्च की गई राशि

211. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेंकटगिरी बराहगिरी के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के विरुद्ध दायर की गई याचिका के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो राशि खर्च की गई, उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : जानकारी मंगायी जा रही है और उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा ।

चौथी पंचवर्षीय योजना काल में हाईड्रोसल्फाइट आफ सोडा की मांग

212. **श्री रा० कृ० बिरला** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडे की कुल मांग क्या होगी ;

(ख) इस समय इसका कुल कितना उत्पादन होता है और इसके उत्पादकों के नाम क्या

हैं और उनमें से प्रत्येक के द्वारा प्रति वर्ष कितना कितना हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा बनाया जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके आयात के लिए अनुमति अब तक भी दी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों में वर्षवार कितने मूल्य का कितना हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा विदेशों से मंगाया गया ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) हाइड्रोसलफाइट सोडे की वर्तमान अनुमानित वार्षिक मांग करीब 9000-10,000 मी० टन है। 1973-74 तक इसके 12,000 मी० टन तक पहुँच जाने की आशा है।

(ख) इस समय देश में इस रसायन के तीन उत्पादक हैं उनका उत्पादन सम्बन्धी विवरण इस प्रकार है :—

कम्पनी का नाम	1-7-70 को वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता	वार्षिक उत्पादन (मी० टनों में)	
		1969	जनवरी से मई 1970
	(मी० टनों में)		
1. जे० के० केमिकल्स लि० बम्बई	3,168	3,252	1,487
2. ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लि० केरल	3,000	1,408	466
3. इंडियन इलेक्ट्रो केमिकल्स लि० अहमदाबाद	1,560	944	521
	7,728	5,604	2,474

(ग) मौजूदा मांग और 5600 टनीज देशीय उत्पादन के बीच की वार्षिक कमी को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।

(घ) गत दो वर्षों में आयात किए गए सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (मी० टनों में)	सी० आई० एफ० आयात मूल्य (लाख रु० में)
1968-69	527	15.3
1969-70	248	92.0

जापान को कच्चे लोहे का निर्यात

213. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से कच्चा लोहा खरीदने से जापान ने इंकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो जापान द्वारा इन्कार किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जापान इस समय कच्चा लोहा खरीदने के लिए इच्छुक है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में बात चीत की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) कच्चे लोहे का निर्यात करने वाले सामान्य अभिकरण जापान के बाजार की स्थिति से लगातार परिचित रहते हैं ।

काश्मीर में घड़ियों का कारखाना

214. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के पास काश्मीर में घड़ियों का एक कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अन्य राज्यों में भी ऐसे ही कारखाने लगाने की योजनाएं तैयार कर रखी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या बिहार राज्य में घड़ियों का कारखाना लगाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लाइसेंस देने के अधिकार को राज्यों को स्थानांतरित किए जाने की मांग

215. **श्री सीताराम केसरी** : **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने यह मांग की है कि लाइसेंस देने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को स्थानान्तरित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) एक राज्य सरकार द्वारा यह विचार प्रकट किया गया है कि औद्योगिक लाइसेंस के दिये जाने के कार्य का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाये ।

(ख) औद्योगिक नीति के विवरण के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों के विभिन्न विचार हैं । उनके ये विचार विशेष रूप से इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे राज्य औद्योगिक विकास के मामले में किस अवस्था में पहुँच गये हैं । इसमें निहित सभी बातों पर विचार करने पर-जिनमें विकास की गति बढ़ाने की आवश्यकता, प्रादेशिक असंतुलन कम करना, आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण रोकना, पूंजी व विदेशी मुद्रा सहित दुर्लभ संसाधनों को ऐसी दिशाओं की ओर उचित रूप से मोड़ना जो देश की संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं—औद्योगिक विकास और लाइसेंसिंग की समस्याओं के बारे में यह जरूरी है कि उन पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाये और उन्हें हल किया जाये । तथापि नीतियां निर्धारित करने तथा लाइसेंस के मामले में राज्य सरकारों के विचारों पर समुचित रूप से विचार किया जाना है ।

तेल के ढोल बनाने वाले कारखानों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

216. **श्री सीताराम केसरी** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड को इस्पात की चादरों के आवंटन के बारे में 21 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1134 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब सरकार ने 14 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1013 के उत्तर में कहा है कि इण्डस्ट्रीयल कंटेनर्स लिमिटेड और स्टील कंटेन्र्स लिमिटेड की क्षमताओं का निर्धारण वर्ष 1964 से पहले नहीं किया गया था तो वह यह किस आधार पर कहती है कि कारखानों को कच्चे माल का आवन्टन सदा निर्धारित क्षमताओं के आधार पर किया जाता रहा है ; और

(ख) कार्यकुशलता के सम्बन्ध में दोहरी नीति अपनाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जब सरकार ने 1963-64 में इस उद्योग के सभी कारखानों की क्षमता का निर्धारण करने का काम प्रारम्भ किया था उसके पूर्व मेसर्स इंडस्ट्रियल कन्टेनर्स लि०, कलकत्ता तथा मेसर्स स्टील कन्टेनर्स लि०, बम्बई के समय व गतिशीलता संबंधी प्रध्ययन के संबंध में क्षमता का निर्धारण नहीं किया गया था । पहले इंडियन गैल-बेनाइजिंग कम्पनी (1926) लि०, बम्बई व कलकता में 40,45 गैलन के पीपे बनाते थे जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्रमश: 5860 और 6000 टन की थी ; जब 1958 में यह फर्म बन्द हो गयी तो मेसर्स स्टील कन्टेनर्स लि० और मेसर्स इंडस्ट्रियल कन्टेनर्स लि० नाम की कम्पनियों बम्बई व कलकत्ता में पीपों का उत्पादन जारी रखने के लिए लगायी गई । जब इन स्थानों पर उत्पादन कार्य करने के लिए इन कम्पनियों की ओर से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र दिये गये तो तदनुसार मेसर्स स्टील कन्टेनर्स लि० और इन्डस्ट्रियल कन्टेनर्स लि० के लिए क्रमश: 5860 टन और 6000 टन की उत्पादन क्षमता के

लिए लाइसेंस दिये गये और इन्हें ही बम्बई व कलकता में इन कारखानों के लिए कच्चे माल का आवन्टन करने हेतु निर्धारित क्षमता के रूप में उस समय तक माना गया जब तक 1963-64 में किये गये सामान्य निर्धारण के परिणामस्वरूप उनका पुनरीक्षण नहीं किया गया।

(ख) समय व गतिशीलता संबंधी अध्ययन के बारे में क्षमता का निर्धारण करने में सामान्यत: 75 प्रतिशत कार्यकुशलता वाली बात लागू की जाती है जिसमें मशीनों के खराब होने, मानवशक्ति की कमी, कारीगरों की थकावट आदि जैसी सभी बातें आ जाती है। जहां कर्मचारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित होता है और कार्यकुशल होता है तथा कारखाने का नक्शा कार्य के सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ ऐसे मामलों के अलावा सुव्यवस्थित व कायदे के मुताबिक होता है जहां संयंत्र व मशीनें बहुत पुरानी हैं और बार बार मशीनें खराब हो जाती हैं अथवा मशीनें ठीक ढंग से नहीं लगाई गई है, ऐसे मामले में कार्यकुशलता का निम्न स्तर अपनाया जाता है। अत: दोहरी नीति अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Investigations by the Vigilance Department of Railway Board

217. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the present position in regard to the Vigilance Department in the Railway Board ;

(b) the number of cases in which the Vigilance Department has completed its investigations during the last two years ; and

(c) the number and various categories of employees in the Vigilance Department of the Railway Board ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The Vigilance Department in the Railway Board is at present temporary and is under the over all charge of the Member Staff (at present C R B.). The Department functions under a Director General (Vigilance) who is assisted by two Joint Directors, five Deputy Directors and three Assistant Directors.

(b) (i) There are two types of investigation cases dealt with by the Vigilance Directorate. One is of investigations done by the staff of the Directorate. The other is the investigations (mainly involving gazetted officers) conducted by the Vigilance Organisations of the Zonal Railways which are scrutinised and the investigations completed, if necessary, before presentation to the Central Vigilance Commission and for further processing.

(ii) The number of investigations completed by the Vigilance Directorate during the last two years are :

Year	Gazetted	Non-Gazetted	Total
1968	74	113	187
1969	85	94	179

The number of cases (whether the investigations were conducted by the Vigilance Directorate, by the Zonal Vigilance Organisation or by the Special Police Establishment) which were processed by the Vigilance Directorate for presentation to the Central Vigilance Commission and for further follow up

action, during the last two years are :

1967-68	=	259*
1968-69	=	409*

(*the figures indicate the number of railway servants involved).

(c) the number of employees of various categories in the Vigilance Directorate of Railway Board are :

Gazetted	—	16
Non-Gazetted	—	117

मैसर्स डो० मैकरोपोलो एण्ड कम्पनी लिमिटेड का मैसर्स गाडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड के साथ विलय

218. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स डो० मैकरोपोलो एण्ड कम्पनी लिमिटेड की मैसर्स गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में विलय को सरकार ने स्वीकृति दे दी है, जैसा कि 15 जून 1970 के **"हिन्दुस्तान टाइम्स"** में प्रकाशित हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार कम्पनियों के एकीकरण की अनुमति नहीं देती । कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 के अन्तर्गत एकीकरण की स्वीकृत उच्च न्यायालयों में निहित है । मैं० मैक्रोपोलो एण्ड कम्पनी लिमिटेड तथा मैं० गाडफ्रे फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड नामक, एकीकरणीय कम्पनियों ने, बम्बई उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिये थे । कम्पनी विधि बोर्ड ने, इस योजना के कुछ आपत्तिजनक, उपलक्ष्यों को और इंगित करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394क के अन्तर्गत नोटिस के जवाब में न्यायालय को एक अभ्यावेदन दिया था । न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक तथा किसी भी अन्य प्राधिकारियों से, किसी भी उस विषय में, जिसमें इस प्रकार की स्वीकृति अथवा अनुमोदन अपेक्षित हो, से अनुमोदन प्राप्त होने की दशा में, एकीकरण योजना की स्वीकृत प्रदान कर दी ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

स्टैंडर्ड मोटर कम्पनी, मद्रास को अपने नियंत्रण में लेना

219. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टैण्डर्ड मोटर कम्पनी, मद्रास को अपने नियंत्रण में लेने के संबंध में इस बीच निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसको अपने नियंत्रण में लेने मे सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 195 के खण्ड 18 (क) के अन्तर्गत किसी औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध को केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्भालने से पूर्व धारा 15 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों से उस औद्योगिक उपक्रमों के कार्य कलापों की जांच करवाना ।

छोटी मोटर कार

220. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री भोला नाथ मास्टर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
डा० रानेन सेन :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० सुशीला नैयर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री गणेष घोष :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री उमानाथ :
श्री क० लकप्पा :
श्री प० गोपालन :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री नारायणनन :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री नयावन :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री दण्डपाणि :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटी मोटर कार के निर्माण हेतु परियोजना बनाने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय रेलवे के यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए समिति

221. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे ;

(ग) उपर्युक्त समिति के निर्देश-पद क्या होंगे ; और

(घ) समिति अपने प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत करेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). सवाल नहीं उठता ।

केबल उद्योग में कच्चे माल का अभाव

222. **श्री अदिचन :** **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री दे० अमात :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि देश में केबल उद्योग में काम आने वाले कच्चे माल जैसे ताँबा सीसा और काग़ज़ का अत्यधिक अभाव होने के कारण इस उद्योग के बन्द हो जाने की संभावना है और इस उद्योग में क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केबल बनाने वाले छोटे उद्योग इसी कारण और भी अधिक चिन्ताजनक स्थिति में है ; और

(ग) इस उद्योग और विशेषकर इस काम को छोटे पैमाने पर करने वालों के लिए केबल निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल के आयात के लिए इस वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा निर्धारित की गई है और अब तक कितना कच्चा माल आयात किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) कुछ किस्म के केबलों की मांग कम होने के कारण केबल उद्योग के कुछ एकक अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहें हैं यह कहना ठीक नहीं है कि कच्चे माल के अभाव के कारण तकनीकी विकास महा निदेशालय में पंजीकृत कुछ एकको के बन्द हो जाने की आशंका है ।

(ख) किसी भी एकक से कच्चे माल की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की गंभीर कठिनाई की शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) केबल उद्योग प्राथमिकता प्राप्त उद्योग है अतः आयात आवेदन प्राप्त होने पर कच्चे

माल का आवंटन उपभोग के पुनर्भरण के आधार पर किया जाता है। इस उद्योग में लगे सभी एककों को प्रर्याप्त विदेशी मुद्रा देने का निश्चय किया है ताकि उनकी क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जा सके। इस निश्चय के अनुसरण में विभिन्न एककों से प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है। किये गये आवंटन तथा इसके फलस्वरूप विशेष रूप से चालू वर्ष में लघु उद्योगों के लिए आयातित कच्चे माल सम्बन्धी आंकड़े 31 मार्च 1971 के बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे।

औद्योगिक सहयोग के लिए भारत-ब्रिटेन वार्ता

223. **श्री अदिचन :**

श्री दे० अमात :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष फरवरी में हुई भारत ब्रिटेन वार्ता में भारत ब्रिटेन औद्योगिक सहयोग सम्बन्धी जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी उनके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या उक्त वार्ता में ब्रिटिश प्रतिनिधिमण्डल को इस आशय का कोई आश्वासन दिया गया था कि भारत में विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा और यदि हां, तो इस प्रकार का आश्वासन दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) 9 से 11 फरवरी, 1970 को हुई भारत-ब्रिटेन तकनीकी दल की प्रथम बैठक में इस देश में विदेशी विनियोजन और सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में भविष्य में होने वाले लाभप्रद तकनीकी सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों पर भी विस्तार से विचार किया गया। ब्रिटिश दल को उन उत्पादन क्षेत्रों से जिनमें आगामी वर्षों में उत्पादन और तकनीकी के व्यवधान के बढ़ने की सम्भावना है, परिचित कराया गया। इस पहलू पर भारतीय विनियोजन केन्द्र तथा ब्रिटिश उद्योग मण्डल द्वारा आगे विचार किया जा रहा है। अगली बैठक इस वर्ष के अन्त तक होने की सम्भावना है।

(ग) जी नहीं। विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर बैठक में विचार-विमर्श नहीं किया गया।

औद्योगिक विकास के लिए उगांडा को सहायता

224. **श्री अदिचन :** **श्री शिव नारायण :**

श्री रामावतार शास्त्री : **श्री इसहाक सम्मली :**

श्री जनार्दनन : **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने उगांडा को औद्योगिक विकास के लिए विशेषकर लघु उद्योगों के क्षेत्र में सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). एक्सपो, 1970 से लौटते समय महा-महिम मि० जे० एम० ओ के योजना व आर्थिक विकास मंत्री, उगांडा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमण्डल जून, 1970 में भारत आया था। इस प्रतिनिधि मण्डल ने सामान्य रूप से उगांडा में लघु उद्योगों के विकास में सहयोग के बारे में चर्चा करने के साथ-साथ व्यापार तथा उद्योग के पारस्परिक हित के विषयों पर चर्चा की थी। यह चर्चा कुछ बातें जानने के लिए की गई थी अतः विशिष्ट क्षेत्रों में आरम्भ की जाने वाली किन्हीं परियोजना के बारे में कोई निर्णय नहीं किये गये। उगांडा के योजना और आर्थिक विकास मंत्री को इस आशय का संकेत दिया गया कि हम उनके लघु उद्योगों के विकास में सहायता करने की स्थिति में हैं।

बड़े उद्योग-गृहों के संबद्ध निर्याततोन्मुखी एककों का विस्तार

225. **श्री अदिचन :** **श्री कं० हाल्दर :**
श्री जो० ना० हजारिका : **श्री जी० मो० विस्वास :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री धीरेश्वर कलिता :**
डा० राम सुभग सिंह : **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े उद्योग-गृहों के निर्यातोन्मुखी एककों क विस्तार को अनुमति देने के लिए कोई सूत्र तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति (अंग्रेजी उत्तर के साथ) संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3723/70]

माल डिब्बे तैयार करने वाले उद्योग को रेलवे द्वारा अलाभकारी क्रयादेशों का दिया जाना

226 **श्री सरजू पाण्डे :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री अदिचन : **श्री जी० मो० विस्वास :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल के माल डिब्बे बनाने वाले उद्योग ने रेलवे पर यह आरोप लगाया है कि रेलवे प्रशासन द्वारा माल डिब्बों के लिए दिये गये क्रयादेश अपर्याप्त और अलाभकारी होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका यह आरोप ठीक है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अस्पृश्यता सम्बंधी समिति के प्रतिवेदन में फेर-बदल

227. **श्री जागेश्वर यादव :**
श्री अदिचन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री कं० हाल्दर :
श्री लखनलाल कपूर :
श्री देवकी नंदन पाटोदिया :
श्री सूरज भान :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री शारदा नंद :
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के चेयरमैन श्री इलयापेरुमल, ने प्रधान मंत्री पर अपने 12 मई, 1969 के पत्र में यह आरोप लगाया था कि समाज कल्याण विभाग में समिति के प्रतिवेदन में फेरबदल की हैं ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि विभाग ने समिति के प्रति न केवल उदासीन बल्कि विरोधी रवैया अपनाया था ;

(ग) क्या इन आरोपों के बारे में कोई जांच कराई गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) यदि उनपर कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग) से (ङ). ये आरोप ठीक नहीं पाये गये थे । रिपोर्ट में कोई फेरबदल नहीं किया गया था और इसलिए किसी जांच की आवश्यकता नहीं थी । इसकी अपेक्षा विभाग ने समिति को पूरा-पूरा सहयोग दिया था ।

नये इस्पात कारखानों की स्थापना

228. **श्री जनार्दनन :**
श्री अदिचन :
श्री दिनकर देसाई :
श्री निहाल सिंह :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम्, सलेम और होस्पेट में प्रस्तावित सरकारी इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अनुमान लगाये जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन कारखानों की स्थापना में कितना समय लगेगा :

(घ) क्या तामिलनाडु की सरकार ने यह सुझाव दिया है कि सलेम में इस्पात कारखाना

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाना चाहिए ;

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने भी इस बात की वकालत की है कि विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के प्रबन्ध में राज्य सरकार का भी हाथ होना चाहिये ; और

(च) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इन सुझावों के बारे में क्या विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) और (ख). विशाखापत्तनम, होस्पेट और सलेम में लगाये जाने वाले सार्वजनिक इस्पात कारखानों के प्राथमिक अनुमान तकनीकी-आर्थिक शक्यता अध्ययनों के अंग के रूप में ही तैयार किये जायेंगे । इन अध्ययनों का काम शीघ्र ही आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ।

(ग) इस विषय की जांच भी आर्थिक शक्यता अध्ययन में की जायेगी ।

(घ) जी, हां । प्रायोजना में ईक्विटी पार्टीसिपेशन के बारे में सुझाव था ।

(ङ) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टैंडर्ड मोटर फैक्ट्री, मद्रास का बन्द हो जाना

229. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री अविचन :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री के० रमानी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री जनार्दनन :
श्री निहाल सिंह :
श्री क० प्र० सिंह देव
श्री योगेंद्र शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री देवकी नंदन पाटोदिया :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के निकट बन्दालूर स्थित स्टैंडर्ड मोटर फैक्ट्री 22 मई, 1970 से बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस फैक्ट्री को किन परिस्थितियों के कारण बन्द करना पड़ा था ;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस फैक्ट्री को अपने हाथ में लेने की इच्छा प्रकट की है ; और

(घ) यदि हां, तो तमिलनाडु सरकार को इस बारे में क्या परामर्श दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण): (क) जी, हां ।

(ख) फर्म से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रमिकों द्वारा बार-बार उत्पन्न की जाने वाली कठिनाइयों तथा आर्थिक कारणों से उन्हें कारखाने को बन्द कर देना पड़ा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कारखाना बन्द होने की परिस्थितियों की जांच पड़ताल करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एक जांच पड़ताल करने के बारे में तमिलनाडु सरकार को सूचित कर दिया गया है । जांच करने वाले निकाय के प्रतिवेदन की प्राप्ति और उसके परीक्षण के उपरांत आगे की कार्यवाही के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

रेलवे लाइनों की लम्बाई, इन्जनों, यात्री डिब्बों और माल डिब्बों पर व्यय

230. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार रेलवे लाइनों की लम्बाई में, इंजनों, यात्री डिब्बों और माल डिब्बों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक मद पर कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

	1967-68	1968-69	1969-70
वर्ष के दौरान खोली गई नई लाइनें (किलोमीटर)	269	740	107
रेल इंजन	270	260	209
कोचिंग स्टाक (बिजली गाड़ियों सहित)	1,078	1,087	1,272
सवारी डिब्बे (चौपाहियों के हिसाब से)	17,634	16,476	14,918

(ख) चूंकि 1969-70 के लेखे अभी अन्तिम रूप से बन्द नहीं किये गये हैं, 1967-68 और 1968-69 की सूचना नीचे दी गई है :

(खर्च लाख रुपयों में)

	1967-68	1968-69
1. नई लाइनें (पूंजीगत व्यय)	26,10	23,28
2. (क) रेल इंजन और फालतू बायलर	13,13	11,92
(ख) सवारी डिब्बे जिनमें रेल-कार और बिजली गाड़ियों का स्टाक शामिल है	23,33	26,28
(ग) माल डिब्बे	28,50	25,50

भारत में मैनेजिंग ऐजेंसियां

231. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जुलाई, 1970 तक भारत में कुल कितनी मैनेजिंग ऐजेंसियां थीं ; और

(ख) भारत में कब से ऐसी मैनेजिंग-ऐजेन्सियों को काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 1969 के द्वारा 3 अप्रैल, 1970 से मैनेजिंग ऐजेन्सी प्रणाली समाप्त कर दी गई थी। उस समय इस प्रणाली के अन्तर्गत 202 कम्पनियां थी।

राज्यों द्वारा औद्योगिक एककों से खरीद

232. **श्री वीरेंद्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री राज्यों द्वारा औद्योगिक एककों से खरीद के बारे में 12 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1582 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में स्थित औद्योगिक एककों को दी गई वरीयता का ब्यौरा इस बीच एकत्र कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य में स्थित औद्योगिक एककों को वरीयता देने सम्बन्धी जानकारी संकलित की गई है। वरीयता देने का विस्तृत ब्यौरा तथा राज्य सरकारों द्वारा उस वरीयता के पक्ष में दिये गए तर्कों का सार संलग्न (अंग्रेजी उत्तर के साथ) विवरण में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3724/70।**]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा बिलेटों का उत्पादन

233. **श्री वीरेंद्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री 12 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9382 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच यह जानकारी एकत्र कर ली है कि आंतरिक खपत और बिक्री के लिए अलग-अलग आगामी पांच वर्षों में प्रमुख इस्पात कारखानों में कारखानेवार बिलेटों का अनुमानतः कितना-कितना उत्पादन होगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) बिलेट का अगले चार वर्षों का अनुमानित उत्पादन निम्न सारणी में दिखाया गया है :

(हजार टनों में)

क्र० सं०	उत्पादक का का नाम	1970-71		1971-72		1972-73		1973-74	
		आंतरिक खपत के लिए	बिक्री के लिए	आंतरिक खपत के लिए	बिक्री के लिए	आंतरिक खपत के लिए	बिक्री के लिए	आंतरिक खपत के लिए	बिक्री के लिए
1.	भिलाई इस्पात कारखाना	836	367	885	375	915	355	915	355
2.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	465	75	267	140	267	250	267	250
3.	टिस्को	369	210	369	200	369	200	369	200
4.	इस्को	328	120	350	120	350	120	350	120

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात संयंत्र की परियोजना लागत के बारे में बोकारो इस्पात संयंत्र के अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

234. **श्री वीरेंद्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 मई, 1970 के **पेट्रीआट** में छपे 'बोकारो में रूसी हस्तक्षेप नहीं" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के अध्यक्ष, श्री सोंधी ने यह कहा था कि परियोजना लागत में लगातार वृद्धि होते रहने का कारण यह है कि रूसी विशेषज्ञ अपने विशेष प्रकार के डिजाइनों और विशिष्ट विवरणों के लिए आग्रह करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या वह श्री सोंधी की टिप्पणी से सहमत हैं ; और

(घ) रूसी विशेषज्ञों को इस बात पर सहमत करने के लिए कि वे इस प्रकार का आग्रह न करें क्या प्रश्न किये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस सम्बन्ध में 17 मार्च, 1970 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3284, 3285 और 3287 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

उद्योग पर विदेशी सहयोग का प्रभाव

2 5. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ : **श्री जनार्दनन :**
डा० रानेन सेन : **श्री योगेंद्र शर्मा :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उद्योगों पर विदेशी सहयोग का जो प्रभाव पड़ा है क्या उसके बारे में सरकार ने कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए कोई समिति आदि गठित करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों पर विदेशी सहयोग के पड़ने वाले प्रभाव की निगरानी रखी जाती है । हाल ही के वर्षों में, विदेशी विनियोजन तथा सहयोग प्रस्तावों के मामले में अधिक चयनात्मक आधार अपनाया गया है जिससे कि एक ओर तो आवश्यक एवं जटिल उद्योगों में तकनीकी जानकारी का आयात जारी रहे तथा दूसरी ओर देशीय अनुसंधान तथा विकास पर अधिकाधिक जोर दिया जाता रहे । विदेशी विनियोजन मंडल, जिसे सरकार ने दिसम्बर, 1968 में स्थापित किया था, विदेशी विनियोजन तथा सहयोग से सम्बन्धित मामलों पर जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे सहयोगों का प्रभाव पड़ना भी सम्मिलित है, देखता है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में तालाबन्दी

236. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**
डा० रानेन सेन : **श्री समर गुह :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अधिकारियों के एक ग्रुप ने राज्य सरकार से कारखाने में तालाबन्दी लागू करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां तो ऐसा अनुरोध किये जाने के क्या कारण है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने की उत्पादन क्षमता

237. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री रामवतार शास्त्री :**
डा० रानेन सेन : **श्री श्रीचंद गोयल :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री सरदार अमजद अली : **श्री कं० हाल्दर :**

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर कारखाने में उत्पादन की वर्तमान दर उत्पादन-क्षमता का केवल 50 प्रतिशत है ;

(ख) उत्पादन की दर इतनी कम होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादन की दर कम होने के परिणामस्वरूप कितनी वार्षिक हानि होने का अनुमान है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जून, 1970 के महीने में इस्पात पिण्डकों का उत्पादन आयोजित क्षमता का लगभग 49 प्रतिशत था ।

(ख) उत्पादन के निम्न स्तर का मुख्य कारण अशांत औद्योगिक सम्बन्ध हैं जैसे, धीमी गति से काम करना, अचानक काम बन्द कर देना, घेराव, जानबूझ कर काम से अनुपस्थिति, अन्तर्यूनियन होड़; शाप्स में बड़े पैमाने पर अनुशासनहीनता आदि तथा कुछ तकनीकी त्रुटियां ।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अनुमान लगाया है कि 1969-70 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने को लगभग 14 करोड़ रुपये की हानि होगी ।

औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए बिरला बन्धुओं से आवेदन

238. **डा० रानेन सेन :** **श्री इन्दजीत गुप्त :**
श्री वासूदेवन नायर : **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रासायनिक पदार्थों, गरारी काटने वाली मशीनों, बिनौले तथा अन्य वस्तुओं से खाद्य, तेल और खली बनाने वाले औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए बिरला समूह द्वारा दिये गये आवेदनों पर क्या सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

औद्योगिक विकास तथा आँतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख) संभवतः प्रश्न 12 मई, 1970 के प्रश्न संख्या 1572 के उत्तर में दी गई जानकारी

पर आधारित है जिसमें यह कहा गया था कि रसायन, गियर कटिंग ट्रूल्स तथा बिनौला और खाद्य तेलों के उद्योगों के लिये नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये बिड़ला समूह के 3 आवेदन प्राप्त हुये थे और वे विचाराधीन थे ।

रसायन संबंधी आवेदन अभी विचाराधीन है । जहां तक गियर कटिंग ट्रूल्स और बिनौला तेल, खली तथा खाद्य तेलों के आवेदनों का संबंध है, आवेदन कर्त्ताओं ने अपने पुनरीक्षित आवेदन लाइसेंस प्राप्त करने के लिये निर्धारित रूप में प्रस्तुत किये हैं जिनके अनुसार नई वस्तुओं का उत्पादन विद्यमान एककों में प्रारम्भ किया जा सके तथा उन औद्योगिक उपक्रमों के कार्य को चालू रखा जा सके, जिन पर पहले लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्ध लागू नहीं होते थे, यह आवेदन नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदनों के स्थान पर हैं । पुनरीक्षित आवेदन भी अभी विचाराधीन हैं ।

संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्यों के विकलांगों के बारे में सर्वेक्षण

239. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों में विकलांगों का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस देश में विकलांगों की सहायता के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) हाल के वर्षों में विकलांग व्यक्तियों के सभी प्रमुख वर्गों के बारे में किये गए किसी राष्ट्रीय सर्वेक्षण का भारत सरकार को पता नहीं है ।

(ख) विकलाँग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में बारे में सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 3725/70]

Setting-up of an Independent Election Department

*240. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Dr. Ranen Sen :
Shri C. Janardhanan :
Shri J. M. Biswas :
Shri Dhireshwar Kalita :

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Election Commission has prepared a plan for setting up an independent Election Department in order to save the Election Commission from Government pressure ;

(b) if so, the full details of the plan prepared in this regard ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) The Election Commission is an authority set up

under the provisions of Article 324 of the Constitution and is not subject to Government pressure. As such, the question of the Election Commission "preparing a plan for setting up an independent Election Department in order to save the Election Commission from Government pressure" does not arise.

(b) and (c). Do not arise.

Production in Public Sector Steel Plants

241. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the estimated per capita production and actual production, in tonnes, every year in Bhilai, Rourkela and Durgapur Steel Plants, separately ; and

(b) the position in this regard in comparison with other countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : The following table gives the required information :

Per Capita Annual Production of Ingot Steel

	Actuals in 1969-70	Estimates after reaching expanded capacity
	(In tonnes)	
Bhilai	79	85
Rourkela	54	75
Durgapur	45	70

(b) The labour productivity in terms of ingot tonnes in some of the other countries are given below* :

U.S.A.	208
USSR	14
Japan	125
France	123
Australia	109
U.K.	102
West Germany	97

*Source : Hindustan Steel Limited.

Manufacture of Tractors by H.M.T.

242. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri J. Mohamed Imam :
Shri K. M. Koushik :
Shri R. P. Singh Deo :
Shri R. K. Amin ;
Shri N. K. Somani :
Shri Bhola Nath Master :

Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether the proposal of the Hindustan Machine Tools Ltd. to manufacture 1200

tractors of 20 H.P. per year at Pinjore is under consideration of Government and, if so, since when ;

(b) the shortage of tractors at present and the extent to which this shortage is likely to be met as a result of this project ; and

(c) the time by which a decision is likely to be taken in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M R. Krishna) : (a) The proposal of Hindustan Machine Tools Ltd. to manufacture 12,000 tractors of 20 H P. per year at Pinjore has been approved by Government.

(b) The Department of Agriculture have estimated that the total demand for tractors by 1973-74 would be 90,000 Nos. per annum. The total capacity of the existing manufacturing units is 30,000 Nos. per annum. The shortage in capacity is thus 60,000 out of which HMT's contribution would be 12,000 Nos. or 20%. In the 20 H.P. range, the estimated demand by 1973-74 is 25,000 Nos. per annum and HMT's contribution would be almost 50%.

(c) HMT's proposals have already been approved by Government, and the collaboration agreement is expected to be signed in September, 1970.

Grant of Licences for Manfacture of Scooters

243. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri N. Shivappa :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a great demand for Vespa and Lambretta scooters in the country at present ;

(b) if so, the number of applications for the allotment of scooters pending with Government at present and the total amount of advance money deposited with Government therefor ;

(c) whether it is also a fact that some private companies had applied for licences for manufacturing scooters, but Government have rejected their applications ; and

(d) whether Government propose to grant them licences in order to meet the growing demand for scooters.

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Yes, Sir.

(b) As on the 31st March, 1970, the number of orders for scooters pending with the various dealers in the country was as under :

Lambretta	84,883
Vespa	1,82,654
Total	**2,67,537**

Under the Scooter (Distribution and Sale) Control Order, 1960, each order for a scooter is required to be supported by a Post Office deposit amount of Rs. 250. On this basis, the total amount of deposits made in the Post Offices in support of bookings for scooters would be about Rs. 7 crores. In addition, about 60,000 applications from officers of the Central Government/Central Government undertakings, etc. for allotment of scooters from the Central Government quota are also pending with Government. These applications are not required to be backed by any monetary deposits.

(c) In 1965 a large number of applications for the manufacture of scooters had been received from interested parties in the private sector. In October, 969, the question of licensing of additional capacity for the manufacture of scooters was received by Government and it was decided to set up a project in the public sector for the manufacture of scooters. It was also decided that the basic approach should be to try to avoid foreign collaboration in the manufacture of scooters. In view of this decision, the applications for licences which had been submitted by the private parties, based on foreign collaboration, were rejected.

(d) While taking a decision to set up a public sector project for the manufacture of scooters, Government had also decided in October, 1969 that, if any private sector party was prepared to take up the production of scooters completely with indigenous know-how and materials, he should be allowed to do so. Accordingly, a public notice had been issued inviting applications by 31st January, 1970 from interested parties, who were prepared to take up the production of scooters with completely indigenous know-how and materials and without any foreign collaboration. In response 3[illegible] applications have been received till now. All these application are, at present, under examination.

M.P. Government's Proposals for Manufacture of Scooters

244. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Manibhai J Patel :**
Shri Sharda Nand : **Shri Devindar Singh Garcha :**

Will the Minister of **Industrial Development and internal Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have requested the Central Government to grant licences for manufacturing scooters in the private sector in the State ;

(b) whether it is also a fact that applications from several private parties for permission to set up scooter factories in the State are pending with the State Government at present ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) No, Sir.

(b) Government of India are not aware of this.

(c) Does not arise.

Orders for Supply of Wagons and Coaches by Private Companies

245. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Hukam Chand Kachwai ;**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of private companies with whom orders were placed for manufacturing wagons and coaches last year and also the number of wagons and coaches for which orders were placed ;

(b) the details of the agreement reached between Government and companies for their supply ;

(c) whether it is a fact that no company has supplied the said goods within the stipulated period ;

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard and the quantity of goods for which orders are being placed with the private companies during the financial year 1970-71 and the cost thereof ; and

(e) the names of the companies with whom such orders have not been placed and the action being taken by Government to place orders with such companies which manufacture such type of goods ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Information in regard to orders for wagons and coaches placed during the last year 1969-70 is as under :

No. of private companies with whom orders placed	Nos. of wagons and coaches ordered
	(In terms of four wheelers)
	WAGONS
12	14070
	COACHES
1	290

(b) As per terms and conditions of the contract, the delivery of wagons was to be completed by 30-6-70 and the delivery of coaches was to commence from 1.4.70 at the rate of 35 coaches per month and to be completed by 31-12-70.

(c) Delivery of wagons was not completed by 30-6-70. The delivery of coaches has not yet commenced.

(d) and (e) At the request of the firm, suitable extension of delivery period wherever necessary has been given depending on the merits of each case. Placement of orders for wagons and coaches against 1970-71 programme is under active consideration.

तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालयों में सुविधाओं की व्यवस्था

246. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** **श्री ओंकार लाल बैरवा**
श्री शारदानंद : **श्री वंशनारायण सिंह :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों, विशेषकर तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालयों में बिजली, पानी, पंखों, कूलरों, शौचालयों और स्नान-गृहों की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) उन प्रतीक्षालयों में उक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे सम्बन्ध में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस बारे में कितना कार्य पूरा हो सकेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : प्रतीक्षालयों की व्यवस्था केवल ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिये की जाती है वहां पर्याप्त यातायात होता है । अन्यथा, केवल तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की जाती है । सभी स्टेशनों पर हाल्टों को छोड़कर तीसरे दर्जे के प्रतिक्षालयों, शौचालयों, पीने के पानी की सप्लाई का प्रबंध करने की व्यवस्था करना पहले से ही एक स्वीकृत नीति है । भारतीय रेलों के 7540 स्टेशनों में से केवल 100,7 और 153 स्टेशनों पर क्रमशः इन सुविधाओं की कमी है । आशा की जाती है कि इन बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था

इन सभी स्टेशनों पर 31-3-1971 तक कर दी जायेगी। प्रतीक्षा करने वाले यात्री स्टेशन पर इन सुविधाओं का लाभ सदा उठा सकते हैं भले ही ये सुविधायें प्रतीक्षालयों में हमेशा न मिल पायें।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 'सदरन' एक्सप्रेस' गाड़ी के डिब्बे से आभूषणों के बक्से की चोरी

247. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** **श्री शिवचरण लाल :**
श्री गोपाल साबू : **श्री शिवकुमार शास्त्री :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी व्यक्ति ने नई दिल्ली की रेलवे स्टेशन की पुलिस में यह रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 20 जून, 1970 को उसके एक सम्बन्धी का एक बक्सा, जिसमें 5,000 रुपये के आभूषण और जेवरात थे, कुली (जिसका नम्बर 250 था) द्वारा 'सदरन एक्सप्रेस' के डिब्बे में रखने के थोड़ी देर बाद, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चुरा लिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या चुराये गये माल का इस बीच पता लगा लिया गया है और उसके मालिक को सौंप दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नई दिल्ली की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड सहिता की धारा 379 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 'अभी हाल में पता नहीं चला' इस टिप्पणी के साथ इस मामले को बन्द कर दिया है। कड़ी-जांच पड़ताल के बाद भी माल या अपराधी किसी का भी सुराग नहीं लग सका।

सीमेंट के मूल्यों में कमी

248. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट उद्योग को सीमेंट के मूल्य कम करने के लिए एक सूत्र बनाने का निदेश दिया है जिससे उपभोक्ता को लाभ हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सीमेंट उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट की कमी

249. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री प्रेमचंद वर्मा : **श्री चंद्रशेखर सिंह :**
श्री सरजू पाण्डेय : **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की सप्लाई की स्थिति अभी सन्तोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां । देश के उत्तरी व पूर्वी भागों में ।

(ख) इसके कारण हैं क्षेत्र में अपर्याप्त-उत्पादन, माल डिब्बों की सप्लाई में कमी, श्रमिक संबंधी तथा यान्त्रिक परेशानियां ।

(ग) ऐसी आशा है कि 1970 और 1971 में कुछ नये कारखाने उत्पादन आरम्भ कर देंगे जबकि कुछ वर्तमान कारखानों के बारे में यह आशा है कि वे अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर उत्पादन बढ़ा देंगे ।

हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ के उप-प्रधान द्वारा दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में लगाये आरोप

250. **श्री महेन्द्र माझी :** **श्री नंजा गौडर :**
श्री जमल खां : **श्री मीठालाल मीना :**
श्री दे० अमात :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ के उप-प्रधान (श्री अजीत मुकर्जी) द्वारा दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्य संचालन के संबंध में हुए घोटालों के संबंध में दी गई जानकारी की ओर दिलाया गया है, जैसा कि 27 मई, 1970 के "हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या श्री मुकर्जी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना कोई आस्ति-रजिस्टर नहीं रख रहा है और कोयले के स्थान पर कारखाने में प्रयोग करने के लिये काली मिट्टी लाई गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी, हां। उल्लिखित वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने जिसको यह मामला भेजा गया था, बताया है कि (1) कोयले के बजाय काली मिट्टी की खरीद और (2) आस्ति रजिस्टर के न रखने के बारे में कथित दोनों वक्तव्य ही गलत हैं।

विदेशियों के साथ सहयोग सम्बन्धी करार करने वाली भारतीय कम्पनियों द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना

251. श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री नम्बियार :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशियों के साथ सहयोग सम्बन्धी करार करने वाली भारतीय कम्पनियों को अपने वार्षिक विवरण सरकार को प्रस्तुत करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस निर्णय का मुख्य प्रयोजन क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति (अंग्रेजी उत्तर के साथ) सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 3726/70]

लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये अनुसंधान तथा विकास बोर्ड

252. श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री के० रमानी :
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री शिव नारायण :
श्री रवि राय :
श्री वि० कु० मोडक :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री नारायणन :
श्री भगवान दास :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये अनुसंधान तथा विकास बोर्ड स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड की स्थापना करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी, हां । विद्यमान विभिन्न अनुसंधान और विकास एककों और भविष्य में स्थापित किये जाने वाले ऐसे एककों के कार्य का समन्वय करने के लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान तथा विकास मंडल की स्थापना करने का प्रस्ताव है । यह मंडल चतुर्थ और उसके बाद की योजना अवधियों में लोहे और इस्पात कार्यक्रम को पूरा करने के लिए देश में ही तकनीकी जानकारी के और अधिक विकास की सुविधा प्रदान करेगा और उत्पादकता को बढ़ाने तथा नये इस्पात कारखानों की निर्माण लागत कम करने, उनके रख रखाव और परिचालन के लिए उपाय करेगा । एक प्रलेख और सूचना केन्द्र भी मंडल से सम्बद्ध होगा जो तकनीकी सूचना एकत्र करने और उसका प्रसार करने का काम करेगा ।

(ग) मंडल के गठन के बारे में निर्णय नहीं किया गया है । एक विशेषज्ञ समिति, जिसमें सरकार, इस्पात उद्योग, राष्ट्रीय धातु-कर्म प्रयोगशाला और मैसर्स दस्तूर एण्ड कंपनी (प्रा०) लि० (परामर्शदाता इंजीनियर) के प्रतिनिधि हैं इस समय मंडल की रूप रेखा तैयार कर रही है ।

छोटी कार परियोजना के लिये वित्त दिया जाना

253. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री राम किशन गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों तथा अन्य संस्थाओं से धन प्राप्त करके, छोटी कार बनाने का कारखाना स्थापित करने की सम्भावना पर, इस बीच विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) लघु कार परियोजना पर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है । इस दौरान बैंकों या अन्य संस्थाओं से इस परियोजना के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता स्रोतों के लिए कोई भी आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) लघु कार परियोजना पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है ।

Surplus Stock of Tyres in Delhi

254. **Shri Manibhai J. Patel :**
Shri Devinder Singh Garcha :

Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 50,000 popular brand tyres and about 1,00,000

of unpopular brands have piled up with the traders during the past six months in the capital ;

(b) whether Government are aware that there is much dissatisfaction in the trade on account of delay in the Administration taking a decision to allow it to dispose of the stocks in the open market ; and

(c) if so, the steps Government propose to take in the matter to redress the grievances of the traders ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). The Delhi Administration have *inter alia* regulated the supply of bicycle tyres and tubes partly by restricted sale through ration cards and the rest through free sales. The percentage of restricted quota sales is varied from time to time depending on the circumstances. In April, 1970 the Cycle Traders Association had pleaded for allowing conversion of 75% of the restricted sale quota into free sale quota Though the Administration were inclined to consider this demand sympathetically, in view of the anticipated increase in demand for this item during the summer months of May and June, a decision was deferred by them. By an order dated 17th July, 1970 the Administration have allowed the trade release for free sale 50% of cycle rickshaw tyres and 75% of cycle tyres of the balance available with them as on 31-5-1970.

2. The Delhi Administration have reported that on 31st May, 1970 the following stock of tyres was available in the 'restricted sale quota' :

		Tyres
1.	**Popular Brand**	
	(a) Cycle Rickshaws	9612
	(b) Cycles	69063
2.	**National Road Finder**	
	(a) Cycle Rickshaws	1007
	(b) Cycles	16090
3.	**Other Brands**	
	(a) Cycle Rickshaws	2328
	(b) Cycles	36757

3. The Delhi Administration have also stated that as a result of conversion of 'restricted sale quota' into 'free quota' allowed in July, 1970 the stocks left in the restricted sale quota have come down and they are as follows :—

		Tyers
1.	**Popular Brand**	
	(a) Cycle Rickshaws	43 8
	(b) Cycles	17592
2.	**National Road Finder**	
	(a) Cycle Rickshaws	450
	(b) Cycles	4021
3.	**Other Brands**	
	(a) Cycle Rickshaws	2108
	(b) Cycles	32e0

रेलवे में डीजल तथा बिजली द्वारा गाड़ियों को चलाने के कारण फालतू हुए कर्मचारियों को काम पर लगाना

255. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोनल मैनेजरों को यह निदेश दिये हैं कि वे इस बात के आंकड़े तैयार करें कि डीजल और बिजली से अधिकाधिक गाड़ियां चलाये जाने के कारण कितने कर्मचारी फालतू हो जायेंगे ;

(ख) क्या कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिये उनसे एक समेकित योजना तैयार करने का भी अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). रेलों से कहा गया है कि वे ऐसे कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगायें जो भाप के इंजनों की जगह डीजल और बिजली से गाड़ियां चलाने के कारण फालतू हो जायेंगे और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर डीजल या बिजली कर्षण में अथवा अन्य उपयुक्त पदों पर लगायें ।

पटना जंकशन (पूर्व रेलवे) के बुकिंग कार्यालय से धन की चोरी

256. **श्री जी० बेंकटास्वामी :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जून, 1970 को पटना जंकशन के पूर्व रेलवे के बुकिंग कार्यालय से नकदी गायब हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी नकदी गायब हो गई थी ;

(ग) क्या चोरी के कारणों की जांच पूरी हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां ।

(ख) 83,378.15 रुपये (78,950.42 रुपये सरकारी करेन्सी नोटों में और 4,427.73 रुपये बाउचरों में) ।

(ग) और (घ). पटना की सरकारी रेलवे पुलिस मामले की अभी जांच कर रही है । प्रधान टिकट बाबू और टिकट बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का कारखाना स्थापित करना

257. **श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्री नारायणन :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री मयावन :
श्री दण्डपाणि :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री न० रा० देवघरे :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और यह कारखाना कहां पर लगाया जायेगा ; और

(ग) उपर्युक्त कारखाने में कुल कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र की परियोजना के स्थापना स्थल के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है । यह बता पाना सम्भव नहीं कि प्रस्तावित परियोजना कब स्थापित की जायेगी ।

(ग) 1 लाख स्कूटर प्रति वर्ष की क्षमता के संयंत्र की अनुमानित पूंजीगत लागत 10 से 12 करोड़ रुपये होगी ।

जोनल रेलों को वाणिज्यिक विज्ञापनों से आय

258. **श्री जी० वेंकटास्वामी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष में नौ जोनल रेलों को वाणिज्यिक विज्ञापनों से कुल कितनी आय हुई ; और

(ख) इस आय को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 75,39,385 रुपये ।

(ख) राजस्व बढ़ाने के लिए किये गये कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) रेलों की संगठन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है । 6 क्षेत्रीय रेलें, जिनके मुख्यालय महानगरों में स्थित हैं, प्रत्येक में एक पूर्णकालिक वाणिज्य अधिकारी नियुक्त हैं जिसका मुख्य काम रेलों के लिए अधिक विज्ञापन प्राप्त करना है ।

(ii) पोस्टरों, प्लेटों और पेंट किये गये बोर्डों, सवारी गाड़ियों के भीतर के विज्ञापनों, घड़ियों के नीचे के विज्ञापन चिह्नों, सिनेमा घरों में विज्ञापन बोर्डों और यात्री टिकटों के पीछे दिये जाने वाले विज्ञापनों की दरों का मानकीकरण कर दिया गया है ।

(iii) सभी रेलों के लिए अधिकतम तीन वर्षों तक के लिए सामूहिक करारों पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था की गयी है ।

(iv) रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर सभी क्षेत्रीय रेलों के लिए आय का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ।

(v) बाजार की स्थिति को ध्यान में रख कर दरों में संशोधन करके उन्हें बढ़ा दिया गया है । संशोधित दरें 1-8-70 से लागू होंगी ।

(vi) विज्ञापन एजेन्सियों के प्रतिनिधियों और प्रचारकों तथा विज्ञापन एजेन्टों के साथ समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं ।

(vii) रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों को एक पत्र में लिखा है कि अधिक कारोबार आकर्षित करने के उद्देश्य से वे बिक्री उपरान्त सेवा को सुधारने और कार्यविधि में सुधार लाने के लिए कार्रवाई करें ।

रेलवे द्वारा डीजल तेल की खपत

259. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा प्रति वर्ष कुल कितने लिटर डीजल तेल की खपत की जाती है ;

(ख) कोयले की तुलना में रेलों द्वारा काम में लाये जाने वाले डीजल तेल पर कितना खर्च होता है ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में डीजल तेल की खपत में कमी करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) इसके परिणाम स्वरूप कुल कितनी बचत होगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें 1966-67, 1967-68 और 1968-1969 की अवधि में प्रत्येक वर्ष जितने डीजल तेल की खपत हुई और डीजल तेल तथा कोयले की खपत पर जितनी लागत आयी, उसका ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) सभी किस्म के ईंधनों जिसमें डीजल तेल भी शामिल है, की खपत में किफायत लाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है ।

(घ) सम्भावित बचत का अनुमान लगाना अभी असामयिक होगा ।

विवरण

	1966-67	1967-68	1968 69
(i) जितने डीज़ल तेल की खपत हुई उसकी कुल मात्रा (किलो लिटर में)	373,373	432,970	490,818

(ii) जितने डीजल तेल की खपत हुई उसकी लागत (करोड़ रुपयों में)	26.50	33.80	39.23
(iii) जितना कोयला खपत हुआ, उसकी लागत (करोड़ रुपयों में)	89.42	98.17	103.88

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के वार्षिक लेखे

260. **श्री प्रेमचंद वर्मा :**

श्री भोलानाथ मास्टर :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा समय-समय पर लोक सभा में दिये गये इन आश्वासनों के सम्बन्ध में भारी इन्जीनियरिंग निगम, रांची को कितनी सफलता मिली है कि निगम के कार्य में प्रगति और सुधार हो रहा है और वह शीघ्र ही हानि के चक्कर से निकल जायेगा ;

(ख) 31 मार्च, 1969 और 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्षों से सम्बन्धित निगम के संतुलन-पत्रों में कितनी हानि अथवा लाभ दिखाया गया है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) आज तक निगम को कुल कितनी हानि हुई है ;

(घ) वर्ष 1970-71 के लिए क्या प्राक्कलन है ; और

(ङ) निगम को किस तारीख को क्रियादेश प्राप्त हो चुके हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जैसा कि पूर्व अवसरों पर बताया जा चुका है कारखानों में उत्पादन अभी निर्धारित क्षमता तक नहीं पहुंचा है । कम्पनी के तीन कारखानों का वर्ष 1968-69 और 1969-70 का उत्पादन तथा वर्ष 1970-71 का उत्पादन कार्यक्रम नीचे दिखाया गया है ।

	उत्पादन 1968-69	1969-70 (टन)	1970-71 का उत्पादन कार्यक्रम
फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट	16642.5	28151.64	60858
भारी मशीने बनाने का कारखाना	23852.5	24510.7	32500
भारी उपयंत्र बनाने का कारखाना	220 (8 संख्या)	423 (27 संख्या)	1110.4 (51 संख्या)

(ख) 31-3-69 को समाप्त हुई वर्ष में 14.66 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है अस्थायी

तौर पर तैयार किए गए हिसाब-किताब के अनुसार, जिसकी इस समय लेखा परीक्षा की जा रही है, 31-3-70 को समाप्त होने वाले वर्ष में 16.31 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है।

(ग) 31-3-70 तक का कुल घाटा 57.04 करोड़ रुपए है।

(घ) 1970-71 का अनुमानित घाटा 10.78 करोड़ रुपये है।

(ङ) प्राप्त हुए पक्के आर्डरों को देखते हुए भारी मशीनें बनाने के कारखाने की यान्त्रिक उपकरणों के निर्माण की क्षमता 1971-72 और अंशत: 1972-73 के लिए बुक है। परन्तु ढांचों के निर्माण की क्षमता केवल 1970-71 के लिए अंशत: बुक है। फाउन्ड्री फोर्ज प्लान्ट के लिए 1971 72 के मध्य तक आर्डर है। भारी उपयन्त्र बनाने के कारखाने के पास 1971-72 के अन्त तक के लिए आर्डर है। बोकारो इस्पात कारखाने के 40 लाख टन तक विस्तार के द्वितीय चरण के लिए यांत्रिक और संरचनात्मक उपकरणों तथा उपयंत्रों के लिए इस वर्ष के अंत तक काफी आर्डर की सम्भावना है। तीन नए इस्पात कारखानों तथा भिलाई इस्पात कारखाने के प्रस्तावित विस्तार के लिए भी इसी प्रकार के आर्डर मिलने की संभावना है।

इस्पात का मूल्य

261. **श्री प्रेमचंद वर्मा :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968, 31 मार्च, 1969 और 31 मार्च, 1970 को लोहे की छड़ों सहित इस्पात की विभिन्न किस्मों के मूल्य क्या थे ;

(ख) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में कितने-कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन होता है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस्पात कारखाने के मूल्यों से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है और उपभोक्ताओं को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें सामान चोर बाजार से खरीदना पड़ता है ;

(घ) क्या सरकार का विचार चोर-बाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने और उपभोक्ताओं को इस्पात की वस्तुएं उचित दर पर सप्लाई करने की व्यवस्था करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस्पात के मूल्यों को उचित स्तर पर लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तीन विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3727/70]

(ख) 1969-70 में निजी क्षेत्र के दो प्रमुख उत्पादकों ने 20 लाख टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन किया जब कि सरकारी क्षेत्र के उत्पादकों का विक्रय इस्पात का उत्पादन 28 लाख टन था।

(ग) और (घ). सरकार को विदित है कि संयुक्त संयंत्र समिति की कीमतों से खुले बाजार में कीमतें बहुत अधिक हैं तथा दुर्लभ इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के माल की बहुत कमी है। प्राथमिकता-प्राप्त कार्यों के लिए संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों पर इस्पात की उपलब्धि सुनिश्चित कराने के लिए सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है।

रेलवे में चोरी के मामले

262. **श्री प्रेमचंद वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 6 महीनों में रेलवे में एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के माल की चोरी हुई ;

(ख) यदि हां, तो चोरी के कितने मामले पकड़े गये, कितने मूल्य का माल बरामद हुआ, और इन चोरियों में कितने रेलवे कर्मचारियों का हाथ था ;

(ग) क्या यह सच है कि गाड़ियों के, जिनमें कालका मेल भी शामिल है, पंखे तथा अन्य सामान दुकानों में बेचा गया था और उन डिब्बों को, जिनमें से पंखे तथा अन्य सामान निकाला गया था, अन्य गाड़ियों के साथ उसी स्थिति में जोड़ दिया गया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि रेलवे ने ऐसी चोरियों को जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपयों की हानि होती है, रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है ; और

(ङ) उक्त हानि के लिये जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) ऐसी कोई विशिष्ट घटना नोटिस में नहीं आयी है, फिर भी, सवारी डिब्बों में चोरियों के कारण होने वाली ख़राबियों और कमियों को सामान्यत: प्रारम्भिक स्टेशन से गाड़ी के रवाना होने से पहले ही दूर कर दिया जाता है ।

(घ) जी, नहीं, यह सच नहीं है । ऐसी चोरियों को रोकने के लिए रेलों पर निम्नलिखित कार्रवाइयां की जा रही हैं :—

(1) जिन स्टेशनों पर चोरियां होने की संभावना रहती है वहां से गाड़ियां गुजारने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के वर्दी वाले कर्मचारी तैनात किये जाते हैं ।

(2) सिक लाइनों, धुलाई लाइनों और मेघ यार्डों में रुके स्टाक पर रेलवे सुरक्षा दल द्वारा छुपकर निगाह रखी जाती है ।

(3) सादे लिबास में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी अपराधियों की गतिविधियों के बारे में आसूचना इक्ट्ठी करके उनका पता लगाने में स्थानीय यूनिटों की सहायता करते हैं ।

(4) क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालयों के अपराध आसूचना कर्मचारी रेलों पर सक्रिय अपराधियों के पेशेवर कुख्यात गिरोहों का पीछा करते हैं ।

(5) जिन खण्डों और स्थलों पर चोरियाँ हो सकती हैं उन पर नियमित अभियान चलाये जाते हैं, नाकाबन्दियां की जाती हैं और छापे मारे जाते हैं ।

(6) बड़े और मेघ यार्डों/खंडों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों तथा रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ता दलों द्वारा गश्त लगायी जाती है ।

(7) रेलवे सुरक्षा दल, रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

(8) रेल सम्पत्ति की चोरी से सम्बन्धित अपराधों को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा दल को रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम, 1966 की धारा 3 और 4 द्वारा दिये गये अधिकारों का भी उदारता से उपयोग किया जाता है।

(ङ) चोरी के प्रत्येक मामले के बारे में विस्तृत जांच की जाती है और असावधानी या चश्मपोशी के रूप में (यदि कोई हो) अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी निश्चित की जाती है ताकि वर्तमान नियमों के अनुसार आवश्यक वैधानिक/विभागीय कार्रवाई की जा सके।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों का बन्द किया जाना

263. **डा० रानेन सेन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कं० हाल्दार :
श्री जि० मो० बिस्वास :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में इस वर्ष मई, 1970 तक 165 औद्योगिक एकक बन्द कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या इन एककों के बन्द किये जाने के परिणाम स्वरूप 20,000 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त एककों को बन्द करने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) उक्त एककों को फिर से चालू करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). जी, हाँ।

(ग) प्रत्येक एकक के बन्द होने के अलग-अलग कारण हैं। अनेक मामलों में महत्वपूर्ण कारण श्रमिकों की बढ़ती हुई अनुशासनहीनता है जबकि अन्य मामलों में आर्थिक कठिनाई क्रयादेशों का न मिलना, कच्चे माल उपलब्ध न होने की समस्या (आंशिक या पूर्ण रूप से) औद्योगिक एककों के बन्द होने के लिए जिम्मेदार हैं।

(घ) बन्द एककों को पुनः चालू करना राज्य में सामान्य औद्योगिक वातावरण पर निर्भर करेगा जो अब भी संतोषजनक नहीं है। इसके साथ ही कुछ एक बन्द एककों की समस्यायें सुलझाने पर कुछ खास इंजीनियरिंग एककों की क्रयादेश स्थिति सुधारने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने पर भी विचार किया जा रहा हैं। इसमें कच्चे माल का अधिक आवंटन करना एक ब्याज सम्बन्धी देयताओं को पूरा करने के प्रस्ताव सम्मिलित हैं (राज्य में प्रभावी रूप में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिये भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना

264. **डा० रानेन सेन :** **श्री दंडपाणि :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री नारायणन : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री कोलाई बिरुआ : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री मयावन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). इस बात का सिद्धान्त रूप से निर्णय कर लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र को विस्तृत किया जाये और इसका दखल उन क्षेत्र तक भी हो जाये जहां आगामी वर्षों में मांग तथा उत्पादन में भारी अन्तर संभावित हो। इसमें राजकीय कारखानों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण पर विचार भी सम्मिलित है। ऐसी वस्तुओं का चयन तथा एतद् सम्बन्धी अन्य विस्तृत विवरण अभी विचाराधीन है।

स्टेण्डर्ड मोटर्स कम्पनी मद्रास के मामले की जांच करने के लिए समिति की नियुक्ति

265. **डा० रानेन सेन :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्ता : **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टेण्डर्ड मोटर्स कम्पनी, मद्रास के मामले में जांच करने के सम्बन्ध में एक तीन सदस्यों वाली समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) जांच पड़ताल करने वाले निकाय का गठन इस प्रकार है :—

अध्यक्ष : श्री टी० ए० वर्गीस, आई० सी० एस० (अवकाश प्राप्त) भूतपूर्व मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार, मद्रास।

सदस्य :

1. श्री एन० कृष्णन, मुख्य लागत लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली।

2. श्री टी० वी० मनसुखानी, संयुक्त महा-प्रबन्धक, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० पिंजौर।

(ग) ऐसी आशा है कि जांच पड़ताल करने वाला निकाय जिसका गठन जून, 1970 में किया गया, स्थापना की तारीख से 6 महीने के अन्दर ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति

266. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे क्षेत्रों में जिनमें पर्याप्त स्वदेशी तकनीकी जानकारी उपलब्ध है और विशेष कर उनमें जो उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योग नहीं हैं विदेशी सहयोग की, जिसके कारण विदेशी मुद्रा बाहर जाती हो। अनुमति न देने की सरकार की घोषित नीति है ;

(ख) क्या इसके बावजूद यह सच नहीं है कि बिस्कुट, आइसक्रीम, ब्रेवरीज तथा ऐसे अन्य उद्योगों के बारे में समझौतों को मंजूरी दी गई है अथवा दी जाने वाली है ;

(ग) क्या इस तथ्य के बावजूद कि शराब बनाने का उद्योग भारत में पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से विद्यमान है शराब बनाने के कारखानों के बारे में हुए विदेशी सहयोग के समझौतों को मंजूरी दी जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि निर्यात की शर्तें बाँगस रखी जा रही हैं और असफलता के फलस्वरूप क्या दोषी फर्मों के लिए राज्य व्यापार निगम निर्यात संवर्धक प्रबन्धक बन जाता है।

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) विदेशी सहयोग के लिये अनुमति सामान्यत: उन क्षेत्रों में दी जाती है जहां टेक्नालाजीकल व्यवधान रहते हैं विशेषकर यह अनुमति आधुनिक व अत्यावश्यक क्षेत्रों में और साथ ही निर्यातजन्य परियोजनाओं के सम्बंध में भी दी जाती है।

(ख) बिस्कुट, आइसक्रीम जैसे उद्योगों में सहयोग के लिये अनुमति प्रारम्भ के वर्षों में दी गई थी किन्तु उन मामलों में भी निर्यात का इतना दायित्व डाल दिया गया था जिससे बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा की पूर्ति पर्याप्त रूप से हो सके।

(ग) और (घ). यद्यपि देश बीयर का उत्पादन मुख्य रूप से आन्तरिक खपत के लिये किया जा रहा किन्तु बीयर की क्वालिटी सुधारने के लिये विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रभाव शाली ढंग से होड़ करने के लिए सरकार ने गुणावगुणों के आधार पर इस क्षेत्र में विदेशी तकनीकी सहयोग के प्रस्तावों पर विचार किया है और सरकार उन पर विचार कर रही है, बशर्ते ऐसा निर्यात के दृष्टिकोण से किया जाए और जितने निर्यात की गारन्टी दी जाए उससे बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा के मुकाबले में अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो।

(ङ) ऐसा विचार है कि विदेशी सहयोग की मंजूरियों में निर्धारित निर्यात सम्बंधी शर्तों को लागू किया जाये। ऐसे मामलों में निर्यात सम्बंधी दायित्वों को लागू किया जाना या तो एक

अनिवार्य बैंक गारन्टी सहित कानूनी बचन पर या इसी प्रकार के ऐसे बचन पर आधारित होगा जिसके अनुसार निर्धारित निर्यात में जितनी कमी आएगी उसका दुगना मूल्य राज्य व्यापार निगम को या ऐसे अभिकरण को देना होगा जो सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा और जो पार्टी के सीधे निर्यात करने में असफल होने पर 'हर्शाने' के रूप में अतिरिक्त दण्ड सहित पार्टी की जोखिम व खर्चे पर निर्यात करेगा ।

हरिद्वार के भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स पलांट में विवाद

267. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार स्थित भारत हैवी इलैट्रिकल्स में अनुसंचिवीय कर्मचारियों के काम के घंटों, परियोजना भत्ते को अस्वीकार/समाप्त करने तथा अन्य मामलों में विवाद हो गया था ;

(ख) क्या उक्त मांगों को लेकर हड़ताल तथा भूख हड़ताल की गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि उस समय नियुक्त औद्योगिक विकास मंत्री ने संसद सदस्यों के साथ उक्त विभाग के सचिव की उपस्थिति में 20 जनवरी को एक करार पर हस्ताक्षर किये थे जिस में स्वीकार किया गया था कि गैर-मान्यता प्राप्त संघ के साथ भी अनौपचारिक वार्ता की जायेगी और उन कर्मचारियों को मकान भत्ता दिया जाएगा जिन्हें क्वार्टर अलाट नहीं किये गये हैं और सब कर्मचारियों को परिवहन भत्ता देने के बारे में विचार किया जायेगा ;

(घ) क्या उक्त उप-क्रम के अध्यक्ष ने उक्त करार को पालन करने से इंकार कर दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त करार की क्रियान्वित के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) जी, हां । सभा पटल पर 20 मई, 1970 को रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्लांट हरिद्वार में 12 मई से 24 मई, 1970 तक सामान्य/आम हड़ताल रही । हड़ताल राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा प्रबन्धकों तथा मान्यता प्राप्त संघ के बीच कराये गये समझौता ज्ञापन के अनुसरण में 25 मई, को वापिस ले ली गई । रजिस्टर्ड पर अमान्यता प्राप्त हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड वर्कस एसोशियेशन के प्रधान, उप-प्रधान तथा अन्य 3 कार्यवाहकों ने 9 जून, 1970 को भूख हड़ताल आरम्भ कर दी । यह हड़ताल 20 जून, 1970 को समाप्त हुई ।

(ग) 20 जून, 1970 को कुछ संसद सदस्यों ने उस समय के औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री से इस हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर विचार विनिमय

किया पर किसी करार पर हस्ताक्षर न हो सका । फिर भी इस सम्बन्ध में एक टिप्पणी तैयार की गई कि :

(1) भूख हड़ताल समाप्त कर दी जाय, नहीं ।

(2) उन कर्मचारियों को जिन्हें मकान नहीं दिया गया मकान भत्ता देने पर बातचीत की जायेगी । तथा सभी कर्मचारियों के लिए यातायात भत्ता देने पर भी बातचीत की जाएगी ।

(3) तथा कच्चे श्रमिकों की समस्या पर भी विचार किया जायेगा ।

(4) मंत्रालय के कर्मचारियों काम करने के घंटों पर भी विचार बिमर्श किया जायेगा ।

कम्पनी के प्रबन्धकों ने एच० ई० ल० वर्कर्स एसोसियेशन के प्रधान तथा अन्य प्रतिनिधियों से उनकी मांगे तथा विचार जानने के लिए अनौपचारिक रूप से बातचीत की है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय तथा विश्व इस्पात बाजार में माल का जमा हो जाना

268. **श्री मधु लिमये :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल दो वर्ष पूर्व गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रवक्ता भारतीय तथा विश्व इस्पात बाजार में माल जमा होने की बात कह रहे थे ;

(ख) क्या माल जमा होने की बातों को निरन्तर रूप से कहते रहने का इस्पात उत्पादन कार्यक्रम और अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाने सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में सरकार के विचारों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करेगी कि वह भविष्य में इस की वस्तुओं की अचानक मांग बढ़ जाने पर कठिनाई में न पड़ जाये ;

(घ) क्या कमी के कारण लोहा तथा इस्पात बाजार में लाभ की गुंजाइश तथा चोर बाजारी के सौदों में वृद्धि हो गई है ;

(ङ) चोर बाजारी तथा अत्यधिक लाभ को रोकने तथा कर राजस्व को प्रभावशाली ढंग से वसूल करने और उस राशि को इस्पात के अतिरिक्त उत्पादन के लिए फिर से लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(च) क्या इस्पात की कमी को शीघ्र दूर करने के लिए इस्पात का आयात करने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यह सच है कि मंदी के समय 1966-67 और 1967-68 में इस्पात कारखानों को अपने

उत्पादों की बिक्री में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा था और कुछ लोगों ने मत व्यक्त किया था कि इस्पात उद्योग में आवश्यकता से अधिक पूंजी लगा दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) यह सच है कि कुल प्रदाय का कुछ भाग संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित मूल्य से काफी अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है और बिचौलिए मांग और पूर्ति की स्थिति से लाभ उठा रहे हैं।

(ङ) वितरण नीति का लगातार पुनर्विलोकन किया जाता है जिससे प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं को संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों पर इस्पात मिल सके।

(च) जी, हां। प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं की इस्पात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्पात के आयात की उदार नीति की व्यवस्था की जा रही है।

मांसी में गंगा नदी द्वारा किया गया कटाव को रोकने के लिए योजना

269. **श्री मधु लिमये :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मांसी में गंगा नदी द्वारा किये गए कटाव को, जिससे वहां राष्ट्रीय पथ तथा आसाम के सामरिक महत्व के क्षेत्रों को जाने वाली रेलवे लाइन को खतरा पैदा हो गया है, रोकने के लिए रेलवे तथा परिवहन और सड़क अधिकारियों द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ग) उक्त योजना पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है ; और

(घ) क्या ये सुरक्षात्मक उपाय गंगा को बाढ़ के खतरे का मुकाबला करने में प्रभावी होंगे ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) :

(1) मांसी के निकट गंगा नदी द्वारा कटाव के प्रश्न पर विचार करने वाली गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी आयोग की तकनीकी उप-समिति ने सिफारिश की थी कि रेल मार्ग और राजमार्ग नं० 31 का स्थान बदल कर उसे उपयुक्त स्थान पर बनाया जाये।

(2) 13-3-70 को मंत्रालयों की आपसी बैठक में यह भी विनिश्चय किया गया था कि 1969 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त ठोकरों की लगभग 45 लाख रुपये की लागत से राज्य सरकार द्वारा तुरन्त मरम्मत करायी जाये। यह लागत रेलवे, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय और बिहार राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन की जायेगी।

(3) रेल मंत्रालय, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय और बिहार राज्य सरकार ने इस

बात के लिए भी सहमति व्यक्त की है कि कृषि और बिजली मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले नमूना अध्ययन के बाद दीर्घकालिक उपायों के लिए एक समेकित योजना बनाई जाये।

(ख) :

(1) रेल मार्ग को अपने पहले स्थान से हटाकर उत्तर की ओर लगभग 1.3 किलो-मीटर की दूरी पर बनाने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है और यह काम लगभग पूरा होने को है।

(2) मरम्मत का काम बिहार राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और लगभग पूरा हो गया है।

(3) नमूना अध्ययन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(घ) जहां तक खण्ड पर रेल सचार के अनुरक्षण का सम्बन्ध है, यथासम्भव सर्वोत्तम कार्रवाई की गयी है।

इस्पात कारखानों में पूंजी नियोजन

270. **श्री जि० ब० सिंह :**
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री सरजू भान :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक इस्पात कारखाने में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है और प्रत्येक कारखाने को अब तक कुल कितनी हानि हुई है और गत वर्षों में कितनी हानि हुई ;

(ख) प्रत्येक इस्पात कारखानें में अत्यधिक हानि होने के कारण क्या हैं और हानि को कम करने के लिए सरकार ने गत एक वर्ष में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) प्रत्येक इस्पात कारखानें की क्षमता कितनी है और इस वर्ष कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है ;

(घ) प्रत्येक इस्पात कारखाने में फालतू कर्मचारियों की संख्या कितनी है और फालतू कर्मचारियों को प्रति वर्ष कितनी राशि का भुगतान किया जाता है ;

(ङ) प्रत्येक कारखाने में कुल कितनी मशीनें बेकार पड़ी हैं ; और

(च) प्रत्येक कारखाने में कितने विदेशी कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक कारखाने में किसी विदेशी को, परिलब्धियों सहित अधिकतम कितना वेतन दिया जाता है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ग). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड़ के राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्थित इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को होने वाले घाटे के विभिन्न कारणों का विवरण "परफोर्मेंस आफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड" नामक पुस्तिका में, जिसे 5 अप्रैल 1968 को सभा पटल पर रखा गया था, दिया गया है। इस्पात कारखानों में घाटे को रोकने और कम करने तथा कार्य संचालन में सुधार के लिये किये गए उपायों का भी उल्लेख उसमें किया गया था। इन उपायों को लागू किया जा रहा है। उत्पादन को बढ़ाने और इसकी राह में आने वाली अड़चनों को यथा शीघ्र दूर करने के लिए सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं। इससे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्य परिणामों में सुधार की आशा की जाती है। वास्तव में पिछले दो वर्षों की तुलना में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 1969-70 में (जिसका अन्तिम लेखा जोखा अभी तैयार नहीं है) काफी कम संख्या होने का अनुमान है।

(घ) अब तक किये गए अध्ययन के आधार पर 30 जून 1970 को फालतू कर्मचारियों का अनुमान (निकटतम सैंकड़े तक अनुमानित) और उन पर होने वाले खर्च का अनुमान (निकटतम लाख रुपयों तक) इस प्रकार है :—

	राउरकेला इस्पात कारखाना	भिलाई इस्पात कारखाना	दुर्गापुर इस्पात कारखाना
फालतू आदमी	1800	2300	200
फालतू श्रमिकों पर खर्च (लाख रुपये)	51	92	10

(ङ) सभी इस्पात कारखानों में बेकार पड़ी मशीनों की सम्मिलित अनुमानित लागत 350 लाख रुपयों से अधिक नहीं है जिसमें से दुर्गापुर स्थित कारखाने की मशीनों की लागत 158 लाख रुपये है।

(च) 30 जून 1970 को सरकारी इस्पात कारखानों में काम कर रहे विदेशियों की संख्या और परिलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

	विदेशियों की संख्या	किसी विदेशी को दी जाने वाली अधिकतम राशि
राउरकेला इस्पात कारखाना	68	9,489 रुपये
भिलाई इस्पात कारखाना	48	7,091 रुपये
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	शून्य	शून्य
मिश्र इस्पात कारखाना	शून्य	शून्य

विवरण

इस्पात कारखाना	लगाई गई पूंजी और घाटा			इस्पात पिण्ड के रूप में अधिष्ठापित क्षमता और 1970-71 में उत्पादन कार्यक्रम (अधिष्ठापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में)	
	31-3-69 तक लगाई गई पूंजी	31-3-69 को कुल घाटा	1968-69 में हुआ घाटा	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन कार्यक्रम (अधिष्ठापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में)
	दस लाख रुपये	दस लाख रुपये	दस लाख रुपये	हजार टन	प्रतिशत
राउरकेला इस्पात कारखाना	*3816.9	400.24	39.72	1800	83.33
भिलाई इस्पात कारखाना	*3806.5	296.79	113.53	2500	90.00
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	*2682.8	680.37	173.70	1600	68.75
मिश्र इस्पात कारखाना	*616.1	150.85	68.26	100	90.46

*इस कालम में दिये गये आंकड़े 31-3-1969 तक हुए कुल पूंजीगत व्यय के द्योतक हैं ।

Industries in Phulpur (Allahabad)

271. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a few years ago Government had decided to set up some industries and factories in Phulpur Tehsil across the Ganga in Allahabad ;

(b) if so, the action taken so far in this regard ; and

(c) if not, whether Government propose to set up some new industries or factories there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Replacement of Phaphamau Railway Bridge of Allahabad

*272. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of Railways be pleased to state

(a) whether the Phaphamau Railway bridge of Allahabad has been declared unsafe by the Engineers ; and

(b) if so, whether Government propose to construct some new and broad in place of that bridge ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise in view of the reply to (a) above.

उटाकमन्ड और कुन्नुर (दक्षिण रेलवे पर) के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलना

273. **श्री के० रमानी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे प्राधिकारियों ने नीलगिरि में उटाकमण्ड और कुन्नूर के बीच तीन और नियमित गाड़ियां चलाने की योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त गाड़ियां कब से चलाई जायेंगी ; और

(ग) उक्त गाड़ियाँ कितने यात्रियों को ले जा सकेंगी तथा उनके बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). पर्वतीय खंड आदि में यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए कुन्नूर और उटाकमंडलम के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव रेल प्रशासन के विचाराधीन है । जब तक यह जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक यह बताना सम्भव नहीं है कि कब और कितनी अतिरिक्त गाड़ियां चालू की जायेंगी ।

(ग) प्रत्येक गाड़ी में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता, पहले दर्जे में 20 सीटें और तीसरे दर्जे में 140 सीटें होंगी ।

कलकत्ता दक्षिण पूर्व रेलवे के शालीमार माल गोदाम में बाहर से आये हुए माल का भारी मात्रा में जमा होना

274. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के दिनों में कलकत्ता में दक्षिण पूर्व रेलवे के शालीमार माल गोदाम के बाहर से आया हुआ माल भारी मात्रा में जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे अन्य स्थानों पर खाली माल के डिब्बों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और उनकी उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) शालीमार शैड में कितने माल डिब्बों में माल इकट्ठा हो गया है ;

(घ) ये माल डिब्बे कितने समय से वहां खड़े हैं ; और

(ङ) वर्तमान स्थिति में सुधार करने और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां । जून, 1970 के मध्य से शालीमार माल गोदाम में बाहर से आया हुआ माल कुछ मात्रा में जमा हो गया है ।

(ख) जी, हां । शालीमार पर फिर से लादने के लिये खाली माल डिब्बों की उपलब्धता और अन्य स्टेशनों पर फिर से लदान के लिए उपलब्धता पर भी प्रभाव पड़ा ।

(ग) औसतन 89 माल डिब्बे भार शालीमार में प्रतिदिन रुका रहा जिसमें से 25% 72 घंटे से अधिक, 30% 48 से 72 घंटे तक और शेष 48 से घंटे तक कम रुका ।

(ङ) (1) स्थिति मे सुधार लाने के लिए नीचे लिखे उपाय किये गये :—

(क) माल छुड़ाने और हटाने में कमी और उसके फलस्वरूप माल का इकठ्ठा होना, चेम्बर्स आफ़ कामर्स एण्ड दी ट्रेड के नोटिस में लाया गया और शीघ्र माल छुड़ाने तथा हटाने की व्यवस्था करने की प्रार्थना की ।

(ख) कुछ माल डिब्बों को, जिन्हें परेषकों द्वारा खाली करना था, रेल श्रमिकों द्वारा खाली कराये गये जिससे माल डिब्बे मुक्त हो जायं ।

(ग) फुटकर माल से लदे अधिकतम माल डिब्बों को खाली करके गोदाम में माल भरा गया और इस प्रकार उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया ।

(घ) निकासी एजेंटों और अन्य पोषितियों से बारम्बार सम्पर्क स्थापित करके माल छुड़ाने और डिब्बों को शीघ्र मुक्त करने के लिए पहल की गई ।

(ङ) लोहे और इस्पात का सामान विशेष रूप से रुका पड़ा था, अतः शालीमार के लिए इस प्रकार के यातायात के बुकिंग पर 5 दिन के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया था ।

(11) दीर्घकालीन उपाय के रूप में, माल को जमा करने के लिए अधिक छतदार स्थान के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल में समाज-कल्याण परियोजनाओं को कार्यान्वित करना

275. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद, समाज-कल्याण परियोजनाओं को, जिसमें गन्दी बस्तियों का हटाया जाना भी शामिल है, कार्यान्वित करने में, यदि अब तक कोई प्रगति हुई है तो कितनी ;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) उनमें से कौन-कौन सी परियोजनाएं पूरी तरह केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और कौन-कौन सी परियोजनाएं केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही हैं और कौन-कौन सी परियोजनाएं केवल राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे यथासंभव सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

बिजली के सामान का उत्पादन

276. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री बलराज मधोक :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के बल्ब और ट्यूब लाइट बनाने का काम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने के लिए उपकरणों की सप्लाई

277. **श्री जे० मुहम्मद इमाम :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री धी० ना० देव : **श्री पीलू मोदी :**
श्री कृ मा० कौशिक : **श्री डा० म० संतोषम् :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री रा० बरुआ :**
श्री नंद कुमार सोमानी : **श्री रवि राय :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बोकारो स्टील लिमिटेड के महाप्रबंधक द्वारा 11 मई, 1970 को पटना में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड समयानुसार उपकरण सप्लाई नहीं कर रहा है जिसके फलस्वरूप बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में विलंब हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 11 मई, 1970 को पटना में एक पत्रकार सम्मेलन में एक प्रश्न के उत्तर में बोकारो स्टील लि० के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कहा था कि प्रायोजना के निर्माण में देरी होने के मुख्य कारण सामान्यतः इस का आकार और जटिलता है । उन्होंने यह भी कहा था कि इस देरी का एक मुख्य कारण देशीय स्रोतों से उपकरणों और माल की समय पर सप्लाई न होना भी है । पत्रकार सम्मेलन में हिन्दुस्तान स्टील लि० का कोई जिक्र नहीं किया गया था जिसने वास्तव में बोकारो स्टील लि० के लिए किसी भी तरह के उपकरणों के निर्माण/सप्लाई का काम नहीं लिया है ।

(ख) सरकार उन सभी कारणों से पूरी तरह परिचित है जिनका इस कारखाने का

समय पर पूरा करने पर प्रभाव पड़ेगा और समय-सारणी के अनुसार प्रायोजना की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

स्यालदह-डायमण्ड पत्तन रेलवे लाइन का काकद्वीप (पूर्व रेलवे) तक विस्तार

278. **श्री वि० कु० मोडक** : **श्री भगवान दास** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को यह सुझाव दिया गया है कि पूर्व रेलवे के स्यालदह डिवीजन की स्यालदह-डायमण्ड पत्तन रेलवे लाइन को काकद्वीप तक बढ़ाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). धन की कमी और यातायात सम्बंधी पर्याप्त औचित्य न होने के कारण रेलवे लाइन को काकद्वीप तक बढ़ाने के प्रश्न पर फिलहाल विचार करना सम्भव नहीं है।

मैसर्स आनन्द बाजार पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता

279. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स आनन्द बाजार पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनके अंशधारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक अंशधारियों के शेयरों का रुपयों में मूल्य कितना है ;

(घ) गत तीन वर्षों में वर्षवार, रुपयों में कितनी कुल तथा शुद्ध स्थायी परिसम्पत्ति थी ;

(ङ) गत तीन वर्षों में वर्षवार पत्रों की बिक्री से, रुपयों में, कितनी शुद्ध आय हुई ;

(च) क्या यह सच है कि शुद्ध आय की तुलना में कम्पनी की कुल परिसम्पत्ति बहुत अधिक है ; और

(छ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है, तो वह क्या है ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 30-8-1969 तक बनाई गई, वार्षिक विवरणों के अनुसार, मै० आनन्द बाजार पत्रिका, (प्रा०) लि० कलकत्ता, के निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्य थे :—

1. श्री अशोक कुमार सरकार
2. श्रीमती अलोक सरकार

3. श्री अतीक कुमार सरकार

4. श्री अरुण कुमार सरकार

(ख) तथा (ग). उनके हिस्सों की संख्या सहित कम्पनी के हिस्सेधारियों के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

हिस्सेधारियों के नाम	प्रत्येक द्वारा धारित हिस्से (प्रत्येक हिस्से का मूल्य 100 रु०)
1. श्री अशोक कुमार सरकार	10,602
2. श्रीमती अलोक सरकार	328
3. श्री वीरेन्द्र नाथ घोष	5
4. श्री अतीक कुमार सरकार	3,036
5. श्री अरुण कुमार सरकार	3,024
6. श्री अधीय कुमार सरकार	3,000
	19,995*

*इनमें, 19,995 वह हिस्से भी सम्मिलित है, जो 70 रु० प्रति हिस्से के हिसाब से आर्थिक प्रदत्त है।

(घ) कम्पनी को गत तीन वर्षों की स्थूल एवं शुद्ध स्थाई परिसम्पतियां निम्नांकित हैं :—

	1965-66	1966-67	1967-68
	रु०	रु०	रु०
संपूर्ण स्थाई परिसम्पतियां	72,28,547	75,04,971	81,14,189
शुद्ध स्थाई परिसम्पतियां	44,54,656	41,29,756	41,98,218

(ङ) कम्पनी की गत तीन वर्षों की बिक्री/मुख्य आय निम्न प्रकार है :—

	1965-66	1966-67	1967-68
बिक्री/मुख्य आय	1,19,34,799	1,28,74,323	1,13,82,879

(च) तथा (छ). कम्पनी के करों से पहले लाभ, इसकी 143.09 लाख रु० तथा 121.47 लाख रु० की परिसम्पतियों के मुकाबिले क्रमश: 1965-66 में 2.60 लाख रु० तथा 1966-67 में 3.82 लाख रु० की राशि के थे। कुल परिसम्पतियों के हिसाब से लाभ 1965-66 में 1.8 प्रतिशत तथा 1966-67 में 3 प्रतिशत बैठते हैं।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएं अधिनियम में त्रुटियां

2 0. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री निहाल सिंह :

क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय विधि बोर्ड के एक अध्ययन के अनुसार ("कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स" के हाल के अंक में) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएं अधिनियम में, जो कि जून 1970 के प्रथम सप्ताह से लागू हुआ है, अनेक त्रुटियां हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अधिनियम की एक बड़ी त्रुटि के कारण एकाधिकारी गृह अपनी गतिविधियों को बिना सरकार की अनुमति के बढ़ा सकते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उस अध्ययन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने उस पर पूरा ध्यान दिया है और यदि हां, तो, सरकार को उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). कम्पनी कार्य विभाग के एक अधिकारी द्वारा, "कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स" की वार्षिक संख्या 1970 में, एकाधिकार कानून पर एक लेख प्रकाशित किया गया था। लेख में व्यक्त किये गये विचार, पूर्ण रूप से एक लेखक के अपने व्यक्तिगत थे। लेख में, लेखक ने वर्णन किया है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं तथा सचिव व कोषाध्यक्ष के उन्मूलन हो जाने से, उन कम्पनियों का, जो पहले प्रबन्ध अभिकर्ताओं तथा सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा प्रबन्धित थी, परस्पर संबंध जानना कठिन हो सकता है। यह सत्य है कि उन्हीं प्रबन्ध अभिकर्ताओं तथा सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा प्रबन्ध, कम्पनी अधिनियम, की धारा 370 के अन्तर्गत कुछ प्रबन्ध के संबोध, तथा एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 2 (5) के अनुसार, उपक्रमों के मध्य परस्पर सम्बन्ध, को निर्धारण करने के लिए एक प्रत्यक्ष मानदंड था। प्रबन्ध अभिकर्ताओं तथा सचिव व कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उनके द्वारा भूतकाल में प्रबन्धित इन कम्पनियों के मध्य परस्पर संबंध, अन्य मानदंडों के अन्तर्गत स्थापित किया जायेगा, जो कुछ ब्यौरेवार अध्ययन अथवा जांच के बिना, विनिदेशात्मक रूप से लागू न हो सकेंगे। यह स्वरूप परीक्षान्तर्गत है व आवश्यकता होने पर कानून में उचित परिवर्तन करने पर भी विचार किया जा सकता है।

इस लेख का आशय यह सूचित करना नहीं है कि अधिनियम में, एक बड़ा छिद्र, एक एकाधिकारी गृह द्वारा सरकार की अनुमति के बिना, अपनी कार्यवाहियों को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाय। लेखक ने प्रकाश डाला है कि यदि अधिनियम के लागू होने से पहले, एक संख्या में कम्पनियों का एकीकरण हो जाता, तो एकीकरण की गई बड़ी कम्पनी, पहले की एकीकरण से पूर्व के लघु उपक्रम की तुलना में, लाभ में रहती, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में विस्तार के लिये, अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए 2 प्रतिशत की मात्रा से या इससे ऊपर की

परिसम्पतियां होना परिभाषित है। अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात्, एकीकरण धारा 23 के अन्तर्गत विनियमित होता है।

'कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स' संसद के पुस्तकालय को भेजा जाता है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता

281. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री भगवान दास :**
श्री वि० कुं० मोडक :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की गत तीन वर्षों में, वर्षवार प्रत्येक वर्ग के इस्पात की अधिष्ठापित क्षमता तथा उत्पादन कितना-कितना था ;

(ख) क्या उत्पादन में कोई कमी हुई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनका ध्यान श्री दिलीप मजूमदार, एम० एल० ए०, हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन के अध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने वहाँ की अनुशासनहीनता के आरोप का खंडन किया है ;

(घ) क्या उनका ध्यान दिलीप मजूमदार के हाल के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि परियोजना में काम करने वाले ब्रिटेन के इंजीनियर ने जानबूझकर वहां पुरानी मशीनें लगायी थीं ; और

(ङ) यदि हां, तो श्री मजूमदार द्वारा अपने वक्तव्य में उठाई गई बातों का ब्यौरेवार उत्तर क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें निर्धारित क्षमता और वर्गवार उत्पादन दिखाया गया है।

(ख) जी, हां। उत्पादन में कमी का मुख्य कारण अशांत श्रमिक सम्बन्ध है। जान-बूझकर वहां अनुपस्थिति, धीमी गति से काम करने की नीति, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा, अचानक काम बंद कर देना, घेराव और मजदूर संगठनों के पारस्परिक संघर्ष आदि के कारण उत्पादन में कमी हुई है। अन्य कारण ये हैं संधारण कार्य का काफी पीछे रह जाना, फालतू पुर्जों की अनुपलब्धि, भारी मरम्मत के काम आदि, जिन पर धीरे-धीरे काबू पाया जा रहा है।

(ग) और (घ). मैंने वह वक्तव्य देखा है जिसे हिंदुस्तान स्टील एम्पाइज यूनियन के प्रधान श्री दिलीप मजूमदार, एम० एल० ए० का बताते हैं और जो 1 जुलाई, 1970 के स्टेट्समैन अखबार में छपा है। इसके द्वारा कारखाने के अंदर होने वाली अनुशासन-हीनता के आरोप का खंडन नहीं होता परंतु बार-बार हड़ताल होने की बात का खंडन किया गया है और पुरानी मशीन के लगाये जाने का उल्लेख किया गया है। चाहे जो भी हो, यह कहना ठीक नहीं है कि पुरानी मशीनें लगाई गई हैं अथवा कारखाने के अन्दर अनुशासनहीनता नहीं है।

विवरण

(हजार टन)

वर्ग	अधिष्ठापित	उत्पादन		
	क्षमता	1967-68	1968-69	1969-70
ब्लूम और बिलेट	370	181.5	112.8	95.6**
मर्चेन्ट सेक्शन	240	146.7	158.5	168.3
संरचनात्मक	200	119.5	118.9	98.2
पहिए, धुरे और फिश प्लेटें	104	20.0	16.3	
स्लीपर	75	55.9	64.3	64.6
स्केल्प	250	—*	25.0	61.5
योग	1,239	523.6	495.8	488.2

*उत्पादन 1968-69 में प्रारम्भ हुआ। **इस्पात छड़ भी शामिल हैं।

टूंडला से दिल्ली तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण न किया जाना

283. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता से दिल्ली तक उत्तर रेलवे का प्रस्तावित विद्युतीकरण अब केवल टूंडला तक ही किया जायेगा और टूंडला से दिल्ली तक रेलवे लाइन की बजाय तमिलनाडु में किसी अन्य रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली तक रेलवे के विद्युतीकरण की योजना को, जो पहले ही स्वीकार हो चुकी है, स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं। शेष खण्ड अर्थात् टूंडला-दिल्ली खण्ड का विद्युतीकरण अभी भी विचाराधीन है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

कलकत्ता में उद्योगों के उत्पादन में कमी

284. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में कलकत्ता तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित कारखानों में उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कितनी कमी हुई है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे के माल डिब्बों तथा गोदामों में छुट-पुट चोरियां

285. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के माल डिब्बों तथा गोदामों में छुट-पुट चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी चोरियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां ।

(ख) रेलों पर उठाईगीरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(1) माल डिब्बों में लदे परेषणों से छेड़-छाड़ रोकने के लिए उन पर मुहर लगाई जाती है, रिवेट, ताले या ई० पी० ताले लगाये जाते हैं और निभार की व्यवस्था (टपकने योग्य परेषणों में) की जाती है ।

(2) चोरियों के स्थान का पता लगाने के लिये जाँच के प्रत्येक स्थान पर सील की जांच की जाती है ।

(3) रेलवे सुरक्षा दल द्वारा दिन रात यार्डों और मालगोदामों की निगरानी की जाती है ।

(4) बहुमूल्य वस्तुएं होने वाली गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल द्वारा अनुरक्षी व्यवस्था की जाती है ।

(5) जिन क्षेत्रों में, यार्डों/स्थानों में चोरी की आशंका रहती है उनमें रेलवे सुरक्षा दल द्वारा रेलवे सुरक्षा दल के कुत्तों के साथ या उनके बिना ही गश्त लगायी जाती है ।

( ) बदनाम स्थानों का पता लगाने के लिए विभिन्न रेलों पर स्टेशनों के घुने हुए जोड़ों पर एक पायलट योजना शुरू की गयी है जिसमें यानान्तरण स्थल भी शामिल है जहां ऐसे माल पर कड़ा पर्यवेक्षण किया जाता है जिसके बढ़ाने और उतारने में उठाईगीरी की आशंका रहती है ।

(7) अपराधियों का पता लगाने की दृष्टि से आसूचना इकट्ठी करने के लिए सारे लिबास में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं ।

(8) चोरी का माल रखने वालों के सम्बन्ध में आसूचना इकट्ठी करने के लिए विशेष खुफिया कर्मचारी रखे जाते हैं और उनकी दुकानों/गोदामों पर पुलिस की सहायता से छापे मारे जाते हैं ।

(9) अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अचानक छापे मारने के उद्देश्य से रेलों के अपराध आसूचना कर्मचारी और रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारी तैनात किए जाते हैं ।

(10) रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है ताकि अपराधियों और चोरी का माल रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके ।

(11) चोरी का माल रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाये जाते हैं और रेलवे सम्पत्ति (गैर-कानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत मामले दर्ज किये जाते हैं ।

दुर्लभ किस्मों वाले इस्पात का वितरण

286. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री रा० कृ० बिड़ला : **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री डा० सुशीला नैयर :**

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुर्लभ किस्मों वाले इस्पात के वितरण के लिए एक नई योजना बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). इस मन्त्रालय के दिनांक 22 मई, 1970 के संकल्प संख्या एस० सी० (1) 4 (19)/70 की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है । यह संकल्प भारत सरकार के उसी तारीख के असाधरण राजपत्र के भाग । खण्ड । में प्रकाशित हुआ था । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी०—3728/70]

रूरकेला में अप्रयुक्त धातु-कचरा

287. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला में उत्पादन आरंभ होने के समय से जमा हुए अप्रयुक्त धातु-कचरे की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) सीमेंट आदि के बनाने के लिये इस धातु-कचरे को प्रयोग में लाने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की क्या योजना है ; और

(ग) रूरकेला में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने में विलंब के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाने से निकलने वाले धातुमल के लिये अब तक मार्केट न होने के कारण कारखाने द्वारा उत्पादन आरम्भ करने के समय से लेकर जमा किये गये धातुमल के मूल्य का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० की सीमेंट निर्माण की कोई योजना नहीं है परन्तु वे धातु मल की बिक्री के लिये एक ऐसे सीमेंट निर्माता से करार कर रहे हैं जो एक स्लैग ग्रैनुलेशन संयंत्र स्थापित करेगा । दानेदार धातुमल सीमेंट बनाने के काम में लाया जायेगा ।

(ग) सीमेंट कारखाने के लगाने में देरी के कारण के बारे में हमें मालूम नहीं है । परन्तु यदि मानमीय सदस्य सीमेंट के निर्माण के लिये लगाये जाने वाले स्लैग ग्रैनुलेशन संयंत्र के लगाने में देर की ओर संकेत कर रहे हैं तो उसका कारण यह है कि राउरकेला के धातु मल में मैंगनीज की मात्रा अधिक होती है और इसलिये अब तक उसे सीमेंट निर्माण के लिये अपेक्षाकृत कम उपयोगी माना गया है । परन्तु अब गैर सरकारी निर्माता ने इसमें रुचि दिखलाई है और करार भी हो चुका है ।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन

288. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के मामले में सरजू प्रसाद आयोग के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या इस बारे में सरकार ने कानूनी सलाह प्राप्त की है और यदि हां, तो इसकी क्या आवश्यकता थी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ विधि मंत्रालय सहित विचार विमर्श के पश्चात उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 16 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के मामले पर श्री सरजू प्रसाद सिंह, जो जांच प्राधिकारी हैं, उनके प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त औद्योगिक उपक्रमों को निदेश जारी किया गया है ।

स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी बम्बई और हिंद गैलवेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड कलकत्ता द्वारा आयातित इस्पाती चादरों का उपयोग

289. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई तथा हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा आयातित इस्पाती चादरों के उपयोग के बारे में 21 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6924 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने इस बीच जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक पूरी हो जायेगी और असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सम्बद्ध सरकारी अभिकरण जांच-पड़ताल को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए पूरे प्रयत्न कर रहे हैं । फिर भी यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि कब तक यह जांच पूरी हो जायेगी ।

नये इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल

2910. **श्री सामिनाथन** :
श्री नारायणन :
श्री मयावन :
श्री दण्डपाणि :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रामचंद्र वीरप्पा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेलम, विशाखापतनम और होसपेट के तीन नये इस्पात संयंत्रों के लिये अपेक्षित कच्चे माल निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तीन विशेष समितियां गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन संयंत्रों के लिए सलाहकार नियुक्त करने का भी सरकार ने निर्णय किया है ;

(घ) क्या सेलम संयंत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का सरकार ने निर्णय किया है ;

(ङ) क्या सेलम पर पहले की रिपोर्ट पर तमिलनाडु सरकार ने आपत्ति की थी ; और

(च) यदि हाँ, तो क्या सरकार को सेलम पर पुनरीक्षित रिपोर्ट मिल गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) नये इस्पात कारखानों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता, उनकी उपलब्धि और तत्संबंधी ढुलाई की समस्याओं के अध्ययन के लिये विभिन्न समितियाँ बनाई है ।

(ख) तीन समितियाँ निम्नलिखित का अध्ययन करेंगी :—

(i) लौह खनिज

(ii) कोयला

(iii) लौह खनिज और कोयले को छोड़कर दूसरा कच्चा माल

इन समितियों में सम्बद्ध मन्त्रालयों, विभागों, भारतीय भूसर्वेक्षण संस्थान, मन्त्रालय के सलाहकार, रेलवे मंत्रालय, राज्य सरकारों आदि के प्रतिनिधि शामिल है ।

(ग) इन इस्पात कारखानों के लिये परामर्शदाताओं की नियुक्ति विचाराधीन है ।

(घ) सरकार का विचार तीनों नये इस्पात कारखानों की प्रायोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने का है । इन तीनों कारखानों में से कौन पहले लगाया जायेगा ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है ।

(ङ) और (च). जी, नहीं परन्तु उस रिपोर्ट में आज तक की जानकारी शामिल करने और वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर उसके पुनर्विलोकन करने की आश्यकता है । स्थल सम्बन्धी प्राथमिक निर्णय कर लेने के पश्चात शीघ्र ही इस काम को प्रारंभ किया जायगा ।

सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में उत्पादन

291. **श्री सामिनाथन :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री नारायणन : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयावन : **श्री नन्दकुमार सोमानी :**

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात संयंत्रों ने मई में लक्ष्य से बहुत कम उत्पादन होने की रिपोर्ट दी है ;

(ख) यदि हां, कम उत्पादन के मुख्य कारण क्या है ;

(ग) रूरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात संयंत्र में अलग-अलग कितना-कितना उत्पादन कम हुआ है ;

(घ) क्या इसका मुख्य कारण श्रमिक अशान्ति है ; और

(ङ) तीन इस्पात संयंत्रों में कम उत्पादन होने से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). जी, हां । जैसा कि निम्न सारणी से विदित है मई 1970 में रूरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात कारखानों का उत्पादन उनके लक्ष्यों से कम था :—

(टनों में)

कारखाने का नाम	मई 1970 में विक्रय इस्पात का उत्पादन		
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्यों की तुलना में अन्तर (प्रतिशत)
राउरकेला इस्पात कारखाना	83980	58644	(—) 30.2
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	54430	35570	(—) 34.7
भिलाई इस्पात कारखाना	146300	117206	(—) 19.9

उत्पादन में कमी के मुख्य कारण ये है :—

राउरकेला इस्पात कारखाना :

ग्रे आइरन फाउण्ड्री और स्टील फाउण्ड्री, ठण्डी बेलन मिलों, पावर प्लांट, ट्रैफिक विभाग आदि में अशांत श्रमिक स्थिति से कारखाने के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तीन स्ट्रिपर-यार्ड क्रेनों में से आधे महीने तक केवल एक ही क्रेन उपलब्ध थी। प्लेट मिल की टाप बैक-अप रोल भी टूट गई जिससे तीन दिन तक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना :

इस्पात पिघलने के कारखाने में लगातार श्रमिक झगड़ों के कारण धमन भट्टियों के परिचालन और परिणाम स्वरूप कोक भट्टियों के कार्य में बाधायें आई। दूसरे विभागों में भी विशेषतः ब्लूमिंग मिल, सैक्शन मिल और फिश-प्लेट संयंत्र में भी श्रमिक झगड़े चलते रहे।

भिलाई इस्पात कारखाना :

11 मई, 1970 को धमन भट्टियों में से एक का टैप-होल खराब हो गया। परिणाम स्वरूप 26 मई तक भट्टी बन्द रही। दूसरी धमन भट्टी की भारी मरम्मत हो रही थी। इस प्रकार 11 से 30 मई तक पांच धमन भट्टियों में से केवल तीन धमन भट्ठियां ही काम कर रही थीं।

(घ) और (ङ). ऊपर दिये गये ब्यौरे से यह स्पष्ट है कि जबकि भिलाई इस्पात कारखाने में मई 1970 में दुर्घटना के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों में श्रमिक झगड़ों के कारण उत्पादन कम हुआ। तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने तथा मालिक-मजदूर सम्बन्धों में सुधार करने के लिए कदम उठाये गये हैं उपरोक्त में श्रमिकों की जायज शिकायतों को दूर करने के लिये उनसे लगातार बातचीत करने, प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने और द्विपक्षीय परामर्शदातृ मशीनरी शुरुआत करने की व्यवस्था है।

निर्वाचन विधि का पुनरीक्षण

292. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री नि० रा० देवधरे :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन विधि में पुनरीक्षण के लिये सरकार से व्यापक सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) दो विवरण, जिनमें निर्वाचन आयोग की मुख्य सिफारिशें दी गई हैं, 24-2-1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर में सदन के पटल पर रख दिये गये थे।

(ग) सिफारिश की परीक्षा की जा रही है।

नारनौल रेलवे स्टेशन में आग लगाने के बारे में निर्णय

293. **श्री राम किशन गुप्ता** : क्या रेलवे मंत्री नारनौल तथा रिवाडी रेलवे स्टेशनों (पश्चिमी तथा उत्तरी रेलवे) पर आग लगाने के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में 2 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7769 के अत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारनौल में आग लगने के बारे में निर्णय प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार द्वारा मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश दिया गया था ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार से सलाह ली गई थी ; और

(ङ) क्या राज्य सरकारों को रेलवे परिसीमा अथवा रेलवे विशेषाधिकार के अन्तर्गत घटने वाली घटनाओं की जाँच करानें का अधिकार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) जी, हां।

चौथी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनें

294. **श्री राम किशन गुप्ता** : क्या रेलवे मंत्री चौथी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों के बारे में 31 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4612 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई रेलवे लाइनों के बनाने के बारे में योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) अभी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

दिल्ली से पठानकोट, अमृतसर, अहमदाबाद और फिरोजपुर तक राजधानी एक्सप्रेस चलाना

295. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री दिल्ली से पठानकोट अमृतसर, अहमदाबाद, फिरोजपुर तक राजधानी एक्सप्रेस चलाने की मांग के बारे में 28 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7767 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-अहमदाबाद और दिल्ली-बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का प्रश्न अब किस प्रक्रम पर है ; और

(ख) उक्त मार्गों पर यह गाड़ियां कब तक चलाई जायेंगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) दोनों ही मार्गों पर परीक्षण किये जा रहे हैं। इन परीक्षणों के पूरा होने में कुछ समय लगेगा।

(ख) इन गाड़ियों का चलाया जाना परीक्षणों के परिणाम और उनसे सम्बन्धित विभिन्न निर्माण कार्यों के पूरा होने पर निर्भर करता है। अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की जा सकती।

छोटी कार परियोजना

296. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री हुकम चंद कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री भारत सिंह चौहान : **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री यशवंत सिंह कुशवाह :**
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव पर पहली बार अलग-अलग किस वर्ष में विचार किया गया था ;

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों ने कितनी समितियों और आयोगों की नियुक्ति की है ; जिस अवधि में इन्हें स्थापित किया गया उसका ब्यौरा क्या है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगा और इन पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) इस प्रयोजना के लिये केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों ने कौन-कौन से शिष्ट-मंडल विदेश भेजे, जिस अवधि में इन्होंने विदेशों का दौरा किया उसका ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितना व्यय हुआ ; और

(घ) छोटी कार परियोजना की स्थापना के बारे में वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) छोटी कार परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1959 में प्रारम्भ किया गया था। श्री लक्ष्मी कांत झा की अध्यक्षता में मोटर गाड़ी की तदर्थ समिति की सिफारिशों पर निर्णय किए जाने की घोषणा करने के बाद सरकार अपने 6 सितम्बर 1960 के संकल्प में यह कहा

था कि कम लागत की कार बनाने के मामले को संभाव्य समझा गया, तो परियोजना सरकारी क्षेत्र में चलाई जाएगी । सरकार के इस निर्णय में परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ख) देश में कम लागत की कार बनाने की संभाव्यता की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक दो समितियों की स्थापना की है । ये हैं 8 अप्रैल, 1959 को स्थापित मोटर गाड़ी उद्योग की तदर्थ समिति जिसके अध्यक्ष श्री एल० के० झा रहे, जिसने जनवरी, 1960 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तथा अक्तूबर, 1960 में स्थापित कम लागत कार समिति जिसके अध्यक्ष श्री जी० पाडे रहे, जिसने जून, 1961 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । कम लागत कार समिति पर अनुमानत: 27,000 रु० खर्च किया गया था । मोटर गाड़ी उद्योग की तदर्थ समिति पर खर्च की गई राशि के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) छोटी कार परियोजना के सिलसिले में कोई शिष्टमण्डल विदेश नहीं भेजा गया ।

(घ) सरकार देश में छोटी कार परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । इस मामले पर शीघ्र ही अन्तिम रूप से निर्णय किए जाने की आशा है ।

इराक में रेलवे लाइन के निर्माण के लिये परियोजना प्रतिवेदन

297. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक में 400 किलोमीटर लाइन का क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने वाले रेलवे विशेषज्ञों के भारतीय दल का सर्वेक्षण पूरा हो गया है, यदि हां, तो परियोजना प्रतिवेदन में क्या शिफारिशें की गई हैं ;

(ख) क्या इस पर कोई चर्चा हुई है और इस में इस लाइन के लिये भारत सरकार द्वारा उपकरण देने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) कौन-कौन से उपकरण दिये जाने की संभावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) (क) से (ग). इराक में 400 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन से सम्बन्धित प्रारम्भिक व्यावहारिकता एवं लागत अध्ययन के बारे में विदेश व्यापार तथा रेल मन्त्रालयों की बातचीत इराक सरकार के शिष्ट-मण्डल के साथ एक 1 जनवरी, 1970 को हुई थी । इस बातचीत के फलस्वरूप यह तय पाया गया कि अध्ययन का कार्य इस काम के लिए प्रतिनियुक्त किये जाने वाले भारतीय रेलवे दलों द्वारा दिया जायेगा । आशा है, अध्ययन शीघ्र पूरा हो जायेगा । इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर जब कभी यह प्रायोजना शुरू की जावेगी तो इसके कार्यान्वयन में भारत द्वारा और आगे भाग लेने के प्रश्न पर सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा विचार किया जायेगा ।

मुद्रण मशीनों का निर्माण

298. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री न० ता० दास :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में मुद्रण मशीनों का निर्माण करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) मुद्रण मशीनें कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ; और

(ग) क्या उक्त मशीनों का आयात करने की तब तक अनुमति दी जाती रहेगी जब तक देश में ऐसी मशीनें उपलब्ध नहीं हो जाती ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) तथा (ख). सरकारी क्षेत्र में सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के 300 लाख रुपये की अत्यन्त जटिल मुद्रण मशीनों के उत्पादन के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। यह क्षमता उत्पादन प्रारम्भ करने के 5 साल में प्राप्त की जायेगी। इस आशय के लिये परियोजना प्रतिवेदन हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के उपक्रम, स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन द्वारा प्रति वर्ष 108 लाख रुपये के मूल्य की मुद्रण मशीनें निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है। इस योजना के अन्तर्गत यह क्षमता उत्पादन प्रारम्भ होने से 4 वर्ष में प्राप्त की जायेगी।

(ग) जी, हां।

केरल में कुट्टीपुरम-त्रिचूर से गुरुवयर तक रेलवे लाइन

299. **श्री इ० के० नायनार :**
श्री प० गोपालन :
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल की जनता से कुट्टीपुरम-त्रिचूर में रेलवे लाइन बनाकर प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान गुरुवयर को भारत की रेल प्रणाली से सम्बद्ध करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार प्रस्तावित रेलवे लाइन बनाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). धन की कमी और यातायात सम्बन्धी पर्याप्त औचित्य न होने के कारण निकट भविष्य में गुरुवयर को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन के निर्माण के प्रश्न पर विचार करना सम्भव नहीं है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा मलयेशिया में पुर्जे जोड़ने वाले संयंत्र की स्थापना

300. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री उमानाथ :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड मलयेशिया में संयुक्त उद्यम के रूप में एक ऐसा कारखाना खोलने जा रहा है जहां पुर्जे जोड़ने का कार्य किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). अपने उत्पादों के निर्यात के लिए दक्षिण-पूर्वी एशिया की प्रभावशाली मण्डियों का अध्ययन करना हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के निर्यात में वृद्धि करने के प्रयासों का अंग है और वह दक्षिण-पूर्वी एशिया के किसी एक देश में केन्द्र खोलने की आर्थिक रूप से जीव्यता पर विचार कर रहा है।

(ग) सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि अध्ययन अभी तैयार किया जा रहा है।

इस्पात बिलेट बनाने के लिए फेरोक्का के मेसर्स स्टील कम्पलेक्स लिमिटेड को औद्योगिक लाइसेंस देना

301. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री उमानाथ :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री पी० गोपालन :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फेरोक्का (कालीकट) के मेसर्स स्टील कम्पलेक्स लिमिटेड को इस्पात बिलेट बनाने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) फर्म के प्रायोजकों के नाम क्या हैं और उसमें सरकार का कितना भाग है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) औद्योगिक विकास मन्त्रालय ने 24 जुलाई 1970, को मेसर्स स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, फेरोक्का

(केरल) को विद्युत-चाप भट्टी-एक-निरन्तर ढलाई प्रक्रिया से इस्पात बिलेट तैयार करने के लिए केरल राज्य में कालीकट के स्थान पर एक नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए आशय-पत्र जारी किया था। यदि फर्म आशय-पत्र में दी गई सभी शर्तों को पूरा कर देगी तो आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया जाएगा।

(ख) फर्म का प्रति वर्ष 50,000 टन साधारण, मीडिम कार्बन और स्प्रिंग स्टील बिलेट तैयार करने का विचार है।

(ग) मेसर्स स्टील कम्पलेक्स लिमिटेड का प्रार्थना-पत्र केरल औद्योगिक विकास निगम ने भेजा है। कम्पनी का विचार 2 करोड़ रुपये की अंश पूंजी लगाने का है जिसमें से केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम के 50 लाख रुपये के ईक्विटी शेयर होंगे।

चौथी योजना में इस्पात संयंत्र की स्थापना

302. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री अद्वाकर सूपकार :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रवि राय :
श्री देवकी नंदन पाटोदिया :
श्री दे० अमात :
श्री रा० बरुआ :
श्री अदिचन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ई० के० नायनार :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में देश में स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयंत्रों के लिए स्थलों के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उड़ीसा ने भी उस राज्य में एक इस्पात संयंत्र के स्थापित किये जाने की मांग की है और यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जैसा कि 17 अप्रैल, 1970 को प्रधान मन्त्री ने लोक सभा में घोषित किया था तीनों नये इस्पात कारखानों का कार्य, जिनमें से एक विशाखापत्तनम के तटीय क्षेत्र में, एक मैसूर राज्य के हौस्पेट में और एक तमिलनाडु के सलेम में होगा, चौथी योजना-काल में ही प्रारम्भ हो जायेगा।

(ग) जी, हां। परन्तु हमारे स्रोतों—आर्थिक और तकनीकी दोनों—के सीमित होने के कारण सभी स्थलों का एक साथ फायदा उठाना संभव नहीं हो सका है। देश की अर्थव्यवस्था में तीव्र प्रगति होने से, जिसकी अब व्यवस्था की गई है, इस्पात की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करनी पड़ेगी। इसलिए भावी योजना अवधियों में सभी उपयुक्त स्थलों पर, जिनमें उड़ीसा के स्थल भी शामिल है, विचार किया जायेगा।

समाजवादी कार्यक्रम शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन

303. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्वीकृत समाजवादी कार्यक्रम को संविधान में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु विधान लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). गोलक नाथ वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, संसद् को संविधान के भाग 3 के किसी उपबन्ध को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 368 को संशोधित करने के सम्बन्ध में नाथपाई का विधेयक आजकल उसी रूप में संसद् के सामने है जिस रूप में वह संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किये जाने के बाद वापस आया है। जब तक यह विधेयक पारित नहीं हो जाता और उच्चतम न्यायालय का पूर्वोक्त निर्णय उस न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता, तब तक सरकार के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए ऐसा संशोधन आवश्यक समझे जाने पर भी ऐसा कोई विधान लाना सम्भव न होगा, जिसका आशय संविधान के भाग 3 के किसी उपबन्ध को संशोधित करना हो।

दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए उत्तर भारत के लोगों को वापसी टिकट जैसी सुविधा

304. **श्री एन० शिवप्पा** :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में पहाड़ी स्थानों के लिए वापसी टिकट जारी किये जाते हैं ;

(ख) क्या दक्षिण भारत जाने के लिये उत्तर भारत के लोगों को यह सुविधा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) रेलें प्रति वर्ष 1 अप्रैल से 31 अक्तूबर तक इकहरी यात्रा का डेढ़ गुना किराया लेकर उन सभी स्टेशनों से निम्नलिखित पहाड़ी स्टेशनों तक रियायती वापसी टिकट जारी करती हैं जहां से प्रभार्य दूरी 240 किलोमीटर अथवा इससे अधिक होती है :—

पठानकोट, शिमला, सोलन, धर्मपुर (पंजाब), देहरादून, काठगोदाम, दार्जिलिंग, कुर्सियांग, शिलांग आउट ऐजेंसी (गुवाहाटी और पण्डू द्वारा संचित), आबू रोड, पिपरिया,

उदकमंडलम्, कुनूर, कोडेकेनाल, आउट एजेंसी (कोडेकेनाल-रोड द्वारा संवित), कोटागिरि आउट एजेंसी (मैट्टुय.लयम), मसूरी आउट एजेंसी (देहरादून द्वारा संवित), नैनीताल-आउट एजेंसी (काठगोदाम द्वारा संवित), बैजनाथ पपरोला, पालमपुर (पंजाब), ज्वाला-मुखी रोड, नगरोटा जोगिन्दर नगर, कालिम्पोंग आउट एजेंसी (सिली गुड़ी जंकशन द्वारा संवित) और डलहोजी आउट एजेंसी (पठानकोट द्वारा संवित)।

इसके अलावा, इसी अवधि में केवल कुछ चुने हुए स्टेशनों से श्रीनगर के लिए भी रेलवे के भाग के लिए इकहरी यात्रा का 1½ गुना किराया लेकर और सड़क यात्रा का पूरा किराया लेकर रियायती रेल एवं सड़क यात्रा टिकट जारी किये जाते हैं।

(ख) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन उपर्युक्त (क) के उत्तर से स्पष्ट है कि पहाड़ी स्टेशनों के रियायती वापसी टिकट जारी करने के प्रयोजन के लिए दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण स्टेशनों, अर्थात् उदकमण्डलम, कुनूर, कोडैकेनाल आउट एजेंसी और कोटागिरि आउट एजेंसी (मैटटुयालयम) को पहले से ही मान्यता प्राप्त है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुये सवाल नहीं उठता।

नई दिल्ली के ओबराय इन्टरकांटिनेंटल होटल में आगन्तुकों को शराब परोसना

305. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री मीठालाल मीना :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में ओबराय इंटरकांटिनेंटल होटल में आगन्तुकों को शराब परोसने पर कोई पाबन्दी नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में सरकारी क्षेत्र के होटलों में भी ऐसी सुविधायें देगी ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे औद्योगिक कारखानों का विलय

306. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एल० एम० बिड़ला ने अधिक उत्पादन के लिए छोटे औद्योगिक कारखानों का विलय करने की दलील दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसपर सरकार की क्या प्रति-क्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अस्पृश्यता बरतने पर दण्ड में वृद्धि

307. **श्री वे० कृ० दास चौधरी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल के राज्य हरिजन कल्याण सलाहकार बोर्ड ने सरकार से अस्पृश्यता बरतने पर दण्ड को बढ़ा कर पांच वर्ष का कारावास तथा 500 रुपये का जुर्माना करने की मांग की है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्तावित दण्ड को अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम में सम्मिलित करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) और (ग). अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डों को बढ़ाने के लिए उसमें संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है।

भारतीय रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ के लिये अन्तरिम सहायता की मांग

308. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ की कार्य समिवि ने मांग की है कि वेतन आयोग की सिफारिशों की उसी दिन से कार्यान्वित किया जाय जिस दिन से इस आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई है ;

(ख) क्या इस समिति ने 30 जून से अन्तरिम सहायता दिये जाने की मांग वेतन अधिकारों के आधार पर की है केवल जीवन निर्वाह लागत के आधार पर नहीं ;

(ग) क्या इस समिति ने यह भी मांग की है कि वेतन निर्धारण का आधार आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन होना चाहिए और आयोग में मजदूर वर्ग का एक प्रतिनिधि सम्मलित किया जाना चाहिये ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त मांगों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). जी हाँ। ये माँगें 10 मई, 1970 को हुई नेशनल फैडरेशन आफ इन्डियन रेलवे मैन की कार्यकारिणी की बैठक में पास किये गये प्रस्ताव में दी गयी हैं। चूंकि वेतन आयोग की नियुक्ति और उसके विचारार्थ विषयों का सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से है इसलिए यह प्रस्ताव आवश्यक कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया।

बाद में सरकार ने वित्त मंत्रालय के 4 जून, 1970 के प्रस्ताव सं० एफ-7 (25)-ई-(III)(ए)/69 के जरिए वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में परिवर्तन कर दिया है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में विदेशी विशेषज्ञ

309 **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कितने विदेशी तकनीशन हैं और निःशुल्क सुसज्जित आवास, कार तथा अन्य परिलब्धियों सहित उनको कितना अधिकतम वेतन मिलता है तथा बाजार दर पर उनका मूल्य कितना है ;

(ख) सीधे अथवा विदेशी विशेषज्ञों के अधीन कुछ प्रशिक्षण के पश्चात् भारतीय तकनीशनों द्वारा ऐसे कितने पद भरे जा सकते थे ; और

(ग) विदेशियों द्वारा किये जा रहे ऐसे सभी पदों के कार्य को पूर्णतः भारतीयों द्वारा लिये जाने में कितना समय लगेगा ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस समय कोई नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सामान्य सिविल संहिता

310. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री वे० कु० दास चौधरी :**
श्री क० लकप्पा :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर धर्म, जाति अथवा पंथ का कोई विचार किये बिना सम्पूर्ण देश के लिये एक समान सिविल संहिता बनाने के लिये दबाव डाला गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी और इस पर कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक सामान्य सिविल संहिता के अधिनियम के लिए समय-समय पर प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है। चूंकि समाज के विभिन्न वर्ग इस विषय पर एक मत नहीं हैं, इसलिये सरकार का विचार अभी कोई कार्यवाही करने का नहीं है।

क्षेत्रीय रेलवे के वित्तीय सलाहकारों तथा मुख्य लेखा अधिकारियों का सम्मेलन

311. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री मं० सुदर्शनम :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** रेलवे व्यय में कमी करने और आय को बढ़ाने के तरीकों पर विचार करने के लिए मई, 1970 में नई दिल्ली में वित्तीय सलाहकारों तथा मुख्य लेखा अधिकारियों का एक दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । रेलवे के वित्त सलाहकारों तथा मुख्य लेखा अधिकारियों का सम्मेलन मई, 1970 में हुआ था । इस सम्मेलन की कार्यसूची के अन्य व्यावसायिक विषयों में रेलवे के खर्च में किफायत और रेलवे राजस्व को बढ़ाने के उपायों से सम्बन्धित एक विषय भी था ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 3729/70]

केन्द्रीय विशेषज्ञ दल द्वारा हल्दिया औद्योगिक समूह का दौरा

312. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय विशेषज्ञ दल ने हल्दिया औद्योगिक समूह का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो दौरे का क्या प्रयोजन था और क्या उस दल द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) कुछ दलों ने हल्दिया क्षेत्र के पतन विकास अथवा विशेष प्रकार के उद्योगों की स्थापना के निमित्त सर्वेक्षण किया है । केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञों का कोई दल हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र का सर्वांगीण अध्ययन और परीक्षण करने के लिये नहीं भेजा गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस्पात प्राथमिकता समिति का गठन

313. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई इस्पात प्राथमिकता समिति में प्रत्येक उद्योग का प्रतिनिधित्व किया जायेगा ; और

(ख) इस समिति के कार्य क्या होंगे तथा यह किस प्रकार कार्य करेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस्पात प्राथमिकता समिति का कार्य मुख्य उत्पादकों से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस्पात के प्रेषण को प्राथमिकता देना है। जहां तक इसके कार्य करने के ढंग का सम्बन्ध है प्राथमिकता प्रदान करने के लिए उपयुक्त और विस्तृत फार्म तैयार किये गये हैं और मांग कर्त्ताओं द्वारा ऐसी मांगों को सयुक्त संयंत्र समिति के माध्यम से इस्पात प्राथमिकता समिति को भेजने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। संयुक्त संयंत्र समिति इन मांगों को इस्पात प्राथमिकता समिति को समेकित रूप में भेजेगी। फिर इन पर इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा विचार किया जायेगा और निर्णय लिया जायेगा। तत्पश्चात संयुक्त संयंत्र समिति निर्णयों के बारे में प्रायोजक प्राधिकारियों/मांगकर्त्ताओं को सूचित करेगी और प्रमुख इस्पात कारखानों को प्रत्येक अवधि के लिए उत्पादन और प्रेषण के लिए अलग से सूचित करेगी।

कच्चे माल के आयात के लिये आवेदन पत्र

314. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े उद्योगों और तकनीकी विकास के महानिदेशालय के रजिस्टरों में पंजीकृत उद्योगों द्वारा कच्चे माल के आयात के सम्बन्ध में दिये गये आवेदन पत्रों पर उनकी उत्पादन क्षमता तथा खपत के आधार पर विचार किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लघु उद्योगों द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों पर केवल मशीनों के मूल्य के आधार पर विचार किया जाता हैं ;

(ग) यह भेदभाव क्यों अपनाया गया है जबकि लघु उद्योग के अनिवार्यतः श्रम प्रधान उद्योग की मान्यता दी गई हैं ; और

(घ) क्या सरकार लघु उद्योग को खपत के आधार पर भी आयात करने की अनुमति देगी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के मामले में जिनका उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के सूचनांक का 75 प्रतिशत बैठता है, कच्चे माल, उपकरणों तथा फालतू पुर्जों के लिए आयात नीति आवश्यकता के आधार पर बनाई गई है। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के उत्पादन में लगे हुए औद्योगिक एकक चाहे वे बड़े हैं अथवा लघु अपनी आवश्यकता के आधार पर आयातित कच्चा माल प्राप्त करते हैं।

प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के अतिरिक्त उद्योगों के मामले में, दोनों बड़े और लघु क्षेत्रों में, कच्चे माल के आयात की अनुमति उपयोग में लाये गये कच्चे माल की मात्रा को पूरा करने के आधार पर अर्थात आयात नीति में निर्दिष्ट सीमा तक विगत लाइसेंसों के प्रयोग के आधार पर दी जाती है।

कच्चे माल के बैंक की स्थापना

315. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ब्रिटिश मिशन ने, जिसने हाल में माल तैयार करने वाले कारखानों की आवश्यकताओं तथा उनकी निर्माण-क्षमता का सर्वेक्षण किया था, देश में कच्चे माल के बैंकों की स्थापना करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या इसे सरकार का समर्थन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या आयातित माल का आवंटन आवश्यकत अथवा कुछ अन्य कसौटी के आधार पर किया जायेगा अथवा किन्हीं अन्य कसौटियों का अनुसरण किया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार सिफारिश पर विचार कर रही है।

(ग) आपूर्ति की उपलब्धि तथा उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने की मांग की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आयातित मालों के कोटे के आवंटन का निर्धारण करना पड़ेगा।

राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद के द्वारा लौह तथा इस्पात वाले क्षेत्र का पता लगाना

316. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद ने भारत में लोहा तथा इस्पात वाले क्षेत्र का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्रों का पता लगाया गया है और उन क्षेत्रों का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों के विकास के लिये समग्र साधनों में से परिवहन तथा संचार को एक साधन के रूप में माना गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों की मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं और देश में लोह तथा इस्पात क्षेत्र का विकास तथा विदेहन करने हेतु परिवहन और संचार की व्यवस्था करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ-शास्त्र अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में लोहा तथा इस्पात के क्षेत्रों का पता लगाये जाने के बारे में मन्त्रालय को कोई जानकारी नहीं है । फिर भी, परिषद से इसकी पुष्टि करने के लिए पूछा जा रहा है ।

Dependence of Industries on Foreign Collaboration

317. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Council of Engineers of India, at its session held recently in Srinagar, has expressed its serious concern over the fact that the public and private sectors are depending too much upon foreign collaboration and advice in the matter of establishment of engineering plants ;

(b) whether it is also a fact that the Council is of the opinion that this type of dependence on foreign countries has resulted in demoralisation of Indian Engineers, aggravation of unemployment situation and heavy losses to the plants themselves and that the names of Bokaro Steel Plant, Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Hardwar and Minning and Allied Machinery Corporation are worth mentioning in this connection ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto and the details of the steps taken by Government in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). Government are aware of the Press Report which appeared sometime back in this regard.

(c) Government are of the view that such criticism is not justified. The problem of flow of technical know-how has to be viewed in the context of developments that has already taken place in India and technological gaps that still exist in Indian industry. It has been Government's policy not to encourage foreign collabolation and foreign consultancy in industries where requisite and suitable know how and technology is indigenously available. While the basic policy in respect of foreign collaboration remains broadly the same as in previous years, considerable reorientation has been brought about, keeping in view the strong industrial base that has been set up in the country and the need for development of indigenous research and technology. Not only is greater selectivity now being exercised in the matter of approval of foreign collaboration proposals, but specific guidelines have also been laid down. Technical collaboration agreements are now usually approved for a period of 5 years from commencement of production, both so as to ensure the absorption of such know-how by Indian

units as early as possible and also to encourage the establishment of adequate R and D facilities by Indian manufacturing units. With a view to ensuring maximum possible utilisation of Indian consultancy services, import of foreign consultancy is permitted only in those fields where Indian consultancy services are not available. Where foreign consultancy is also required in addition to Indian consultancy, a condition is stipulated that the Indian consultants should also be associated with such projects and, as a rule be the primary agency employed for consultancy.

रंगिया जंक्शन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) पर डिवीजनल कार्यालय की मांग

318. **श्री हेम बरुआ : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में रंगिया के नागरिकों की ओर से एक शिष्टमण्डल ने मन्त्री महोदय से उनके गोहाटी के दौरे के समय भेंट की और उन्हें रंगिया में रेल-डिवीजन की मांग से अवगत कराया ; और

(ख) यदि हां, तो मन्त्री महोदय की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी हां।

(ख) सम्भवत: 2 अक्तूबर, 1971 से रंगिया में एक नया मंडल कार्य करना शुरू कर सकता है बशर्ते असम सरकार द्वारा समय पर उपयुक्त भूमि उपलब्ध कर दी जाये।

डिबरूगढ़ को बड़ी रेलवे लाइन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे)

319. **श्री हेम बरुआ : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की बड़ी लाइन को डिबरूगढ़, आसाम तक बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). बोंगाई गांव-गुवाहाटी मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव आमान परिवर्तन पर रेलवे की संदर्शी योजना में शामिल कर लिया गया है जो आगामी दस वर्षों या इसके लगभग समय में क्रियान्वित किया जायेगा। इस बदलाव के लिए पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका है और उसकी रिपोर्ट फिलहाल रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है। जांच-पड़ताल का काम पूरा हो जाने के बाद बदलाव के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा। इस खण्ड का वास्तविक बदलाव इस निर्माणकार्य के गुणदोष के आधार पर दी जाने वाली अग्रता के साथ बदलाव के अन्य प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए इस काम के लिये धन की उपलब्धता पर निर्भर है। फिलहाल बड़ी लाइन को डिबरूगढ़ तक बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पहले बड़ी लाइन की गुवाहाटी तक बढ़ाने के सम्बन्ध में विनिश्चय किये जाने के बाद ही इस विषय पर विचार किया जायेगा।

साइकिल की कीमतों में वृद्धि

320. **श्री हेम बरुआ : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने साइकिल निर्माताओं को साइकिलों की कीमतों में वृद्धि न करने के बारे में चेतावनी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो यह चेतावनी कब दी गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने साइकिलों की कीमत में वृद्धि की मंजूरी दे दी है ; और

(घ) यदि हां, तो चेतावनी को वापिस लेने तथा साइकिलों की कीमत में वृद्धि की मंजूरी देने के लिये सरकार पर दबाव डालने वाले कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). मई, 1969 में उद्योगे को सचेत किया गया था कि सरकार से पूर्व विचार विमर्श किये बिना मूल्य-वृद्धि न करे ।

(ग) जून, 1970 में साइकिलों में वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी ।

(घ) साइकिलों के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति :

(i) वित्त मन्त्रालय की लागत लेखा शाखा की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरान्त तथा

(ii) खरीदे जाने वाले उपकरणों के मूल्यों में हुई वृद्धि तथा कच्चे मालों जैसे इस्पात, एक नियंत्रण मुक्त वस्तु, निकल आदि को ध्यान में रखने के उपरान्त दी गई थी ।

मताधिकार के लिए निर्धारित आयु में कमी

321. **श्री हेम बरुआ :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री यमुना प्रसाद मन्डल :
श्री रवि राय :
डा० सुशीला नैयर :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री जगन्नाथराव जोशी :
श्री शारदानंद :
श्री सूरज भान :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन में 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को हाल ही में दिये गये मताधिकार के बारे में ध्यान दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने अमरीकी सरकार के अमरीका के 18 वर्ष की आयु वाले नागरिकों को इसी प्रकार का अधिकार देने के प्रस्ताव पर ध्यान दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की मताधिकार के लिए 21 वर्ष की निर्धारित आयु को घटा कर 18 वर्ष करने की कोई योजना है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जी, नहीं । सरकार का यह विचार नहीं है कि इस समय इस निमित्त कोई परिवर्तन करना आवश्यक है ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा उद्योगों में अस्वीकृत क्षेत्रों से स्वीकृत क्षेत्रों में स्थानांतरण में देरी

322. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **औद्योगिक विकास** तथा **आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से यह पता लगा है कि दिल्ली प्रशासन के उद्योगविभाग के आत्मसन्तोष के कारण से उद्योगों के अस्वीकृत क्षेत्रों से स्वीकृत क्षेत्रों में स्थानान्तरण में देरी हुई है ;

(ख) क्या विभाग उन उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका है, जिन्होंने विभाग द्वारा दिये गये ऋणों को ऋण की शर्तों में उल्लिखित स्थानों की बजाये अन्य स्थानों पर लगाया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आगरा मध्य रेलवे के समीप इथम और फराह के बीच एक मालगाड़ी के डिब्बों का दुर्घटनाग्रस्त होना

323. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में आगरा के समीप इथम और फराह के बीच 15 जून, 1970 को एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गये ;

(ख) यदि हाँ, तो पटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस घटना के कारणों की जांच कराई गई है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). 15-6-70 को जब नं० 1/30 अप मालगाड़ी फरा स्टेशन की अप लूप लाइन पर होकर जा रही थी तो इस गाड़ी के चार मालडिब्बे पटरी से उतर गये जिनमें से एक माल डिब्बा उलट गया ।

(ग) जी हां । जांच समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है । जाहिरा तौर पर यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

बिलेटों की माँग तथा पूर्ति

324. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिलेटों की मांग तथा सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है तथा वर्ष 1968 और 1969 में इनकी कितनी मांग अपूर्ण रही ;

(ख) चालू वर्ष में सप्लाई कितनी कम है तथा इन प्रत्येक वर्षों में बिलेटों का कितना निर्यात किया गया अथवा किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) बिलेटों के निर्यात को जारी रखने के क्या कारण हैं जबकि देश की इतनी अधिक आन्तरिक मांग अपूर्ण रह जाती है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1966 में तकनीकी निर्धारण समिति ने रजिस्टर्ड बिलेट री-रोलर्स की 2 पारियों की क्षमता 28 लाख टन वार्षिक आंकी थी। वर्ष 1968 और 1969 में बिलेट के प्रमुख उत्पादकों का बिक्री के लिए बिलेट का उत्पादन क्रमशः 9.2 और 8.3 लाख टन था।

(ख) और (ग). वर्ष 1970-71 में बढ़िया किस्म के बिलेट का उत्पादन 7.0 लाख टन होने की संभावना है। यह निश्चय किया गया है कि इसमें से केवल 60,000 टन तक बिलेट के रूप में निर्यात करने के लिये रख जायं। यह पिछले वायदों को पूरा करने तथा पड़ौसी देशों को निर्यात करने के लिए किया जायेगा ताकि उनके साथ हमारे मित्रतापूर्वक सम्बन्ध बने रहें। वर्ष 1968-69 और 1969-70 में बिलेट का निर्यात क्रमशः 109,168 टन और 35,957 टन था।

पंजाब तथा हरियाणा में गेहूँ के परिवहन के लिए वैगनों की कमी

325. **श्री हिम्मतसिंहका** :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष मई और जून में पंजाब तथा हरियाणा में गेहूं वसूली अभियान को वैगनों की कमी के कारण हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक महीने में इस कार्य के लिए कितने वैगनों की आवश्यकता थी और उनकी वास्तव में कितने वैगन उपलब्ध कराये गये थे ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित वैगनों की कमी के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). जी नहीं। भारत के खाद्य निगम ने मई और जून के महीनों के लिए बड़ी लाइन के 33,080 मालडिब्बों और मीटर लाइन के 2268 माल-डिब्बों का कार्यक्रम बनाया था जब कि वास्तव में बड़ी लाइन के 39959 माल डिब्बे और मीटर लाइन के 3440 माल डिब्बे भेजे गये।

(ग) सवाल नहीं उठता।

मोटरगाड़ी उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

326. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनाँक 25 जून, 1970 को कलकत्ता में हुई मोटरगाड़ी उद्योग संघ की

वार्षिक बैठक में तत्कालीन औद्योगिक विकास मन्त्री के भाषण में जो कि उनकी अनुपस्थिति में पढ़ा गया था, मोटर गाड़ी उद्योग की निराशाजनक उत्पादन के लिए भर्त्सना की गई थी ;

(ख) क्या वर्ष 1968, 1969 और 1970 में अब तक इस उद्योग की विभिन्न पदों का उत्पादन इसकी अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम हुआ है, यदि हां, तो कितना ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा क्षमता के अनुसार उत्पादन कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) जी हां। तत्कालीन औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री ने निर्माताओं का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया था कि उद्योग को इष्टतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सहायता देने के बावजूद भी व्यापारिक वाहनों का उत्पादन निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक कम हुआ है।

(ख) 1968, 1969 तथा 1970 में व्यवसायिक वाहनों को क्षेत्र में विभिन्न ओटोमोबाइल निर्माताओं की निर्धारित क्षमता तथा उत्पादन निम्नलिखित हैं :—

क्रम सं०	निर्माता का नाम	प्रतिवर्ष निर्धारित क्षमता (नगों में)	उत्पादन (प्रतिवर्ष नग)		
			1968	1969	1970 (जनवरी से जून)
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि० कलकत्ता	15,000	1981	1755	653
2.	मेसर्स प्रीमियर ओटोमोबाइल लि०	9,000	3355	3563	2140
3.	मेसर्स स्टैण्डर्ड मोटर प्राडक्ट्स आफ इण्डिया लि०	1,500	448	421	158
4.	मेसर्स अशोक लीलेंड लि०	6,000	4390	4716	2601
5.	मेसर्स महिन्द्र एण्ड महिन्द्र लि०	2,000	—	1483	568
6.	मेसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि०	24,000	21,669	20497	11981
7.	मैसर्स बजाज टेम्पो लि०	4,000	2,924	2578	1890
		56,500	34,767	35013	19991

(ग) कम उत्पादन रहने का मुख्य कारण यह है कि व्यवसायिक वाहनों की मांगें, विशेषकर कुछ मेकों की, आशानुरूप नहीं बढ़ी। तथापि, निर्माताओं को उनके उत्पादन को अधिकतम करने के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है ?

आसनसोल नगर पालिका को कर की कथित अदायगी न किया जाना

327. **श्री देवेन सेन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने आसनसोल नगरपालिका की कई मदों पर लगभग दो लाख रुपये देने हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारी आसनसोल नगरपालिका को शिक्षा-कर नहीं दे रहे हैं यद्यपि नगरपालिका रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए पांच प्राथमिक स्कूल चल रही है ; और

(ग) तुरन्त अदायगी के लिए क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि नगरपालिका को धन के अभाव के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी नहीं। वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर 1970-71 की दूसरी तिमाही तक के कर और सेवा प्रभारों का भुगतान कर दिया गया है। लेकिन नगरपालिका ने रेलवे की जमीन के मूल्यांकन में वृद्धि के कारण 1-4-64 और फिर 1-10-69 से अतिरिक्त रकम का दावा किया है। ये मामले पूर्व-रेल प्रशासन के विचाराधीन हैं। नगरपालिका ने कुछ ऐसी जमीन के लिए भी कर का दावा किया है जो 1-10-65 से नगरपालिका की सीमा के विस्तार के कारण नगरपालिका के अधीन आ गयी है। रेल प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया है।

(ख) यह सही है कि रेलवे आसनसोल नगरपालिका को कोई शिक्षा उपकर नहीं देती। भुगतान न करने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और उसे बाद में सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) मूल्यांकन में वृद्धि सम्बन्धी दावों को स्पष्ट करने तथा उसे तय करने के लिए पूर्व रेलवे 29-7-1970 को नगरपालिका के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुला रही है। नगरपालिका की सीमा के विस्तार के फलस्वरूप नगरपालिका के अधीन आने वाली संघ की सम्पत्ति के सम्बन्ध में करों का दावा मान्य नहीं है क्योंकि वे संघ की सम्पत्ति हैं जिन्हें संविधान की धारा 285 के अनुसार कर से छूट है।

आसनसोल के निकट मेतुआदाया पर एक मार्गी सुरंग का चौड़ा किया जाना

328. **श्री देवेन सेन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल के निकट मेतुआदाया स्थित रेलवे की एक मार्गी सुरंग जो चादमारी को मिलाती है वर्षाकाल में पूरी तरह प्रायः चार अथवा पांच फुट पानी में डूब जाती है।

(ख) क्या यह भी सच है कि वह सुरंग 30 फुट लम्बी है, तंग और अन्धकार पूर्ण है

तथा उससे दोनों किनारों पर चलने वालों को कठिनाई पहुँचाये बिना एक जीप गाड़ी भी वहां से नहीं गुजर सकती ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सुरंग को चौड़ा करने, इसमें पानी भरने को रोकने तथा इसमें बिजली की उचित व्यवस्था करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : कदाचित माननीय सदस्य का आशय रेलवे पुल नं० 529 से है, जो आसनसोल में महुआडांगा के निकट एक उपमार्ग है। यदि ऐसा है, तो स्थिति इस प्रकार है :—

(क) जी नहीं, सिवाय इसके कि भूगत नालियों आदि के विरुद्ध हो जाने के कारण कभी-कभी कुछ पानी जमा हो जाता है जिसकी निकासी के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

(ख) उपमार्ग 10 फुट चौड़ा और 292 फुट लम्बा है और उसमें पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए सवाल नहीं उठता। फिर भी यदि सड़क यातायात में वृद्धि होने के कारण अनिवार्य समझा जाता है, तो इस के लिए राज्य सरकार सड़क प्राधिकरण को इस बचन बद्धता के साथ प्रस्ताव प्रायोजित करना होगा कि वह इसके निर्माण की सम्पूर्ण लागत बर्दास्त करने को तैयार है।

उद्योग-गृह

329. **श्री क० लकप्पा** :

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बड़े उद्योग गृहों की, जिनमें ऐसे उपक्रम भी सम्मिलित हैं जिनकी आस्तियां 35 करोड़ रुपयों से अधिक हैं ; सूची पुनरीक्षित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सूची में कौन-कौन नये उद्योग गृह सम्मिलित किये गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है।

दक्षिण पूर्व रेलवे पर बुक कराये गये भिलाई इस्पात कारखाने के चोरी गए उत्पादों का बेचा जाना

330. **श्री क० लकप्पा** :

श्री ए० श्रीधरन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर बुक कराये गये भिलाई इस्पात कारखाने के उत्पादकों के 13 माल डिब्बों अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वस्तुयें दक्षिण भारत में चुराई और बेची गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस जालसाजी में कुछ अधिकारी भी शामिल हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) 13 में से 12 मालडिब्बों के माल की सुपुर्दगी बुक किये गए स्टेशनों की बजाय अन्य स्टेशनों पर जाली रेलवे रसीदों पर की गई । लेकिन इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि इन माल डिब्बों का माल चुराया गया या नहीं और यदि चुराया गया तो कहां बेचा गया ।

(ग) और (घ). विशेष पुलिस विभाग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है जो अभी पूरी नहीं हुई हैं । चूंकि विशेष पुलिस विभाग की जांच के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, इस लिए इस मामले में कर्मचारियों की जिम्मेदारी अभी निश्चित नहीं हुई है ।

बोकारो इस्पात कारखाने में हड़ताल

331. **श्री क० लकप्पा :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री स० कुण्डू :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1970 के जून के मध्य में बोकारो इस्पात कारखाने के मजदूरों ने हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो हड़ताल कितने दिन तक चली ;

(ग) क्या हड़ताल मैत्रीपूर्ण ढंग से समाप्त हुई थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बोकारो स्टील लि० द्वारा भर्ती किये गये कर्मचारियों की कोई हड़ताल नहीं हुई है परन्तु 13 जून, 1970 की अर्द्धरात्रि से हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० के कुछ कर्मचारियों तथा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० के तीन ठेकेदारों के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्ट्रक्शन लि० के कर्मचारी केवल एक से चार दिन तक और ठेकेदारों के कर्मचारी लगभग एक से दस दिन तक हड़ताल पर रहे ।

(ग) और (घ). जी, हां ! क्योंकि यह हड़ताल बिना सोचे समझे की गई थी अतः बहुत कम कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया और यह जल्दी ही खत्म हो गई ।

श्रीनगर में स्कूटर कारखाना स्थापित करना

332. **श्री न० कु० सांघी :** **श्री रामचंद्र वीरप्पा :**
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने के कारखाने की स्थापना श्रीनगर में किये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने की अनुमानित लागत तथा उसकी क्षमता क्या होगी ;

(ग) क्या इस कारखाने के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, ता क्या सहायता ली जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सरकार ने स्कूटर बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने का निश्चय कर लिया है, प्रस्तावित परियोजना कहां स्थापित की जाएगी, इस प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

राउरकेला इस्पात कारखाने के ट्रेफिक डिपार्टमेंट आपरेशन यूनिट में हड़ताल

333. **श्री मोहन स्वरूप :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रामचंद्र वीरप्पा : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री म० सुदर्शनम : **श्री न० कु० सांघी :**

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला इस्पात कारखाने की ट्रेफिक डिमार्टमेंट आपरेशन यूनिट के कर्मचारियों ने 3 जून, 1970 को काम बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाने के ट्रेफिक विभाग के कर्मचारियों ने 2-15 जून 1970 तक गैर कानूनी तौर पर काम बन्द कर दिया था ।

(ख) 2 जून 1970 को प्रबन्धकों ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट के 2 कर्मचारियों को ड्यूटी पर एक अधिकारी पर हमला करने के लिए निलम्बित किया था जिसपर ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों के बिना सूचना दिये उसी तारीख से गैर कानूनी हड़ताल कर दी ।

(ग) कर्मचारियों की कोई विशेष मांगे नहीं थीं। हड़ताल गैर कानूनी थी और प्रबन्धकों ने राज्य के कार्यान्वियन और मूल्यांकन अधिकारी एवं श्रम आयुक्त, उड़ीसा, को इस्पात श्रमिक संघ द्वारा इस्पात कारखाने में अनुशासन संहिता का उल्लंघन करने की रिपोर्ट दे दी थी। हड़ताल 15 जून को समाप्त हो गई और कर्मचारियों ने गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने के लिए लिखित रूप से खेद प्रकट किया।

(घ) मोटे तौर पर इससे 21,800 टन तैयार इस्पात के उत्पादन की हानि होने का अनुमान है।

बैलाडिला में एक इस्पात कारखाने की स्थापना

334. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री शशि भूषण :
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के छतीसगढ़ जिले के लोगों ने बैलाडिला में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने की मांग है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) जिस निर्णय की घोषणा प्रधान मन्त्री ने 17 अप्रैल, 1970 को की थी उस निर्णय को लेने से पहले सरकार ने विभिन्न स्थलों पर जिनमें मध्य प्रदेश में बैलाडिला भी शामिल है, विचार किया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों के उत्पादन के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त समिति का प्रतिवेदन

335. **श्री छ० म० केदारिया :**
श्रीमती तारा सप्रे :
श्री मनुभाई पटेल :
श्री देविंदर सिंह गार्चा :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाये जाने की व्यवहार्यता के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त स्कूटर समिति की क्या सिफारिशें हैं ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों के उपयुक्त नमूनों, कार्यक्रमों तथा

उत्पादन पर सलाह देने के लिए नियुक्त की गई तकनीकी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा विचाराधीन है। जब तक रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की सरकार द्वारा जाँच न कर ली जाय या उस पर निर्णय न लिया जाय समिति की सिफारिशों को बताना समय से पूर्व होगा।

Setting up of a Department Corporation and Industrial Development Banks

337. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a press report that the Indian Chambers of Commerce have submitted a memorandum to the Prime Minister urging Government to set up a Corporation and an Industrial Development Bank in West Bengal for the Industrial development of the State ;

(b) if so, the reaction of Government in this regard ;

(c) whether Government would also consider the question of setting up such Development Corporations and Industrial Development Banks in the backward areas of the country ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Extension of Railway Line upto Kashmir Valley

*338. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Gopal Shalewale :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that non-extension of Railway line upto Kashmir Valley is a great hurdle in the way of the industrial development of that valley ;

(b) if so, whether Government propose to take upon themselves the responsibility of transporting the raw material, required for the industries located in Kashmir upto Srinagar ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). To provide rail communication facilities into the State of Jammu and Kashmir a B. G. rail connection from Kathu to Jammu is already under construction and is expected to be completed by the end of March, 1972.

पश्चिम तटीय रेलवे के लिये सर्वेक्षण

339. **श्री दिनकर देसाई :**
श्री नाथ पाई :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम तटीय रेलवे परियोजना के लिए पूर्ण सवक्षण कराने का आदेश दिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई राशि मंजूर/निर्धारित की है ; और

(ग) कितनी राशि निर्धारित की गई है और सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ।

रेलवे मन्त्री (ी नन्दा) : (क) से (ग). पश्चिम तट पर आप्ता से मंगलूरू तक एक नयी रेलवे लाइन बिछाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और साथ ही इंजीनियरिंग प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के लिए 15-6-70 को मंजूरी दे दी गई है जिसकी अनुमानित लागत 26.18 लाख रुपये होगी । आशा है लगभग 2 वर्ष में सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो जायेगा और इसकी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

इस्पात का निर्यात

340. **श्री दिनकर देसाई** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1969 से शुरू होने वाले गत बारह महीनों में सरकार ने इस्पात का लक्ष्य से अधिक निर्यात किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस अवधि में आंतरिक खपत का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्थापित व्यापार व्यवस्था के माध्यम से इस्पात का वितरण बन्द करने का है ; और

(घ) पूर्व स्थापित व्यापार व्यवस्था के माध्यम से आंतरिक सप्लाई और वितरण को पूरा करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी, नहीं । वर्ष 1969-70 के लिए निर्यात लक्ष्य अनुमानित आंतरिक खपत को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किये गए थे ।

(ग) जी, नहीं । ऐसी आशा है कि नई वितरण नीति के अन्तर्गत उत्पादन का कुछ भाग सामान्य व्यापार व्यवस्था को मिलता रहेगा परन्तु यह प्रत्येक श्रेणी की मांग और परिकल्पित उत्पादन आदि पर निर्भर करता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Revision of Pay Scales of Matrons on North Eastern Railway

*341. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5488 on the 7th April, 1970 regarding revision of Pay Scales of Matrons on the North Eastern Railway and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) One post reserved for Scheduled Castes has not been filled in the selection held in January, 1970, and is being carried forward as per extent rules.

(c) Does not arise.

Posting of Guards 'A' Grade at Gorakhpur (North Eastern Railway)

*342. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6259 on the 14th April, 1970 regarding posting of Guards 'A' Grade at Gorakhpur (North Eastern Railway) and state :

(a) whether the requisite information has since been collected and, if so, the details thereof ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, the requisite information is given in the statement at Annexure 'A'. [*Placed in Library. See* No. LT—3730/70].

(b) Does not arise.

Increase in Rent of Residential Accommodation due to Merger of Dearness Allowances with Basic Pay

343. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rent of residential accommodation allotted to the Railway employees has increased as a result of the merger of dearness allowance with the basic pay ;

(b) if so, the basic for increasing the rent indirectly without effecting any increase in the housing facilities to the Railway employees ;

(c) whether it is also a fact that on the North Eastern and North-east Frontier Railways rent is fixed by adding the cost of construction of staff quarters and because the cost of construction on the North East Frontier Railway is comparatively more, the staff on the North Eastern Railway have to bear a part of this expenditure of the Northeast Frontier Railway ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) whether it is further a fact that the rent is again being increased on this very basis and recoveries are being made with effect from 1967 ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). The rent of residential accommodation allotted to Railway employees is assessed at the rate of 6% of the capital cost of quarters grouped in a particular pool. While the assessed rent is so fixed, the amount recovered towards rent from the employees is limited to the assessed rent or 10% of his emoluments (7½% in case of staff drawing below Rs. 220/- P. M.), whichever is less. The merger of dearness allowance would increase the emolument of an employee but has no effect in altering the assessed rent of his quarter.

(c) and (d). It is a fact that the quarters on North Eastern and North East Frontier Railways have been pooled together for the purpose of working out the assessed rent because North Eastern and North East Frontier Railways together constituted one Unit prior to the formation of a separate zone for North East Frontier in 1958. The quarters of the same type on the North East Frontier Railway having been constructed later, bear a higher capital cost than on the North Eastern Railway and to obviate the railway staff on the North East Frontier Zone having to pay much higher rent only due to the separation of their Zone, this pooling was continued.

(e) The assessed rents in each pool of quarters is revised every three years to take into account the capital cost of new quarters built since the last revision. The revision proposed on North Eastern Railway is due to such a step.

This revision has not been implemented and for the present, the rents as before are continuing to be recovered.

Classification of Accommodation for Non-Gazetted Railway Employees at Gorakhpur (North Eastern Railways)

344. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the basis of classification of housing accommodation for the Railway employees (non-Gazetted) viz., Types I, II, III and IV ;

(b) the basis for announcing 52 quarters from 1 to 26, (A and B both) in Dairy Colony in Gorakhpur, North Eastern Railway as Type II ;

(c) whether it is a fact that these quarters are given mostly to those people who are entitled to Type III or Type IV quarters because of their higher scales of pay ;

(d) if not, the number out of these quarters allotted to persons entitled for Type II and also of those allotted to persons entitled for Types III, and IV and Bungalows ; and

(e) the rent charged for each type of quarters separately from the employees ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) the quarters for non-gazetted staff, have been classified on the basis of plinth areas namely 300 sft., 540 sft., 690 sft. and 900 sft. for Types, I, II, III and IV respectively.

(b) These quarters while not conforming to the standard plan for type II quarters, correspond more to type II than to any other type ; hence they are classified as type II.

(c) and (d). 18 quarters out of these are allotted to the staff entitled to type II and the rest are allotted to higher grade staff, as type III and type IV quarters are not available.

(e) The rent of these quarters is charged at the rate of 7½% or 10% of the emoluments depending upon the scale of pay, or the assessed rent whichever is less. The assessment of type I, II, III and IV quarters is Rs. 6.50, Rs. 19.00. Rs. 29.00 and Rs. 34.00 for the building and Rs. 1.15, Rs. 2 10, Rs. 4 10 and 5.00 respectively for the electric installation charges.

नए इस्पात कारखानों के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

345. **श्री धी० ना० देव :**
श्री नंजा गौडर :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री पीलू मोदी :
डा० म० संतोषम् :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश, मैसूर और तमिल नाडु में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत तीन इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए सहातता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) तीन इस्पात कारखानों के प्रथम चरण में आने वाली लागत का ब्यौरा क्या है : और

(ग) क्या इन कारखानों को पूरी वित्तीय सहायता विश्व बैंक और भारत सरकार संयुक्त रूप से देंगे और पूंजी निवेश में प्रतिशतता कितनी होगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अभी तक विश्व बैंक ने सरकार को ऐसी कोई पेशकश नहीं की है ।

(ख) तीन इस्पात कारखानों की लागत का पता उनके शक्यता प्रतिवेदन तैयार हो जाने के पश्चात् ही लगेगा ।

(ग) विश्व बैंक द्वारा इन प्रायोजनाओं में पूर्णतः अथवा अंशतः पूंजी लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

'रीरालर्स' को बिलेट का वितरण

346. **श्री धी० ना० देव :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री नंजा गौडर : **श्री नंद कुमार सोमानी :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में बिलेट-वितरण की नई नीति के अन्तर्गत 'रीरालर्स' के बिलेट के आवंटन के कोटे में कटौती कर दी है ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बिलेट की वितरण नीति, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है, 53000 मीटर टन प्रति मास की अनुमानित उपलब्धि पर आधारित है । इससे पहले की नीति 75000 मीटरी टन प्रति मास की अनुमानित उपलब्धि पर आधारित थी परन्तु वास्तविक आपूर्ति केवल 53000 मीटरी टर प्रति मास की थी अतः वितरण नीति को अधिक याथार्थिक बनाने का निश्चय किया गया । इस नीति में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अधिक उपलब्धि होने से सभी री-रोलरों का सामान्य कोटा स्वतः बढ़ जाएगा ।

(ख) 1970-71 के लिए आवंटन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	मीटरी टन प्रतिमास
(i) देशीय खपत के लिए छड़ों और गोल छड़ों के लिए घरेलू कोटा ।	25,000
(ii) छड़ों और गोल छड़ों के निर्यात के लिए निर्यात कोटा ।	9,000
(iii) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल ।	2,500
(iv) रेलवे वर्कशाप्स ।	1,500

(v) मुड़ी हुई विकृत छड़े ।	4,000
(vi) गांठ बांधने की पट्टी ।	1,000
(vii) अन्य कठिन अनुमान ।	2,500
(viii) महानिदेशक, पूर्ति और निपटान के ठेकेदार ।	4,000
(ix) आरक्षित (रिजर्व) ।	*3,500
जोड़	53,000

*इसमें से 2000 मीटरी टन पुनर्वेलकों को तार छड़ों के निर्माण के लिए दिया जाना है ।

(ग) चूंकि यह नीति 1 अगस्त, 1970 से लागू होगा, अतः उद्योग की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना समय पूर्व होगा ।

दिल्ली में रेलवे कालोनियों में रेलवे मंत्री का दौरा

347. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने गत तीन महीनों में दिल्ली की कुछ रेलवे कालोनियों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के निवासियों की मुख्य शिकायतें क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बर्फ के कारखाने के निकट सब्जी मंडी फ्लैट्स के कुछ निवासियों के पास गरमियों के दिनों में सोने के लिए खुले स्थान नहीं है ;

(घ) उनके मंत्रालय ने उन क्षेत्रों के निवासियों की प्रत्येक मुख्य शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ;

(ङ) इस वर्ष इन कालोनियों में रख-रखाव के लिये कुल कितने धन का आबंटन किया गया है ; और

(च) इन निवासियों को पूरी सुविधाएं कब तक दी जायेंगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) (1) पानी की सप्लाई, रोशनी, सफाई और जल निकास में सुधार ।

(2) कर्मचारियों के क्वार्टरों के अनुरक्षण और मूल सुविधाएं प्रदान करने की ओर अधिक ध्यान देना ।

(3) कुछ निवासियों द्वारा अपने क्वार्टरों में अनधिकृत रूप से जानकर रख कर गंदगी फैलाना ;

(4) रेल कर्मचारियों के लिए बने शौचालयों का बाहरी लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से इस्तेमाल और चहार दीवारी में बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत द्वार बना

लेना जिससे कभी-कभी कानूनी और व्यवस्था सम्बन्धी समस्यायें उत्पन्न हो जाती है।

(5) रेलवे चिकित्सालयों में असली औषधियों की सप्लाई।

(ग) जी हाँ।

(घ) अनुबन्ध 'क' के रूप में विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3731/70]

(ङ) अनुरक्षण के लिए कालोनी के अनुसार निधि का अलग-अलग बटवारा नहीं किया जाता है। दिल्ली क्षेत्र की सभी रेलवे कालोनियों के अनुरक्षण और उनमें विशेष निर्माण कार्यों के लिए 7,27 000 रु० की व्यवस्था की गई है और इन कालोनियों को भी यथानुपात उनका हिस्सा मिलेगा।

(च) धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यक्रमबद्ध आधार पर।

दिल्ली स्थित गणेश फ्लौर मिल में दुर्विनियोग

348. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गणेश फल्लौर मिल, दिल्ली के लाभ के बड़े अंश का कम्पनी के कुछ निदेशकों, विशेषकर मोरारका बन्धुओं द्वारा दुर्विनियोग किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कब और शिकायत का ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारी इन निदेशकों से मिले हुए हैं और वे जानबूझ कर मामले में विलम्ब करते रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) सरकार द्वारा शिकायतों के बारे में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में वर्णित आरोपोयुक्त, यह शिकायतें गत फरवरी, 1970 से समय-समय पर प्राप्त हो रही है।

(ग) यह विषय सक्रिय परीक्षान्तर्गत है।

(घ) विभाग को कोई ज्ञान नहीं है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) कम्पनी विधि बोर्ड इन शिकायतों पर, यथा संभव शीघ्र निर्णय करने के लिए, प्रत्येक प्रयास कर रहा है।

Abolition of Bihar Legislative Council

*349. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation of Members of the Bihar Legislative Council met the Prime Minister in June in connection with the abolition of the Bihar Legislative Council ; and

(b) if so, the details of their talks ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Meeting of Chairman, Heavy Engineering Corporation with Minister at Delhi

350. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether it is a fact that any meeting of the Chairman, Heavy Engineering Corporation Ranchi, the concerned Minister and high officials of his Ministry was called on the 2nd and 21st May, 1970 in Delhi, in order to review the production position ;

(b) whether any report was prepared at the said meeting ;

(c) if so, the details therefor ; and

(d) the reaction of Government in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c). Meetings were held on the 2nd May and the 21st May by the then Minister of State, Steel and Heavy Engineering with senior officials of the Ministry and senior executives of Heavy Engineering Corporation to review their production and their supplies to important customers. Such meetings have in fact been held from time to time. No special reports are prepared at such meetings ; only the discussions at the meetings recorded.

(d) Does not arise.

Programme Implementation Cell to Improve the Working of Railways

351. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he has chalked out a ten point programme to improve the working of the Railways ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that he has set up a "Programme Implementation Cell" for implementing the aforesaid programme ;

(d) if so, the number and names of its Members and the details of the facilities to be provided to them ; and

(e) the justification for setting up such a Cell when the Railway Ministry and the Railway Board are already there ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). Details of the Eleven Point Programme to be implemented by the Indian Railways are given in the statement enclosed as Annexure 'A', [*Placed in Library. See* No. LT-3732/70].

(c) Yes.

(d) Names of Members and the details of the facilities provided to them are given in the statement enclosed as Annexure 'B'. [*Placed in Library. See* No. LT-3732/70].

(e) The special Cell has been created with a view to assist the Government in planning, watches and expediting the implementation of the Eleven Point Programme.

Charter of Demands Submitted by Northern Railways Worker's Union

352. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Northern Railway Worker's Union has been constituted in the Northern Railway ;

(b) whether it is also a fact that the said Union has submitted a charter of demands to him ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, Sir.

(b) A charter of demands was received on 21.6 1970 from the Kalka Branch of this Union.

(c) Besides general issues such as (i) interim relief to Railwaymen pending Pay Commission's Recommendations and (ii) separate wage Board for Railwaymen, the memorandum contains other local issues like ambulance facility in Kalka Railway Hospital, School facilities etc.

(d) On the two general demands the position is as under :

(i) the terms of present Pay Commission also include the question of the grant of interim relief to all Central Government employees ;

(ii) Government could not agree to a separate Wage Board for Railwaymen only.

Regarding the local issues the Railway Administration is taking appropriate action on the merits of each demand.

Increase in Late Running of Trains

353. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the practice of late running of trains has increased during the last two-three months ;

(b) whether it is also a fact that some Members of Parliament have sent letters to him in this regard and also registered their complaints in the complaint-Books available with stations and the Guards.

(c) if so, the reasons of late running of trains, particularly of Mail and Express trains ; and

(d) the steps already taken and proposed to be taken in future by Government to stop this practice ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Yes.

(c) The reasons for late running of passenger carrying trains can be broadly divided into two categories, *viz*, (a) factors within the control of the Railways, and (b) factors beyond the control of the Railways. Factors beyond the control of the Railways, include acts of God, like breaches, accidents and unsocial acts like improper use of alarm chain apparatus, thefts of essential railway equipment such as overhead tele-communication/ traction wires, signal relays etc., frequent bundhs agitations and other forms of interference with train running. Of late, these anti-social acts have been on the increase and are affecting the running of trains.

(d) In order to keep down the facts within our control, a very close scrutiny is made daily of the detention to passenger trains, and wherever required preventive or punitive action is taken. A punctuality drive has been undertaken from the 1st of August as part nf the 11-point Programme.

क्षेत्रीय रेलवे द्वारा वस्तु सूची के रूप में रखे गये भण्डारों की मात्रा

354. **श्री स० कुण्डू :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रेलवे द्वारा, क्षेत्र-वार, वस्तु सूची के रूप में रखे गये भण्डारों की मात्रा कितनी-कितनी थी ;

(ख) क्या वस्तु-सूचियों और भण्डार की मात्रा बहुत अधिक नहीं है ; और

(ग) इन आंकड़ों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और क्या कोई मानक निर्धारित किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) माँगी गयी सूचना संलग्न विवरण में दे दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या** एल० टी०—3733/70]

(ख) जी नहीं, प्रयुक्त भंडार के मूल्य के अनुपात में वस्तु सूचियां अधिक नहीं हैं।

(ग) यद्यपि कुल मिलाकर वस्तु-सूचियां अधिक नहीं समझी जातीं, फिर भी वस्तु-सूची प्रबन्ध के आधुनिक तकनीकों के जरिये उनकी संख्या और कम करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय रेलों पर निम्न लिखित तकनीकी शुरू की गयी है :

(1) चयनात्मक नियंत्रण क ख ग तकनीक।

(2) अखिल भारतीय आधार पर स्टाक की सभी मदों को संहिताबद्ध करना।

(3) भंडार लेखा बनाने और वस्तु सूची कार्यों के यांत्रिकीकरण के जरिये गणितीय मान्यताएं लागू करना।

(4) खरीद में आर्थिम क्रम मात्रा की मान्यतायें लागू करना।

(5) स्टाक के अन्तर्गत मदों की विभिन्नता में कमी।

(6) अधिक मूल्य की मदों पर केन्द्रीय नियंत्रण।

(7) अतिरिक्त, अप्रचलित और बेकार सामानों का शीघ्रतापूर्वक निबटारा।

(8) भाषणों, सम्मेलनों प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि के माध्यम से सभी अधिकारियों और सम्बद्ध कर्मचारियों में वस्तु सूची प्रबन्ध की आधुनिक मान्यताओं के बारे में सूचनाओं का व्यापक प्रसार।

वर्तमान नियमों के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि स्टाक में सामान्य भंडार (अतिरिक्त भंडार और आपातिक या विशेष भंडार के अलावा) किसी भी समय रखा जाने वाला अधिकतम स्टाक आमतौर पर वर्ष के दौरान प्रत्येक मद की निकासी के 50 प्रतिशत से ज्यादा होना चाहिए।

उड़ीसा में इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए सर्वेक्षण

355. **श्री स० कुण्डू :** **श्री रवि राय :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में उड़ीसा में स्थापित होने वाले इस्पात कारखाने के स्थान

का, विशेषकर नयागढ़ और बोनाई क्षेत्र में, तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करने तथा/अथवा व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ठोस कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) किसी क्षेत्र विशेष में उस क्षेत्र के स्थल संबंधी लाभों के अध्ययन के आधार पर वहां इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में प्रारंभिक निर्णय कर लेने के पश्चात् ही इस प्रकार का अध्ययन करने का काम आरंभ किया जाता है ।

रेलवे क श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों के मकानों के किराये में वृद्धि

356. **श्री स० कुण्डू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों से लिए जाने वाले उनके मकानों के किराये में गत कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त श्रेणियों के कर्मचारियों ने एक कमरे के मकानों के लिए जो किराया दिया है, उसमें गत तीन वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं और क्या सरकार इस वृद्धि को सामान्य स्तर पर ला रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). जिन रेल कर्मचारियों के लिए रेलवे क्वार्टरों का निर्माण किया जाता है, उनके वेतन मानों के आधार पर क्वार्टरों को टाइप-1, टाइप-2, टाइप-3 आदि विभिन्न श्रेणियों में पूल किया जाता है । प्रत्येक श्रेणी (उस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली नयी और पुरानी सभी इमारतों सहित) में निर्धारित किराया उस श्रेणी की कुल पूंजी लागत के 6 प्रतिशत के आधार पर निश्चित किया जाता है ताकि जिन कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक लागत से बने नये क्वार्टर आबंटित किये जाते हैं, उन्हें अनुचित रूप से अधिक किराया न देना पड़े। यदि क्वार्टरों के लिए अलग-अलग किराया निर्धारित किया जायेगी तो उन्हें अनुचित रूप से अधिक किराया देना पड़ेगा । निर्धारित किराये की हर तीन वर्ष बाद फिर से गणना की जाती है ताकि पिछली बार की गयी समीक्षा के बाद जो नयी इमारतें बनी हों, उनकी लागत को भी किराया निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जा सके । चूंकि पहले बनी इमारतों की तुलना में नयी इमारतों पर सामान्यत: अधिक लागत आती है, इसलिए हर तीन वर्ष बाद की जाने वाली इस समीक्षा के बाद निर्धारित किराया बढ़ जाता है ।

प्रत्येक रेलवे के लिए अलग-अलग पूल बनाये गये हैं लेकिन निर्धारित किराया निश्चित करने के प्रयोजन के लिए पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों की एक ही पूल में रखा गया है और चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाना, डीजल रेल-इंजन कारखाना, वाराणसी और सवारी डिब्बा कारखाना, पेरुबूर को क्रमश: पूर्व, उत्तर और दक्षिण रेलों के साथ पूल किया गया है । फलस्वरूप

एक टाइप विशेष के क्वार्टर के लिए हर रेलवे पर किराया अलग-अलग है। पिछले तीन वर्षों में एक कमरे और दो कमरे के क्वार्टरों के किराये में वास्तव में जो वृद्धि हुई है, उसके बारे में रेलों से सूचना मांगी गयी है। सूचना प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

कर्मचारियों से वसूल किया जाने वाला वास्तविक किराया निर्धारित किराये अथवा उसकी परिलब्धियों के 10 प्रतिशत (220 रुपये से कम पाने वाले कर्मचारियों के मामले में 7½ प्रतिशत) तक सीमित रहता है। इस तरह से कर्मचारियों से की जा वाली वसूलियों पर बढ़े हुए निर्धारित किराये पर प्रभाव तभी पड़ेगा यदि वे संशोधन से पहले अपने वेतन के 10 प्रतिशत अथवा 7½ प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो, से कम किराया दे रहे होंगे। कर्मचारियों द्वारा दिये जाने वाले किराये में कमी करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बोकारो इस्पात कारखाने में निर्माण कार्य

357. **श्री स० कुण्डू** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात करखाने में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत अर्थात् सिविल निर्माण, संविरचना, भंडारों के यांत्रिक संचयन, धमन-भट्टियों का निर्माण कार्य पुनरीक्षित समय-सारिणी के अनुसार चल रहा है ;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान उक्त निर्माण कार्य में प्राप्त किये गये लक्ष्यों का त्रैमासिक ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि कारखाने में पुनरीक्षित समय-सारिणी के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जून, 1970 के अन्त में स्थिति यह है कि निर्माण कार्य की पुनरीक्षित समय-सारणी के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित किये गये प्रावस्था-भाजित लक्ष्यों की प्राप्ति का काम कुछ पीछे रह गया है।

(ख) चूंकि पुनरीक्षित समय-सारणी के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के कार्य को जनवरी, 1970 में अन्तिम रूप दिया गया था अतः मार्च 1970 और जून 1970 को समाप्त होने वाले चतुर्थांशों की प्रगति का ब्यौरा संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3734/70**]

(ग) इस न्यूनता पर प्रायोजना के आकार और इसकी जटिलता तथा निर्माण कार्य के लिए निर्धारित की गई कड़ी समय-सारणी को दृष्टि में रखकर विचार करना चाहिए। इस न्यूनता के मुख्य कारण हैं—मजदूरों में बड़े पैमाने पर और लम्बी अवधि के लिए अनुशासन हीनता, कुछ प्रकार के इस्पात विशेषतः अधिक मोटी प्लेटों और कुछ मैचिंग सैक्शनों की प्राप्ति और उपलब्धि में विलम्ब, देशीय निर्माताओं द्वारा उष्मसह ईंटों और उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब तथा कुछ ठेकेदारों के पास श्रम-बल और निर्माण-उपकरण तथा सामग्री की अपर्याप्तता। आशा है कि पुनरीक्षित समय-सारणी के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए किये जा रहे भरसक प्रयत्नों से इस कमी को उत्तरोत्तर पूरा कर लिया जायेगा और प्रायोजना का कार्य समय पर पूरा हो जायेगा।

मार्च 1970 और जून 1970 को समाप्त हुई चतुर्थांशों में बोकारों इस्पात प्रायोजना के मुख्य-मुख्य कार्यों की प्रगति का विवरण

क्र० स०	कार्य-वर्णन	पैमाना	कुल अनुमानित मात्रा	31 मार्च 1970 को समाप्त हुए चतुर्थांश में हुआ कुल कार्य			30 जून 1970 को समाप्त हुए चतुर्थांश में हुआ कुल कार्य			टिप्पणी
				लक्ष्य	वास्तविक	अन्तर	लक्ष्य	वास्तविक	अन्तर	
1.	कंक्रीट और आर०सी०सी०	घन मीटर	1,719,112	945,986 (55.02 प्रतिशत)	836,485 (48.65 प्रतिशत)	(—)109,501 (6.37 प्रतिशत)	1,122,657 (65.3 प्रतिशत)	962,636 (55.99 प्रतिशत)	(—)160,021 (9.31 प्रतिशत)	
2.	भूमगत संचार व्यवस्था	मीटर	281,505	89,519 (31.80 प्रतिशत)	65,205 (23.16 प्रतिशत)	(—) 24,314 (8.64 प्रतिशत)	125,745 (44.66 प्रतिशत)	90,353 (32.09 प्रतिशत)	(—) 35,392 (12.57 प्रतिशत)	
3.	ढांचे लगाने का काम	टन	237,097	58,008 (24.46 प्रतिशत)	30,131 (12.70 प्रतिशत)	(—) 27,877 (11.76 प्रतिशत)	81,621 (34.43 प्रतिशत)	41,419 (17.47 प्रतिशत)	(—) 40,202 (16.96 प्रतिशत)	
4.	उपकरण लगाने का नाम	टन	217,501	11,599 (5·33 प्रतिशत)	8,988 (4.09 प्रतिशत)	(—) 2,611 (1.24 प्रतिशत)	19,311 (8.87 प्रतिशत)	13,690 (6.29 प्रतिशत)	(—) 5,621 (2.58 प्रतिशत)	

विशिष्ट क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास

358. श्री स० कुन्दू : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशिष्ट क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने स्थानों में तथा कितने राज्यों में ऐसी विशिष्ट क्षेत्र योजनायें आरम्भ की गई हैं ; और

(ग) विशिष्ट क्षेत्र योजनाओं के लिए ऐसे स्थानों के चयन की कसौटी क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) लघु उद्योगों के विकास के लिए कोई 'विशिष्ट क्षेत्र' योजना नहीं है परन्तु ग्रामीण औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने हेतु कई योजनाएं बनाई गई हैं जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं :—

1. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के गहन विकासार्थ 19 ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं की योजना ;
2. ऐसे नये एककों की स्थापना के लिए जिनकी अचल आस्तियां 50 लाख रु० में अधिक न हो सीधे ही कुल अचल आस्तियों के 10 प्रतिशत के तुल्य अनुदान देने की योजना जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए 9 प्रदेशों (आंध्र, असम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़िसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) के प्रत्येक के 2 जिलों में और अन्य प्रदेशों तथा संघीय क्षेत्रों में प्रत्येक के एक जिले के लिये उपलब्ध होगी ;
3. चुने हुए औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों में वित्तीय तथा साख संस्थाओं द्वारा रियायत स्वीकृत करने की योजना ।

(ख) (1) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम वाली योजना प्रारम्भ में चुने हुए 49 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई थी जिसके अन्तर्गत 3 से 5 तक सामुदायिक विकास खंड जिनकी जनसंख्या परिशिष्ट—1 (अंग्रेज़ी उत्तर के साथ) में निर्धारित जगहों में 3 से 5 लाख तक हो, आते हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** एल० टी०—3735/70]

(2) अचल पूंजी के 10 प्रतिशत तक अनुदान । सीधे ही सहायता वाली योजना उपरिलिखित औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों के प्रत्येक दो जिलों में तथा अन्य राज्यों और संघीय क्षेत्रों के प्रत्येक एक जिले में, लागू होगी ।

जिलों का चुनाव सम्बन्धित राज्यों के विचार-विमर्श से योजना आयोग द्वारा किया जा रहा है ।

ऐसे चुने हुए जिलों के नाम, जो राज्यों में विभिन्न वित्तीय तथा साख संस्थाओं द्वारा अनुदान स्वीकृत करने योग्य समझे गये हैं और जिनके बारे

में आवश्यक सूचना योजना आयोग को प्राप्त हो गई है, परिशिष्ट–2 (अंग्रेजी उत्तर के साथ) में दिये गये हैं। परिशिष्ट में उल्लिखित नामों के अतिरिक्त राज्यों में जिलों के नामों का अन्तिम चुनाव योजना आयोग कर रहा है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3735/70]

(ग) ग्रामीण उद्योग परियोजना की स्थापना के लिए स्थान के चुनाव हेतु तथा सीधे ही अनुदान स्वीकृत करने के लिए मानदंड योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के लिए क्षेत्रों के चुनाव हेतु निर्धारित मानदंड विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं जिनमें प्रत्येक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है जिससे कि क्षेत्र के संसाधनों तथा औद्योगिक विकास के लिए क्षमता तथा सम्भवताओं का निर्धारण किया जा सके।

कलकत्ता के लिए ट्यूब रेलवे

359. **श्री मनुभाई पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता शहर में ट्यूब रेलवे चलाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) ट्यूब रेलवे चलाने के लाइन के निर्माण की क्या योजना है और इस सम्बन्ध में अनुमानतः कितना व्यय किया जायेगा ; और

(ग) क्या भारत के अन्य बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मद्रास और बम्बई में भी ट्यूब रेलवे आरम्भ की जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). कलकत्ता नगरी में भूगत रेल प्रणाली के निर्माण के बारे में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। इस समय कलकत्ता में जो जांच-कार्य सर्वेक्षण और अध्ययन किये जा रहे हैं, उनसे वह सामग्री प्राप्त हो जायेगी जिसके आधार पर भूगत रेल-प्रणाली के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जा सकता है।

कलकत्ता के लिए भूगत रेल प्रणाली के निर्माण की योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इस तरह के निर्माण के लिए लागत के अनुमान भी अभी तैयार नहीं किये गये हैं। कलकत्ता में इस समय जो काम हो रहा है उसमें व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली (भूगत और/या जमीन से ऊपर उठी हुई) के लिए योजनाएं तैयार करने और परियोजना की लागत के अनुमान तैयार करने का काम भी शामिल है।

बम्बई में किये गये यातायात सर्वेक्षण से पता चला है कि शहर में व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली (भूगत और/या शिरोपरि) की आवश्यकता है। इस समय किये जा रहे तकनीकी-आर्थिक अध्ययन से जो आधार-सामग्री प्राप्त होगी, उसके आधार पर ही बम्बई के लिए व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जा सकता है।

दिल्ली और मद्रास के मामले में व्यापक यातायात और परिवहन अध्ययन किये जा रहे है। इन अध्ययनों के पूरा हो जाने पर इन दो नगरों के लिए व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली (भूगत और/या शिरोपरि) के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किये जायेंगे। इन अध्ययनों से जो आधार-सामग्री प्राप्त होगी, उसके आधार पर ही व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के प्रकार अर्थात भूगत अथवा शिरोपरि प्रणाली के बारे में विनिश्चय किया जा सकता है।

इलाहाबाद से कटिहार जाने वाली यात्री गाड़ी की छत पर यात्रा कर रहे यात्रियों को आई चोटें

360. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 जून, 1970 को इलाहाबाद से कटिहार जाने वाली 37 अप यात्री गाड़ी की छत पर यात्रा कर रहे 52 व्यक्तियों को चोटें आई थीं जबकि वे बरौनी स्टेशन के निकट गिर पड़े थे ;

(ख) उनको गाड़ी की छत पर यात्रा करने की अनुमति कैसे दी गई थी ; और

(ग) सरकार ने वहां भारी भीड़-भाड़ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कटिहार नहीं बल्कि इलाहाबाद जाने वाली 47 अप प्रयाग तेज सवारी गाड़ी की छत पर 52 व्यक्ति बिना टिकट यात्रा कर रहे थे जिन्हें बरौनी जंक्शन पर पानी के शिरोपरि पाइपों से, न कि गाड़ी के गिरने से मामूली चोटें पहुँचीं ।

(ख) इन व्यक्तियों को गाड़ी की छत पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। गाड़ी की छत पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को गाड़ी के गार्ड द्वारा तिलरथ स्टेशन पर जो बरौनी जंक्शन के फौरन पहले पड़ता है, नीचे उतार दिया गया था । इनमें से कुछ व्यक्ति गाड़ी खुलते ही छत पर चढ़ गये थे ।

(ग) कटिहार से गाड़ी छूटने के बाद अप्रत्याशित रूप से जो भीड़-भाड़ बढ़ गयी उसका पहले से कोई संकेत नहीं था ।

गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन कार्यक्रम

361. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन कार्यक्रम निश्चित कर लिया है और यदि हां, तो मतदान किस तिथि को होगा ;

(ख) इस उप-निर्वाचन में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं जबकि अन्य निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन हो चुके हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि कांग्रेस (सत्तारूढ़) का उम्मीदवार यह चाहता था कि निर्वाचन आयोग विवादग्रस्त कांग्रेस चिन्ह के नियतन के बारे में निर्णय होने तक प्रतीक्षा करे ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया गया यह सुझाव निर्वाचन आयोग के सक्रिय रूप से विचाराधीन है कि गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन कराने के लिए अपेक्षा 19 अगस्त, 1970 को की जाए, और यह कि मतदान रविवार, 20 सितम्बर, 1970 को कराया जाए ।

(ख) रिक्ति, 23 दिसम्बर, 1969 को श्री दीवान चन्द शर्मा की मृत्यु हो जाने के कारण हुई थी। उस समय देश भर में सब सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण, जिन में गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल होने वाले निर्वाचन-क्षेत्र भी हैं, गहनरूप से किया जा रहा था। 1-1-1970 वाली अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से यथा पुनरीक्षित निर्वाचक नामावलियां 15-1-1970 को अन्तिम रूप से प्रकाशित हो गई थीं। उस के बाद निर्वाचन आयोग ने जून, 1970 में गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन कराने की प्रस्थापना पर विचार किया। अभी इस मामले पर विचार हो ही रहा था कि आयोग में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिन में कहा गया था कि ग्रामीण मतदाताओं को अपने खेती सम्बन्धी कामों से फुर्सत जुलाई, 1970 के मध्य के पहले नहीं मिलेगी और उसके बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और मानसून के महीनों में निर्वाचन कराना असंभव बना देगा। इस बात का भी पक्की तरह से पता लगा लिया गया कि पंजाब राज्य में, खास तौर से इस क्षेत्र में, कोई भी निर्वाचन मई से लेकर बरसात के मौसम के खत्म होने तक पहले कभी नहीं हुआ। स्वयं को प्राप्त सब अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, आयोग ने तय किया कि जून, 1970 में उप-निर्वाचन न कराया जाए बल्कि मानसून के समाप्त होते ही अर्थात, सितम्बर, 1970 के बीच में या अन्त में, निर्वाचन कराने की हर कोशिश की जाए।

(ग) जी, नहीं।

औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रणाली में परिवर्तन

363. **श्री शिव चंद्र झा :** **श्री मीठा लाल मीना :**
श्री समर गुह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सरकार औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने के बारे में एक नई प्रणाली बनाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). जिन परियोजनाओं के लिये औद्योगिक लाइसेंसों की आवश्यकता है उनके प्रार्थना पत्रों को जैसा कि आजकल है निर्धारित फार्म पर दिया जाना जारी रहेगा और लाइसेंसिंग समिति को उन्हें सौंपने से पूर्व प्रशासनिक मंत्रालय सम्बन्धित तकनीकी अभिकरणों के परामर्श से उनकी जांच करते रहेंगे।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन

364. **श्री शिव चंद्र झा :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में कारखाने वार कुल इस्पात उत्पादन के कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन किया जायेगा ;

(ख) क्या एक ओर भिलाई तथा बोकारो इस्पात कारखाने और दूसरी ओर राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों के कुल उत्पादन में कोई अन्तर होने वाला है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख साधारण इस्पात कारखाने अर्थात भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो द्वारा क्रमश: देश के कुल उत्पादन के 29 प्र० श० 15 प्रतिशत, 17 प्र० श० और 2 प्र० श० उत्पादन किये जाने की आशा है ।

(ख) जी, हां । जब कि भिलाई और दुर्गापुर के उत्पादन में गैर-चपटे पदार्थ जैसे संरचना बिलेट, रेल आदि प्रमुख हैं, बोकारो और राउरकेला में चादरों, हल्की प्लेटों आदि जैसे चपटे पदार्थ हैं ।

(ग) किसी भी कारखाने का उत्पाद-मिश्र कई बातों जैसे मांग, शक्यता, मितव्ययिता, आय पर आधारित होता है । चपटे और गैर-चपटे पदार्थों के लिए इस्पात पिण्ड का आकार एक जैसा नहीं होता । और चपटे और गैर-चपटे पदार्थों की बेलन मिलें भी भिन्न-भिन्न होती हैं ।

उत्तरी बिहार एक्सप्रैस में शायिकाओं (बर्थस) का (बरौनी कोटा) आरक्षण

365 **श्री शिव चंद्र झा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 जून, 1970 को उत्तरी बिहार एक्सप्रैस में समस्तीपुर से हावड़ा तक बरौनी कोटा के 3-टायर और -टायर वाले शयन डिब्बों में गाड़ी के चलने से पूर्व सभी स्थान विधिवत् रूप से आरक्षित थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो 23 जून, 1970 को समस्तीपुर से हावड़ा जाने वाली उत्तरी बिहार एक्सप्रैस में गाड़ी के चलने से पूर्व बरौनी कोटा के कितने स्थान आरक्षित किये गए थे और कितने स्थान गाड़ी के चलने के बाद उसमें आरक्षित किये गये थे ; और

(घ) उस दिन 3-टायर शयन डिब्बे में बरौनी से आगे कौन कंडक्टर था ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां ।

(ख) समस्तीपुर से हाबड़ा के आंशिक 3-टियर डिब्बे में 2 शायिकाओं और बरौनी से हाबड़ा के 2-टियर शयन-यान में 24 शायिकाओं का कोटा बरौनी से आरक्षण के लिए नियत है । 22 हाउन नोर्थ बिहार एक्सप्रैस के 23 जून, 70 को बरौनी से चलने से पूर्व इन सभी शायिकाओं का यथावत् आरक्षण हो गया था ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) समस्तीपुर हाबड़ा आंशिक 3-टियर शयनयान में, जो 23 जून, 70 को समस्तीपुर से छूटने वाली 22 डाउन नार्थ बिहार एक्सप्रैस में लगाया गया था, यान परिचर श्री एस० के०

घोष ने बरौनी जंक्शन से आसनसोल तक और बिशेष चल टिकट परीक्षक श्री एन० सी० कर ने आसनसोल से हावड़ा तक काम किया था।

समस्तीपुर स्टेशन पर उत्तरी बिहार एक्सप्रैस में शायिकाओं का आरक्षण न किया जाना

366. **श्री शिव चंद्र झा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जून, 1970 को समस्तीपुर रेलवे आरक्षण कार्यालय को मधुबनी स्टेशन, पूर्वोत्तर रेलवे से एक तार (ओम रेस-55-6-70 दिनांक 20 जून, 1970) प्राप्त हुआ था जिसमें समस्तीपुर पर उत्तरी बिहार एक्सप्रैस में 23 जून, 1970 को 2-टायर अथवा 3-टायर वाले शयन डिब्बों में चार स्थानों का आरक्षण करने को कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या चार शायिकाओं का आरक्षण किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 23 जून, 1970 को उत्तरी बिहार एक्सप्रैस में शयन डिब्बे में आरक्षण कार्यालय द्वारा स्थानों का आरक्षण अंतिम समय तक किया जाता रहा था ; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित तार पर, जो मधुबनी स्टेशन से आया था, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों के नाम समस्तीपुर से मधुपुर तक आरक्षण न किये जाने के क्या कारण थे ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां।

(ख) आरक्षण नहीं किया जा सका था क्योंकि मधुबनी से प्राप्त तार समस्तीपुर स्टेशन पर भूल से कहीं और जगह रख दिया गया था जिसके लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है।

(ग) जी नहीं, 23 जून, 1970 की नार्थ बिहार एक्सप्रैस के आंशिक 3-टियर और 2-टियर शयनयानों में समस्तीपुर के नियत कोटे की सभी शायिकाओं का आरक्षण, आरक्षण कार्यालय, समस्तीपुर द्वारा गाड़ी के छूटने से दो घंटे पूर्व ही पूरा हो गया था।

(घ) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, मधुबनी से प्राप्त आरक्षण सम्बन्धी तार को समस्तीपुर में गलत जगह पर रखे जाने के कारण ऐसा हुआ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कोक भट्टियों की अत्यधिक मरम्मत

36. **श्री चंद्र शेखर सिंह :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कोक भट्टियों की अत्यधिक मरम्मत करने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इनको स्थापित करने के उपरान्त इतनी थोड़ी अवधि में इतनी अधिक मरम्मत करने की आवश्यकता के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि पाण्डे समिति ने बताया है मुख्य कारण है। (1) परिचालन की गलत कार्य प्रणाली (2) अपर्याप्त रख-रखाव और (3) अक्षम निरीक्षण।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा विदेशों में स्थित इस्पात कारखानों का दौरा

368. **श्री चंद्र शेखर सिंह :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विचार इस्पात कारखानों का दौरा करने के लिए 20 कर्मचारियों को रूस, पश्चिम जर्मनी तथा जापान भेजने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को किस आधार पर चुना जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। हिन्दुस्तान स्टील लि० का अपने कारखानों के कर्मचारियों को छोटी-छोटी टोलियों में बाहर के कुछ देशों के दौरे पर भेजने का विचार है। परन्तु अभी इसके ब्यौरे तय करने बाकी हैं।

(ख) कर्मचारियों की नामजदगी इस्पात कारखानों के मान्यता प्राप्त मजदूर संगठनों की सलाह से की जायेगी।

Construction of Bridges over Nullah near Khandwa Station (Central Railway)

369. **Shri G C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a bridge over a small nullah near Khandwa Station (Central Railway) which has to be passed on way to New Delhi ;

(b) whether it is also a fact that sometimes the nullah is so over-flooded that the traffic is blocked for several hours ;

(c) whether it is also a fact that this is a main road and almost all the offices of Government are across the bridge ; and

(d) if so, whether Government would arrange to construct bridges over nullahs keeping in view the inconveniences caused to the pepple and the importance of the road so that traffic facilities are made available to the people ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d). The bridge in question comprises of 3×4.57 m. spans and is situated at km. 567/14-15 near Itarsi end of Khandwa station. This bridge is primarily a waterway under the railway track, but the same is being used as road under bridge as well for easy access to the offices even though there is a proper road over-bridge at Km.566/7 at a distance of only 540 metres from this bridge for the use of road traffic. During monsoons as also when heavy rains occur, the traffic through this bridge necessarily gets suspended for a few hours due to flow of water. However, there is no stoppage of traffic as the same gets diverted on to the road over-bridge at Km. 566/7.

मध्य प्रदेश को लोहे तथा इस्पात का आवंटन

370. **श्री गं० च० दीक्षित :** **श्री यशवंत सिंह कुशवाह :**
श्री अ० सिंह सहगल : **श्री लखन लाल गुप्ता :**
श्री हुकम चंद कछवाय : **श्री नाथू राम अहिरवार :**

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल तथा मध्य प्रदेश के एस०

एस० आई० यूनिटों द्वारा लोहे तथा इस्पात की दुर्लभ श्रेणियों के बारे में दिये गये बहुत से क्रयादेश (इंडेट) अभी भी देशी उत्पादकों के पास निलम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न उत्पादकों द्वारा अभी कितनी मात्रा की सप्लाई की जानी है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार पुराने क्रयादेशों को प्राथमिकता देने के बारे में विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्रयादेशों का निपटान किस तारीख तक किया जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). 1969-70 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को 4432 टन तक के क्रयादेश बुक करने की अनुमति दी गई थी जिसे उन्होंने पूरा कर दिया। इन क्रयादेशों और पहले के क्रयादेशों में से उनको 1969-70 में 1351 टन के प्रेषण और अप्रैल-सितम्बर 1970 में 1392 टन के और प्रेषण की प्राथमिकता दी गई थी। मध्य प्रदेश राज्य को 1969-70 में 1517 टन का प्रेषण किया गया था। 1-6-1970 को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को उत्पादकों द्वारा 10574 टन चादरें भेजनी बाकी थीं। पिछले इन्डैन्टों की प्राथमिकता के आधार पर कुल मांग और उपलब्धि को ध्यान में रख कर इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा समय-समय पर दी गई प्राथमिकता के अनुसार आपूर्ति की जायेगी।

रेलवे सम्पत्ति को दंगा करने वालों और प्रदर्शनकारियों से सुरक्षित रखने के लिये कार्यवाही करना

371. **श्रीमती तारा सप्रे** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सम्पत्ति को उन दंगा करने वालों, प्रदर्शनकारियों और आन्दोलनकारियों आदि के उपद्रवों से सुरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जो विभिन्न मामलों पर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए, जिनका रेलवे से कोई सम्बन्ध नहीं होता है, रेलवे सम्पत्ति पर आक्रमण करते हैं और उसे भारी नुकसान पहुंचाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या जो कार्यवाही की जायेगी वह रेलवे सम्पत्ति को ऐसे नुकसानों से बचायेगी ;

(ग) क्या की जाने वाली कार्यवाही में अधिक रेलवे पुलिस का प्रयोग और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नियुक्त करना भी शामिल है ; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बार-बार होती है तो भी अब तक प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेल सम्पत्ति की सुरक्षा और इस तरह की स्थिति से निबन्ध में राज्य पुलिस की सहायता करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल/रेलवे सुरक्षा विशेष दल का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। कानून और व्यवस्था का काम देखने वाले राज्य पुलिस के प्राधिकारियों के साथ निकटतम सम्पर्क रखा जाता है ताकि उनकी सहायता प्राप्त की जा सके।

संसद् में एक विधेयक भी पेश किया गया है जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाने अथवा नष्ट करने के लिए निवारक दण्ड देने की व्यवस्था है।

जनता को इस बात से अवगत कराने के लिए भी उपाय किये जाते हैं कि रेल सम्पत्ति जसी राष्ट्रीय परिसम्पतियों के विनाश का कितना घातक प्रभाव पड़ता है।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित उपायों से आशा है, रेल सम्पत्ति को होने वाली हानि न्यूनतम पर पहुँच जायेगी।

(ग) यह सम्बन्धित राज्य सरकार के विनिश्चय पर निर्भर करता है।

(घ) उपलब्ध साधनों के भीतर सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं।

पश्चिम रेलवे पर नाडियाल कपडवंज छोटी लाइन सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलना

372. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाडिनाड-कपड़वंज छोटी लाइन सैक्सन के निकट भविष्य में बड़ी लाइन में बदला जा रहा है और गुजरात में मोडासा तक ले जाया जा रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : नाड़ियाद-कपड़वंज छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने और इस भोडासा के रास्ते शामलखी रोड स्टेशन तक बढ़ाने से सम्बन्धित प्रस्ताव का मूल्यांकन हाल में पश्चिम रेलवे द्वारा किया गया है। इस प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है।

पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

373. **जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार ऐसे विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की राशि में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कहां तक करने का विचार है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां राज्य सरकारों द्वारा अपने साधनों में से दी जाती हैं और उन्हें अपने मानदण्ड, जिनमें छात्रवृत्तियों की दरें भी शामिल हैं, निश्चित करने की छूट है।

जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है, छात्रवृत्तियां प्रदान करने की शर्तें, जिनमें मैट्रिक-उत्पादन छात्रवृत्तियों की दरें भी शामिल हैं, केन्द्र द्वारा निर्धारित

की जाती है। केंद्रीय सरकार के बजटों को वचनबद्ध 1968-69 के स्तर से (अर्थात् चतुर्थ योजना-पूर्व) अधिक हुए खर्च को भी उठाती है। छात्रवृत्तियों की दरों को बढ़ाये जाने के प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु वित्तीय निरोधों के कारण उसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा क्षमता का उपयोग

374. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अपने उत्पादन में विविधता लाने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण किये जाने वाले उत्पादों की तथा अपेक्षित निवेश की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) क्या क्षमता के उपयोग के संबंध में एककों के कार्य में कोई सुधार हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1. बिना नये विनियोजन के विविधीकरण के लिए किए गए नए उत्पाद निम्न प्रकार है :

जी० 9, जी० टी० 20, मिनीचुकर, हैवी ड्यूटी लैथ, राम टाइप मिलिंग मशीन, एल० टी० 20, मुल्टी स्पन्डिल आटोमैटिक्स सिंगल स्पिन्डिल आटोमैटिक्स, सिलैन्ड्रीकल ग्रिंडिंग मशीन्स सरसेस ग्रिन्डर्स, गियर हाबर्स, ब्रोचिंग मशीन्स, कापीइंग लैथे, होरिजिन्टल बोरिंग मशीन्स, फे आटोमैटिक्स इत्यादि।

2. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स निर्मित किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित उत्पाद जिनके उत्पादन में 1100 लाख रु० के अतिरिक्त विनियोजन की आवश्यकता है इस प्रकार हैं :

(क) टैक्टर इन पर 500 लाख रु० का विनियोजन होगा।

(ख) 300 लाख रु० के विनियोजन से मुद्रण मशीनों का निर्माण।

(ग) 300 लाख रु० के विनियोजन से प्रेसों का निर्माण/प्रेसों का कुछ सीमा तक पहले ही उत्पादन किया जा रहा है।

3 प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध क्षमता के उपयोग का प्रतिशत 1967-68 में 62 था, 1968-69 में 73.3 और 1969-70 में 83.5 था यद्यपि लाइसेंस प्राप्त क्षमता का यह प्रतिशत क्रमशः 33.8,44 तथा 53.6 था।

इस्पात कारखानों के लिए सार्थ संघ

375. **श्री इसहाक साम्मली** : **श्री श्रद्धाकर सूपकार** :
श्री रा० कृ० बिड़ला : **श्री योगेन्द्र शर्मा** :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले इस्पात कारखानों के लिए सार्थ संघ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शाफी कुरेशी) : (क) इस समय इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लि० भारतीय कन्सोर्टियम द्वारा भावी इस्पात कारखानों के लगाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Setting up of Industries in India by West Germany

376. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether the Government of India have got some indications to the effect that the Government of West Germany proposes to set up Industries in India ;

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ; and

(c) the types of industries which the West Germany proposes to set up in India and the main terms and conditions thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Revision of Voters' List in January, 1971

*377. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some voters were left out from being included in the voter's lists of some Constituencies at the time of revision of these lists ;

(b) whether it is also a fact that the number of voters is likely to increase by January, 1971 ;

(c) if so, the action being taken to include in the voters' lists the names of those voters who had been left out at the time of revision of the lists and also of those persons who are likely to become voters by January, 1971 and the time by which this work is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) A few cases of omission of names in the revision of electoral rolls in January, 1970, were reported by the Election Commission.

(b) Yes, Sir.

(c) The Election Commission has ordered a special revision of the rolls or parts thereof so as to include in the rolls eligible persons left out of the rolls during the revision of rolls in January, 1970. However, where the omission related to a few individual cases only, the Commission has advised them to apply to the Electoral Registration Officers for inclusion of their names under section 23 of the Representation of the People Act, 1950. These apart, the electoral rolls will be revised again in 1971 to include the names of persons who would attain the age of 21 years by January, 1971.

Supply of Materials to Bokaro Steel Plant by Foreign Plants at Bokaro

378. **Sari Nihal Singh** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some contractors had set up forging plants in Bokaro itself to supply some materials to the Bokaro Steel Plant ;

(b) whether it is also a fact that they have closed their own plants and are making supplies by getting those materials produced in other States ; and

(c) if so, whether Government propose to run these plants by handling them over to the workers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). No forging plants have been set up at Bokaro by any of the contractors. However, a number of contractors who have undertaken the fabrication and reaction of structurals from Hindustan Steelworks Construction Ltd. have set up fabrication shops at Bokaro. in addition to their base workshops situated elsewhere outside Bokaro Steel City. Only two of these shops situated at the Bokaro Steel site have been closed, one in October 1969 and the other in May 1970, on account of labour trouble. In these two cases, the fabrication will be done by the contractors at their base workshops.

(c) There is no proposal to hand over the closed shops to the workers In fact, most of the workers available have been absorbed elsewhere at Bokaro.

Re-Marriage of Widows

*379. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in case the husband of a girl belonging to the Brahmin, Rajput or Thakur Castes in the various States in the country dies at the time of her marriage or some days thereafter, she is not allowed to re-marry and she remains widow throughout her life ;

(b) whether it is also a fact that in case the wife of a person belonging to the said Castes dies, such a person is permitted to re-marry ;

(c) in case the replies to parts (a) and (b) above be in affirmative, whether the Government would enact some law under which the parents of a widow are compelled to allow their daughter to re-marry so that the women-folk could get their due place in society ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) and (b). The Government have no information in the matter. No complaints of Hindu widows not being allowed to re-marry if they so desire, have been received.

(c) Reference is invited to section 1 of the Hindu Widows' Re-marriage Act, 1856 (15 of 1856) under which "No marriage contracted between Hindus shall be invalid and the issue of no such marriage shall be illegitimate by reason of the woman having been previously married or betrothed to another person who was dead at the time of such marriages, any custom and any interpretation of Hindu law to the contrary notwithstanding" and to section 5 of the Hindu Marriage Act, 1955 (25 of 1955) under which "a marriage may be solemnised between any two Hindus if neither party has a spouse living at the time of the marriage" provided certain other conditions such as that the parties are not within the degree of prohibited relationship, etc., are fulfilled. There is thus no bar to a Hindu widow re-marrying if she so desires.

(d) Does not arise.

राज्यों द्वारा "बिहार मद्यनिषेध अधिनियम, 1938" के अनुरूप कानून बनाया जाना

380. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि किन्हीं राज्यों ने "बिहार मद्यनिषेध अधिनियम, 1938" के अनुरूप कानून बनाये

हैं; जिसके अनुसार विदेशी शराबों की बिक्री का विज्ञापन देने की कार्यवाही को कानून के अधीन दण्डनीय अपराध माना गया है तो उनके नाम क्या हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : गुजरात, केरल और राजस्थान सरकारों तथा हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने मादक पेयों इत्यादि की बिक्री को बढ़ावा देने के हेतु विज्ञापनों इत्यादि के निषेध के लिए कानून बनाये हैं। आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप, दादरा और नगर हवेली, गोआ दमन और दीव, लक्कादीव, मिनीकाय और अमीनीदीवी द्वीप, मनीपुर, पांडीचेरी तथा त्रिपुरा ने ऐसे कानून नहीं बनाये हैं। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सम्बन्ध में सूचना सुलभ नहीं है।

रेलवे के विशेष रूप से दावा अनुभाग के कार्य-प्रणाली सम्बन्धी जांच समिति की सिफारशें

381. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे और विशेष रूप से रेलवे के दावा अनुभाग के कार्य की जांच करने हेतु श्री आर० बी० लाल की एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ग) इस समिति ने क्या प्रमुख सिफारशें की हैं ; और

(घ) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) रेलों द्वारा बुक किये जाने वाले परेषणों को होने वाली हानि और क्षति और उनके कारण उत्पन्न होने वाले क्षतिपूर्ति के दावों के प्रश्न पर जांच करने के लिए एक व्यक्ति विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसमें श्री आ० बी० लाल थे।

(ख) जी, हां।

(ग) इस समय की टिप्पणियों और सिफारिशों का एक विवरण 5-5-70 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न 8596 के उत्तर में संलग्न कर दिया गया था।

(घ) रिपोर्ट में की गई 618 टिप्पणियों और सिफारशों में से 324 की जांच की गई और उन्हें अन्तिम रूप दिया जा चुका है और शेष अभी विचाराधीन हैं। अभी तक जिन टिप्पणियों और सिफारिशों पर विचार किया जा चुका है उसके अनुसार की गई या प्रस्तावित कार्यवाइयों में से कुछ इस प्रकार हैं :—परेषणों की मार्किंग और उन पर पता लिखने तथा परेषणों को इधर-उधर भटकने से रोकने के लिए माल डिब्बों पर 'लेबल लगाने' में अधिक बेहतर सुरक्षा के लिए माल डिब्बों पर अच्छी तरह मुहर लगाना और ठीक तरह से रिवेट लगाना और सामान यानों में ताले लगाना, सभी स्तरों पर कर्मचारियों के मन में माल और पार्सलों की सुरक्षा के लिए चेतना उत्पन्न करना माल चढ़ाने, उतारने आदि के पर्यवेक्षण के लिए स्टेशनों पर कर्मचारियों

की पर्याप्त संख्या के बारे में समीक्षा करना, मार्ग में परेषणों के सम्बन्ध में होने वाले विलम्ब पर निगरानी रखना, माल डिब्बों के पैनलों में कटे हुए छिद्रों के जरिये होने वाली उठाईगीरी बन्द करने के लिए सुरक्षा के उपायों को मजबूत करना, क्षतिग्रस्त माल डिब्बों की बड़े पैमाने पर मरम्मत करना, पैनल कटे हुए माल पर डिब्बों में उठायीगीरी के सम्भावित माल का लदान रोकना, माल डिब्बों के पल्लों की दरारों के जरिये होने वाली उठायीगीरी रोकने के लिए पल्लों में निकासीरोधी साधनों की व्यवस्था, नष्ट पार्सलों की ढुलाई के लिए गाड़ियों में पर्याप्त स्थान की व्यवस्था, स्टेशनों पर माल चढ़ाने और उतारने के लिए उचित सुविधायों की व्यवस्था, अनियमितताओं और अनाचार का पता लगाने के लिए अचानक जाँच करना, फाइलें खोलने और भुगतान आदेश जारी करने की प्रक्रिया का युक्तियुक्तकरण, स्टेशनों द्वारा दावा कार्यालयों में दावे पेश किये जाने के पहले ही खोये हुये क्षतिग्रस्त माल की रिपोर्ट भेजना, जांच पड़ताल का काम शीघ्र पूरा करना, स्टेशनों पर दावे के निबटारे के लिए चल दावा कार्यलायों का खोलना, स्मरण पत्रों और अपीलों का शीघ्र निबटारा करना, पर्यवेक्षण के काम में कड़ाई बरतना, मुकदमेबाजी को कम से कम करना, आदि ।

मैसर्ज एलेम्बिक उद्योग समूह के विरुद्ध आरोप

383. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री मैसर्ज एलेम्बिक उद्योग समूह के विरुद्ध आरोपों के बारे में 19 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10284 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस आरोप की जांच कर ली है कि एलेम्बिक उद्योग समूह, बड़ोदा की दो कम्पनियों ने श्री एस० के० पाटिल को 50,000 रुपये दान दिया हालांकि औपचारिक रूप से यह कहा गया है कि दान बम्बई काँग्रेस कमेटी के नाम में दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो उक्त जाँच के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या इस दान की बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेखे में न दिखाने के कारण श्री एस० के० पाटिल के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की जायेगी; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या एक व्यक्तिगत उपहार को एक राजनैतिक चंदे के रूप में दिखाने के कारण उक्त कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है, और यदि नहीं तो इनके क्या कारण हैं ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ख). कम्पनी के लेखे की किताबों के निरीक्षण का आदेश कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत दिया गया है । निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

केप्स्टेन मार्का सिगरेट का मूल्य

384. **श्री जार्ज फरनेन्डोज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी फरवरी, 1970 के बजट से पहले कैपस्टन मार्का सिगरेट एक रुपया प्रति पैकिट की दर से बेच रही थी ;

(ख) क्या यह पैकिट अब एक रुपया तीस पैसे प्रति पैकिट की दर से बिक रहा है ;

(ग) क्या बजट के तुरन्त बाद ही इस कम्पनी ने एक और कैपस्टन चालू किया और उसका मूल्य 55 पैसे रहा ;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि यह दूसरा मार्का ग्राहकों को भ्रम में डालने के लिए तथा यह अनुभव कराने के लिए चालू किया गया था कि वह ऊंचे मूल्य वाले कैपस्टेन सिगरेट को कम दर पर पी रहा है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी ने यह नया मार्का मध्यम मूल्यों के लोकप्रिय सिगरेटों का व्यापार करने वाले अपने प्रतिद्वन्दियों के साथ अनुचित प्रतियोगिता करने के उद्देश्य से चालू किया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) (क) तथा (ख). इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी 10 सिगरेटें वाले कैपस्टान मिडियम सिगरेट का पैकेट 1 रु० 25 पैसे की दर से बेच रही थी, उसने फरवरी, 1970 के बजट के पश्चात् प्रति पैकेट की कीमत 1 रु० 30 पैसे तक बढ़ा दी ।

(ग) कम्पनी में 1947 में अपनी कैपस्टन नैवी कट मैगनम सिगरेट बनानी समाप्त कर दी थी और 1969 में इसे पुनः चालू कर दिया ।

(घ) तथा (ङ). क्योंकि ये सिगरेटें विभिन्न रंगों वाले पैकटों में पैक की जाती हैं अर्थात् मिडियम सफेद पैकेट में तथा मैगनम नीले रंग में, तो साधारणतः भ्रम नहीं होना चाहिए । ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कम्पनी में मध्यम मूल्यों वाली सिगरेट पुनः चालू करके, जिसे वे पहले से ही बेच रहे थे, कोई अनुचित प्रतिद्विन्द्वता की है ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में घटनायें

3 5. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में हिन्सात्मक घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं के संबंध में उनके मन्त्रालय, श्रम मंत्रालय तथा गृह-कार्य मंत्रालय की क्या राय है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र को इस्पात कारखाने में ऐसे हिन्सात्मक विवादों पर नियंत्रण रखने तथा तनाव को कम करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

इस्पात तथा भारी इजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा ज्ञापन

386. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल 15 मई, 1970 को, मन्त्री महोदय से मिलने के लिए और एक ज्ञापन पेश करने के लिए उनके निवास स्थान पर गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या-क्या समस्यायें उठाई गई हैं ; और

(ग) उक्त ज्ञापन में दी गई रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में उठाये गये विषयों का सम्बन्ध निम्नलिखित से है :—

(i) तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियों का ग्रेड बढ़ाना ।

(ii) रेल कर्मचारियो के मामलों की जाँच करने के लिये वेतन आयोग में एक पृथक कक्ष का बनाया जाना ।

(iii) जब तक वेतन आयोग की सिफारिशें नहीं आ जाती तब तक के लिए अन्तरिम राहत का दिया जाना ।

(iv) रेलों पर आकस्मिक/ठेके के मजदूरों को काम पर लगाने की प्रणाली समाप्त करना ।

(v) जिन कर्मचारियों में तीन वर्ष की लगातार की सेवा पूरी कर ली हो उन्हें स्थाई करना ; और

(vi) सितम्बर, 68 की हड़ताल के सम्बन्ध में कर्मचारियों के विरुद्ध अदालती मामलों को वापिस लेना ।

(ग) इन सभी मांगों की गुण-दोष के आधार पर जांच की गई है और स्थिति इस प्रकार है :—

(i) जो कर्मचारी अपने वेतन मानों के अधिकतम पर रुके हुये थे उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं लेकिन तीसरे तथा चौथे दर्जे के समस्त कर्मचारियों के ग्रेड बढ़ाने के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी ।

(ii) रेल कर्मचारियों के मामलों की ओर पर्याप्त ध्यान देने के लिये वेतन आयोग में एक उपयुक्त तंत्र के निर्माण के विषय की ओर ध्यान दिया गया है ।

(iii) चूँकि अन्तरिम राहत देने का प्रश्न भी वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों का ही भाग है इसलिए इस विषय पर उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(iv) आकस्मिक मजदूरों को केवल आवधिक कामों के लिये लगाया जाता है या गर्मी के मौसम वाले कर्मचारियों के रूप में या परियोजना के कामों पर विशिष्ट अवधि के लिये लगाया जाता है और इस प्रणाली को समाप्त करना सम्भव नहीं है। जहां

ठेकेदारों से काम कराया जाता है वहां ठेके के मजदूरों को नियुक्त करना अनिवार्य होता है।

(v) कर्मचारियों को अधिकृत रिक्तियों में स्थाई करने के पूरे प्रयास किये जाते हैं लेकिन तीन वर्ष की सेवा के बाद अपने आप स्थायी हो जाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

(vi) अदालती मामलों में सरकार की नीति यह है कि न्याय की सामान्य प्रक्रिया में दखल न दिया जाये। फिर भी राज्य सरकारों को कहा गया है कि बकाया मामलों की छान-बीन की जाये ताकि जहां सम्भव हो वहां अदालती कार्यवाई को समाप्त करने के लिए कदम उठाये जायें।

तमिलनाडू में औद्योगिक लाइसेंस नीति की आलोचना

3847. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंस नीति को लागू किये जाने के सम्बन्ध में तमिलनाडू के सरकारी क्षेत्र की आलोचना की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उद्योगों के क्षेत्रीय विस्तार से सम्बन्धित नीति तथा प्रक्रिया के बारे में तमिलनाडु सरकार की शिकायतों तथा भ्रमों को दूर करने के उद्देश्य से, तमिलनाडु सरकार के दृष्टिकोण पर विचार करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) भारत सरकार ने तमिलनाडु से सम्बन्धित मामलों पर तुरन्त ही निर्णय करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). तमिलनाडु के उद्योग मंत्री ने केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंस नीति के अमल में लाये जाने के बारे में जो आलोचना की थी उसके सम्बन्ध में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान गया है। जहां तक उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों के औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में विभिन्न विचार हैं, उनके ये विचार विशेष रूप से इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे राज्य औद्योगिक विकास के मामले में किस अवस्था में पहुँच गये हैं। इसमें निहित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए जिसमें विकास की गति बढ़ाने की आवश्यकता, आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकना, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों व इलाकों का द्रुत विकास और भीतरी-बाहरी दोनों प्रकार के पूंजीगत साधनों तथा अन्य रुकावटों को देखते हुए लाइसेंस नीति का निर्धारण करना शामिल है। औद्योगिक विकास और लाइसेंसिंग की समस्याओं के बारे में यह जरूरी है कि उन पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाये और उन्हें हल किया जाये। तथापि नीतियां निर्धारित करने तथा लाइसेंस के मामले में राज्य सरकारों के विचारों पर समुचित रूप से विचार किया जाता है।

(ग) किसी अन्य विशिष्ट राज्य के बारे में शीघ्र निर्णय लेने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाये गये हैं। सभी राज्यों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के बारे में प्रक्रिया सुधारने तथा विचाराधीन सभी प्रार्थना-पत्रों को जल्दी निपटाने के उद्देश्य से उनकी पुनरीक्षा करने के लिए कदम उठाये गये हैं। प्रक्रिया और भी सरल बनाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे ताकि प्रार्थना-पत्र यथा संभव जल्दी से जल्दी निपटाये जा सकें।

कारों के विक्रय मूल्य निर्धारित करने के बारे में कार-निर्माताओं के विचार

388. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित कारों के न्यायोचित विक्रय-मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित बोर्ड ने इस बारे में कार-निर्माताओं से अपने विचार देने को कहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो कार-निर्माताओं से मांगे गये विचारों तथा उनके द्वारा दिये गये उत्तरों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त बोर्ड के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद कारों के मूल्यों को निर्धारित करने के सरकार के निर्णय को कार-निर्माताओं के लिए स्वीकार करना अनिवार्य होगा या कि उन्हें फिर से अदालत में मामला ले जाने का भी कानूनी अधिकार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) कार मूल्य जांच आयोग तथा कार-निर्माताओं के बीच हुए पत्र-व्यवहार के ब्यौरे को इस अवस्था में बनाया नहीं जा सकता।

(ग) कार मूल्य जांच आयोग की स्थापना उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों पर हुई है। जांच आयोग की रिपोर्ट जब प्राप्त हो जायेगी तो उसे कार-निर्माताओं द्वारा दायर की गई याचिका पर अन्तिम रूप से निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाएगा जो कि अभी न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी है।

रेलों में बिना टिकट यात्रा करने पर वसूल किये गये जुर्माने

389. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत एक वर्ष के दौरान बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माने के रूप में कुल कितनी धन-राशि वसूल की गई ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अप्रैल, 1969 से मार्च, 1970 तक की अवधि में बिना

टिकट यात्रा करने वालों से निम्नलिखित अधिक प्रभार और अदालत द्वारा लगाये गये जुर्मानों की रकम वसूल की गई :

(1) रेलों द्वारा वसूल की गई अधिक प्रभार (दण्ड) की रकम — 1.29 करोड़ रु०

(2) अदालतों द्वारा किये गये जुर्माने — 12.10 लाख रु०

(ख) अनियमित यात्रा के लिए दण्ड में वृद्धि जो जून, 1969 से लागू की गई है, करने के अलावा बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए निम्नलिखित कार्यवाइयां की गयी हैं :—

(क) टिकट जांच की परम्परागत प्रणाली के अलावा भारी पैमाने पर आकस्मिक जांच की जाती है जिसमें टिकट जांच कर्मचारियों का भारी दल लगाया जाता है जिन की सहायता के लिए रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस के अनेक कार्मिक होते हैं और साथ में रेलवे मजिस्ट्रेट भी होता है, जो मामलों का उसी स्थान पर निपटारा करता है।

(ख) बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध चलाये गये अभियान में विद्यार्थियों, गांव के मुखियों और समाज-सेवी संगठनों की सहायता की जाती है।

(ग) जन-सम्पर्क के विभिन्न माध्यमों से बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध शैक्षणिक प्रचार किया जाता है।

वैगन निर्माण उद्योग के सामने संकट की स्थिति

390. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैगन निर्माण उद्योग भारी संकट का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1970-71 के क्रयादेश अभी भी नहीं दिये गये हैं जबकि सामान्यतः उन्हें अधिकाधिक दिसम्बर 1969 तक दे दिया जाना चाहिए था, और यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) वैगन निर्माण उद्योग को इस संकट से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सरकार ने इस आशय की कुछ रिपोर्टें समाचार-पत्रों में देखी हैं।

(ख) समाचार-पत्रों की रिपोर्टों में दिये गये कारणों में बताया गया है कि आर्डरों की संख्या अपर्याप्त है, कीमतें अलाभप्रद हैं और इस्पात और पहिया-सेटों की कमी है।

(ग) यातायात की अनिश्चित प्रवृत्त के अन्तर्गत माल-डिब्बों की आवश्यकताओं के तखमीने में कठिनाई के कारण 1970-71 के वर्ष के लिये आर्डर देने में विलम्ब हुआ है। फिर भी इस कारण से उत्पादन नहीं रुका है क्योंकि माल-डिब्बा निर्माताओं के पास पर्याप्त संख्या में माल-डिब्बों के लिए आर्डर मौजूद हैं। आशा है शीघ्र ही नये आर्डर प्राप्त हो जायेंगे।

(घ) माल-डिब्बा निर्माताओं को हाल में उनके काम के आधार पर पर्याप्त संख्या में आर्डर मिले हैं। उनकी इस्पात की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हर प्रकार की सहायता की जाती है और अन्य उपकरण भी उन्हें रेलवे द्वारा मुफ्त में दिये जाते हैं। यदि ऐसी मदों की देशी वस्तुएं उपलब्ध होने में कोई कमी होती है तो उन्हें पूरी करने के लिए आयात की व्यवस्था भी की जाती है।

Industries in Ujjain (M.P.)

391. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the total number of small and big industries functioning in Ujjain District of Madhya Pradesh ;

(b) the number of industries out of them in which a capital of more than Rs. 30 lakhs is invested ; and

(c) the names of industries which have been given grants and loans by Government for industrial development and the names of the industries which are proposed to be given grants and loans during the financial year 1970-71 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Visit by Russian Minister to Steel Plants in India

392. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether the Foreign and Economic Development Minister of Russia, Mr. Skachkov, had expressed his opinion after visiting Ranchi, Bokaro and Bhilai that until the Plants operated with full capacity, they would not show any profit ;

(b) the action taken by Government in accordance with the aforesaid advice ; and

(c) whether the aforesaid Plants are not producing steel according to the requirements of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Mr. Skachkov, Chairman, State Committee of the USSR Council of Ministers for Foreign Economic Relations visited Bhilai and Bokaro, but not Ranchi, during his last visit to India in February, 1970. He had, however, visited Ranchi, Bokaro and Bhilai during his previous visit in 1968. Discussions during his visits to Bokaro were only in respect of expeditious construction of the plant. As regards Bhilai and Ranchi, the discussions related to the present state of working of the Plants and the measures necessary to ensure increased economic efficiency in the plants. The need for fuller utilisation of the plants was also discussed. He did not, however, express any opinion as quoted.

(b) Does not arise.

(c) The Bhilai Steel Plant is producing steel to meet the requirements of the country. Bokaro Steel Plant is yet to go into production. Heavy Engineering Corporation, Ranchi is not a steel producing unit.

Issue of Licences for Manufacture of Tractors

393. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the number of private firms which had applied for grant of licences for manufacturing tractors and the number out of them of those which have so far been granted licences ; and

(b) the reasons for the delay in granting licences to the remaining firms ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). 22 private firms have submitted applications for grant of licences for the manufacture of tractors. Licences are under issue to two of them and letters of intent to three others. The remaining applications are in various stages of examination. Most of them have been received during the last three months. In the case of a few of them which have been pending for some time, the delay has largely been due to the applicants not furnishing complete details about their proposals.

Abolition of Legislative Councils of Bihar and Uttar Pradesh

*394. **Shri Ram Sewak Yadav** : **Shri Ramavtar Shastri** :
Shri Surendranath Dwivedy :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received a Resolution passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly for the abolition of the Legislative Council there ; and

(b) if so, whether the Central Government propose to bring forward any Bill for the abolition of the Legislative Councils in Bihar and Uttar Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) No, Sir.

(b) The question of undertaking legislation for the abolition of the Legislative Council of the State of Bihar is under active consideration.

Financial Assistance to Institute of Constitutional and Parliamentary Studies

*395. **Shri Ramsewak Yadav** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies receives financial assistance from any other Indian or foreign institutions in addition to the Government of India ?

(b) if so, the names thereof together with the amount of assistance ; and

(c) whether the above Institute recently organised any Camp in Nainital (U. P.) and, if so, the full details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b). Yes, Sir, from a foreign institution, namely, the Ford Foundation (U. S.). During the period of three years from August, 1 67 to July, 1970, the Ford Foundation promised a total grant amounting to $ 2,00,000 to support

research and training in parliamentary affairs, constitutional questions and federal State relations. Out of this, the Institute has so far actually received assistance amounting to $ 1,10.300. The balance of the amount of the grant promised, namely, $ 89,700 is yet to be accounted for by the Ford Foundation and accepted by the Institute.

In addition to the above the Ford Foundation has also agreed to extend a grant amounting to $ 50,000 for Leadership Exchange Programme. The institute has not so far received any assistance on this account.

(c) The Institute of Constitutional and Parliamentary Studies is a private body and is not primarily responsible to the Government of India. According to the information made available by the Institute, it organised at Nainital from 11th October to 18th October, 1969, the Fifth Orientation Seminar for Legislators on the invitation of the Presiding Officers of the U. P. Legislature. The topics discussed were—

(i) Role of legislatures in democracy ;

(ii) Relationship of the legislature with the executive, the judiciary and the press ;

(iii) the way to legislature ;

(iv) Trials and tribulations of a new legislator ;

(v) How to be an effective legislator ;

(vi) Procedure relating to various kinds of motions with special reference to adjournment motion and the motion of no confidence against the Council of Ministers ;

(vii) The role of committees in the legislative machine.

The Seminar was attended by—

Presiding Officers—12

(from U. P., Tamil Nadu, Bihar, Assam, Gujarat, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Pondicherry and Delhi).

Ministers	6

from U. P. and Madhya Pradesh

Legislators from	
U. P.	37
Bihar	21
Madhya Pradesh	3
Delhi Metropolitan Council	3
Members of Parliament	2
Total	84

The main objective of the Seminar was to bring together the legislators from different States and Union Territories under a common forum and to provide them with an opportunity to discuss the working of their legislatures with special emphasis on the day to day problems faced by them and difficulties, if any, encountered by them. No conclusions were reached.

The total expenditure incurred by the Institute in Connection with the Seminar was Rs. 18,500.

Alternative Employment for Employees Retrenched due to Non-Production of Steam Engines

*396 **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production of steam engines for broad-gauge lines will be completely stopped by March, 1972 ;

(b) whether some employees are likely to be retrenched as a result thereof ;

(c) if so, whether there is any proposal to provide alternative employment to the retrenched employees ; and

(d) the advantages or disadvantages of diesel and electric engines over steam engines with details thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The production of Broad-Gauge steam locomotives is being discontinued from July 1970. Metre-Gauge steam locamotives will continue to be produced until the end of 1971.

(b) No.

(c) Does not arise

(d) With the rise in goods and passenger traffic the density of traffic on a number of trunk routes has reached saturation point and further increase in throughput can only be undertaken by improved form of traction i. e. dieselisation and electrification. Diesel and electric locomotives are capable of hauling heavier loads at higher speeds, thereby achieving a higher level of throughput without which it would not be possible to move the present level of traffic. Both availability and utilisation of these locomotives is considerably higher than that of a steam locomotive on account of the fact that the latter require periodical replenishment of water and coal and cleaning of fire. On sections where there is water shortage, the steam locomotive is at a distinct disadvantage. Further steam locomotives continue to consume fuel during waiting periods whereas Diesel and Electric locomotives can be conveniently shut down.

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री द्वारा दुर्गापुर इस्पात का खाने का दौरा

397. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री देवकी नंदन पटोदिया :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की उत्पादन-क्षमता घट कर 50 प्रतिशत रह गई है और इसके फलस्वरूप भारी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने स्थिति का मौके पर अध्ययन करने के लिए हाल ही में इन कारखानों का दौरा किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा किये गये अध्ययन के क्या परिणाम निकले और इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां । जून, 1970 में उत्पादन आयोजित क्षमता का 49 प्रतिशत रह गया था ।

(ख) और (घ). उत्पादन में लगातार कमी का बड़ा कारण अशांत औद्योगिक सम्बन्ध है। जान-बूझ कर काम से अनुपस्थिति, धीमी गति से काम करने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने, अचानक काम बन्द करने तथा घेराव आदि से उत्पादन में कमी हुई है। औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार के लिए प्रबन्धक वर्ग तथा मान्यता-प्राप्त यूनियन के बीच द्विपक्षीय वार्ता नियमित रूप से होती रहती है। पिछले ग्यारह महीनों में प्रबन्धकों तथा यूनियन के बीच विभिन्न मामलों के बारे में 26 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक नई बोनस योजना तैयार की गई है। और इसे लागू करने के लिए प्रबन्धकों द्वारा मान्यता-प्राप्त यूनियन से वार्ता की जा रही है। प्रबन्धक वर्ग द्वारा उत्पादन वृद्धि के लिए किये गये अन्य उपाय ये हैं : सन्धारण कार्य का पुनर्गठन, देशीय तथा आयातित फालतू पुर्जों को प्राप्त करना, विभिन्न इकाइयों की भारी मरम्मत का काम प्रारम्भ करना, प्रौद्योगिक सुधार करना, सन्तुलित सुविधाओं की व्यवस्था करना, आदि।

(ग) जी, हां।

इंजीनियरिंग उद्योग में इस्पात की कमी

398. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इंजीनियरिंग उद्योग वर्ष 1970-71 के लिए 140 करोड़ रुपये के निर्यात-लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस्पात की कमी का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की इस्पात की आवश्यकताओं का अनुमान क्या है तथा इस मांग को किस सीमा तक पूरा किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस उद्योग को अपने निर्यात-लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु इसकी शेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद् ने 1970-71 में निर्यात हेतु इंजीनियरी सामान बनाने के लिए 4,48,000 टन इस्पात की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया है। इस अनुमान की जांच की जा रही है और वास्तविक आवश्यकताओं की देशीय स्रोत्रों या आयात द्वारा पूर्ति करने के उपाय किये जा रहे हैं।

औद्योगिक लाइसेंस नीति का व्यापार तथा उद्योग पर प्रभाव

399. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा था कि वे नई औद्योगिक लाइसेंस नीति के व्यापार तथा उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उसके ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया का अध्ययन करे तथा सरकार को इस बारे में सूचित करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को अपने प्रतिवेदन पेश कर दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रमुख बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां। राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों को कहा गया है कि वे इस संबंध में सावधिक मूल्यांकन भेजें।

(ख) और (ग). ग्यारह राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हुए हैं तथा सामान्यतः उन्होंने यह कहा है कि उनके राज्यों में उद्योगों के प्रसार पर नई नीति के प्रभाव का अर्थपूर्ण निर्धारण शीघ्र करना होगा ?

लोहे तथा इस्पात के बारे में व्यापारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद की सिफारिशें

400. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने देश में लोहे तथा इस्पात के लिए लम्बी अवधि वाले कार्यक्रमों का कोई अध्ययन किया है और इस सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रमुख बातें क्या हैं ; और

(ग) परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये नवीनतम अध्ययन के आधार पर 1970-71 में तैयार साधारण इस्पात की देशीय मांग 7.125 मिलियन टन और 1975-76 में 10.512 मिलियन टन होगी। इस परिषद द्वारा फस्ट ग्रेड कच्चे लोहे की मांग का अनुमान 1970-71 के लिए 1.795 मिलियन टन और 1975-76 के लिए 2.392 मिलियन टन लगाया गया है। इस अध्ययन का ब्यौरा 1968 में प्रकाशित राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद की 'लांग टर्म प्रोजेक्शन्स फार आयरन एण्ड स्टील" (लोहा और इस्पात के दीर्घ-कालीन अनुमान) नामक पुस्तिका में देखा जा सकता है।

(ग) राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद के प्रतिवेदन और अन्य अनुमान के आधार पर लोहा और इस्पात की कर्णधार समिति ने 1973-74 के लिए तैयार इस्पात और विक्रेय कच्चे लोहे की देशीय मांग के क्रमशः 7.12 मिलियन टन और 1.95 मिलियन टन होने का अनुमान किया था। चौथी योजना के लिए इसे स्वीकार कर लिया गया है।

चूंकि राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद का प्रतिवेदन कुछ पुराना हो गया

है और चूंकि तीन नये इस्पात कारखाने लगाने का निर्णय किया गया है इसलिए सरकार ने इस परिषद से 1975-76 और 1980-81 के इस्पात की मांग के बारे में फिर से अध्ययन करने को कहा है।

---

7 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5368 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

STATEMENT CORRECTING THE REPLY GIVEN ON 7 TH APRIL, 1969 TO UNSTARRED QUESTION NO. 5368

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 7 अप्रैल 1969 को अतारांकित प्रश्न सं० 5369 के उत्तर में कहा गया था कि तत्काल उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी संग्रहालय और उससे सम्बन्ध इमारतों के लिए 7.10 एकड़ भूमि 1.00 रुपया वार्षिक के नाम मात्र के किराये पर देने के अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा गांधी स्मारक निधि में अन्य कोई अन्श दान नहीं दिया गया है। प्रश्न का उत्तर देने के समय तक अन्य सम्बन्धित पक्षों से उत्तर नहीं आने के कारण उत्तर में निहित सूचना केवल उक्त निधि के मंत्री से प्राप्त सूचना पर आधारित थी। अब निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग से सूचना प्राप्त हुई है और इस सूचना की उक्त निधि के मंत्री द्वारा पुष्टि की गई है कि निधि के कब्जे में वास्तव में भूमि 7.10 एकड़ नहीं होकर 5. 36 एकड़ है।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

RE: MOTIONS ADJOURNMENT QUERIES

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञों की सिफारिशों के बावजूद उड़ीसा में इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के बारे में सरकार द्वारा निर्णय न लेने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी थीं। सरकार सिफारिशों के उपरान्त भी निर्णय नहीं ले पाई है। यदि सरकार राजनीतिक दृष्टि से कोई निर्णय लेना चाहती है तो ये परन्तु उसे उड़ीसा के दावे को नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए। सरकार ने उड़ीसा की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। उड़ीसा में पूर्ण बन्द रहा। यदि हम इस सभा में उड़ीसा के लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं करेंगे तो और कहां करेंगे। सरकार की निंदा करने का यही सुअवसर है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठेंगे या नहीं ?

श्री प्र० के० देव : यदि इसके लिए अनुमति नहीं दी जाती तो हम कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। उड़ीसा में इस्पात संयंत्र स्थापित होना चाहिए।

इसके पश्चात् श्री प्र० के देव तथा कुछ अन्य सदस्य सभा पटल से उठकर चले गये

Shri P. K. Deo and some others members then left the house

अध्यक्ष महोदय : अगली मद अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है हम पहले उस पर विचार कर लें। श्री० कु० तापड़िया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अलकनन्दा में भीषण बाढ़

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैं सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में वक्तव्य दें। अलकनन्दा में भीषण बाढ़ जिसमें कि लगभग 200 व्यक्ति और अनेक बसें, टैक्सियां तथा सेना के ट्रक बह गये।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (श्री० कु० ल० राव) : पश्चिमी हिमाचल में 20 जुलाई, 1970 को भारी वर्षा हुई। जोशीमठ में 21 जुलाई को प्रातः 8 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होने वाले 24 घण्टों के दौरान 22 सेंटीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसके परिणामस्वरूप अलकनन्दा तथा उसकी उप-नदियों में एकदम बाढ़ें आ गईं। कई स्थानों पर भू-स्खलन भी हुए जिनके फलस्वरूप मुख्य नदी तथा इसकी कुछ उप-नदियों का, विशेषकर, बेलाकूची की प्रतिवाह दिशा में एक मील दूर पाताल गंगा का बहाव रुक गया। ये रुकावटें एकाएक बह गईं जिसके परिणामस्वरूप 20 जुलाई, 1970 के सायं लगभग 7 बजे अलकनन्दा नदी का जल-स्तर बहुत शीघ्र ऊंचा हो गया। बेलाकूची के निकट पानी सड़क के स्तर से लगभग 15 मीटर ऊंचा हो गया। पानी के स्तर के एकदम असाधारण रूप से ऊंचे हो जाने से बेलाकूची के निकट सड़क पर बहुत सी गाड़ियां फंस गईं जिनमें 13 बसें, पांच टैक्सियां, 6 ट्रक और एक सैनिक गाड़ी जो कि मिलाकर कुल 25 गाड़ियां हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से पुल भी बह गये जिससे कि विशेषकर पीपलकोठी और जोशीमठ के बीच यातायात में बाधा पड़ गई।

इस वर्ष ऊपरी पहुंचों में बिरही गंगा एक ऐसी उप-नदी की प्रतिप्रवाह दिशा में लगभग 10 किलोमीटर दूर अलकनन्दा नदी में बाईं ओर से आकर मिलती है, बाढ़ जल के साथ काफी मलबा लाई जो कि गोहाना झील में आकर जम गया जिसके परिणामस्वरूप अनुप्रवाह दिशा में बिरही गंगा में पानी का बहुत अधिक बहाव हो गया। इससे अलकनन्दा की बाढ़ों में और तेजी आ गई।

बताया जाता है कि लगभग 420 व्यक्ति इन गाड़ियों में सफर कर रहे थे परन्तु भाग्यवश, बेलाकूची में रहने वाले लोगों ने उनको पानी के बढ़ते हुए स्तर के प्रति चेतावनी दे दी थी। वे लोग गाड़ियां छोड़ कर सुरक्षा के लिए पहाड़ियों पर चढ़ने लगे। बचाव के लिए प्रयत्न करते हुए बेलाकूची के निकट फंसे लगभग 29 यात्रियों ने अपनी जानें खोईं। यदि बेलाकूची के रहने वाले लोगों ने उनको समय पर चेतावनी नहीं दी होती तो जानी नुकसान इससे कहीं अधिक होता। यह जानकारी राज्य

सरकार से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित है। केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग का एक मुख्य इन्जीनियर जानकारी लेने तथा इस सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए वहां भेजा गया है।

उपर्युक्त दुर्घटना के अतिरिक्त, इन बाढ़ों से ऋषिकेश-बदरीनाथ सड़क और पुलों को भारी क्षति पहुंची है। टेलीफोन और तार सम्बन्धी संचार सेवाओं में बाधा पड़ गई। मकानों के गिरने और भू-स्खलनों के कारण चमोली जिले में 23 व्यक्ति मर गए। प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार मकानों और सम्पत्ति को 24 लाख का और जन-उपयोगी सेवाओं आदि को कितनी क्षति पहुंची है इसका ठीक-ठीक मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

राहत और बचाव सम्बन्धी अभियान पूरे जोरों पर है। विभिन्न स्थानों पर फंसे 730 व्यक्तियों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जिलाधीशों को यह अधिकार दे दिया है कि वे जरूरतमन्द व्यक्तियों को किराये के पैसे दें ताकि वे अपने घर पहुंच सकें। मकान बनाने के लिए उपदानों और तकाबियों का वितरण किया जा रहा है।

चमोली जिले में राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार ने 2 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जिलाधीश को दे दी है। प्रधान मन्त्री ने भी प्रधान मंत्री सहायता कोष से 50,000 रुपये राज्य सरकार को भेजे हैं।

श्री सु कु० तापड़िया : यह निस्सन्देह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह हम सबके लिए खेद की बात है कि कुछ तीर्थ यात्री बेचारे बहुत ही बुरी तरह से मौत के मुंह पड़ गये और सम्भवतः उनकी इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का कुछ दायित्व प्रशासन पर भी है मंत्री महोदय ने जो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है उसमें इस सम्पूर्ण दुर्घटना का कारण प्राकृतिक प्रकोप ही बताया गया है। कहीं भी इस ओर संकेत नहीं किया गया कि प्रशासन ने बचाव के लिए कोई व्यवस्था की है। क्या यातायात के साथ संचार स्थापित करने की कोई व्यवस्था की गई, इस बारे में विवरण में एक भी शब्द नहीं कहा गया। श्रीमान् जी मैं पूछना चाहता हूँ कि 22 सेन्टीमीटर वर्षा असाधारण वर्षा होती है ? क्या इस क्षेत्र में पहले भी इतनी ही वर्षा नहीं होती है ? वहां हुई 22 सेंटीमीटर वर्षा से ही जलस्तर लगभग 15 मीटर ऊंचा जा सकता है। फिर पुल बह जाने की बात कहां गई है। यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब बांध टूटना आरम्भ हो गया था तो पानी के बहाव को रोकने का उसकी दशा बदलने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी ?

गत कुछ वर्षों तक तो इस क्षेत्र का महत्व केवल एक तीर्थ स्थान की दृष्टि से ही था परन्तु चीन के आक्रमण के बाद से इस क्षेत्र का महत्व युद्ध की दृष्टि से भी बढ़ गया है और यहां सीमा सड़क संगठन तथा सीमा सुरक्षा दल दोनों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। जब सरकार इस प्रकार के सुधारों का दावा करती है तो फिर भला इस क्षेत्र की संचार व्यवस्था इतनी दुर्बल क्यों है ? यहाँ बाढ़ अग्रिम चेतावनी व्यवस्था का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ? आपको स्मरण होगा कि जब प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था तो उन्होंने कहा था कि इस बाढ़ में मरने वालों की सख्या इतनी अधिक नहीं होगी जितनी कि समाचार पत्र में प्रकाशित कर रहे हैं। यदि प्रधान मंत्री की संचार व्यवस्था की यह स्थिति हो सकती है तो बाढ़ का शिकार होने वाले यात्रियों के सम्बन्धियों को किस तरह सूचित किया गया होगा, इसकी कल्पना आप स्वयं ही कर कर सकते

हैं। इस सामरिक महत्व के क्षेत्र में संचार व्यवस्था तथा अग्रिम चेतावनी व्यवस्था कैसी है, क्या यह जानने के लिये वह एक आयोग की नियुक्ति करेंगे ?

डा० कु० ल० राव : मेरा अनुरोध यह है कि चमोली और बद्रीनाथ के मध्य 60 मील का रास्ता है और इसमें सड़क की ऊंचाई 7000 फुट है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक का यह सड़क का भाग सदा ही समस्या उत्पन्न करता है। आप यह समझने का प्रयास कीजिये कि चमोली से लेकर जोशीमठ तक का सड़क का रास्ता संतोषजनक नहीं है क्योंकि सड़क पर सीधे ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है। दूसरे मेरे मित्र ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में 22 सेंटीमीर वर्षा का एक दिन में होना कौन सी बड़ी बात है। उनका यह कहना भी ठीक है परन्तु जहां तक मुझे सूचना मिली है उनके अनुसार न वहाँ 19 तारीख को वर्षा हुई और न ही 21 तारीख को। वर्षा बहुत ही तीव्र गति से हुई और केवल कुछ ही घन्टों में यह सारा कुछ हो गया है।

इसी सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। वहां दो यातायात नियन्त्रण केन्द्र हैं एक जोशीमठ और दूसरा चमोली। यह आश्चर्य की बात है कि जोशीमठ में बाढ़ नहीं आई। जोशीमठ की सड़क का पुल जिसे विष्णुप्रयाग कहते हैं उसे भी कोई हानि नहीं पहुंची। जोशीमठ और चमोली इन दोनों ही यातायात नियन्त्रण केन्द्रों के मध्य में और वह भी तीन बजे के बाद ही यह सम्पूर्ण दुर्घटना घटी है। वैसे मैंने इस सम्पूर्ण घटना की विस्तृत जांच के लिए एक अधिकारी को वहां भेजा है। सीमा सड़क विभाग भी अपनी ओर से जांच पड़ताल कर रहा है, परन्तु फिर भी मैं यही समझता हूँ कि यह सारा निर्यात या प्रकृति का हो प्रकोप है मानव या मानवीय साधनों का इसमें कोई दोष दृष्टिगोचर नहीं होता।

जहां तक बाढ़ चेतावनी का सम्बन्ध है वह इस क्षेत्र में सम्भव नहीं है, क्योंकि यह बहुत तंग क्षेत्र है यहां की सभी घटनायें अचनाक ही घट गई। इसे बाढ़ नहीं कहा जा सकता। अलकनन्दा में तो 4 लाख क्यूसेक की अपेक्षा केवल 2.5 लाख क्यूसेक पानी ही था। वहां बहुत से पहाड़ों के पानी में गिरने से रास्ता रुक गया, जल का स्तर ऊपर चढ़ता गया और इसके फलस्वरूप वह पुल बह गया।

बेलाकूची के निकट सड़क तल बहुत नीचे है। प्रायः अलकनन्दा बहुत गहरी रहती है, परन्तु बेलाकूची पर इस की गहराई केवल 50 फुट है और वहां जब पानी का स्तर 100 फुट तक बढ़ जाता है तभी इस प्रकार की दुर्घटना होती है।

मेरा यह निवेदन है कि आयोग की नियुक्ति आदि का प्रश्न वर्तमान जांच के पूर्ण होने के बाद ही उठाया जाना चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Mr. Speaker, devastating floods occur in one or the other part of the country every year. At the times of floods we hear a good number of speaches from our leaders who declare that they will fight floods on a war footing. In Assam, Bihar, Uttar Pradesh and in several other parts of the country, several people have been the victims of floods and property worth lakhs and crores of rupees is damaged. As per today's paper, Alaknanda river flood has taken a serious turn and position is critical now. Inview of this position, I would like to ask a few things from honourable Minister.

It is generally said that this situation is the result of the collapsing of Gohana Lake. But at the same time, there are news reports that this flood is the result of blockage in the Niti river due to landslides. I want to know how far it is correct. Is it also correct that in 1962 when floods occured in Niti river, the officers concerned had informed about the future dangers of landslides ? Even the Chamoli development Board had informed the officers concerned about this danger. If it is correct, who are the officers responsible for it ? Why no preventive measures were taken this time ?

Secondly, it is said that this situation arose as a result of sudden rains. I want to know when Gohana Lake was formed in a natural way by landslides, why all such dangers were not kept in mind ?

Thirdly in 1962, when roads were being constructed in this area, then some people had expressed the view that construction of road at this place was not safe and that would lead to floods. I want to know, if it is correct.

Lastly, I want to know what is the grant given by Central Government to the flood victims and through which agency ? What measures have been taken to meet future dangers of this river ?

डा० कु० ल० राव : इस क्षेत्र में बहुत सी नदियां बहती हैं। इसलिए यह कहना बहुत कठिन है कि कब तक इस क्षेत्र को बाढ़ों से मुक्ति मिल जायेगी। हां बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है और वह हम पहले ही कर रहे हैं। आज पहले की अपेक्षा बाढ़ का प्रभाव केवल एक चौथाई ही रह गया है।

गोहना झील टूटी नहीं है वरन् मलवा और पत्थर गिरने के कारण इस का पानी किनारों से उपर बह निकला। अगर यह वास्तव में टूट जाती तो चमोली क्षेत्र के लिए यह बहुत भयानक बात होती।

इस संदर्भ में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि बेलाकूची गोहना झील के संगम से कहीं अधिक ऊंची है। अतः गोहना में किसी प्रकार की बाढ़ से बद्रीनाथ का क्षेत्र प्रभावित नहीं हो सकता। बन्द्रीनाथ में तो पताल गंगा नदी के फलस्वरूप ही कोई भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूँ कि हमें चमोली से बद्रीनाथ तक की सड़क के बारे में पुनः विचार करना चाहिये। इसकी स्थिति आजकल बहुत ही खतरनाक है। हमारी कठिनाई यही है कि इस क्षेत्र में भू-स्खलन बहुत होते हैं। क्योंकि यह ऐसी सड़क है जो तीर्थ यात्रियों के उपयोग में आती है अतः हम विशेषज्ञों के सहयोग और परामर्श से इसे पुनः इस दृष्टि से बनाने की कोशिश करेंगे जिससे इस पर भू-स्खलन का प्रभाव कम से कम हो।

कलक्टरों द्वारा सब प्रकार की आवश्यक सहायता दी जा रही हैं।

Shri Sita Ram Kesri (Katihar) : I would like to know whether the pligrims who had been there were informed by district Magistrate, Uttar Pradesh Government or authorities concerned ?

Secondly, I want to know the number of people who became the victims of this flood, and the number of people whom relief was given ?

डा० कु० ल० राव : मैंने जो आंकड़े दिये है वे अब तक प्राप्त प्रतिवेदनों पर ही आधारित हैं। विस्तृत आकड़े तो जांच के बाद ही उपलब्ध होंगे।

मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि वर्तमान घटना बिरही गंगा में बाढ़ के कारण नहीं घटी है। इस बार तो केवल भू-स्खलन के कारण ही यह समस्या उत्पन्न हुई है।

Shri Sri Chand Goyal (Chandigarh) : The Government is trying to establish that Alaknanda tragedy was a natural calamity and neither any Government nor any Organisation is responsible for it. Is it not a fact that the Headquarters of Border Roadways was informed about the floods on 20th July in view of excessive rains in upper rigions ? Did Border Roadways initiate any action even after that warning ? Did they inform the pilgrims ? I want to ask the Government when this news was received in the Headquarters of Border Roadways and why no action was taken to remove the pilgrims from the road ? Why any alternative or precautionary arrangements were not made ?

In narrow hilly passages, the traffic is controlled. But here the first batch of pilgrims reached there at 7 A.M., the second at 12 A.M. and third at 3 P M. That means no traffic restrictions was imposed by the authorities even after the warning. If an enquiry is conducted under the Commissions of Enquiry Act, some more similar facts may also come to light.

This incident took place on the morning of 20th July but the news regarding that was broadcast on 22nd July. I want to know why it was not broadcast on 21st July, 1970 ? Furthermore, the news appeared in newspapers on 23rd Jul . What happened in between can be brought to light only by an Enquiry Commission.

Uttar Pradesh has given an aid of only 2.5 lakhs of rupees for this purpose The Finance Minister of Uttar Pradesh who met the Prime Minister told her that only Rs. 6 crores were required for restoring the communication system. Is the Government prepared to give this much aid ?

I would also like to know whether necessary food, medicines or other required things are being given to the sufferers of this calamety ? What arrangements have been made for this purpose ?

Lastly, I would like to know whether the 14 bridges, for which State Government has sought the help of the Centre, will be constructed by the State Government without the help of Army ? I want, that all my questions should be answered by the hon. Minister.

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने पहले बताया गोहाना झील में इस वर्ष दरार नहीं पड़ी है।

जोशीमठ तथा चमोली में बाढ़ नियन्त्रण का प्रबन्ध है ! जोशीमठ में अलकनन्दा नदी में कोई बाढ़ नहीं थी। बिरही गंगा तथा अलकनन्दा के संगम के स्थान पर जो पुल बना हुआ है वह बिल्कुल सुरक्षित है। अतः यातायात को रोकने का कोई कारण नहीं था। यह समूची दुर्घटना जोशीमठ तथा चमोली के बीच घटी है।

यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अनेक पुल बह गये हैं और कि उनको पुनः बनाने के लिए उनको केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता होगी। समूची रिपोर्ट के तैयार हो जाने पर मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता देने पर गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री देविन्द्र सिंह गार्चा (लुधियाना) : जिस व्यक्ति ने इस को अपनी आंखों से देखा है उसका कहना है कि इस समय वहां पर कोई गोहना झील नहीं है। उसका सारा पानी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में चला गया है। यह झील 1891 में बनी थी और तब से ही लोगों के लिए कठिनाई

उत्पन्न हो रही है। इसके कारण अनेक बार छोटे पैमाने पर बाढ़ आई है ऐसा लगता है कि इसके किनारों की सुरक्षा के लिये या तो कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं है या प्रबन्ध अपर्याप्त हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रबन्ध क्या हैं और क्या वह प्रबन्ध स्थायी है? किनारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण कौन है। क्या सरकार ऐसे जोखिम वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण करायेगी?

डा० कु० ल० राव : चमोली और बद्रीनाथ के बीच जो सड़क है उसका सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्राय: होने वाले भू-स्खलनों का उस पर प्रभाव पड़ा है। मैं इस सड़क के इस भाग के सर्वेक्षण के लिए भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण से अनुरोध करूंगा।

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOME

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे कार्य सूची के बारे में कुछ कहना है। हमें आशा थी कि माननीय मन्त्री कल अथवा आज पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के बड़े पैमाने पर आगमन के बारे में कोई वक्तव्य देंगे क्योंकि इस के कारण लोगों के पुनर्वास की एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप माननीय मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देने को कहें।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : भारत और पाकिस्तान के बीच हुए करार के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिये।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यक लोगों का निकास एक गम्भीर समस्या है। हमने इस बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे रखी है। इस समस्या पर चर्चा के लिये हमें अवसर मिलना चाहिए।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैंने आसाम की बाढ़ के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे रखी है। आसाम में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और इस वर्ष भी वहां पर बाढ़ आई है। मन्त्री महोदय तथा कुछ विशेषज्ञ बाढ़ नियन्त्रण के बारे में अध्ययन करने अमरीका गये थे। अमरीका से एक विशेषज्ञ हमें सलाह देने ही यहां आया था परन्तु इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दो वर्ष पूर्व मंत्री महोदय द्वारा सभा में कहा गया था कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाया जायेगा परन्तु ऐसी कोई कार्यवारी नहीं की गई है। मन्त्री महोदय दिल्ली से गौहाटी जा रहे है। वह वहां पर जाकर क्या करेंगे। उनकी यात्रा पर व्यय होने वाली राशि को निर्धन किसानों में बांट दिया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It has appeared in the newspapers that bullet-proof glass is being provided in the public galleries for the safety of the Members. In my view it should not be done. I want to know from you, Sir, whether it is correct or not?

Mr. Speaker : There is no such proposal?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : May I know whether Government can put up bullet-proof glass against your will ? Who gave this news to the newspapers ?

Mr. Speaker : I will explain the whole thing after ascertaining the facts.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Who gave this suggestion ?

Mr. Speaker : I will let you know after making enquiries.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : The railway workers staged a demonstration throughout India on the 27th instant but All India Radio did not broadcast anything about it I want to know whether it is All India Radio or Gujrat India radio.

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : रेलवे के लगभग 15,000 मजदूरों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था । उनकी माँग अन्तरिम सहायता तथा आवश्यकता पर आधारित मजूरी की थी ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है । रेलवे मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये ?

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : You should ask the hon. Home Minister to tell whether an experiment of putting up bullet-proof glass has been done or not ?

Shri Hukam Chand Kachwai : You must be learning something about it.

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए । शाम को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है । हम इस मामले को वहां पर रखेंगे ।

लगभग 16 अथवा 17 स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । जब तक अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कुछ निर्णय नहीं हो जाता मैं स्थगन प्रस्तावों पर विचार नहीं कर सकता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1970

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के उपबन्धों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1970 को प्रख्यापित दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (1970 का संख्या 4) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** सख्या एल० टी० 3657/70]

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं जिन परिस्थितियों में दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1970 को प्रख्यापित करना आवश्यक हुआ उन का स्पष्टीकरण करने के लिए एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 3658/70]

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952 तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्र

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1928 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 3659/70]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 9क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 3660/70]

(तीन) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के 1968-69 के वार्षिक लेखे की एक पति तथा उन पर लेखा परीक्षित प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 3661/70]

श्री नाथ पाई (राजापुर) : आपने श्री द्विवेदी को स्थान ग्रहण करने के लिए कहा था और उन्होंने आपकी बात स्वीकार कर ली थी। आप ने कहा था कि ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात् आपको उनको अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आज सुबह मेरे पास आये थे। और मैंने उनको पूरी बात बता दी थी।

श्री नाथपाई : श्री मधु लिमये के अविश्वास प्रस्ताव के लिये अनुमति दिये जाने के पश्चात् स्थगन प्रस्तावों की क्या स्थिति है ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : You have stated that the matter of adjournment motions will be put before the Business Advisory Committee.

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि मेरे पास 16 अथवा 17 स्थगन प्रस्ताव आये हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय हो जाने के पश्चात् ही इन पर कुछ निर्णय किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरे विचार में आपने जो प्रक्रिया अपनाई है वह

ठीक नहीं है । नियमों के अनुसार हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एक सप्ताह अथवा दस दिन के लिये स्थगित कर सकते हैं यदि विरोधी दल के नेता तथा सभा के नेता के बीच इस आशय का कोई समझौता हो जाता है । मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसका अविश्वास प्रस्ताव से कोई सम्बंध नहीं है । यदि आप यह आश्वासन दें कि अविश्वास प्रस्ताव के पश्चात् आप स्थगन प्रस्ताव पर विचार का अवसर प्रदान करेंगे तो यह एक ठीक प्रक्रिया होगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : If you are not taking the adjournment motions on the ground that no confidence motion is there then I would say that it is not a correct procedure. Under the rules you cannot do like this.

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने के पश्चात् ही मैं स्थगन प्रस्तावों के बारे में कोई निर्णय करूंगा ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : चुनाव आयोग ने केरल में चुनाव की तिथि निश्चित कर दी है । इस विषय पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया गया था परन्तु कल सभा के स्थगित हो जाने के कारण इसको नहीं लिया जा सकता ।

श्री ए० श्रीधरन (वडागरा) : आमतौर पर यह लोग शीघ्र चुनाव करने के पक्ष में होते हैं परन्तु अब यह चुनाव को स्थगित करना चाहते हैं । बंगाल में यह तुरन्त चुनाव करना चाहते हैं और केरल में देर से यह दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं ।

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : स्थगन प्रस्ताव आमतौर पर अबिलम्बनीय महत्व के विषय के बारे में दिया जाता है । यदि इस पर चर्चा स्थगित कर दी जाय तो इसका सारा महत्व ही समाप्त हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो जाता, मैं स्थगन प्रस्तावों के बारे में कोई निर्णय नहीं दे सकता ।

परिषद निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1970

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथराव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ ।

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 25 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 968 में प्रकाशित हुआ था । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3662/70**]

( ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1365 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 10 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा

जिसके द्वारा केरल के सम्बन्ध में संसदीय तथा विधान-मंडल निर्वाचन क्षेत्र आदेश, 1966 की अनुसूची सात में कतिपय संशोधन किये गये थे।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3663/70]

एन्टीमोनी के उचित विक्रय मूल्य के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानुप्रकाश सिंह) : मैं श्री नीतिराज सिंह चौधरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) एन्टीमोनी के उचित विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1969) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-3664/70]

(दो) सरकार का दिनांक 12 जून, 1970 का संकल्प सख्या 3 (6)/69—एम० इ० टी० 1 जिसमें उपर्युक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-3665/70]

(2) उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को उक्त अधिनिययम की धारा 6 की उपधारा (2) में निर्धारित अवधि के भीतर सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 3666/70]

जांच आयोग का प्रतिवेदन

गृह-कार्य मन्त्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) महात्मा गांधी की हत्या के षडयन्त्र सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन (कपूर आयोग का प्रतिवेदन) भाग 1 और 2 की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०-3667/70]

(2) उक्त प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण को अंग्रेजी संस्करण के साथ सभा पटल पर न रखने के कारणों का एक विवरण। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-3668/70]

फरक्का बांध परियोजना के बारे में भारत-पाकिस्तान वार्ता

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं फरक्का बांध परियोजना तथा पूर्वी नदियों से सम्बद्ध अन्य मामलों के बारे में 16 से 21 जुलाई, 1970 तक नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव-स्तर पर हुई वार्ता के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०-3669/70]

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I raise a point of order on Item No. nine. We have submitted Calling Attention motion on this subject and you should now accept them before allowing the hon. Minister to make an statement on it. The House must be given an opportunity to cross examine hon. Ministers in order to know the facts.

Pakistan has been trying to raise an international dispute on Farakka Barrage. And therefore, the House should be allowed to know the reason for adopting hide and seek policy by the Government.

बंगाल वित्त (विक्रय-कर) अधिनियम, सीमा-शुल्क अधिनियम, 19.2 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त रूप में बंगाल वित्त (विक्रय-कर) अधिनियम, 1951 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) दिल्ली विक्रय-कर (पहला संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 30 अप्रैल, 1970 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 4 (55)/69—फिन (जी) में प्रकाशित हुई थी । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी०-3670/70]

(दो) दिल्ली विक्रय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 23 अप्रैल, 1970 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 4 (98)/66-फिन (जी) में प्रकाशित हुई थी । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी०-3671/70]

(तीन) दिल्ली विक्रय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 30 अप्रैल, 1970 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 4 (29)/69-फिन (जी) में प्रकाशित हुई थी । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी०-3672/70]

(एक) जी० एस० आर० 793, जो दिनांक 16 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी०-3673/70]

(दो) जी० एस० आर० 794, जो दिनांक 16 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी०-3674/70]

(तीन) जी० एस० आर० 800, जो दिनांक 14 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी०-3675/70]

(चार) जी० एस० आर० 845, जो दिनांक 30 मई, 197 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) जी० एस० आर० 860, जो दिनांक 27 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) असबाब नियम, 1970, जो दिनांक 27 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 861 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) जी० एस० आर० 893, जो दिनांक 6 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) जी० एस० आर० 928, जो दिनांक 13 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) जी० एस० आर० 964, जो दिनांक 27 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3675/70]

(दस) परियोजना आयात (संविदा का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 1970, जो दिनांक 27 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 965 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।]ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-3677/70]

(ग्यारह) एस० ओ० 2160, जो दिनांक 20 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3678/70]

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (नवां संशोधन) नियम 1970, जो दिनांक 23 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 828 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3679/70]

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1970, जो दिनाँक 13 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 930 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3680/70]

(एक) जी० एस० आर० 765, जो दिनांक 9 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 766, जो दिनांक 9 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 859, जो दिनाक 25 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 866 तथा 867, जो दिनांक 1 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) जी० एस० आर० 888, जो दिनांक 5 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) जी० एस० आर० 889 तथा 890, जो दिनांक 6 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) जी० एस० आर० 892, जो दिनांक 6 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) जी० एस० आर० 1030, जो दिनांक 11 जुलाई 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [**गंथालय में रखे गये : देखिये संख्या एल० टी० 3681/70**]

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 23वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 16 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 795 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 22वां संशोधन नियम, 1970, जो 16 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 796 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 24वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 23 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 826 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 25वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 23 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 827 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 26वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 30 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 846 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 27वाँ संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 6 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 887 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 28वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 13 जून 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 925 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 29वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 13 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 926 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 30वां संशोधन नियम, 1970 जो दिनांक 13 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 927 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 31वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 20 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 953 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 32वां संशोधन नियम, 1970 जो दिनांक 27 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 961 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 33वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 27 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 962 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 34वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 27 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 963 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 35वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 4 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 990 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 36वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 4 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 991 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 37वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 4 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 992 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 38वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 4 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 993 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 39वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 4 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 994 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 40वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 4 जुलाई, 1970, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 995 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3682/70]

बीमा अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101क की उप-धारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2248 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 24 मई, 1961 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०

ओ० 1206 में एक संशोधन किया गया है ; सभा-पटल पर रखता हूँ। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3683/70]

चीनी उद्योग के लिये दूसरे केन्द्रीय वेतन बोर्ड तथा विद्युत उपक्रमों के लिए केन्द्रीय वेतन बोर्ड के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

चीनी उद्योग के लिए दूसरे केन्द्रीय वेतन बोर्ड के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दिनांक 7 जुलाई 1970 के सरकारी संकल्प संख्या-डब्ल्यू० बी-7 (3)/70 की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3684/70]

विद्युत् उपक्रमों के लिए केन्द्रीय वेतन बोर्ड के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दिनांक 13 जुलाई, 1970 के सरकारी संकल्प संख्या-डब्ल्यू० बी-15/17/69 की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3685/70]

अत्यावश्यक सेवाएं अनुसरण अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) एस० ओ० 1878, जो दिनांक 21 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ और जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में जनता को बिजली सप्लाई करने अथवा इस प्रकार की सप्लाई के प्रयोजन से बिजली के उत्पादन, संग्रहण अथवा प्रसारण से सम्बन्धित सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3686/70]

(2) एस० ओ० 2069, जो दिनांक 5 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ और जिसके द्वारा बिहार राज्य में जनता को बिजली सप्लाई करने अथवा इस प्रकार की सप्लाई के प्रयोजन से बिजली के उत्पादन, संग्रहण अथवा प्रसारण से सम्बन्धित सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3687/70]

(3) एस० ओ० 2196, जो दिनांक 18 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ और जिसके द्वारा आसाम राज्य में जनता को बिजली सप्लाई करने अथवा इस प्रकार की सप्लाई के प्रयोजन से बिजली के उत्पादन, संग्रहण अथवा प्रसारण से सम्बन्धित सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3688/70]

कलकत्ता पतन अथवा गोदी के कार्यचालन के बारे में अधिसूचना

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 893 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 4 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई और जिसके द्वारा कलकत्ता पतन अथवा गोदी में या इसके कार्यचालन से सम्बधित सेवा को उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिये अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3689/ 0]

राज्य–सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना सभा को देनी है कि राज्य-सभा ने 27 जुलाई, 1970 को हुई अपनी बैठक में गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक, 1969 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को राज्य सभा के 74वें सत्र के पहले दिन तक अग्रेतर बढ़ाने के लिये एक प्रस्ताव स्वीकृत किया।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा गत सत्र के दौरान पास किये गये तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1970

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1970

(3) चाय (संशोधन) विधेयक, 1970

मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा गत सत्र के दौरान पास किये गये तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयकों की प्रतियां भी, जिन्हें राज्य-सभा के सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया है, सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1970

(2) बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) विधेयक, 1970

(3) हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 1970

(4) भारतीय सैनिक (मुकदमेबाजी) संशोधन विधेयक, 1970

(5) पैट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 1970

(6) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1970

(7) उत्तर-पूर्व परिषद् विधेयक, 1970

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1970

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

लोक लेखा समिति

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balarmpur) : Sir, I beg to move :

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (3) of Rule 254 read with sub rule (1) of Rule 309 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha, one member from among themselves to serve as a member of the Committee on Public Accounts for the unexpired portion of its term ending on the 30th April, 1971, *vice* Shri Nitiraj Singh Chaudhary ceased to be a member of the Committee on his appointment as a Minister of State."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) में अपेक्षित रीति से इस सभा के सदस्य लोक लेखा समिति की 30 अप्रैल, 1971 को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये श्री नीतिराज सिंह चौधरी के स्थान पर जो राज्य मंत्री नियुक्त होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे, अपने में से एक सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक
COMMISSIONS OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा जांच आयोग अधिनियम, 1952 में सशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को अगले सत्र के पहले दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जांच आयोग अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी सयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को अगले सत्र के पहले दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

नियंत्रक तथा महा-लेखा परीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक

COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL'S (DUTIES, POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को निश्चित करने तथा उसके कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने तथा तत्सम्बन्धी अथवा प्रासंगिक विषयों वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह पहले के दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को निश्चित करने तथा उसके कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने तथा तत्सम्बन्धी अथवा प्रासंगिक विषयों वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विधेयक

CENTRAL EXCISE BILL

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना ।

श्री मोहसिन (धारवाड दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से सम्बन्धित विधि को समेकित करने तथा उसमें संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर-समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को बजट सत्र (1971) के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से सम्बन्धित विधि को समेकित करने तथा उसमें संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर-समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को बजट स्तर (971) के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

प्रवर-समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर-समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को अगले स्तर के अन्तिम दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर-समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को अगले स्तर के अन्तिम दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचना देना चाहता हूँ कि मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के सम्बन्ध में मुझे तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो श्री मधु लिमये, श्री अ० कु० गोपालन तथा श्री पी० राममूर्ति द्वारा दिये गये हैं। मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि श्री मधु लिमये को मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें। इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 सदस्यों से भी अधिक है अतः मैं घोषणा करता हूँ कि प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाती है। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव को कब लिया जाये।

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : हम इसी समय तैयार हैं ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम (334)क के अन्तर्गत "किसी सूचना का प्रस्थापन किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह अध्यक्ष द्वारा गृहीत न कर कर दी गई हो और सदस्यों में परिचालित कर दी गई हो।" अतः इस विषय का उल्लंघन किया गया है। महोदय समाचार-पत्रों में सभी प्रस्तावों का समाचार प्रकाशित हो रहा है। यद्यपि यह समाचार-पत्रों का कर्त्तव्य है कि वे जनता को सूचना देते रहें। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। किन्तु मेरा निवेदन है कि जब यह नियम व्यर्थ हो गया है तो उसे निकाल देना चाहिए। या तो नियम का पूरा पालन किया जाये अथवा उसे निकाल दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आपने इस सम्बन्ध में मेरा ध्यान दिलाया है। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यदि आपने किसी विशिष्ट पत्र को ऐसा करते देखा है तो आप मुझे उसकी एक प्रति भेज दें। अब हम इस प्रस्ताव को मध्याह्न भोजन के उपरान्त लेंगे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय ! स्थगन प्रस्ताव पहले लिया जाना चाहिए था। उसका क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : हम मध्यान्ह भोजन के उपरान्त अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned for lunch till Fourteen hours.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at three minutes past Fourteen of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सब से पहले सभा को इस बात का निर्णय करना है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव को लिया जाये अथवा स्थगन प्रस्ताव को। हम आशा कर रहे थे कि स्थगन प्रस्ताव को पहले लिया जायेगा। यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न पाकिस्तान से शरणार्थियों के बड़ी संख्या में आगमन के बारे में है। सरकार का रवैया अल्पसंख्यकों के प्रति उपेक्षित कठोर तथा निर्दयतापूर्ण रहा है। प्रतिदिन 1600 शरणार्थी भारत में प्रवेश कर रहे हैं। यह ऐसा विषय है जिसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी। 60,000 शरणार्थी संकट में हैं और उनको अमानुसिक परिस्थिति में रखा जाता है। कल इस विषय पर राज्य सभा में सारे दिन चर्चा हुई। जब प्रधान मंत्री ने कलकत्ता का दौरा किया तब उन्होंने उस क्षेत्र में जाने का कष्ट नहीं किया। अतः स्थगन प्रस्ताव को पहले लेना आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कल की जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही तय कर लिया गया है ।

श्री समर गुह : क्योंकि आपने इस महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान नहीं की है, इसलिये मैं विरोध के रूप में सदन से बाहर जाता हूँ ।

इसके पश्चात् श्री समर गुह सदन से बाहर चले गये ।

Shri Samar Guha then left the House.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कहिये । 2 लाख से भी अधिक लोग आ चुके हैं ।

Mr. Speaker : Let us proceed as we have fixed, What is that everyone is going on speaking.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : दूसरे सदन को इस पर चर्चा का अवसर क्यों दिया जाता है जब हमें नहीं दिया जाता ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मन्त्री महोदय को पहले ही नोटिस भेज दिया है और मैं माननीय सदस्य को जानकारी दूंगा ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Speaker, the people of South-Eastern Railway and North-Eastern Railway are being arrested and there is great hue and cry over it. Kindly ask the Railway Minister to make a statement about it.

मन्त्रि परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS —*Contd.*

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move my motion of no-confidence. There are two aspects of this motion. The first aspect is that Government are adopting such anti-democratictactics which will make it impossible to conduct elections in Kerala in a free atmosphere. It is not known why the Election Commission has announced the dates of elections in a hasty manner when it is in their knowledge that this matter is going to be discussed in Lak-Sabha ? Is it not proper for the Commission to fix the dates of election after hearing the views expressed by the Members of Parliament in this regard ? There appears to be something behind this haste.

We do not want any delay in holding elections. But if the elections are held on the basis of incorrect electoral rolls, then these elections will not be fair and impartial and will not reflect true public opinion. The biggest allegation is that the list of voters is fictitious. There were only 86 lakhs voters previously. But it has come to our knowledge that the State Government has so manipulated that the names of 17 lakhs voters has been deleted from the electoral rolls, and the names of 31 lakhs new voters has been included therein. Such variation in the figure of voters is not possible within a period of three years. The death-rate in Kerala is not so high and 20% adult voters cannot die within three years. I do not agree with this view also that there can be an increase of 12% every year in the number of adult voters in Kerala. It is clear that the list of voters is fictitious. Therefore, it is very necessary that the electoral rolls are corrected before any elections are held in the State,

We have also to consider how the Government of Achuta Menon has been kept alive in the State even though the Assembly has been dissolved. Other parties were not consulted while making dissolution. Shri Menon should have resigned when he has lost the confidence of the majority. His continuance with the support of the Central Government is against all democratic traditions. I consider the Government of Achuta Menon as the agency of Indira Government. He did not resign immediately because he wanted to suppress of opposition parties and to make some changes in the list of voters to win the elections. I want to say that nothing right has been done in Kerala. There should be no elections without correcting the voter's list. The Achuta Menon Government has no right to remain in power even for a moment. Now I want to discuss the other aspect of the motion.

Recently there has been a very significant development namely, the reorganisation of the Central Government resulting in excessive concentration of power in the hands of the Prime Minister. The former Prime Ministers had held the change of the Department of Atomic Energy and the Cabinet Secretariat alone in addition to their work as Prime Minister. But the present Prime Minister has taken over all the five intelligence departments—Revenue Intelligence, Enforcement Directorate, Central Intelligence, C.B.I. and the Military Intelligence. Not content with that she has also taken over the Department of Electronics and the C.S.I.R. Such concentration of power in the hands the the Prime Minister is unprecedented even Hitler and Stalin did not wield such vast powers—and it is harmful for the country. The Prime Minister has taken over the Department of Personnel also. Besides, she has bifurcated the Department of Industry also. The Department of Company Law has been separated from the Ministry of Industry. The Prime Minister has taken over the Licencing Department also. You should think over this huge concentration of powers. Afterall what is idea behind this concentration of all the powers ? Besides, there is a Prime Minister's Discretionary Fund of which no accout is maintained.

Last year, when the Prime Minister took over Finance, it was said that she wanted to take some radical steps. But what has been the rest overcome ? No doubt 14 banks have been nationalised, but the promised scheme in this regard has not yet come before us. It was claimed that the bank deposits are rapidly increasing but the fact remained that there has been greater increase on the credit side The scheme of mobilisation of bank deposits has completely failed. It is known even after a year that who will do the work of policy making with regard to banks. A Banking department has been opened in which each persons have been appointed who do not possess knowledge of banking and everything is going wrong. The common people, the farmers, the small industrialists, the self-employed persons have not been benefited. It has been stated the loan will be given to farmers for the purchase of tractors, but who have the capacity to purchase tractors 75 per cent of farmers of India are such who possess 5 acres of land. What assistance is being given to them ?

Similarly when as Finance Minister, the Prime Minister presented the last budget it was claimed that there will be no further increase in prices. But what do we find today ? During the last six months there has been an increase of 8 percent in the wholesale prices and the prices of all essential commodities has gone up. So far as the prices of steel are concerned the Government themself are responsible for the price increase. There is black marketing in iron and steel trade.

They talked about socialism in their last year's convention which was held in the month of December. But immediately after it we saw that licence was granted to Birla's for setting up a fertilizer plant in Goa.

At the time of presenting the Budget they stated that there will be no increase in prices and the common men will not be affected but we see that these increasing like wild fire.

Finding herself unable to do any good to the people the Prime Minister under the pretext of re-organisation has now transferred Finance to Shri Chavan to bear the burden.

The results of this concentration of power are very dangerous. She has takes a number of departments in her hands. We know that she is very busy and she was to perform numerous functions. She has to attend the reception ceremonies, she has to meet the people and has to meet the foreign dignitaries. She has to topple the opposition Governments also.

The result is that she can only supervise 10 or 15 per cent of the work only and the remaining 85 percent work is under the control of bureaucrats. The Cabinet Secretariat is becoming more powerful.

Inspite of the fact that a sum of Rs. 40 lakhs has been spent on the Administrative Reforms Commission, its recommendations have not so far been implemented. It seems that the Government which is actually being run by the I.A.S. and I.C.S. Officers, are not determined to bring about any change in the present administrative set up.

In 1967, while addressing some engineers in the University of Roorkee, where, it is heard, they had gheraod her, the Prime Minister said that she wanted to bring about a change in the administrative set up so that technical hands like doctors and engineers, who happened to come in Government, were given due status in the administration and that the administrative system must reflect an individual's contribution to human welfare and economic gain. But on the other hand, while sending has greeting to Miss Anuradha Mazoomdar, who stood first in the I.A.S. examination in 1970, she said that the Indian Administrative Service was the most effective instrument of doing good to the people. It can be observed from these two statements that she is either adopting "double standards" as signing the letters and statements without reading them which is not good on her part. She should throw light on the policy Government want to pursue in the matter of administrative set up in the country. Unless a clear policy is evolved and implemented no change in the administrative set up can be brought about. There should be sometime limit by which the recommendations of the Administrative Reforms Commission about the personnel administration would be implemented.

As far as industrial policy is concerned the Prime Minister has been saying that Sarvashri Morarji Desai and Nijlingappa were supporting the capitalists and they were creating hurdles in the way of the Government to bring about socialism in the country. But the question is: whether there has been any change in the policy now? Is it not a fact that besides licence for a fertilizer plant in Goa, four new licences have been given to the Birlas? These licences have been granted after the split in congress The Ministers in-charge of Company Affairs and Foreign Trade have been asked to collect election funds for the party The so called leftists who used to criticise Shri Morarji Desai are not now opening their mouth about what is now happening here.

As regards foreign trade, a number of economists including professor B. R. Sinha and others have proved that there has been smuggling to the tune of Rs. 600 crores. Unless some constructive steps are taken to check this smuggling, we will have to resort to devaluation of rupee again.

The smuggling of textile goods from Nepal has been going an unabated inspite of our warnings to the Government. Whenever this matter has been raised, Government has been expressing its inability do anything in this regard saying that the provisions in the Indo-Nepal trade agreement entered into in 1968 are ambiguous. But now this agreement is also going to end and thus there should be no difficulty in stopping this smuggling. There is nothing wrong if goods based in raw materials produced in Nepal are imported with a view to help that country but goods based on foreign raw materials should, at no cost, be allowed to be smuggled into India.

It is negtetted that instead of giving protection to the indigenous companies, Government is giving incentives to foreign companies. Secondly, in order to break mono-

poly in certain sectors of production, it is necessary that small industrialists should be encouraged against the big industrialists who have established monopolies and are charging 20 times the cost of production It would be better if healthy competition is allowed to grow among the manufacturers by licencing more industries. The new policy of industrial licencing under which export incentives are being provided, will rather help in establishing monopolies instead of breaking them. At the same time, foreign collaboration should not be approved about such ventures in regard to which we have necessary technical know how.

The House should think over all these matters very carefully and support this motion so that the country could be saved from centralisation of power as well as from the corrupt and undemocratic elements.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा मन्त्रि-परिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है" ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : श्री मधुलिमये द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ । उन्होंने अपने इस प्रस्ताव में प्रायः सभी सम्बन्धित क्षेत्रों का समावेश कर लिया है तथा चुनाव कराने में सरकार की भेदभाव पूर्ण तथा हेर फेर की नीति से सम्बन्धित आरोप शत प्रतिशत सही है । आज दो राज्यों की विधान सभायें भंग होने की स्थिति में हैं एक केरल विधान सभा तथा दूसरी मणिपुर विधान सभा । केरल की विधान सभा तो मई में भंग कर दी गई थी मगर मणिपुर विधान सभा गत वर्ष ही भंग कर दी गई थी परन्तु फिर भी चुनावों के मामले में यह निर्लज्ज सरकार एक समान नीति नहीं अपना रही है ।

हम चुनावों से नहीं डरते । सरकार जहां चाहे पुनः चुनाव कराले यह अच्छा है कि केरल में चुनाव कराये जा रहे हैं । परन्तु मणिपुर में भी तुरन्त ही चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे जबकि वहां की विधान सभा तो केरल विधान सभा से पहले भंग हुई थी ? यह सरकार एक बेईमान सरकार है और इस सम्बन्ध में मैं प्रधान मंत्री पर आरोप लगाता हूं क्योंकि वह गृह-कार्य मंत्री भी हैं । फिर पश्चिम बंगाल विधान सभा को भी बनाये रखने में क्या तुक है । यदि प्रधान मंत्री कोई ईमानदारी की भावना अपने दिल में रखती हैं तो उन्हें पश्चिम बंगाल विधान सभा तुरन्त ही भंग कर देनी चाहिए ।

चुनावों के बारे में श्री मधुलिमये ने आंकड़े पेश किये हैं । वर्ष 1967 में केरल में कुल मतदाताओं की संख्या 8641296 थी और सेवारत मतदाताओं की संख्या 20791 थी । परन्तु इस सूची में काफी संशोधन के बाद दर्ज किये गए मतदाताओं की संख्या केवल 31,66,459 ही रह गई है । क्या विधान सभा भंग होने के बाद वहां की सरकार ने यही कार्य किया कि मतदाताओं की संख्या ही घटा दी । उन्होंने उस संख्या में 17,62916 मतदाताओं की कमी कर दी । क्या इसका कोई औचित्य है ? परिवार नियोजन मन्त्री बतायें कि वहां की जन्म तथा मृत्यु दरें क्या क्या है ?

अतः मैं चाहता —मैं मांग करता हूँ कि मतदाताओं की सूची की तुरन्त ही जांच करायी जाये । इसके अतिरिक्त चुनावों से पूर्व हर दल को मतदाताओं की सूची प्रदान की जाती है परन्तु अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है । प्रधान मन्त्री उस सूची को आज ही सभा-पटल पर रखें ।

प्रशासनिक सुधार आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष अब मंत्री बन गये हैं। वह केरल के बहुत समीप के निवासी हैं। वह जानते हैं कि केरल में वर्ष में 100 इंच वर्षा होती है। वहां पानी में दर्जनों गाड़ियां बह गई और गाँव डूब गए। हालांकि वहां प्रतिरक्षा कर्मचारी भी रहते हैं। परन्तु वहां लोगों को किसी प्रकार की कोई पूर्व चेतावनी नहीं दी गई। इस राज्य में विशेषकर अगस्त में कन्ननूर से त्रिवेंद्रम तक यात्रा करें तो कोई ऐसा दिन नहीं होता जबकि भारी वर्षा न हो। तो क्या ऐसी स्थिति इन दिनों चुनाव अभियान चलाना या चुनाव के लिए प्रचार करना संभव हो सकता है ? यदि नहीं, तो फिर ये चुनाव किस प्रकार न्याय पूर्ण तथा सुविधा पूर्ण हो सकेंगे ? मैं यह नहीं कहता कि चुनाव न कराये जायें परन्तु सभी मामलों में समान सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिये। अतः जहां भी विधान सभायें भंग की गई हैं वहां चुनाव कराये जाने चाहिए। परन्तु सरकार ने केवल केरल में ही चुनाव कराने के आदेश दिये हैं। इसी संदर्भ में चुनाव आयुक्त ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें ऐसी सूची देता है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्हें मतदाताओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है तो वह चुनावों को एक-दो दिन के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। क्या यह न्याय है ? क्या देश का हर आदमी उनकी इस घोषणा को सुन पाता है ? क्या एक सामान्य आदमी घर से निकल कर पंचायत रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा कर मतदाताओं की सूची को ठीक कराये ? विशेष रूप से जबकि किसी भी दल को मतदाताओं की सूची उपलब्ध नहीं करायी गई है। ये चुनाव 17 सितम्बर को होने हैं और स्पष्ट है कि कितना थोड़ा समय रह गया है।

जहाँ तक शक्ति तथा अधिकारियों के केंद्रीयकरण का सम्बंध है मुझे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई ईर्ष्या नहीं है। परन्तु इतना अवश्य है कि मंत्री मंडल को मंत्री मंडल की भांति ही कार्य करना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष के पास शक्ति का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। सामान्य जनता को अधिकाधिक अधिकार प्रदान किये जाये। परन्तु प्रधान मंत्री इसके विपरीत में शक्तियां अपने संबंधियों तथा नौकरशाहों को प्रदान किये जा रही हैं।

सरकार मन से साफ नहीं है। एक ओर तो वह भूतपूर्व नरेशों के अधिकारों को समाप्त करना चाहती है और इस आशय का एक विधेयक भी सभा में पेश किया जा चुका है परन्तु दूसरी ओर इस मामले में अनावश्यक टालमटोल की जा रही है ताकि इस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध उनका समर्थन प्राप्त किया जा सके। जब सरकार यह निश्चय ही कर चुकी है तो फिर इस मामले को तुरन्त ही क्यों नहीं समाप्त करती ?

फिर सरकार एकाधिकारियों को दबादब लायसेंस दिये जा रही है। जब सरकार यह अनुभव करती है कि टाटा बंधुओं को लायसेंस नहीं दिया जाना चाहिये फिर भी उन्हें क्यों लायसेंस दिये गए। क्या इस प्रकार लायसेंस देने से अन्य व्यापारों पर कुप्रभाव नहीं पड़ता ? परन्तु सरकार तो इन एकाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को लायसेंस पर लायसेंस दिये ही जा रही है।

सरकार ने कहा था कि भूमिसुधार कार्यक्रम इसी वर्ष लागू हो जायेगा। परन्तु यह तो वहां भी लागू न किया जा सका जहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है जहां सरकार का अपना दल सत्तारूढ़ है। कम से कम वहां तो यह कार्यक्रम लागू कराया जाये। परन्तु हर जगह ही

अनिश्चितता की स्थिति है। यहाँ दिल्ली में ही पहले आप एकाधिकार अधिनियम को क्रियान्वित कीजिये तथा उपनगरीय सम्पत्ति को जब्त कीजिये।

प्रधान मन्त्री ने गृह-कार्य मंत्रालय को भी अपने अधिकार में लेकर शक्ति को अपने हाथों में केन्द्रित किया है। अन्य मंत्रियों के उन्होंने एक प्रकार से पर काट लिए हैं। क्या प्रधानमंत्री इलैक्ट्रोनिक्स विभाग की देखभाल कर सकती हैं ?

आज जनता का युग है सारी शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिये परन्तु प्रधान मंत्री तो अपने सम्बन्धियों, नौकरशाहों तथा निजी सचिवों को समस्त अधिकार सौंपती जा रही हैं।

इस प्रकार शक्ति के केन्द्रीयकरण से देश तबाह होता जा रहा है। अब सरकार जनता की न हो कर नौकरशाहों और निजी सचिवों की ही हो गई है।

सरकार का प्रशासनिक ढ़ांचा भी पूरी तरह अकुशल है। सत्तारूढ़ कांग्रेस दल ने बम्बई में यह निश्चय किया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी के उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा। बाद में बिहार को छोड़ दिया गया मगर अब तक उत्तर प्रदेश में भी क्या किया गया है। सरकार कम से कम अपने स्वयं के निर्णयों को तो ईमानदारी से लागू करे। क्या विधि मंत्री कोई ऐसा कार्यक्रम बना रहे हैं कि भारत में जो कुछ है उसी का राष्ट्रीयकरण कर डाला जाये।

वर्तमान प्रशासन के दौरान अधिकाधिक साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। मैं प्रधान मंत्री पर आरोप लगाता हूं कि उनके शासनकाल में अधिकाधिक हिन्दू तथा मुसलमान इन दंगों में मरे हैं और यह सब कुछ राज्य सरकारों की कार्यकौशलहीनता के कारण हुआ। सरकार उन राज्य सरकारों को बर्खास्त क्यों नहीं कर देती जहां ये साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं ? आप गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार सरकारों को समाप्त कर सकती थीं अब आप तुरन्त ही उन्हें बर्खास्त कर दें। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का भी क्या परिणाम निकला ? देश में अधिकाधिक साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। गरीब मुसलमान और हिन्दू मारे जा रहे हैं भिवण्डी, जलगांव, चाहबासा आदि सभी जगहों पर ऐसा ही हुआ है। बाद मे ये नेता लोग मगरमच्छ के आंसू बहाने वहां जाते हैं। घोषणा की गई थी कि इस सम्बन्ध में कोई कारगर उपाय किये जायेंगे। परन्तु वस्तुतः कुछ भी नहीं किया गया है। कहाँ गई आपकी वह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ? मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बंध में सरकार ने क्या कारगर कार्यवाही की है। देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार तथा समान दर्जा देने के लिए कौन से प्रभाव पूर्ण उपाय किये हैं ? मेरी मांग है कि देश के सभी लोगों की विचार-धाराओं को, चाहे ये हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान अथवा ईसाई कोई भी हों सबको सुरक्षित रखने के लिये ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये।

फिर शरणार्थियों की समस्याओं के सम्बंध में सरकार ने देश के लिये बदनामी ही कमाई है। प्रधान मंत्री स्वयं अपने ही वक्तव्यों से भ्रम पैदा कर रही हैं अतः पाकिस्तान को दोषी ठहराने से क्या लाभ है ? इसके लिए भी सरकार की भर्त्सना की जानी चाहिये क्योंकि स्वयं उस के अपने भाषण भारत विरोधी हैं।

फरक्का बांध के मामले में सारे मंत्रीगण असमर्थ और अदूरदर्शी सिद्ध हुए हैं। इस मामले में सरकार निरन्तर रूस सरकार के सामने समर्पण किये हुए हैं। फरक्का बांध से पाकिस्तान को जल देने का निश्चय किया जा रहा है। क्या सरकार जानती है कि पाकिस्तान को फरक्का से जल देना भारत के हितों के विरुद्ध है ? फिर भी किस दबाव में आ कर ऐसा किया जा रहा है। क्या सरकार इस मामले की गंभीरता का अनुमान कर सकती है ? यदि नहीं, तो सरकार देश के लोगों की इस बारे में सलाह ले। परन्तु सरकार ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे लोगों पर विश्वास नहीं है।

जब प्रधान मंत्री कलकत्ता गई तो सीधे आकाशवाणी केन्द्र पर पहुंची और शरणार्थियों को देखने के लिए उनके पास समय नहीं रहा। यही कारण है कि वहां अब तक दो लाख शरणार्थी आ चुके हैं। आशा थी कि पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिए सरकार कुछ करेगी परन्तु उसने कुछ भी नहीं किया। सरकार यह सुनिश्चय करने के लिए कारगर कार्यवाही करे कि भारत में किसी भी मुसलमान को कोई हानि न पहुंचाई जाये। साथ वह ये प्रबन्ध भी करे कि जिनसे कि पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की रक्षा हो सके। परन्तु सरकार ये प्रबंध करने में असफल रही है।

सरकार ने देश को विदेशी शक्तियों का पिछलग्गू बना दिया है। हमें ऐसी सरकार कदापि नहीं चाहिये जो लोगों के विचारों तथा अभिलाशाओं व आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हो। वर्तमान सरकार देशवासियों की भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। हमने तो देश में भ्रष्टाचार, नालायकी, अकर्मण्यता, गुट बंदी, विघटन तथा जो कुछ यहां अनुचित और अन्याय पूर्ण है उसी का प्रतिनिधित्व किया है।

अतः मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इस सरकार को ठोकर मार कर निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : श्रीमान पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं और मेरे साथी प्रातः इस प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार करने के समर्थन में क्यों खड़े हुए। यह वस्तुतः हमने दो वर्ष पूर्व निर्णय किया था कि हर सत्र के आरम्भ में अविश्वास प्रस्ताव पेश करना एक सामान्य और अर्थहीन सी बात हो गई है क्योंकि आरम्भ में सरकार को चुनौती देना तथा मात खाना एक उद्देश्यहीन सा मामला लगता है। मैं इसे एक बुरी संसदीय प्रणाली समझता हूं और इसी लिए इसमें भाग लेना हमें अच्छा नहीं लगता। परन्तु अब क्योंकि यह प्रस्ताव सभा में विचारार्थ रख दिया गया है अतः इसके गुणोदोष देखना आवश्यक हो जाता है।

श्री मधु लिमये ने इस प्रस्ताव के आधार में तीन बातें रखी हैं जिनमें एक केरल से सम्बन्धित मामला है। इस संदर्भ में काफी कुछ बोला जा चुका है और हम इस बारे में साम्यवादी दल के दोनों पक्षों के परस्पर विपरीत विचार सुनने को तैयार हैं।

दूसरी बात श्री लिमये ने शक्ति के केन्द्रीयकरण के बारे में रखी है। यह एक अच्छा आधार उन्होंने चुना है। वैसे तो देश में शक्ति का केन्द्रीयकरण गत बीस वर्ष से धीरे-धीरे बढ़ता आ रहा है परन्तु इस समय यह अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका है। यह कार्य सत्तारूढ़ दल के आर्थिक सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। सत्तारूढ़ दल ने राष्ट्रीय समाजवाद का

सिद्धान्त अपनाया है परन्तु इसके साथ ही यदि शक्ति के विकेन्द्रीयकरण की बात भी अपनायी जा सके तो यह एक अभूतपूर्व सफलता हो सकती है। परन्तु जो कुछ अब तक हुआ है और जो कुछ इस समय हो रहा है इससे उन लोगों को काफी सीख मिल सकती है जो इन चीजों को पहले नहीं देख सके। कुछ ही लोगों के हाथ में शक्ति का केन्द्रित होना एक अच्छी बात नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि देश में इस शक्ति केन्द्रीयकरण के बारे में लोगों में जागृति उत्पन्न होती जा रही है।

अभी हाल में केन्द्रीय मंत्रि मण्डल में हुए फेर दल में गुप्तचर सेना को जो इतना महत्व दिया गया है। उसकी ओर सभी का ध्यान आकृष्ट हुआ है। यह कार्य वस्तुतः असामयिक था। लोकतंत्रीय देशों के प्रधान मंत्री गुप्तचर पुलिस और गुप्तचर सेवाओं में अधिक रुचि का प्रदर्शन नहीं किया करते। यह रुचि तो मुख्यतः साम्यवादी तानाशाहों तथा फासिस्ट नीति में अधिक होती है। अतः यह बड़े खेद का विषय है कि हमारे लोकतंत्रीय देश के प्रधान मंत्री ने इस विषय में इतनी रुचि दिखाई है। चाहिये तो यह था कि वह इस विषय को संबंधित अधिकारियों के ऊपर ही छोड़ देतीं।

इसके बाद श्री लिमये ने यह सच ही कहा है कि देश के प्रशासन में आम नौकरशाही का बोलबाला है। जब शक्ति नौकरशाहों और बड़े-बड़े अधिकारियों के हाथों में आ जाती है तथा सामान्य जनता के हाथों में नहीं रहती, तो देश में समाजवाद नहीं आ पाता और यदि हम नौकरशाही नहीं चाहते तो हमें विश्व के अन्य भागों में सूझबूझ वाले समाजवादियों के साथ शामिल हो जाना चाहिये और यह अनुभव कर लेना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण राज्य उद्योग तथा राज्य उद्यम ही सामाजिक न्याय प्राप्त करने के सर्वोत्तम मार्ग नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई मार्ग भी हैं जो इस मार्ग से अधिक तीव्र तथा प्रभावशाली हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कट्टर समाजवादी श्री मधु लिमये भी यह समझ गए हैं कि यहाँ नौकरशाही चल पड़ी है। डा० लोहिया जानते थे कि यहाँ देश में समाजवाद के नाम में जो राज्य पूंजीवाद चल रहा था, वह पूंजीवाद से भी अधिक प्रतिक्रियावादी तत्व था। गांधी जी भी इस तथ्य को जानते थे वह स्वराज्य प्राप्ति से पूर्व कहा करते थे कि विदेशी नौकरशाहों के स्थान पर देशीय नौकरशाहों को देश की बागडोर सौंप देने का अर्थ स्वराज्य प्राप्ति नहीं है।

अतः इन्हीं दोनों बातों को लेकर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

हमारा विश्वास है कि कुल मिला कर इस सरकार की देशीय तथा विदेशी नीतियां देश के लिये घातक हैं। यह सरकार जो कुछ भी कर रही है उससे देश के हितों को हानि पहुँच रही है। जहां तक आर्थिक नीति का सम्बंध है जबसे कलकत्ता के इंस्टीट्यूट आफ स्टेटिस्टिक्स में रूस, पोलेण्ड तथा अन्य देशों से डा० महालनोमिस और उनके साथियों द्वारा तैयार की गई देश के लिये घातक दूसरी योजना तैयार की गई है तब से देश की अर्थव्यवस्था का बुरी तरह ह्रास हो रहा है। दूसरी योजना की यही रूप रेखा तीसरी योजना पर भी लादी गई और वह भी दूसरी योजना की भांति ही असफल सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त आज की चौथी योजना भी दूसरी योजना का एक विस्तृत रूप है जिसने की देश को तबाह कर छोड़ा है।

योजनाओं के अतिरिक्त सरकार की नीतियां भी उतनी ही निकृष्ट हैं। एक ओर तो अत्याधिक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर लगाये जा रहे हैं तथा दूसरी ओर लगातार मुद्रास्फीति हो रही है। गत बजट के समय हम में से अधिकांश ने सरकार को चेतावनी दी थी कि उनके कानून मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं तथा उनसे मूल्यों में वृद्धि होगी। और यही हुआ भी। अतः यही वित्तीय नीतियां देश को विनाश की ओर ले जा रही हैं तथा सारी अर्थव्यवस्था का अस्त-व्यस्त कर रही हैं। देश में मूल्य बढ़ते जायेंगे, प्रतिवर्ष बेरोजगारी बढ़ती जायेगी और हो सकता है कि देश मे खाद्य की कमी भुखमारी और आकाल की स्थिति आये।

यह भी एक कारण है कि यह सरकार अपदस्थ होनी चाहिए।

दूसरा कारण राजनैतिक है। इस सरकार की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी नीतियां सोवियत संघ का अनुकरण करती है और हर प्रकार से तानाशाही से परिपूर्ण हैं। प्रधान मंत्री बतलायें कि किस मामले में उन्होंने सोवियत संघ की स्थिति से प्रतिकूल कोई निर्णय किया है। मेरे विचार से ऐसा एक भी निर्णय नहीं मिलेगा। मुझे याद है कि एक बार श्रीमती सुचेता कृपालानी ने इस सभा में रूस द्वारा चैकोस्लोवेकिया पर प्रशासनिक आक्रमण की निन्दा करने सम्बंधी एक प्रस्ताव पेश किया था—उस समय श्रीमती कृपालानी प्रधान मंत्री के गुट में ही थी। —परन्तु प्रधान मंत्री ने यह संशोधन स्वीकार नहीं किया और उस प्रस्ताव को यहां अस्वीकृत करा दिया था। इसी लिए मैं कहता हूं कि हमारी सरकार की सभी नीतियां सोवियत संघ की अनुसेवी हैं उसकी पिछ लग्गू हैं।

इसका नवीनतम उदाहरण उस समय आया जब दक्षिण वियतनाम के प्रमुख नक्सलवादी का इस देश में अतिथि के रूप में स्वागत किया गया। यह बंगाल के किसी नक्सली का अन्य देश में इस प्रकार से स्वागत होता है तो हम क्या सोंचेगे? इस प्रकार की सरकार की नीति देश की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को लाभ नहीं पहुँचाती है।

इसी प्रकार यहां भी साम्यवादी हर प्रमुख पदों पर घुस आये हैं। बंगाल की जनता का उत्पीदन इसका स्पष्ट उदाहरण है। जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो वहां की जनता को आशा बन्धी कि उनके अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित रहेंगे पर ऐसा कुछ भी न हुआ, मैं बंगाल गया था तथा मैंने यह अनुभव किया कि वहां अब भी भय का साम्राज्य है। कम से कम नक्सली हिंसा का जहां तक संबंध है, यह शोचनीय अवस्था में है, राष्ट्रपति शासन का अर्थ वहां गृह मन्त्रालय का शासन होता है। पर वहां के वर्तमान राज्यपाल ऐसे हैं जो कि सर्वथा उस स्थिति के अनुपयुक्त हैं। उनके वापिस बुलाने की मांग सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी की है। 23 दिसम्बर 1967 को इस सभा में मैंने श्री धावन के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे जिसको कि प्रधान मन्त्री ने ब्रिटेन का उच्चायुक्त बना कर भेजा था। यह संसद के 23 दिसम्बर, 1967 के रिकार्ड में है। मैंने यह सुझाव दिया था कि श्री धावन ब्रिटेन में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने में सर्वथा अनुपयुक्त हैं। मैं श्री धावन का उस उद्धरण का उल्लेख करूंगा जो उन्होंने चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार किये जाने पर किए थे। "नेशनल हैराल्ड" में उन्होंने कहा था कि वहां भारत के कोई हित नहीं हैं तथा चीनी आक्रमण का प्रचार सर्वथा आधाररहित है।

आगे उन्होंने यह भी कहा कि तिब्बत और चीन के आपसी निकट के संबन्धों से तिब्बत की जनता को लाभ पहुँचेगा ।

यह बात आसानी से समझ में आने वाली थी कि क्या वे राज्य का राज्यपाल बनने पर साम्यवादी घुसपैठ का विरोध करेंगे अथवा यह कहेगें कि बंगाल के निर्धन जनता को तब लाभ पहुंचेगा जब माओ का अधिकार राज्य पर हो जायेगा । इन सब बातों की जिम्मेवारी प्रधान मन्त्री तथा उनके सहयोगियों पर है जिन्होंने इस अयोग्य व्यक्ति को वहां का राज्यपाल बनाया ।

इस समय बंगाल में चुनाव करने का प्रश्न नहीं उठता । जब तक जनता को भय से मुक्त नहीं किया जाता है तब तक लोगों तक पहुँचने का कोई अर्थ नहीं है । मेरे दल को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब तक बंगाल के साम्यवादी दल को अवैध घोषित नहीं किया जाता है तब तक स्वतन्त्र चुनाव नहीं हो सकते हैं ।

इन सभी कारणों से हमारा विश्वास है सरकार को बदलना चाहिए । इसके लिए कई मार्ग हैं । सरकार बदलने की अलोकतंत्रीय प्रक्रिया कई देशों में अपनाई गई थी, जैसे कि ब्रिटेन में राबर्ट वालपोल के समय हुआ था । फ्रांस की भी ऐसी ही स्थिति तब तक थी जब तक डी गाल को जनता ने चुन कर नहीं भेजा । सरकार का तख्ता पलटना का लोक तंत्रीय व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है । लोकतन्त्र में आस्था रखने वाले लोग जनता से निर्वाचित होकर आते हैं । हम भी जनता के आदेश पर शासन अपने हाथ में लेंगे । मैं तब तक श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार को नहीं हटाना चाहता जब तक कि उनके स्थान पर उससे भी अच्छी सरकार तथा प्रधान मन्त्री नहीं आ जाते हैं । हम केन्द्र में विप्लव की स्थिति नहीं लाना चाहते हैं । अतएव हम चाहते हैं कि इस सरकार को हटाने से पूर्व विकल्प सरकार को लाया जाये जिसको कि जनता कह सके कि यही वह सरकार है जिसको हम चाहते हैं ।

इसीलिये 28 जून को विरोधी कांग्रेसियों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उसका हमने स्वागत किया था । क्योंकि हमने देखा कि समयानुसार है । हम इस प्रकार की अपील का स्वागत करते हैं । क्योंकि केवल तब ही इस सरकार की विकल्प सरकार बनाने में हम सफल हो सकेंगे ।

Shri Chandrajeet Yadav (Azamgarh) : Shri Madhu Limaye has raised two main points in his No-Confidence motion. Firstly, he has stated that there is no possibility of impartial elections is Kerala keeping in view the way under which the dates have been fixed and the electoral rolls have been prepared. His allegation is that the centre has hands in all these things.

Shri Madhu Limaye's resolutions shows that he has not raised this motion with facts and strong points. His only aim is to oppose the Congress. And whenever he gets chance he does so. That is why he joined reactionary parties like Swantrata and Jan Sangh. Shri Madhu Limaye is trying to seek the support of all those parties who oppose the Congress. There is no plan of principles in it. Such policy and resolution is bound to be defeated.

With a view to protect the constitution we made such a procedure that the Central Government or State Governments should have no hands is conducting impartial elections, supervision and preparing the electoral rolls. Under article 324 of the Constitution, a provision has been made that the Election Commission will prepare the Electoral rolls, fix

the dates and supervise the elections. If Shri Madhu Limaye is not satisfied with the Electoral rolls of Kerala then whether he wants that the Central Government may interfere in this regard and ask the Election Commission to postpone the dates of elections and cancel the electoral rolls ? If such wrong practice is established then the democracy will be annihilated. With a view to oppose the Congress, he is striking at the very roots of democracy. The Country will not be benefited from this.

Shri Rammurti, the C P. M's leader, has stated that the electoral rolls of Kerala is not Printed and the Carbon Copies are not clear. If it is so then the Election Commission should look into the matter and set the things in correct order. The Hon. Member may also approach to the High Court and Supreme Court. If a wrong practice is established then it will have adverse repercusssions.

The Hon. Member has also stated that the Government of Kerala is the agent of Central Government. He is habitual of saying like this. The Government of Kerala has been elected by the people. We neither wants to interfere in their work nor wants to use such language. He has further stated that the number of voters has been reduced by 17 lakhs but simultaneously he also said that the number has increased by 21 lakhs. But it is true that whereas 26 lakhs people had enjoyed their franchise, this time the number is going to be 90 lakhs. If the Hon. Member has any objections, he can raise it by other means but such unfounded objections should not be levelled.

The Chief Minister of Kerala had recommended to the President to dissolve the Assembly. His act was under the Constitution. Then whether the Hon Member wants that the Central Government and the Prime Minister should take part in dismissing the Chief Minister or the Government ?

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

After the General Election of 1967, no party has got absolute majority in some states. So the Government have announced their policy that it is for the people to give chance to any party to form the Government. We have nothing to do in this regard of forming Governments by various parties. If the State Governments run the administrations in accordance with the Constitution, then the Government of India will always give its support.

Secondly, Shri Madhu Limaye has charged that the Prime Minister is assuming dictatorship and has taken all powers in her hands. By doing this the Parliamentary system of the country is breaking. But under Parliamentary system the Prime Minister has right to use discretion in the distribution of Portfolios. If the opinion of everybody is taken in the distribution of Portfolios then the Government cannot run in a democratic way. I know these changes are not in accordance with your wishes. The Prime Minister has every rights to make changes in the Portfolios. So I think the criticism being harped by you are against the decency of Parliamentary systems.

Here it has also been said that the Prime Minister has taken Personnel department from the Home Ministry. The Administrative Reform Commission has recommended that there should be a separate Personnel department for coordinating appointments etc. So the Prime Minister set up a separate Personnel department. Now even you are objecting against it.

Dr. Ram Subhag Singh spoke of the danger which might engulf Democracy of the Country. I would like to say to Dr. Ram Subhag Singh not to bring the politics of Municipality into Parliament. The Democracy will be endangered only when character Assassination becomes the fastion of the politics. It does not matter who rule the country. Kashmir, Mysore, Nefa, Nagaland are all parts of India. We will be happy if a person

belonging to that State lead the country. But the way you raised your question will simply harm the unity of the country.

Mr. Masani is a wise politician. He tried to elaborate the danger from State Socialism. He attributed the fault of socialism to the whole machinery of Planning. He said that the Government have no existence of its own and they have no policy and programmes. The fault lies with Mr. Masani. He always finds some fault in whatever the Government does \ e have repeatedly said that our policy, whether it is external or internal is based on the welfare of the people. We do not bother whether Russia and America favour it or not. The people will not be misled by our such utterances.

At the concluding I would say that the Government have taken pledge to improve the lot of the poor people and to remove the social disparities in the country. The Government is determined to lead the country towards socialism. Seeing such venture of the Government, the opposition parties like Syndicate, Swatantra party, Jan Sangh are all upset. They want to form grand alliance to defeat the Government. But I am sorry to say that they have failed in their attempt. That is why they have brough this resolution here. I hope that keeping in view the determination of the Government to bring changes, the House will defeat the resoultion.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : हमारे देश में संसदीय लोकतन्त्र है। हमने एक संविधान अपनाया है जिसके अनुसार सरकार चलाई जाती है। गत कुछ महीनों से लोकतन्त्र के सभी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। आज समस्त देश जानता है कि प्रैस का किस प्रकार गला घोटा जा रहा है और आकाशवाणी तथा अन्य प्रचार साधनों का उपयोग किस प्रकार सत्ताधारी दल के लिए किया जा रहा है। आज मेरे सामने दो भाषण है। एक भाषण शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सम्मेलन में दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर स्वाधीनता प्राप्त करेगा और कश्मीर की जनता इस प्रकार लड़ेगी जैसे अल्जेरिया की जनता फ्रांस के विरुद्ध लड़ी थी। दूसरा मेरा भाषण है जिसे केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने शब्दशः रिकार्ड किया है। यह एक बहुत ही गलत बात है। परन्तु फिर भी कोई भी माननीय सदस्य इसको पढ़ सकता है। इससे पता चलेगा कि यह सरकार गद्दारों को प्रश्रय देती है और देशभक्त को दण्ड देती है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रा की यह स्थिति है।

इस सरकार का अल्पमत है और यह उन लोगों की सहायता से चल रही है जो लोकतन्त्रीय सरकार और संविधान को समाप्त कर देना चाहते हैं। जहां तक मन्त्रिमण्डल के संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का सम्बन्ध है, इसे मन्त्रिमण्डल को कहना अनुचित होगा। मन्त्रिमण्डल में सभी मन्त्री सहयोगी होते हैं परन्तु यहां एक महारानी है और शेष सब उसके गुलाम हैं। अतः इस स्थिति में संयुक्त उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। समस्त शक्ति प्रधान मन्त्री के पास संकेन्द्रित है और वह स्टालिन या हिटलर का रूप ले रही है। परन्तु हमारा देश लोकतन्त्रात्मक है। यदि लोकतन्त्र रहेगा तो दल भी रहेंगे परन्तु यदि एक दलीय पद्धति चलाई गई या साम्यवादी शासन हुआ तो यहां पर कोई भी दल नहीं रहेगा। सब लोग जानते है कि प्रधान मन्त्री ने अपने दल के साथ ही किस प्रकार विश्वासघात किया है। आज मैं राष्ट्रपति से अपील करता हूं कि वह सतर्क रहें और इस बात का ध्यान रखें कि कहीं प्रधान मन्त्री संविधान और लोकतन्त्र को भी समाप्त न कर दे। यहां तक ही नहीं प्रधान मन्त्री देश की एकता को भी समाप्त करने का प्रयत्न कर रही हैं। वह इस देश में साम्प्रदायिकता और

गड़बड़ करने वाली शक्तियों को प्रोत्साहन दे रही है। वह फूट डाल कर शासन करने की नीति अपना रही हैं आज देश में फिर मुस्लिम लीग बन रही है जो दो राष्ट्रों का सिद्धान्त मानते हैं और जिसने देश का विभाजन करवाया था और करोड़ों लोग मारे गये थे। इस दल को प्रधान मन्त्री का संरक्षण प्राप्त है जो राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करने का दावा करती हैं। वास्तव में वह देश की एकता भंग करने के लिए कार्य कर रही हैं। आज वह जो बात कहती हैं उसका उपयोग इस देश के शत्रु लोग करते हैं। अतः हम उनकी निन्दा करते हैं।

प्रधान मन्त्री का कहना है कि वह देश के लिये भलाई का काम कर रही हैं। गत कुछ महीनों में उन्होने जिन नीतियों का अनुसरण किया है उनके क्या परिणामों निकले हैं। मूल्यों में दस प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। इस सरकार की नीतियां समाज विरोधी हैं। आज सरकारी कर्मचारियों की क्या स्थिति है ? क्या उन्हें आवश्यकता पर आधारित मजूरी या अन्तरिम सहायता दी गई है ? राष्ट्रीयकृत बैंक भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं और सामान्य व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देश की आर्थिक स्थिति भी शोचनीय है।

हाल ही में मेडम बिन्ह ने भारत का दौरा किया था। एक देश में एक ही वैध सरकार बन सकती है। वियतनाम की वर्तमान सरकार के साथ हमारे वाणिज्य दूतावास स्तर पर सम्बन्ध है ; उनका वाणिज्य दूतावास यहां भी हैं। परन्तु उस देश में तोड़फोड़ करने वाले आन्दोलन की एक महिला नेता हमारे देश में आती है तो हम उसे सरकारी अतिथि बना लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। कल यदि हमारा कोई मित्र देश शेख अब्दुल्ला या चारू मजूमदार को अपने देश में बुला कर इसी तरह का व्यवहार करे जैसा सरकार ने मेंडल बिन्ह के साथ किया है तो सरकार को कितना बुरा महसूस होगा ? हमारी सरकार ने इस देश को रूस की कठपुतली बना दिया है। हमारी विदेशी तथा आंतरिक नीति रूस की इच्छानुसार बनती है परन्तु अब रूस भी पीछे हट रहा है। अब रूस पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस ताशकंद में भी हम पर दबाव डालता रहा है और वहां लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। सारा सदन यह चाहता है कि उनकी मृत्यु सम्बंधी मामले की जांच की जानी चाहिये परन्तु सरकार इस जाँच के लिये तैयार नहीं है। अब रूस फरक्का बाँध सम्बन्धी मामले में भी हम पर दबाव डाल रहा है। भारत की इज्जत मिट्टी में मिल गई है।

पूर्व पाकिस्तान से दो लाख लोग यहां पर आ गये हैं। वे बंगाल में शरणार्थियों के रूप में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनका अपराध यही है कि वे हिन्दू हैं। देश के विभाजन के समय भारत में 3 करोड़ मुसलमान थे और पाकिस्तान में 150 लाख हिन्दू थे। भारत में मुसलमान 3 करोड़ से बढ़ कर 6 करोड़ हो गये हैं परन्तु पाकिस्तान में 150 लाख से घट कर 80 लाख हिन्दू रह गया है। यदि नरसंहार हुआ है तो वह पाकिस्तान में हुआ है परन्तु प्रधान मन्त्री समस्त देश को बता रही हैं कि भारत में मुसलमानो की हत्या की जा रही है। वह अपने देश को स्वयं बदनाम कर रही हैं।

अतः गत एक वर्ष से देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे भविष्य, लोकतन्त्र और अर्थव्यवस्था के लिये खतरा पैदा हो गया है। सारी शक्ति प्रधान मन्त्री के हाथों में सकेन्द्रित हो

गई है। हमें इस बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहिये। इसके लिये मैं सभी लोकतन्त्रीय और राष्ट्रवादी दलों से अपील करना चाहता हूँ कि वे सब एक हो जाये और अपने मतभेदों को समाप्त कर दें। हमारी स्वाधीनता खतरे में है। स्वाधीनता की रक्षा करने के लिये हम सब को एक हो जाना चाहिये जिससे हम साम्यवाद और फासिस्टवाद से अपने देश की रक्षा कर सकें।

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : देश के कानून का, जिसमें संविधान भी सम्मिलित है, आदर किया जाना चाहिये जिससे देश और व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा की जा सके। इस लिये हमें निर्वाचन आयुक्त के कार्य की निन्दा नहीं करनी चाहिये। उनके द्वारा मतदाता सूची में गड़बड़ किये जाने का क्या ध्येय हो सकता है? यदि मुख्य मन्त्री राज्यपाल को विधानमण्डल के विघटन का परामर्श देता है तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्यपाल को सलाह दे सकती है कि वह मुख्य मंत्री की सलाह स्वीकार करे या अस्वीकार करे? हमें ऐसे मामले नहीं उठाने चाहिये जिनका विषय के साथ कोई सम्बंध न हो। श्री मधोक प्रधान मंत्री की इस लिये निन्दा करना चाहते थे कि उन्होंने मंत्रिमण्डल में अदला बदली करके शक्ति अपने हाथ में संकेन्द्रित कर ली है। परन्तु उन्होंने निर्वाचन आयोग तक की निन्दा की है। उन्हें श्री अच्युत मेनन की कार्यवाहक सरकार के बारे में भी आलोचना की है। क्या कार्यवाहक सरकार जारी रखना संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध है? उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया है कि मतदाताओं की संख्या में 31 लाख की किस प्रकार वृद्धि हो सकती है और 21 लाख की किस प्रकार कमी हो सकती है। शायद उन्हें मतदाताओं को मतदाता सूची में से निकालने या सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है। हमें निर्वाचन आयोग की आलोचना तब करनी चाहिये यदि चुनाव में बिलम्ब हो रहा हो। अब स्थिति यह है कि वर्ष 1964 में मतदाताओं की सूची का पुनरीक्षण किया गया था। वर्ष 1969 में केवल लोक सभा के लिये चुनाव हुआ था, विधान सभा के लिये नहीं। इस लिये व्यापक तौर पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता था। यह कार्य वर्ष 1974 में किया गया था। जुलाई 1970 में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसके अधिकांश दलों ने मतदाताओं की सूची को स्वीकार कर लिया था। केवल एक दल ने उसका विरोध किया था। मतदाताओं को सम्मिलित करने या सूची में से निकालने के लिये 30 जुलाई तक समय बढ़ा दिया गया था उस समय तक मतदाताओं में 16 प्रतिशत तक की वृद्धि थी। वर्ष 1961 की तुलना में मतदाताओं में 36 लाख की वृद्धि हुई है और 20 लाख की कमी हुई है। इस प्रकार 6 वर्ष की अवधि में 15-1-70 तक 16 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई है। केरल के लिए यह कोई विचित्र बात नहीं है समस्त देश में यही स्थिति है।

श्री मधु लिमये ने शक्ति के संकेन्द्रित किये जाने और सरकार में दफ्तरशाही का उल्लेख किया है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या प्रधान मन्त्री द्वारा की गई कार्यवाही संविधान के विरुद्ध है। इस सभा में विरोधी पक्ष का काम प्रधान मन्त्री और वर्तमान सरकार की निन्दा करनी है। उन की यह कार्यवाही घृणा पर आधारित है। क्या संगठन कांग्रेस ने समाजवाद, धर्मनिपेक्षता, या लोकतन्त्र के सिद्धान्तों का परित्याग कर दिया है? वे स्वतन्त्र, जनसंघ, साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के साथ समझौता करना चाहते हैं। मुझे पता है कि संगठन कांग्रेस नेताओं ने स्वतन्त्रता संग्राम में महत्वपूर्ण कार्य किया है परन्तु राष्ट्र की वर्तमान स्थिति के लिये भी वही जिम्मेदार है। अब

उनकी न कोई नीति है और न ही कोई कार्यक्रम है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या डा० राम सुभग सिंह ने 10 सूत्री कार्यक्रम छोड़ दिया है। अथवा श्री मसानी ने उसे स्वीकार कर लिया है? क्या डा० राम सुभग सिंह ने श्री मधोक का भारतीयकरण का दर्शन स्वीकार कर लिया है? इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि विरोधी की आलोचना घृणा पर आधारित है। उनका अपना कोई कार्यक्रम नहीं है। अतः उनका कोई भविष्य नहीं है।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : सौभाग्य से मेरा सम्बन्ध किसी दल से नहीं है। इसलिये जब शासक दल विरोधी पक्ष को या विरोधी पक्ष शासक दल को बुरा भला कहता है तो मैं दोनों पर विश्वास कर लेता हूं। परन्तु इस दल गत संघर्ष के अतिरिक्त कुछ और भी बातें हैं जो हमारे देश में हो रही हैं?

मेरे से पहले वक्ता ने जनतन्त्र के बारे में उल्लेख किया। किन्तु जनतंत्र में ऐसा तो नहीं किया जाता कि एक दल अपने निर्वाचन के लिए मनोनीत उम्मीदवार को हराने का प्रयास करे और उसके विरुद्ध मत देकर उसे हरवा दें। यह तो विशृंखलता है अव्यवस्था है। इसमें चाहे किसी व्यक्ति विशेष को लाभ हो जाये किन्तु इसे लोकतंत्र तो बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता। क्या विश्व में कहीं ऐसा लोकतंत्र है जहां मंत्रियों का चयन इस आधार पर नहीं किया जाता कि देश से उनकी क्या स्थिति है बल्कि प्रधान मंत्री की पसन्द के आधार पर किया जाता है। आज देश में उन लोगों की उपेक्षा की जा रही है जिनकी देश में अपनी प्रतिष्ठा है, जिनका अपना कोई स्तर हो। एक ओर मंत्री कहते हैं कि मंत्री मंडल में किये गये हेर-फेर से वे प्रसन्न नहीं हैं और वे वह मंत्री पद नहीं लेना चाहते जो उन्हें दिया जा रहा है। दूसरी ओर वे उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। इससे जनता से उनके प्रति क्या धारणा बनेगी, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। कुछ मंत्री पदों से सत्ता काटकर प्रधान मन्त्री ने अपने हाथ में एकत्र कर ली है। ऐसा तो लोकतंत्र में कहीं नहीं किया जाता। यदि प्रधान मन्त्री का ही निर्णय सर्वस्व है, तो फिर सयुक्त दायित्व की धारणा का महत्व ही क्या रह जाता है, श्री दिनेश सिंह के निर्णय का महत्व क्या रहा, जबकि उन्हें दबाव में आकर वह मंत्री पद लेना पड़ा, जिसे वह नहीं चाहते थे या जिसके लिए वह अपने को अयोग्य समझते थे। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग अपने पदों से चिपटा रहना चाहते हैं। आखिर ये लोग अपने मंत्रिमंडल को बनाये रखना क्यों चाहते है। चूंकि वे अपने पदों से चिपटे रहना चाहते हैं इसलिए वे प्रधान मंत्री के पिछलग्गू बन गये हैं। ऐसी स्थिति भी लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। कुछ लोग एक दूसरे दल को प्रतिक्रियावादी कहते हैं, किन्तु एक दल जब तक उसकी निष्ठा संविधान के प्रति है तब तक उसे प्रतिक्रियावादी नहीं कहा जा सकता, जो दल लोकतंत्र में विश्वास करता है, उसे प्रतिक्रियावादी नहीं कहा जा सकता। हां, लोकतन्त्र में प्रतिपक्ष का होना अनिवार्य है। विरोधी दल सरकार के विरोध के लिए होते हैं। यदि किसी देश में किसी एक दल को ही प्रगतिवादी कहा जायेगा तो सरकार-परिवर्तन की सम्भावना ही समाप्त हो जायेगी। वस्तुतः क्या सुधार होना चाहिए और क्या नहीं, यह निर्णय तो जनता करती है। जनता यह निर्णय करेगी कि सरकार तेजी से चले या मन्द गति से। इस दृष्टि से किसी भी दल को प्रतिक्रियावादी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में प्रतिक्रियावादी तो वह है जो संविधान में विश्वास नहीं करता, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। और जो एकदलीय शासन तन्त्र में

विश्वास करता है लोकतन्त्र का सबसे बड़ा शत्रु वह है जो एकदली शासन पद्धति में विश्वास करता है या तानाशाही का समर्थन करता है ।

जो लोग देश के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं और फिर उसी संविधान को तोड़ते हैं, वे प्रतिक्रियावादी हैं । जिन लोगों की निष्ठा देश से बाहर किसी सत्ता के प्रति है वे सचमुच प्रतिक्रियावादी है, और ये लोग ही देश में अराजकता और अस्त-व्यवस्ता उत्पन्न करना चाहते हैं । ऐसी स्थिति उत्पन्न करके ये लोग स्वयं सत्ता में आना चाहते हैं । किन्तु मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जब अराजकता की स्थिति होती है, तब यह निश्चित नहीं होता कि कौन सत्ता में आयेगा । फ्रांस की क्रांति, जर्मनी में उत्पन्न अराजकता की स्थिति के उदाहरण हमारे सामने हैं । वहां पर वे लोग सत्ता में न आ सके, जो आना चाहते थे । फ्रांस का तानाशाह बना सुबलटर्न और जर्मनी में हिटलर ने सत्ता सम्भाली । मुगल सत्ता के विफल हो जाने पर जो अस्त व्यवस्तता उत्पन्न हुई उसमें न मराठा लोग सत्ता में आये और न सिख लोग ही, बल्कि सत्ता में आये वे बनिये लोग जो यहां 5000 मील दूर से व्यापार करने आये थे यह हमारे लिए शर्म की बात है कि उन्होंने हमारे ऊपर लगभग 2 शताब्दी तक शासन किया ।

जरा ध्यान दीजिए कि पश्चिमी बंगाल में क्या हो रहा है ? क्या वहां शान्ति और व्यवस्था है ? वहां प्रतिदिन बम बनाये जाते हैं, मशीनगनों का प्रयोग किया जाता है । प्रतिदिन विश्वविद्यालय बन्द किये जा रहे हैं । यदि सरकार ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया होता तो पश्चिमी बंगाल की स्थिति इतनी न बिगड़ती । इस समय पश्चिमी बंगाल में एक ऐसा राज्यपाल है जिसके विचार अंग्रेजों के विचारों से मिलते-जुलते हैं । उसका विचार है कि विदेशी शासन किसी भी देश को सभ्य बना सकता है, उसकी संस्कृति को समृद्ध कर सकता है । किन्तु बात इससे उलटी है । विदेशी शासन देश की दशा को और अधिक बिगाड़ता है । शासित देश सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक और राजनीति दृष्टि से निम्नतर स्तर को प्राप्त करता जाता है, वह लोगों में दास-भावना उत्पन्न करता है । जहां के राज्यपाल के ही विचार ऐसे हों क्या वहां पर शासन और व्यवस्था बनी रह सकती है ? हमें सावधान रहते हुये ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे लोकतन्त्र जिन्दा रहे—एक व्यक्ति के शासन के बजाय मन्त्रिमंडल का संयुक्त शासन बना रहे ।

श्री जवाहरलाल जी कहा करते थे कि रूस में साम्यवादियों की चाहे जो स्थिति हो, किन्तु भारत में तो वे प्रतिक्रियावादी है । क्योंकि वे जनता के कल्याण करने के स्थान पर उनकी स्वतंत्रता ही छीनना चाहते हैं । निर्धनों की स्थिति सुधारने के बजाय उनकी स्वतंत्रता का हनन करना चाहते हैं । भूखे मरते लोग भी यह नहीं चाहते कि उनकी स्वतंत्रता छिन जाये । क्योंकि स्वतंत्रता एक अमूल्य निधि है । हमारे पूर्वजों के अनुसार भी स्वतंत्रता (मुक्ति) ही सर्वोच्च आदर्श था रोटी के लिए मुक्ति को नहीं छीना जाना चाहिए । यदि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई तो वह देश के लिए बड़ी ही खतरनाक स्थिति होगी ।

अब देश की विदेश नीति को देखियेगा । हमारी सरकार ने श्रीमती बिन्ह को बुलाकर उसका स्वागत किया । हमारी सरकार के मंत्रियों में मस्तिष्क है अथवा नहीं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई । यदि हमारे देश के विद्रोही नागाओं को हमारा कोई मित्र देश निमंत्रण देकर

बुलाये और उसका उसी भांति स्वागत करे जैसे हमारी सरकार ने श्रीमती बिन्ह का किया है, तो हमें कैसा लगेगा ? ऐसी नीति अपनाने के बावजूद सरकार अपनी नीति को गुट निरपेक्ष बताती है । क्या कोई भी देश भारत को गुट-निरपेक्ष मानता है । [अन्तर्बाधाएं]

Mr. Chairman: Those who will speak without permission, will not be recorded. [अन्तर्बाधाएं]*

श्री जी० भा० कृपलानी : सैगोन में हमारे राजदूतावास में जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ । न सरकार उस महिला का स्वागत करती और न वहाँ हमारा राष्ट्रीय झंडा जलाया जाता तथा न हमारे राजदूतावास को क्षति पहुँचाई जाती । राष्ट्रीय झण्डे का जो अपमान सैगोन में किया गया, उसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है जिसने उस देश के विद्रोही का स्वागत किया । हमारी यह दर्पोक्ति कि हम गुट-निरपेक्ष हैं बकवास मात्र है । अब रूस को छोड़कर कोई अन्य देश यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत तटस्थ देश है । आज हमारी सरकार की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों राजनीतियां बिगड़ी हुई हैं ।

मेरा प्रधान मन्त्री से व्यक्तिगत रूप से कोई संघर्ष नहीं है । मैं तो यह चाहता हूँ कि वह ऐसा कोई काम न करे जिससे लोकतंत्र के मान्यता प्राप्त सिद्धान्त ही नष्ट हो जायें । वे ऐसा काम न करे, जो लोकतंत्र से मेल न खाते हों । वे अपने मंत्रियों की प्रतिष्ठा को न गिरायें । वे उनका अपमान न करें । क्योंकि मन्त्रिमंडल की कदर को घटाने का तात्पर्य यह है कि उनकी स्वयं की कदर घटती जा रही है । बस, मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

Shri Sita Ram Kesari (Katihar) : Mr. Chairman, Sir, I congratulate Shri Madhu Limaye for the fact that he has been successful in getting the support of parties like the Congress (O) Party, Swatantra Party, Jan Sangh and C. P. I. (M.), which are always at daggers drawn with each other. Though Dr. Ram Subhag Singh is the leader of opposition, yet he used such a language as is not worth speaking in this House. I am sorry to say that the way in which he has levelled personal charges, is not good. He opposed the grand alliance meraly because Shri Morarji Desai was going to be the leader of that alliance instead of him This is his character.

Shri Balraj Madhok says that our Prime Minister wants to be Hitlar in India. He says that there should be Indianisation of people in our country. They want to Indianise the poor muslims. Why do not they try to Indianise those who openly worship the photo of Mao. First of all those people should be Indianised who are loyal to somebody outside India. Your arguments were based on personal ill will and not on principles.

They also said that the owners of newspapers were favouring the Government these days. This is a way to pressurise the newspapers so that the newspapers may give more publicity to these people, They should not make such statements in the House. The photograph of Shri Madhok is almost daily printed on the front page of newspapers. Sometimes he is shown in press photos while going to Jail, sometimes while going to court. I want to make it clear that their propaganda regarding Indianisation of people or pressurise the newspapers will not go like this for long. Here is my another friend, Shri S. K. Tapuriah, who opposes C. P. I. (M) outside but votes with it in the House. In this respect his party men have double standard.

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not recorded.

In the end, I say Sir, that the no-confidence motion moved by Shri Madhu Limaye is not based on facts. It should be opposed and negatived. It would be better if the mover withdraws it.

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलावा) : श्रीमान् किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए हमे दो बातों पर विचार करना होता है—एक सरकार की वित्तीय नीति और दूसरी उसकी विदेश नीति। जहां तक इस सरकार की वित्त सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है, उसकी वित्तीय नीति असफल रही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण मात्र से काम नहीं चलेगा। जहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही हो, और उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा हो, वहां समाजवाद और जनतंत्र की बात करना बेकार है। बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सरकार पूर्णतः असफल रही है।

देश में हरित क्रांति की चर्चा चल रही है। यह सच भी है कि सिंचाई के साधन वाले प्रदेशों में फसलें अच्छी हो रही हैं। विज्ञान ने भी इस क्षेत्र में सहायता की है। किन्तु इससे लाभ कुलक वर्ग को ही हुआ है। क्या इसे सच्चा समाजवाद कहा जा सकता है। हमें इस स्थिति से ही संघर्ष करना है।

देश के उन अधिकांश भागों के लिए, जो सिंचाई व्यवस्था से वंचित रहे हैं, क्या किया जा रहा है? अनाज के मूल्यों को स्थिर रख कर हम केवल उत्पादकों की सहायता करते है न कि किसानों की।

हमारी समाजवादी सरकार अभी तक भी खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन नियत नहीं कर पाई है। ऐसा क्यों है? केवल इसलिए क्योंकि सरकार के कर्णधार भी स्वयं जमीदार है और इसलिए वह नहीं चाहते कि खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन निर्धारित किये जायें। इसके अतिरिक्त खेतिहर मजदूरों के स्थान पर बड़ी बड़ी मशीनें उपयोग में लाई जा रही हैं। क्या सरकार इस कार्यवाही को उचित समझती है?

हमारी विदेश नीति को लीजिये। हम इससे भी असफल रहे हैं। हमने 1962 में अपनी गलत नीति के कारण जो कष्ट उठाया था उसके बाद भी विश्व में भारत का अपना कुछ अलग महत्व है। रूस, अमरीका, चीन और भारत विश्व की महान शक्तियां हैं। शेष तीन शक्तियां तो अन्य शक्तियों के परस्पर संगठन से भयभीत हैं। अतः आवश्यक है कि भारत को स्वतंत्र नीति अपना कर अपनी विशेष स्थिति बनानी चाहिए। आज हमारी सरकार नेहरू जी की गुटनिर्पेक्षता की नीति पर चल रही हैं। हमें अमरीका अथवा रूस के संकेतों पर नहीं चलना चाहिए अपितु अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वित्तीय मामलों में एवं विदेश नीति के सम्बन्ध में सरकार सफल नहीं रही है।

देश के सम्मुख निर्धनता और सही निष्ठा का अभाव है। यह दो मुख्य समस्याएं हैं। आज सभी राजनीति दल एक दूसरे की सरकारों को गिराने के लिये प्रयत्नशील हैं। इसी उद्देश्य से वह गलत गठबंधन भी कर रहीं है। मैं इस सम्बन्ध में यही बताना चाहता हूँ कि हमें अब ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनता में निष्ठा उत्पन्न हो।

आज निर्धन व्यक्ति की हालत बहुत खराब है। आधुनिक मशीनों के विकास के साथ

आज मनुष्य का मूल्य कम हो गया है। पहले जनता के 60 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर रहते थे परन्तु आज 85 से 90 प्रतिशत कृषि पर निर्भर हैं। बंगाल में यहां दोनों साम्यवादी दल अनेक वर्षों तक सरकार चलाते रहे, आज भी भूमिहीन किसान विद्यमान हैं। उन्हें वहां पर यह पद इसलिए छोड़ने पड़े क्योंकि वे परस्पर ही झगड़ते रहे। पिछले तीन वर्षों को छोड़कर एक ही दल केन्द्र और राज्यों में सत्ता सम्भाले रहा परन्तु उन्होंने केवल नगरीय मजदूरों की ओर ध्यान दिया, गरीब खेतिहर मजदूर आज भी साहूकारों एवं उद्योगपतियों के हाथों पिस रहा है।

मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर विचार करते समय के, हमारी सरकार किस प्रकार की हो मेरी इन बातों पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : मैंने विपक्ष के सदस्यों के वक्तव्यों का विश्लेषण किया है। उनका उद्देश्य देश की अथवा सरकार की सहायता करना नहीं है। डा० राम सुभग सिंह जी ने अत्यन्त कटु आलोचना की है। क्या वे अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचेंगे कि उन्होंने अपने मन्त्रित्व के दौरान कैसा आचरण किया था। यदि सदस्य-गण शान्त चित्त से शासक कांग्रेस की उपलब्धियों का विश्लेषण करेंगे तो वे अनुभव करेंगे कि देश ने थोड़े वर्षों में ही पर्याप्त उन्नति की है जबकि इतनी उन्नति करने में अमरीका और इंग्लैंड की आधी शताब्दी लग गई थी। आलोचना करना सरल है और कार्य करना उतना ही कठिन है। इन शब्दों के साथ मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : आश्चर्य की ही बात है कि प्रायः हर एक सत्र में हम किसी न किसी अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करते हैं और इस पर भी हम उनसे ऊबते नहीं। देश की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि सभी नागरिकों को देश के सुधार की चिन्ता करनी चाहिये। सारे देश में दल-बदल का बोल बाला है। क्या ऐसी नीति से हमारे देश का भला हो सकता है ?

प्रधान मंत्री का उस परिवार से संबंध है जिसकी इस देश में पूजा की जाती है। उस पर महान आशाएं लगाई गई थीं परन्तु ऐसी आशायें फलदायक सिद्ध नहीं हुईं।

जब विपक्ष कांग्रेस जनसंघ के साथ सहयोग करती है तो उसे प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। परन्तु शासक कांग्रेस जब मुस्लिम लीग और अकाली दल से सहयोग करती है तब क्या यह उसकी प्रगति है।

हमारी वर्तमान सरकार समाजवादी है। परन्तु 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् समाजवाद की ओर क्या प्रगति की है। दूसरे दलों से विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी जोकि स्वीकार नहीं की गई।

किसी भी ऐसे राज्य ने, जिसमें प्रधान मंत्री की समर्थक सरकार स्थापित है, भूमि सुधार लागू नहीं किये हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के पास 5 हैक्टेयर से अधिक भूमि है जिसके संबंध में कुछ नहीं किया गया। वहां के मुख्य मंत्री 20 लाख एकड़ बेकार सरकारी जमीन को आठ लाख भूमिहीनों में वितरित करके यह दावा करते हैं कि वहां भूमि सुधार कर दिये गये हैं।

सरकारी क्षेत्र से स्वामित्व का निजी क्षेत्र में परिवर्तन करना ही क्या भूमि सुधार है? क्या महाराष्ट्र में, बिहार में अथवा किसी भी अन्य राज्य में नई कांग्रेस सरकार ने भूमि सुधार की दिशा में कोई भी कार्रवाई की है?

समाजवाद की बात करना एक बात है परन्तु समाजवाद की दिशा में कार्यवाही करना दूसरी बात है। हम सब प्रगतिशील होने का दावा करते हैं और प्रगतिशीलता के नाम पर जनता को आकर्षित करते हैं।

मन्त्रिमण्डल में किए गए फेर-बदल खतरनाक हैं। इससे एक व्यक्ति का अधिनायकवाद स्थापित हो गया है। इसके होते हुए संसद व्यर्थ बन गई है। इससे यह प्रकट किया गया है कि प्रधान मंत्री के अतिरिक्त सभी व्यक्ति अक्षम हैं। प्रधान मंत्री के पास आश्चर्यजनक शक्तियां जिसका पूर्व प्रधान मंत्रियों ने उपयोग नहीं किया था। हमारे प्रधान मंत्री ने उनका पूरा उपयोग किया है।

यदि हमें प्रजातन्त्र की रक्षा करते हुए एक राष्ट्र के रूप में प्रगति करनी है तो हमें प्रजातन्त्र को सही रूप में चलाना चाहिए। हमें एक ऐसी पद्धति अपनानी चाहिए जिससे एक व्यक्ति में शक्ति का केन्द्रीयकरण रुक सके। देवता लोग भी शक्ति से पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं।

प्रधान मंत्री कहती हैं कि लोग उनके साथ हैं। उन्होंने तेलंगाना आन्दोलन के शान्त होने पर वहां के लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया।

नक्सल पंथियों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। उनके द्वारा सैकड़ों व्यक्तियों की हत्या के बावजूद कोई न्यायिक जांच नहीं की गई। एक मामले में जांच की गई थी परन्तु उसे भी दबा दिया गया।

मैं प्रधान मंत्री से तेलंगाना समस्या के शीघ्र हल के लिए अनुरोध करता हूँ। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना के संबंध में उनकी नीतियों से देश का हित नहीं हो रहा अपितु यह देश को विनाश की ओर ले जा रही है।

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : सभापति महोदय, श्री मसानी ने कहा कि प्रत्येक अधिवेशन का आरम्भ अविश्वास प्रस्ताव से करना नेम सा बन गया है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूँ और विशेषतयः इस समय जबकि हमारे देश के सम्मुख और अधिक महत्वपूर्ण समस्यायें हैं। हमें उनकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह आश्यर्च की बात है कि चर्चा के दौरान जहां विभिन्न राजनीतिक समस्याओं को उठाया गया है, वहां अर्थ व्यवस्था से सम्बद्ध बेरोजगारी आदि की समस्या का उल्लेख तक नहीं किया गया। हमें बलिदान की भावना से प्रेरित होकर इस समस्या को उठाना चाहिए। मेरा दल देश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आज जो लोकतन्त्र का ढिढ़ोरा पीटते है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भारत की अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन अनिवार्य है। आज सभा में जो चर्चा हो रही है परन्तु यह मेरे विचार से चर्चा नहीं वरन् वामपंथी दल की ओर से केवल किसी आक्षेप की अभिव्यक्ति ही है।

हमारी अर्थ व्यवस्था न्यूनाधिक रूप से एक पूंज वादी अर्थ व्यवस्था ही है जहाँ कि लोगों के विचारों पर भी एकाधिकारियों के दल का ही अधिपत्य है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार का केन्द्रीकरण सबसे बुरा होता है यह हर प्रकार से हमारे देश के मूल हितों के विरुद्ध है क्योंकि यह देश को विकसित करने में पूर्णतया असफल रहा है। इसमें सशक्त तथा व्यवहारिक रूप से कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। गत छः महीनों में हमने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाये हैं। इनके फलस्वरूप कुछ लोगों को निराशा हुई है और स्वतंत्र तथा जनसंघ जैसे दल हमारे राजनीतिक पटल पर ऊभर आये हैं।

इस सन्दर्भ में श्री मधोक ने वही तर्क प्रस्तुत किये हैं जो कि आज से 50 वर्ष पूर्व ब्रिटेन में प्रस्तुत किये गये थे। वहां यह कहा जाता था कि सारी शक्ति सम्राट के हाथों में आ रही है। नौकरशाही का प्रभाव बढ़ रहा है। यह निश्चय ही बहुत भारी समस्या है और इस पर चर्चा करके हमें इसका कोई हल अवश्य निकालना चाहिए। आज स्थिति ऐसी है कि अकर्मण्य नौकर-शाही न तो कुछ कर रही है और न ही कुछ करने के ही योग्य है। उसका प्रयास यह है कि अधिक से अधिक उनके पास आ जाए जिससे देश की कठिनाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अतः ऐसी परिस्थितियों में हमें केवल शक्ति के केन्द्रीकरण के दृष्टिकोण विचार नहीं करना है। उदाहरणार्थ अरब में सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के हाथों केन्द्रित रहती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह बिलकुल नहीं है उसी तरह सम्पूर्ण शक्ति यहां प्रधान मंत्री में केन्द्रित हो। हमारे संविधान में जब यह स्पष्ट किया गया है कि प्रधान मत्री जिस किसी मंत्रालय को भी चाहे उसका कार्य देख सकता है तो फिर प्रधान मंत्री द्वारा किसी विशिष्ट मंत्रालय को लेने पर हमारे मन में कोई भ्रामक धारणा नहीं उठनी चाहिए। आज यह भ्रान्ति बहुत जोरों से फैलाई जा रही हैं। कि सम्पूर्ण शक्ति प्रधान मन्त्री के सचिवालय के हाथों केन्द्रित हो रही है इन बातों से विरोधी दलों की प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि होने वाली नहीं। वह निराधार ही इस बात की डौंडी पीटते जा रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश में आज दो परस्पर विरोधी प्रवृतियां सामने आ रही हैं। इन प्रवृतियों का मुकाबला करके हम संसदीय लोकतंत्र को बल प्रदान कर रहे हैं। ऐसा करने से हमने किसी प्रकार की गलती की भी है तो वह हमारे अधिक लोकतंत्रवादी बनने, नौकरशाही को बढ़ावा देने तथा प्रतिबन्ध और समानता की प्रणाली के अन्तर्गत चलने वाली राजनीतिक पद्धति हुई है जिससे हम अकुशलता से कार्य करने में विवश हुए हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका समाधान राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक की विभिन्न दृष्टियों और मुख्य सुधारों की दृष्टि से देखने से ही किया जा सकता है।

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधान मंत्री ने जो कुछ किया है वह सही है। इससे लोकतंत्र को किसी भी प्रकार का खतरा संभव नहीं है। जब भी लोकतंत्र को कोई खतरा होता है तो वह कभी किसी एक राजनीतिक दल में शक्ति के केन्द्रीकरण से नहीं होता क्योंकि लोकतंत्र का आधार अनेक संस्थायें, एजेंसियां और स्वतंत्र सस्थायें होती हैं। इन की स्वतंत्रता पर ही लोकतंत्र निर्भर रहा है। अतः यदि हमने वास्तव में अपने लोकतंत्र को सफल बनाना है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि देश को जनसंघ तथा स्वतंत्र दलों के अतिवादी विचारों से सबसे बड़ा खतरा है। हमारे स्वतंत्र दल के लोग आज साम्यवादी दल पर पूर्ण प्रतिबन्ध की मांग करते हैं ऐसा तो केवल गोली से ही हो सकता है। आज हमें इन्ही प्रवृतियों से बचने की आवश्यकता है।

यदि आज लोकतंत्र को कोई खतरा है तो वह अतिवाद से सम्पृक्त विचारों के ध्रुवीकरण के कारण है। लोकतंत्रीय प्रणाली में जो भी कार्य होता है वह विरोधी दल और पदासीन दल के कुछ आधारभूत समझौतों के बीच होता है। हमारे विचार से यह भावना धीरे-धीरे टूट रही है और वास्तव में यही लोकतंत्र को खतरा है। परस्पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करने की राजनैतिक दलों की प्रवृत्ति से, तथा मूलभूत बातों पर भी एक दूसरे दल के विचार न मिलने के फलस्वरूप हमारे लोकतंत्र को बहुत क्षति पहुंची है। जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है और जब से समाजवादी उपाय अपनाये गये हैं तब से तो यह खतरे और भी अनर्थकारी ढंग से सामने आये हैं।

आज हमारी विदेश नीति पर आक्षेप किये जा रहे हैं। यह कहा जाता है कि हमारी विदेश नीति पिछलग्गू की नीति बन गई है। वह सोवियत सरकार की कठपुतली बन गई है। इससे बड़ी अतिशयोक्ति और भला क्या हो सकती है। भारत को सोवियत संघ की कठपुतली कहना केवल तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना है। हमारी अपनी नीतियां हैं। पिछले 20 वर्षों में हम अपनी नीतियों को विशेष प्रकाश की ओर लाये हैं। हम चाहते हैं कि दल पूर्णतया गुट निरपेक्ष हो हम पूरी तरह से साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। वियतनाम में हमने अमरीका का विरोध किया परन्तु जब हमने मेडम बिन्ह को आमंत्रित किया तो उसका हमारे देश में विरोध किया गया। यह ठीक है कि वियतनाम में आजकल साम्यवादी सरकार है परन्तु स्मरण रहे कि इसके उपरांत भी प्रत्येक राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ वियतनाम से ही हुआ है। मेडम बिन्ह की क्रान्तिकारी सरकार की अपनी सत्ता है। जो लोग विश्व की शक्तिशाली शक्तियों को पहचानने में समर्थ नहीं है हमारे लोकतंत्र को उन्हीं से खतरा है। आज विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं परन्तु इसका यह तात्पर्य तो यही है कि हम उनके अधीन हैं। कुछ देशों के साथ हमारी शत्रुता भी है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारी उनके साथ लड़ाई हो रही है। हम अपने राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय हितों के बारे में स्वयं सोचते हैं अपना विकास कार्य सदा ही हमारी दृष्टि में रहता है। हम इसके लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहते।

साम्प्रदायिक दंगों का उल्लेल भी किया गया है। हम इस तथ्य से पूर्णतया अवगत हैं कि दंगों का आरम्भ किस जगह और किस तरह होता है। इसके कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में हिन्दूओं तथा मुसलमानों दोनों को कौन सी शिक्षा देने की आवश्यकता है।

आज कुछ लोग यह कह रहे हैं कि हमारे दल का उद्देश्य भूमि सुधार करना नही है। परन्तु यह बिलकुल गलत है। वास्तव में हमारा दल ही एक ऐसा दल है जिसने यह निर्णय किया है कि यदि राज्य में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस है तो जो उस राज्य में तथा अन्य राज्यों में भी हम भूमि सुधारों के लिए आन्दोलन चलायेंगे।

श्री मुहम्मद इस्माईल (बैरकपुर): यह आश्चर्य की बात है कि हमारे कुछ मित्रों ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए केरल में चुनावों के प्रश्न को एक कारण के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके साथ-साथ यह और भी आश्चर्य का विषय है कि लोग पश्चिमी बंगाल में चुनावों की मांग कर रहे हैं वही केरल में चुनावों का विरोध कर रहे हैं।

चुनाव का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं वरन् निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है जो कि अपने आप में एक स्वतंत्र एजेन्सी है।

इस प्रकार का अन्तिम कार्य 15 नवम्बर से 30 नवम्बर 1969 तक किया गया जबकि सारे देश की मतदाता सूचियां संशोधित की गई और इसी प्रकार का कार्य केरल में भी किया गया। इन प्रक्रियाओं की सूचना निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को दी थी। उस समय किसी ने इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठाये जैसे कि आज उठाये जा रहे हैं।

उस समय तैयार की गई मतदाता सूचियों के आधार पर केरल में तीन उप चुनाव हो गये हैं परन्तु उस समय इस बारे में अधिकारियों के सामने कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया गया जिसमें कहा गया हो कि मतदाता सूची में गड़बड़ है।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

51 प्रतिवेदन

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 51वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुद्धवार, 29 जुलाई, 1970/7 श्रावण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 29th July, 1970/Sravana 7, 1892 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6